खण्ड-15, अंक-09
मंगलवार, चैत्र 28, शक संवत् 1928
(18 अप्रैल, 2006 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2006)

(खण्ड 15 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2008

मूल्य-

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति — — —	"क"
नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के विषय पर सुने जाने की मांग — — —	1-2
प्रश्नोत्तर — — —	2-30
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं — — —	30
जनपद उत्तरकाशी के पराशु रावि वन विभाग द्वारा काश्तकारों के कथित उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	30-31
जनपद चमोली के अन्तर्गत तहसील जोशीमठ में एन0टी0पी0सी0 द्वारा जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि प्रभावितों को उचित मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — — —	31-32
जनपद अल्मोड़ा के तहसील द्वाराहाट एवं तहसील चौखुटिया के चिकित्सालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना — — —	32
जनपद नैनीताल के भूस्खलन से प्रभावितों का पुनर्वासन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना — — —	32
देहरादून के लोहारवाला, कृष्णनगर, सैयद मोहल्ला तथा गोविन्दगढ़ में छोटी बिन्दाल नदी की नियमित सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना — — —	33
प्रदेश में अन्त्योदय योजना के तहत राशन वितरण का लाभांश सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना — — —	33-34
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) — — —	34
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) — — —	34
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा) — — —	34

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित) --	34–35
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं -- -- --	35–47
वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–27, वन विभाग......(स्वीकृत) -- -- --	47–62
अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध विभाग......(स्वीकृत) -- -- --	62–64
अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग......(स्वीकृत) -- -- --	64–93
अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग......(स्वीकृत) -- -- --	93–100
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश......(स्वीकृत) -- -- --	101–103
अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग......(स्वीकृत) -- -- --	103–121
अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विभाग......(स्वीकृत) -- -- --	121–132
अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग......(स्वीकृत) -- -- --	132–147
पेयजल निगम के प्रबन्ध निदेशक को सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी लगातार बनाये रखने एवं सेवा विस्तार के सम्बन्ध में दिनांक 3 अप्रैल, 2006 को श्री अजय भट्ट एवं श्री नारायण सिंह जंतवाल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्र0सं0–2 एवं तारांकित प्र0सं0–4 के विषय पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा -- --	148–164
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं -- -- --	164

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती आशा देवी
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उम्मेद सिंह माजिला
9—श्री काशी सिंह ऐरी
10—श्री किशोर उपाध्याय
11—श्री कैलाश शर्मा
12—श्री कौल दास
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15—श्री गोपाल सिंह राणा
16—श्री गोविन्द लाल
17—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18—श्री जोत सिंह गुनसोला
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलकराज बेहड़
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24—श्री नव प्रभात
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—श्री प्रकाश पंत
29—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30—डा0 प्रताप बिष्ट
31—श्री प्रदीप टम्टा
32—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रीतम सिंह पंवार
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
36—श्री फूल सिंह बिष्ट
37—श्री बलवीर सिंह नेगी
38—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
39—श्री विशन सिंह चुफाल
40—श्री भगत सिंह कोश्यारी
41—श्री मदन कौशिक
42—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
45—श्री मातबर सिंह
46—चौ0 यशवीर सिंह
47—श्री रणजीत सिंह
48—श्री राम प्रसाद टम्टा
49—श्रीमती विजया बडथ्वाल
50—श्री शूरवीर सिंह
51—श्री शहजाद
52—श्री साधू राम
53—श्री सुबोध उनियाल
54—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
56—सुरेश चंद
57—श्री हरबंश कपूर
58—श्री हरभजन सिंह चीमा
59—श्री हरिदास
60—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61—श्री हीरा सिंह बिष्ट
62—श्री हेमेश खर्कवाल
63—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के विषय पर सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम–311 के अन्तर्गत हमारी एक सूचना है, जो प्रदेश के तराई भाबर तथा अन्य क्षेत्रों में वर्ग–4 की भूमि पर काबिज कृषकों की समस्या से सम्बन्धित है। कृपया इस पर हमें सुना जाय। मान्यवर, कई बार हमने इस सम्बन्ध में आपको नोटिस भी दिया है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री हरीदास, डॉ0 यशवीर सिंह, श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना प्राप्त हुई है, जो उत्तरांचल प्रदेश के तराई भाबर तथा अन्य क्षेत्रों में वर्ग–4 की भूमि पर काबिज कृषकों की समस्या के सम्बन्ध में है। प्रकरण कल सदन में उठाया जा चुका है और इस सम्बन्ध में शासन का पक्ष भी आ चुका है। अतः मैं नियम–311 के अन्तर्गत इस उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात एक साथ कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। इसमें शासन का पक्ष आ चुका है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कल राजस्व के बजट के समय मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

* नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यदि आप इन्हें नियम–58 के अन्तर्गत सुनें तो बड़ी कृपा होगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कल राजस्व के बजट के समय मैंने इसका उत्तर दे दिया है। माननीय चीमा जी ने इस सम्बन्ध में दो तरह के सवाल उठाये थे, उनका मैंने प्वाइंटेड उत्तर दे दिया था, जो कार्यवाही का अंश भी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट– * वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। जब तक आप अपनी सीट पर नहीं जायेंगे तब तक मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जब आप अपनी सीट पर बैठेंगे तभी मैं इसमें कुछ आश्वासन दूंगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें, प्रश्नकाल होने दें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि इसका निस्तारण हो। माननीय अध्यक्ष जी, जब तक हमें भरोसा नहीं दिलायेंगे तब तक हम नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं नियम–56 में सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न

सचिवालय के निकट अधिगृहीत भूमि पर विधान सभा भवन के निर्माण की योजना

* 1–श्री प्रकाश पंत–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि शासकीय सचिवालय के निकट अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत की गयी है ?

यदि हां, तो इस भूमि पर विधान भवन के निर्माण की योजना विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सचिवालय के निकट स्थित अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण सचिवालय के विस्तारीकरण के कार्य हेतु किया गया है।

नोट– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि सचिवालय के निकट स्थित अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण सचिवालय के विस्तारीकरण के कार्य हेतु किया गया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा इस भूमि में क्या सचिवालय हेतु कोई वृहद् निर्माण कार्य किया गया है और यदि किया गया है, तो लागत कितनी लगी और मैं जानना चाहूंगा कि राज्य के विधान भवन निर्माण के लिए क्या सरकार ने कहीं अन्यत्र भूमि का चयन किया है ? यदि किया है तो कहां किया है और कितनी भूमि तथा उस विधान भवन के निर्माण के लिए सरकार की कोई नीति है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सचिवालय में उपलब्ध भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में श्री एन० रामचन्द्रन तत्कालीन प्रमुख सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसे रामचन्द्रन समिति की संज्ञा दी गयी। रामचन्द्रन समिति द्वारा सचिवालय की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सचिवालय के आसपास की जमीन उत्तरी एवं दक्षिणी भू–भाग को अधिग्रहीत कर सचिवालय की आवश्यकताओं के अतिरिक्त निर्माण किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसके अनुसार सचिवालय के लिए उत्तरी एवं दक्षिणी भू–भाग में क्रमशः 2.301 हेक्टेयर उत्तरी क्षेत्र में तथा 4578.40 वर्गमीटर दक्षिणी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस अधिग्रहीत भूमि पर योजना भवन, पुस्तकालय, अभिलेख कक्ष, चिकित्सालय, कैन्टीन हेतु स्थान, डाकघर, सुलभ शौचालय हेतु स्थान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण किये जाने की संस्तुति रामचन्द्रन समिति द्वारा सचिवालय की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सचिवालय के आसपास की जमीन उत्तरी एवं दक्षिणी भू–भाग को अधिग्रहीत कर सचिवालय की आवश्यकताओं के अतिरिक्त निर्माण किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसके अनुसार सचिवालय के लिए उत्तरी एवं दक्षिणी भू–भाग में क्रमशः 2.301 हेक्टेयर उत्तरी क्षेत्र में तथा 4578.40 वर्गमीटर दक्षिणी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस अधिग्रहीत भूमि पर योजना भवन, पुस्तकालय, अभिलेख–कक्ष, चिकित्सालय, कैन्टीन हेतु स्थान, डाकघर, सुलभ शौचालय हेतु स्थान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण किये जाने की संस्तुति रामचन्द्रन समिति द्वारा की गयी है। अभी इस पर प्लान तैयार किया जा रहा है और फाईनल होने के बाद ही पता चलेगा और जब पता चलेगा तब होगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहां तक विधान मण्डल बनाये जाने की बात है तो आपको पता है कि राजधानी चयन आयोग की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है, उसकी वजह से परेशानी आ रही है, चयन आयोग उसके विपरीत हो जाय तो ऐसी स्थिति में कठिनाई आयेगी। यहां पर जो कठिनाई थी तो माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों से समस्या के समाधान के लिए तीसरी मंजिल का निर्माण किया गया है यद्यपि और अधिक आवश्यकता भी है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है, इसलिए राजधानी चयन आयोग की संस्तुति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नोट– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कुल कितनी धनराशि है ? आपने बताया कि जो नई अधिग्रहीत भूमि है उसमें नहीं किया है, लेकिन सचिवालय के अन्दर भी निर्माण कार्य हुआ है, वह निर्माण कार्य कितनी लागत का हुआ है और विधान भवन में भी कार्य हुआ उसमें कितनी धनराशि व्यय की गई है ? सचिवालय और विधान सभा में कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहां तक विधान सभा भवन का सवाल है तो यह प्रश्न नहीं उठता और आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि संस्तुति आने पर होगा।............

. मान्यवर, राजधानी चयन आयोग की संस्तुति आने पर निर्माण पर विचार किया जायेगा। जो सचिवालय के कई नये भवन बने वह लगभग 5–6 करोड़ के बने हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे और स्पष्ट प्रश्न जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न है कि आपकी पीठ ने निर्देश दिया था, जब यहां पर दुर्घटना हुई थी कि विधान सभा भवन का निर्माण किया जाय, लेकिन आपकी पीठ ने यह निर्देश नहीं दिया था कि इसे गैरसैंण में बनायें, देहरादून में बनायें या रामनगर में बनायें। मान्यवर, राजधानी चयन आयोग की सिफारिश जल्दी लाकर कम से कम पीठ का सम्मान करने का बन्दोबस्त कब तक करेंगे ? दूसरा सवाल यह है जैसा कि पंत जी ने कहा सचिवालय में अब तक कितना खर्च किया गया उसकी जानकारी न भी हो, मैं यह जानना चाहूंगा कि यहां पर वृहद् निर्माण किया गया यह अस्थायी राजधानी है। मान्यवर, भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है ? राजधानी चयन आयोग ने घोषणा नहीं की है आप उसका कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं। अस्थायी राजधानी सचिवालय में आप निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस वृहद् निर्माण कार्य का क्या औचित्य है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय ऐरी जी, आपने पहला प्रश्न पूछा यह सही है कि जब बेंच टूटी थी तब माननीय अध्यक्ष ने पीठ से निर्देश दिया था। राजधानी चयन आयोग और माननीय अध्यक्ष के निर्देशों का कोई तालमेल नहीं है आपने इस ओर ध्यान इंगित किया है वह सही है। दूसरा यह कहा कि राजधानी तय नहीं है तो भवन का क्या औचित्य है ? मान्यवर, व्यवस्था अस्थायी हो या स्थायी हो, हम यहां पर लगभग साढ़े चार साल बैठे हैं, कार्य करने के लिए सचिवालय चाहिए, जो यहां पर कार्य कर रहे हैं अगर उनके लिए बैठने का स्थान नहीं होगा तो हम विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पायेंगे। मान्यवर, आज भी यह परिस्थिति है कि सचिव के कक्ष में बैठकर टाइप करना पड़ता है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी और उस कमेटी ने विचार–विमर्श किया उसकी बैठक आज भी है। मान्यवर, जो तत्कालीन सरकार उस समय थी उन्होंने भी बड़ी कठिनाई से कार्य किया। उन्हीं के बनाये हुए इस सदन में हम आज बैठे हैं, यह इससे बड़ा होना चाहिए। इसमें अभी हमारी लॉबी नहीं है। यह अस्थायी है, स्थायी कब होगी और कहां होगी आप के इच्छानुसार हो जाय। इस पर एक व्यवस्था चल रही है। मान्यवर, चली हुई व्यवस्था में ही हम आकर बैठे हैं।

नोट– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज सचिवालय में बहुत बड़ा प्रेशर है। कभी पास को लेकर घटनाएं होती हैं, कभी बैठने को लेकर तो भविष्य में ऐसा विवाद उत्पन्न न हो इस दृष्टि से यह आवश्यक था। इससे लोगों को कार्य करने में सुविधा होगी। सचिवालय के पास जो खाली जमीन थी यदि अभी हम उसका अधिग्रहण न करते तो वह जमीन किसी अन्य कार्य के लिए ले ली जाती। इसलिए सचिवालय में कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका अधिग्रहण किया गया है। विधान भवन में भी बहुत सी कठिनाईयां हैं। दलीय नेताओं के द्वारा, समितियों से माननीय सदस्यों के द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया है। सचिवालय में व्यवस्था करने में आप सबका भी सहयोग हमें मिला है। विधान भवन में मंजिलों को बढ़ाने का कार्य किया गया है। सामान्य प्रकार की सुविधा यहां पर उपलब्ध हो रही है। विधान सभा में सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी और सचिव के बीच पत्र व्यवहार हुआ है, जिसका ब्यौरा मेरे पास है। इसमें यह तय हुआ कि विधान भवन में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये। साथ ही सचिवालय में जो कार्य कराया जा रहा है उसकी भी बहुत आवश्यकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक व्यवस्था हमको मिली और हमने आगे बढ़ाया। यह दुर्भाग्य है कि ऐसी व्यवस्था बनी और कांग्रेस पार्टी ने भी यह सोच लिया कि यही व्यवस्था सही है, इसी से काम चलाया जाय और राजधानी चयन आयोग के नाम पर इस मसले को लटकाया जाय। इसी में इनको सहजता लगी। मैं जानना चाहता हूं, मैंने पीठ के निर्देशों का भी हवाला दिया। मैं जानना चाहता हूं कि राजधानी चयन आयोग एक किस्म का बहाना या आपकी मजबूरी है, यह मजबूरी कब तक खत्म होने वाली है ? यह आयोग कब तक अपनी संस्तुति दे देगा ? अभी एक सदस्य कह रहे हैं कि यह आज ही तय होगा, कहीं अन्दर ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा है ? यह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी सर्वे का काम चल रहा है। छः माह में वह अपनी रिपोर्ट दे देगा। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी उसे सार्वजनिक किया जायेगा, वह सदन में भी आयेगी।

* श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार की यह मंशा जाहिर हो गयी है। देहरादून को ही स्थायी राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हमने यहां पर अधिग्रहण इसलिए किया क्योंकि यहां पर बैठने का स्थान नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुल कितने सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव ऐसे हैं जो आज तक सचिवालय परिसर से बाहर बैठ रहे हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो राजधानी चयन आयोग है, क्योंकि यह सरकार द्वारा निर्मित चयन आयोग है और यह पीठ से ऊपर नहीं हो सकता है। क्या सरकार राजधानी चयन आयोग की कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ? कोई कट ऑफ डेट निर्धारित करेगी कि फलां तारीख तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा ?

नोट– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको पहले से ही जानकारी होगी कि राजधानी चयन आयोग की संस्तुतियां 31–12–2006 तक प्राप्त होनी सम्भावित हैं। हम यह मानकर चल रहे हैं कि वह दिसम्बर, 2006 तक अपनी संस्तुतियां दे देंगे। यह तो सम्भावनाएं हैं, हम इन सम्भावनाओं पर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको स्वयं भी इस बात की जानकारी होगी ही कि 1–1 कमरे में कहीं पर 2, कहीं 3 और कहीं 4 अनुभाग एक साथ बैठ रहे हैं। अनुभागों में जो सेक्शन ऑफिसर हैं और जो अनुभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर विधान सभा सत्र के दौरान काफी प्रेशर भी होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि शीघ्र काम करें तो इस प्रकार से 4 वर्षों के अन्दर जितना काम हुआ है उससे सचिवालय के अनुभागों का भी काम बढ़ा है। सचिव के स्तर से ज्यादा जरूरी अनुभागों का होता है, उन अनुभागों के कर्मचारियों को बैठने की सुविधा मिले, फाइलों को रखने की जगह मिल सके तो इसके लिए उन्हें सुविधा देनी ही होगी। आज यह स्थिति है कि कहीं–कहीं पर चार–चार अनुभाग एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या प्रमुख सचिव, सचिव या अपर सचिव जगह की कमी के कारण सचिवालय भवन से बाहर भी बैठ रहे हैं, यदि बैठ रहे हैं तो उनकी संख्या क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, निदेशालय स्तर पर तो बैठते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे यहां पर अनुभागों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है क्योंकि कार्य बढ़ रहा है तो अनुभाग भी बढ़ेंगे। आपको तो मालूम ही है कि हमारे आई०ए०एस० और पी०सी०एस० भी डेपुटेशन पर हैं और हमारे ही अधिकारी हमें आवंटित नहीं हैं। वर्तमान में एक ही सचिव चार–पांच विभागों को देख रहे हैं। आपको तो जानकारी है क्योंकि आपने पहले यह सब स्थितियां झेली हैं। इनके आवंटन के लिए भारत सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर दबाव बना रहे हैं और दिल्ली की समितियों में भी इस बात को कहा जा रहा है कि जो डेपुटेशन पर हमारे अधिकारी हैं वे हमें मिलने चाहिए। अभी कुछ पी०सी०एस० भी प्रोन्नत हुए हैं। इस प्रकार से जब यह अधिकारी यहां पर आयेंगे तो आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अनुभाग बढ़ाये जा रहे हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था तो करनी ही होगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिसम्बर, 2006 के अन्त तक राजधानी आयोग की संस्तुति आ जायेगी। तो क्या हम मान लें कि दिसम्बर तक हमारे यहां पर चुनाव हो जायेंगे ?

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, 4 जून, 2002 और 10 जून 2002 यह दो तिथियां ऐसी हैं, जिसमें 4 जून, 2002 को माननीय पीठ से निर्देश दिये गये थे कि विधान सभा भवन का अविलम्ब निर्माण कराया जाय। आप उस तिथि की कार्यवाही निकलवा कर देख सकते हैं और 10 जून, 2002 को जब अग्निकाण्ड के बाद पहली बार विधान सभा की बैठक हुई और यहां पर सभी सम्मानित साथियों ने अपने विचार रखे और माननीय नेता सदन ने इसी सदन में कहा था कि देहरादून से राजधानी को अन्यत्र ले जाना तुरन्त सम्भव नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि विगत 4 वर्षों में 27 करोड़ रुपये की धनराशि राजधानी निर्माण के नाम पर खर्च की गयी और मंत्री जी ने भी बताया कि 4 करोड़ रुपया सचिवालय के भवन पर भी खर्च हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राजधानी को क्या देहरादून में ही रखने के उद्देश्य से विलम्ब किया जा रहा है या राजधानी कहीं और ले जाने की मंशा सरकार की है ही नहीं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसी हमारी निजी मंशा तो नहीं है। देहरादून राजधानी बनाने की आपकी मंशा क्या थी ? जब उत्तरांचल बना तो आप लोगों ने ही देहरादून को राजधानी के लिए चुना और उसके लिए क्या प्रेशर था हमें नहीं मालूम आप लोग चूंकि देहरादून में अस्थायी राजधानी बना चुके थे तो जो निर्वाचित होकर सरकार आई तो हमें भी देहरादून ही आना पड़ा।

मान्यवर, राजधानी का प्रश्न तब भी था और अब भी है। गैरसैंण पर सर्वसम्मति थी। उससे पूर्व भी राजधानी का प्रश्न था। आप जैसे तमाम विद्वानों ने यह निर्णय लिया कि जहां पर सहती सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं पर अस्थायी राजधानी बनायी जाय। इसी कारण देहरादून का चयन किया गया। आपने राजधानी चयन के लिए एक आयोग गठित किया लेकिन उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी। आज भी वही आयोग काम कर रहा है लेकिन रिपोर्ट नहीं आती है। यह आयोग व्यापक भ्रमण कर रहा है। जब इस सम्बन्ध में इमोशनल और रेशनल निर्णय आ जायेंगे तो उसके बाद यदि सबकी सहमति होगी तो राजधानी अन्यत्र चली जायेगी। इसमें सहमति भी बहुत जरूरी है। अभी यहां से काम–काज चल रहा है। इसके विस्तार के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमने आधारभूत सुविधाओं की बात नहीं की है। अकेले सचिवालय और विधान सभा में 27 करोड़ रुपये का वृहद् निर्माण कराया गया है। इतने पैसे में तो राजधानी का निर्माण हो सकता था। सरकार ने बिना किसी योजना के धन का दुरुपयोग किया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जितना दुरुपयोग आप कर चुके थे, हमने उसी दुरुपयोग को एक्सटेंड कर दिया। इस विधान सभा का निर्माण आपके ही द्वारा कराया गया है। बहुत सुन्दर विधान सभा मण्डप हमारा बनाया गया है। माननीय प्रकाश पंत जी आपने ही इसकी

संस्तुति दी थी। यह बहुत सुन्दर बना है। सचिवालय और विधायक निवास का भी भवन आपने ही किया था। इस निर्माण के पीछे मूल आधार आप ही हैं। यदि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं।

तारांकित प्रश्न

कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग एवं राजाजी नेशनल पार्क के ज़ोन में बसे गांव तथा खेती व मवेशियों को जंगली पशुओं से रक्षा की कार्य योजना

*1—श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग एवं राजाजी पार्क के कोर ज़ोन एवं बफर ज़ोन में कितने गांव बसे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष वन्य पशुओं, मुख्यतः हाथियों एवं सुअरों द्वारा खेती की हानि की जाती है और बाघ, तेंदुओं द्वारा पालतू मवेशियों को मारा जाता है ?

क्या वन विभाग के पास उपरोक्त पार्कों के समीपी गांवों की खेती व पालतू पशुओं की रक्षा के लिए कोई कार्य योजना है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)—

कालागढ़ वन प्रभाग के कोर ज़ोन में कोई गांव नहीं है प्रभाग के बफर ज़ोन की 05 कि०मी० की सीमा से 291 गांव लगे हुए हैं।

राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के अन्तर्गत कुल 03 टौंगिया गांव स्थित हैं तथा पार्क की सीमाओं के निकट 103 गांव बसे हैं, जी हां, गांवों के वासियों की फसलों एवं मवेशियों को वन्य जन्तुओं द्वारा क्षति पहुंचाने की घटनाएं घटित होती हैं।

जंगली जानवरों को वन क्षेत्रों से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में न जाने देने हेतु वन क्षेत्रों के निकटवर्ती ग्रामों की सीमाओं पर सोलर फैन्सिंग व दीवालबन्दी खाई खोदने का कार्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, इस उत्तर में एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूं। कालागढ़ वन प्रभाग के कोर ज़ोन में कोई गांव नहीं है। इसके आगे यह जोड़ना है कि बफर ज़ोन में दो राजस्व ग्राम हैं। इस उत्तर में यह नहीं छपा है।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि कालागढ़ वन प्रभाग के बफर जोन की सीमा में 291 गांवों में कुल कितने पालतू पशु हैं और वहां पर जंगली जानवरों द्वारा कितनी जन हानि हुई है तथा कितनी फसलों का नुकसान हुआ और कितने लोगों को इसका मुआवजा दिया गया है ? इसके अलावा मैं यह जानना चाहती हूं कि कितने गांवों में सोलर फेन्सिंग दीवार बन्दी की गयी और यह कब की गयी है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 2001–02 में 214 पशु मारे गये और इसके लिए 235650 रुपये का मुआवजा दिया गया। 29 प्रकरणों में फसल की क्षति हुई थी जिसके लिए 19027 रुपये का मुआवजा दिया गया। कुल 254677 रुपये का मुआवजा इस अवधि में दिया गया। वर्ष 2002–03 में जनहानि की दो घटनायें सामने आयी, इनमें दो व्यक्ति मारे गये और 1,09,000 रुपये का मुआवजा इसके लिए दिया गया। कुल 198 पशु मारे गये और उसके लिए 2,50,950 रुपये का मुआवजा दिया गया। 34 प्रकरणों में फसल की क्षति हुई और इसके लिए 44,206 रुपये का मुआवजा दिया गया। इस प्रकार इस वर्ष में कुल 4,05,156 रुपये का मुआवजा दिया गया। वर्ष 2003–04 में एक व्यक्ति घायल हुआ और उसको 5000 रुपये का मुआवजा दिया गया। 139 पशु मारे गये और 2,05,700 रुपये का मुआवजा दिया गया इसके अतिरिक्त 3 प्रकरणों में फसल की क्षति हुई तथा इसके लिए 12,887 रुपये का मुआवजा दिया गया। इस अवधि में कुल 2,23,587 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

मान्यवर, फसल क्षति के प्रकरणों में बारह हजार आठ सौ सत्तासी रुपये का मुआवजा, घायल व्यक्तियों को पच्चीस हजार मुआवजा, 130 पशुओं के मारे जाने पर दो लाख छियासी हजार रुपये का मुआवजा, फसल हानि के प्रकरणों में छः हजार छः सौ छत्तीस रुपये का 2004 में मुआवजा दिया गया। इसी प्रकार से वर्ष 2005–06 में एक व्यक्ति के घायल होने पर पन्द्रह हजार रुपये का मुआवजा दिया गया, 139 पशुओं के प्रकरणों में दो लाख पच्चीस हजार रुपये का मुआवजा दिया गया और फसल हानि पर आठ हजार तीन सौ पच्चीस रुपये का मुआवजा दिया गया। मान्यवर, जहां तक सुरक्षा दीवार का प्रश्न है वह 19 कि0मी0 बनी हुई है और 10 कि0मी0 में खुदान कार्य हुआ है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात यह जानना चाहता हूं कि घायल व्यक्तियों का मुआवजा, पशुओं की हानि का मुआवजा और फसल हानि का मुआवजा में कहीं पर यह धनराशि अधिक है और कहीं पर कम है। कृपया यह बतायें कि क्या इनके मानकों का निर्धारण किया गया है जिसके तहत यह मुआवजा दिया गया है। मानकों के बनाये जाने की बात इस सम्मानित सदन में आ भी चुकी है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वर्ष 2005–06 में मुआवजे की धनराशि का पुनरीक्षण कर लिया गया है। लगभग हर प्रकार के मुआवजे दुर्घटना में मुआवजा दुगुना कर दिया गया है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, दीवाल बन्दी और सोलर फेन्सिंग कब की गयी, किस–किस गांव में की गयी है ? दूसरा प्रश्न यह है कि ग्राम ब्यान्दा, विन्ध्यखेत, मुकन्दी, गंगा भोगपुर मल्ला, गंगा भोगपुर तल्ला, कुनाऊं राजा जी नेशनल पार्क की सीमा से कितनी दूरी पर बसे हैं ? क्या उन गांवों में सोलर फेन्सिंग की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गयी है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के अन्तर्गत कुल 03 गांव स्थित है तथा पार्क की सीमाओं के निकट 103 गांव बसे हैं। जहां तक गांव की पूरी सूची का सवाल है कि दीवाल बन्दी और सोलर फेन्सिंग किस–किस गांव में की गयी है तो इस वक्त मेरे पास वह लिस्ट नहीं है। फिर भी आवश्यकतानुसार जहां भी जानवरों का दबाव होता है वहां दीवाल बन्दी और सोलर फेन्सिंग का कार्य किया जाता है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, ग्राम ब्यान्दा, विन्ध्यखेत, मुकुन्दी, गंगा भोगपुर मल्ला, गंगा भोगपुर तल्ला, कुनाऊं राजा जी नेशनल पार्क की सीमा से कितनी दूरी पर बसे हैं ?

श्री नव प्रभात–

सीमा से लगे गांवों में दूरी का प्रश्न नहीं उठता। तीन तरफ से राजा जी नेशनल पार्क से घिरे हुए गांव हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्या सरकार क्योंकि गांवों की जनता को गिटकर्म, घास ईंधन के लिए जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां की जनता के हक हुकूक को बहाल करने पर विचार कर रही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पार्क क्षेत्र घोषित होने के बाद हक हुकूक की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाती है। मान्यवर, आरक्षित वन क्षेत्र हक हुकूक के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजा जी पार्क के आस–पास जितने गांव बसे हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं आप दे नहीं पा रहे हैं। यहां

तक कि मान्यवर, वे अपना रसोई घर, बाथरूम तक नहीं बना सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जो मूलभूत सुविधाओं से गांवों के लोगों को वंचित रखा जा रहा है। क्या सरकार ऐसे गांवों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पार्क एरिया की सीमा से लगे हुए गांवो में हर सामान्य कार्य किया जा सकता है, ऐसे गांवों के सामान्य कार्यों को नहीं रोका जा सकता है। मान्यवर, रिज़र्व फारेस्ट होने के कारण इनके अधिकार सीमित हो जाते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में विभिन्न पार्कों के अन्तर्गत जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों के लोगों को वन विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उनको उनका हक हकूक नहीं दिया जाता है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे गांवों के पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर, यह इसलिए भी आवश्यक है कि क्योंकि आप करोड़ों रुपये बांटते हैं और ये रुपया कभी किसी को जंगली जानवर के मारने पर, घायल होने पर आप इनको लाखों रुपया का मुआवजा देते हैं ? मान्यवर, इससे अच्छी बात तो यह है कि कोई ऐसी योजना बनायें जिससे इस समस्या का हल हो सके। मान्यवर, मैं चाहता हूं इनके लिए पुनर्वास की योजना बनायी जाय। क्या सरकार ऐसी योजना बना रही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो गांव किसी पार्क एरिया के अन्तर्गत स्थित हो, अर्थात् जिनके चारों ओर पार्क की भूमि हो, या बॉर्डर हो। यदि ऐसे गांवों की इच्छा होगी तो उन्हें पुनर्वासित कर दिया जायेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो गांव जंगल के बीच में हैं और आपके वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उनका उत्पीड़न करते हैं। ऐसे गांवों की जनता से पूछा जाय और उनका पुनर्वास किया जाय तो यह अच्छा होगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पुनर्वासित उन्हीं गांवों को किया जायेगा जो पार्क एरिया के अन्तर्गत स्थित हों और ऐसी वन भूमि पर जो किसी जंगल से सीधे नहीं लगती हो, ऐसे जंगलों को आइसोलेटेड फारेस्ट कहते हैं। मान्यवर, ऐसे गांवों में झिरना, कोटी, रांव, लालढांग तथा तैड़िया गांव हैं, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था हम कर रहे हैं। मान्यवर, यदि हम जंगल की सीमा की बात करें तो प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत भूमि पर वन हैं जो सेंचुरियन तथा नेशनल पार्क आदि से जुड़ा हुआ है, जोकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनको हम पुनर्वासित नहीं कर सकते हैं, परन्तु इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जायेगी। मान्यवर, कैम्पा के नाम से सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा जमा हो रहा है उसमें अच्छी धनराशि जमा हो रही है। हमने केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है कि सोलर फेन्सिंग और बायो फेन्सिंग के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था करेंगे।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो गांव राजाजी नेशनल पार्क से लगे हुए हैं, उनमें जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, उनको देने के लिए हम तैयार हैं। मैं जानना चाहती हूं कि अभी पूर्व में जिन महिलाओं को हाथी ने मार दिया था, क्या उनको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जायेगा ? यदि नहीं दिया जायेगा, तो क्यों नहीं दिया जायेगा ?

मान्यवर, राजाजी नेशनल पार्क में घटना होती है तो क्या उनको मुआवजा दिया जायेगा। मान्यवर, यहां पर 3–4 बहुसंख्यक गांव हैं, वहां पर आबादी बहुत है, क्या सरकार ऐसे गांवों के लिए राजाजी नेशनल पार्क को हटाने के लिए वन्य जीव सलाहकार परिषद् में प्रस्ताव भेजेगी या नहीं या जो इस तरह के गांव हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं को बहाल करेंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अगर कोई दुर्घटना पार्क एरिया के अन्तर्गत होगी तो उसमें कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा, यह नियम–58 की चर्चा के समय स्पष्ट हुआ है। जहां तक वन्य जीव परिषद् के प्रस्ताव का सवाल है तो उत्तरांचल पहला राज्य है जिसमें एक सेन्चुरी और एक नेशनल पार्क के री–आर्गनाइजेशन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हमने अस्कोट सेन्चुरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और हमने गोविन्द नेशनल पार्क के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां ऐसी थी कि अस्कोट में अधिकांश राजस्व गांव थे घोषित हो गये थे। गोविन्द पशु विहार में भी ऐसी स्थिति थी। इन दोनों का रि–आर्गनाइजेशन हम कर चुके हैं।

जहां तक एक–दो गांव ऐसी परिस्थिति में हैं जो चारों ओर से पार्क से घिरे हैं, वहां विस्थापन ज्यादा उचित प्रतीत होता है, वन्य जीव परिषद् में ऐसा प्रस्ताव इक्के–दुक्के गांव के लिए नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि दो पशु विहार अस्कोट और गोविन्द हैं, इनका रि–आर्गनाइजेशन किया है, प्रस्ताव भेज दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या वह सुप्रीम कोर्ट में है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अस्कोट और गोविन्द क्षेत्र में जितने भी गांव थे उनको पार्क क्षेत्र से बाहर कर दिया है, जो हियरिंग थी वह पूरी हो गयी है। गोविन्द क्षेत्र का हो गया है और अस्कोट का भेजा जा रहा है। उसमें लोगों का सुझाव है कि अस्कोट से उसको बाहर जोड़ा जाय ताकि सड़क बनाई जाय।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, गंगा भोगपुर मल्ला, गंगा भोगपुर तल्ला के लिए क्या कर रहे हैं ? वह राजाजी नेशनल पार्क से घिरे हैं वहां के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहां तक गंगा भोगपुर मल्ला, गंगा भोगपुर तल्ला की बात है तो वह भी सरकार से योजना स्वीकृत करा सकते हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, टोंगिया ग्राम में विकास कार्य कराये जा सकते हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जी नहीं, परन्तु खत्ते का जो प्रकरण है तो मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि आप पूरी जानकारी दे दें, इन टोंगिया और खत्ते के लिए केन्द्र सरकार से सहमति प्राप्त कर सकते हैं। अगर विस्तृत प्रस्ताव भेज देंगे तो यह भी हो जायेंगे। इनमें से जो गांव जंगल के बीच में हैं उनके लिए विस्थापन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा गुर्जर पुनर्वास बस्ती टिहरी डैम विस्थापितों के विस्थापन बस्ती के लिए सहमति मिल चुकी है। मान्यवर, विस्थापन और रेग्यूलराइजेशन में सावधानी होनी चाहिए।

प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास हेतु आसन वैटलैण्ड संरक्षण नामक योजना का प्रारूप

* 2–श्री हरबंस कपूर–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रवासी पक्षियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु आसन वैटलैण्ड संरक्षण नाम की कोई परियोजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ?

यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कार्यदायी एजेन्सी द्वारा इस परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था ?

तथा परियोजना हेतु कितनी राशि का अनुबन्ध हुआ तथा ठेकेदार को कितना भुगतान कर दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुबन्ध से अधिक धनराशि का भुगतान करने के लिए कौन दोषी है ? क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

नोट– * सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत आसन बैराज के क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से "आसन वैटलैण्ड संरक्षण आरक्षिति" घोषणा/गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत किया गया है, प्रवासी पक्षियों के आवास हेतु आसन बैराज के दायी एवं बायी ओर दो झीलों के निर्माण की योजना बनाई गयी है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव द्वारा झीलों के निर्माण हेतु रु0 316.98 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

वन विभाग द्वारा झीलों के निर्माण सम्बन्धी कार्य के लिए सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया तथा 264.73 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, ठेकेदार से अनुबन्ध एवं उसे भुगतान किये जाने का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जो विभाग द्वारा यह महत्वपूर्ण योजना बनाई गयी थी जिस पर रु0 316.98 लाख का कार्य होना था इस योजना के अन्तर्गत क्या–क्या कार्य होने थे ? इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह मामला अपनी जानकारी में पहला प्रयास था। जब हमने इस तरह की व्यवस्था प्रवासी पक्षियों के लिए की तो हमने सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम को सम्मिलित किया। सिंचाई विभाग को इसलिए क्योंकि वह इस योजना का रख–रखाव का कार्य देख रहा था और जल विद्युत निगम यमुना पावर की देखरेख करता है, यह उनकी सम्पत्ति में आता है। मान्यवर, वाइल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूट और ज्योलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के लोगों को लेकर तकनीकी समिति बनायी। मान्यवर, आसन झील एक तरह मानव निर्मित झील है। इसमें यमुना नदी का पानी पावर चैनल से आता है। वहां पर प्रवासी पक्षियों ने इसे अपना प्रवास स्थल बना लिया है। यह पहले प्रवास स्थल नहीं था। मान्यवर पांच साल या 7 साल के अन्तराल में इस बैराज की मरम्मत की जाती है। पिछली बार बड़ी संख्या में पक्षी थे। यह सूख गया तो यह अनुमान लगाया गया कि कहीं ये पक्षी हमेशा के लिए चले न जाय। तब यह प्रयास किया गया कि हमने एक स्थायी व्यवस्था की कि पक्षियों को पानी उपलब्ध हो इसलिए यह उचित समझा कि दो झीलों का निर्माण कर दिया जाय। अगर एक का पानी निकालना पड़े तो पक्षियों को वैकल्पिक चीज उपलब्ध हो। यह एक प्रयोगात्मक चीज थी, इसके लिए दो झीलों के निर्माण की बात हुई। जब हमने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया तब हम चाहते थे कि इस झील को डिसील्ट करके

हम बन्धा बनाये और नई झील का निर्माण करें। इसमें तकनीकी राय भी समिति की आयी। जब इसको गहरा कर दिया और अब नीचे से पानी रिसाव करता है वह पानी आ गया। हमने यह काम तकनीकी समिति की राय से किया।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कार्य का स्टीमेट विभाग ने तैयार किया था उस कार्य को 41 प्रतिशत कम पर ठेकेदार को दिया गया।

मान्यवर, और जिस तरीके से 2 करोड़ 10 लाख रूपये नोडल एजेन्सी को अवमुक्त किये गये थे इसमें मात्र 1 करोड़ 19 लाख में यह काम होना था और बिना किसी रिटेण्डर के ठेकेदार को 1 करोड़ 97 लाख रूपये अवमुक्त किये गये। जब इतना बड़ा परिवर्तन योजना में किया गया तो क्या यह आवश्यकता नहीं पड़ी कि दुबारा इस्टीमेट तैयार किया जाता, रिटेण्डर कराया जाता और उसे पारदर्शी बनाया जाता ? ऐसे क्या कारण थे कि बिना रिटेण्डर के 90 लाख रूपये, ठेकेदार को जो प्रस्तावित कार्य करने थे उससे अधिक अवमुक्त किये गये ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब मूल योजना बनी थी तो उसमें 32 हजार 500 क्यूबिक मीटर मिट्टी का खुदान किया जाना था। बाद में 2 लाख 13 हजार घन मीटर मिट्टी खुदान का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त जो बाकी प्रस्तावित कार्य थे वे नहीं किये गये सिर्फ छोटे–छोटे कार्य जैसे विद्युत पोल की सुरक्षा, एक खेत में ड्रेन बनाने का कार्य और वन विभाग की ट्रेनिंग फेसेलिटी के लिए कार्य किया गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो प्रवासी पक्षी हैं ये कितने देशों से आ रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने बताया कि 5–7 साल से ही ये आ रहे हैं तो फिर इतना खर्च करके वैटलैण्ड बनाये जाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शायद मेरे समझाने में गलती हो गयी है। ये सिर्फ 5–7 साल से ही नहीं आ रहे हैं। हर 5–7 साल में इस योजना को रिपेयर के लिए बन्द करना पड़ता था। काफी बड़ी संख्या में ये पक्षी यहां आते हैं। सुरखाब की एक चौथाई आबादी आसन वैटलैण्ड में आती है। जब तक इनको यहां सुरक्षित स्थान मिलता रहेगा, वे आते रहेंगे। ज्यादातर पक्षी साइबेरिया से आते हैं, कुछ पक्षी आस्ट्रेलिया से भी आते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में और कहां–कहां से ये पक्षी आते हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, झिलमिल ताल में भी प्रवासी पक्षी आते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक चौथाई आबादी के पक्षी वहां आते हैं, क्या यह संख्या सही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह अनुमान है। इनकी बहुत अच्छी गिनती नहीं हो पायी है। झिलमिल ताल के पास टाटवाला गांव के लोग इन पक्षियों का संरक्षण बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह झिलमिल ताल कहां है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, झिलमिल ताल हरिद्वार के पास है।

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह योजना प्रस्तावित थी तो इसकी लागत कितनी थी तथा इसका इस्टीमेट पहले किस आधार पर बना था और टेण्डर कितने हुए ? क्या माननीय मंत्री जी को यह अवगत है कि यह टेण्डर 48 प्रतिशत कम पर उठाये गये ? मान्यवर, क्या यह सम्भव है कि किसी टेण्डर पर कोई ठेकेदार 48 प्रतिशत कम रेट पर कार्य करने को तैयार हो जाय ? मान्यवर इसमें यह साफ हो जाता है कि या तो विभाग ने इस्टीमेट बनाने में लापरवाही की है या फिर जो कार्य करने वाला ठेकेदार है उसकी गुणवत्ता में कोई कमी होगी, उसके कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी। तो क्या यह टेण्डर निरस्त नहीं किये जाने चाहिए थे ? मान्यवर, इन इस्टीमेटों को रिवाइज करना चाहिए था या फिर दोबारा से टेण्डर करवाने चाहिए थे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस योजना की लागत पहले ही कम थी क्योंकि हमें वहां पर खुदाई का ही कार्य कराना था और यह तीन प्रकार से हो सकता है, पावर ट्रांसमिशन या हैंड लोड से या फिर खच्चरों द्वारा ढुलान करा के। लेकिन हमारा प्रयास था कि यह कार्य आदमी के द्वारा ही कराया जाय। आज कल कई मशीनें ऐसी आ गयी हैं कि जिनसे काफी सस्ते दाम पर कार्य हो सकता है और मैनुअली यह मंहगा हो सकता है, 48 प्रतिशत कम पर उन्होंने कार्य किया इससे हमारे पैसे की भी बचत हुई है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 48 प्रतिशत कम दाम पर टेण्डर किये गये। इससे तो यही प्रदर्शित होता है कि यह विभाग की लापरवाही है या फिर विभाग के ठेकेदार

से मिली भगत है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि मैनुअली कार्य मंहगा हो जाता है और यह सही भी है। आज तो तकनीक का युग है इसमें कई अच्छी मशीनें यहां पर आ गई हैं। तो इस पक्ष को भी विभाग ने इस्टीमेट बनाते समय क्यों नजरअंदाज किया ? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी ? यदि जानकारी थी तो इस्टीमेट इतना ज्यादा क्यों बनाया गया और ठेकेदार 48 प्रतिशत कम पर कैसे काम करने को तैयार हो गया ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब परियोजना की परिकल्पना की गयी तो यह कल्पना बांध बनाने को लेकर की गयी और बाद में जल विद्युत निगम ने आपत्ति की तो हमें भी वह आपत्ति ठीक लगी। सीपेज का पानी वहां पर आना था और उसने कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं करनी थी, उसमें हमें बांध बनाने की जगह सिर्फ खुदान करना था। इसमें पहले सही कम लागत थी और ठेकेदार 48 प्रतिशत बिलो टेण्डर डाला तो उन्हें काम दे दिया गया। इसमें ऐसा नहीं कि किसी को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से यह कार्य किया गया है। (व्यवधान)

देहरादून के सौंग एवं रिस्पना नदी पर निर्मित पुलों से 31 दिसम्बर, 2005 तक वसूली गयी धनराशि

* 3–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री जी अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत सौंग नदी पर निर्मित पुल की कुल लागत 221.50 लाख के सापेक्ष 336.14 लाख की वसूली तथा रिस्पना नदी पर निर्मित पुल की लागत 18 लाख के सापेक्ष 35.35 लाख की वसूली की जा चुकी है ?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 2005 तक कुल कितना ब्याज उक्त दोनों पुलों से वसूला गया ?

तथा शेष कितना बाकी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

31 दिसम्बर, 2005 तक सौंग नदी पर निर्मित पुल की कुल लागत के सापेक्ष रु0 440.87 लाख तथा राजपुर–नागल सहस्त्रधारा मार्ग के कि0मी0–2 में रिस्पना नदी पर निर्मित पुल की कुल लागत के सापेक्ष रु0 42.53 लाख की वसूली की जा चुकी है।

सौंग नदी पर निर्मित पुल पर रु0 182.60 लाख व रिस्पना नदी पर निर्मित पुल पर रु0 19.92 लाख का ब्याज वसूला गया।

31 दिसम्बर, 2005 तक रु0 187.97 लाख की वसूली बाकी थी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह पुल सौंग नदी पर डोईवाला के निकट तथा दूसरा देहरादून में रिस्पना नदी पर ग्रोरम के पास बनाया गया है। इन दोनों पुलों को यातायात के लिए कब खोला गया और इनकी लागत राशि क्या थी और कब से इनमें टोल की वसूली की जा रही है ? दूसरा आपने

नोट– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो बताया है कि 31 दिसम्बर तक 167.97 लाख रुपया ब्याज वसूली का बकाया है तो इन दोनों पुलों का अलग-अलग ब्याज जो बकाया है, वह क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, रिस्पना पुल राजपुर-सहस्त्रधारा-नागल मोटर मार्ग के कि०मी० 2 पर है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1987-88 में हुआ। इस पुल के निर्माण की लागत 18 लाख रुपये है। इस पुल का स्पान 36 मीटर है। यह पुल यातायात के लिए 27 जुलाई, 1987 को खोला गया। यह पुल राज्य योजना में निर्मित हुआ। 31 दिसम्बर, 2005 तक पथकर से कुल 42.53 लाख रुपये की वसूली की गयी। इसमें ब्याज की राशि 19.92 लाख रुपये, सेतु की मूल लागत 18 लाख रुपया, अनुरक्षण व्यय 4.57 लाख रुपये और स्टेशनरी आदि पर 0.04 लाख रुपया व्यय हुआ। 31 दिसम्बर, 2005 को सेतु पर अवशेष पथकर वसूली 88.32 लाख रुपया है। उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार 21 जुलाई, 1958 को या इससे पूर्व निर्मित और यातायात के लिए खोले गये समस्त स्थाई पुल पथकर से मुक्त होंगे। इस शासनादेश के प्रस्तर-3 (क) के अनुसार किसी विशिष्ट पुल पर पथकर केवल उस समय तक, जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत जिसके अन्तर्गत पुल पर हुए कुल व्यय पर ब्याज भी है, पथकर की वसूली से और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्षों की अवधि तक जो भी पहले हो, लिया जायेगा। पथकर वसूली से सेतु की मूल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 2 प्रतिशत अनुरक्षण व्यय व व्यवस्थापन व्यय यदि कोई हो, सम्मिलित होता है। इस शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार सेतु पर पथकर वसूली अवशेष होने के कारण दिनांक 1-4-2006 से पट्टे पर वसूली का कार्य जारी है तथा वर्ष 2006-07 हेतु 8.15 लाख रुपये का पट्टा दिया गया है।

मान्यवर, सौंग नदी का पुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 के कि०मी० 179 में स्थित है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1998-99 में हुआ था। इसकी निर्माण लागत 221.50 लाख रुपया है। इस पुल का स्पान 197 मीटर है। यह पुल यातायात के लिए 26 दिसम्बर, 1999 को खोला गया। यह पुल राज्य योजना में निर्मित हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग में यह पुल 2000 में राज्यीकृत हुआ। 31 दिसम्बर, 2005 तक इस पुल पर पथकर से कुल 440.67 लाख रुपये की वसूली की गयी। इसमें ब्याज की राशि 192.59 लाख, सेतु की मूल लागत 221.50 लाख और अनुरक्षण व्यय 26.58 लाख रुपया है। इसकी अवशेष पथकर वसूली 79.85 लाख रुपया है। भारत सरकार का निर्णय है कि जो सेतु अगस्त, 1997 के बाद यातायात हेतु सुलभ कराये गये हैं, उन पर वसूली अनवरत चलती रहेगी। यह सेतु परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और 26 दिसम्बर, 1999 को यातायात हेतु सुलभ हुआ है। इसलिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में इस पर पथकर वसूली की जा रही है। मान्यवर, पथकर वसूली में सेतु की मूल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 2 प्रतिशत अनुरक्षण व्यय सम्मिलित होता है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2007 से अनवरत वसूली की जायेगी। लेकिन जो यह रिस्पना पुल है यह तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत

नहीं आता है। यह पुल 1967-68 में निर्मित हुआ था उस वक्त इसकी लागत 18 लाख थी। 18 लाख रुपये लागत में 19.92 लाख ब्याज के रूप में वसूली हो चुकी है और अभी भी 42.53 लाख रुपये की वसूली कर चुके हैं। माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस पुल की वसूली को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ? क्योंकि वसूली तो लागत के दुगुने से भी अधिक हो चुकी है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय प्रकाश पंत जी एक सिस्टम है। जितने भी पुल बने हुए हैं उनसे कैसे वसूली की जाय, क्या उसका आंकलन है इसका एक सिस्टम है। जितने रुपये खर्च हुए हैं उसमें इसका ब्याज प्रतिवर्ष जो अवशेष रह जाता है उसमें 15 प्रतिशत ब्याज अनुरक्षण मैन्टीनेन्स और दो प्रतिशत जो वहां पर जो विभाग के लोग कार्य करते हैं वह देना पड़ता है। इसे जोड़कर ब्याज दर जोड़ी जाती है। आज की तारीख में जो रिकार्ड मेरे पास उपलब्ध हैं उसमें 31 दिसम्बर, 2005 तक सेतु पर अवशेष धनराशि 88.32 लाख है। जब तक वह वसूल नहीं कर लिया जाता है तब तक वसूली चलती रहेगी।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय मंत्री जी आप यह क्या पढ़ रही हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसी को कह रही हूं। इसका डिटेल भी मेरे पास उपलब्ध है। इसके वसूली बन्द होने के दो ही रास्ते हैं या तो पचास वर्ष पूरे हो जायें या फिर अवशेष पूरा हो जाय। पचास वर्ष बाद जो भी परिस्थिति होगी, वसूली बन्द हो जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनता के साथ कितना अन्याय हो रहा है। 42.53 लाख जनता दे चुकी है फिर भी अभी 88 लाख की वसूली बाकी है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह ब्याज दर क्या होती है ? यह ब्याज किसको जाता है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे पास पूरा चार्ट है। उसमें विस्तृत डिटेल है। इस चार्ट में वर्ष के अन्त में अवशेष वसूली का पूरा चार्ट है। उसमें यह राशि लिखी हुई है। इस वसूली में कम्पाउण्ड ब्याज जोड़ा जाता है जो 88.32 लाख है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय मंत्री जी चार्ट दिखा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह वसूली जनता से कब तक की जाती रहेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पचास वर्ष तक।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, लागत की वसूली की जा चुकी है। अब आप कह रही हैं 88.32 लाख की वसूली और की जानी है। मान्यवर, ऐसा तो पुरातन काल में जो सूदखोर होते थे वह भी नहीं करते थे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह भारत सरकार का नियम है कि पथकर वसूली होगी, जो कभी बन्द नहीं होगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि हमारे पास आंकड़े हैं और मैं उन्हीं को पढ़ रही हूं। मान्यवर, सरकार को यह भी देखना चाहिए कि ये आंकड़े सही भी हैं या नहीं। यदि हम किसी साहूकार से पैसा लेते हैं तो जब वह पैसा दोगुना हो जाता है तब उस पर ब्याज नहीं पड़ता है। यहां पर यह तीन गुना हो गया है फिर भी जनता का उत्पीड़न निरंतर हो रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, परन्तु इसमें भारत सरकार का नियम है।..................(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 18 लाख रू0 की वसूली होनी थी और 42 लाख रू0 की वसूली हो चुकी है।..........(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पूर्व में भी इस तरह के अनेक प्रश्न सदन के माध्यम से पूछे गये हैं। मान्यवर, 20 से 40 वर्षों में जो रीति नीति उत्तर प्रदेश में पुलों के सम्बन्ध में बनी थी, वही नीति यहां पर भी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है, इसके जवाब में बताया गया कि पथकर वसूली निरन्तर जारी रहेगी। मान्यवर, मैन्टीनेन्स, निर्माण, लाभ की दृष्टि से कम्पाउण्ड इंट्रेस्ट लगाया जाता है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, भारत सरकार को इस नियम को बनाये हुए लगभग 50 साल व्यतीत हो गये हैं। मान्यवर, उस समय सड़कों पर कितने वाहन चलते थे और आज की तिथि में कितने वाहन चल रहे हैं यह भी देखना होगा। मान्यवर, सरकार के खाते में ठेकेदारों की जेब में करोड़ों रू0 चला गया है। आखिर जनता इसको कब तक सहन करेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने भारत सरकार को एक नहीं दो पत्र लिखे हैं। मान्यवर, राजधानी बनने से यहां पर ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। ऐसे प्रदेश में 35 पुल बने हैं, उन पर भी यह कर लगा हुआ है। मान्यवर, ऐसे 07 पुल और बन गये हैं, जिन पर भी यह वसूली शुरू हो गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बैलगाड़ी के चलने पर भी यह टैक्स लगेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहां तक ब्याज विधि का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि जब हम ब्याज नहीं देते हैं तो उस पर ब्याज बढ़ जाता है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है। मान्यवर, इससे जनता की जान कब छूटेगी ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

देहरादून स्थित राजकीय आवासीय कालोनियों में सचिवालय कर्मियों हेतु आवास आवंटन की प्रक्रिया

* 4–श्री अजय भट्ट–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून स्थित राजकीय आवासीय कालोनियों में सचिवालय कर्मियों हेतु आवासों का आवंटन किया जा चुका है ?

यदि हां, तो पूर्व तथा वर्तमान में नव निर्मित राजकीय आवासीय कालोनी में आवंटन में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी/जा रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां। देहरादून स्थित विभिन्न राजकीय आवासीय कालोनियों में दिनांक 31–03–08 तक सचिवालय संवर्ग के 275 कर्मियों को आवास आवंटित किये जा चुके हैं तथा केदारपुरम में नये बन रहे आवासों में आवंटन अभी नहीं किया गया है।

पूर्व में राजकीय आवासीय कालोनियों में सचिवालय कार्मिकों से प्राप्त आवेदन पत्र एवं अर्हता के आधार पर आवास आवंटित किये गये हैं। वर्तमान में केदारपुरम स्थित नई निर्माणाधीन आवासीय कालोनी में आवंटन हेतु आवास आवंटन नियमावली, 2004 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी सम्बद्ध हैं और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी नहीं हैं। मान्यवर, क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की भांति सचिवालय एवं विधान सभा कर्मचारियों के आवास आवंटन करने हेतु कोई नीति निर्धारित करी है ? क्योंकि विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत जिन दिनों सत्र चलता है सारे कर्मचारी रात भर जागते हैं और परेशान होते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि उनके लिए कोई नीति तय कर दी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने सचिवालय कर्मचारियों के आवंटन की बात पूछी है तो इसमें एक शासन स्तर पर समझौता हुआ था और रात 7 बजे से सुबह 4 बजे तक मैं स्वयं समझौते में थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय कर्मचारियों की मांग पर घोषणा की थी कि आपके लिए तत्काल प्रभाव से 100 आवास बनाकर दे दिये जावेंगे, जो कि केदारपुरम में बन रहे हैं। जब से केदारपुरम में बन रहे हैं तब से विभिन्न विभाग के कर्मचारी मांग कर रहे हैं, लेकिन केदारपुरम के आवास सचिवालय कर्मचारियों को आवंटन करेंगे, उसी के नाम पर निर्माण कराया गया है। मान्यवर, 7–8 घण्टे की वार्ता के बाद समझौता हुआ था वह उसी दृष्टि से किया जायेगा। अन्य आवास बनाये जावेंगे उसका निर्णय लिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो मैं डिटेल बता दूं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे डिटेल नहीं चाहिए। मान्यवर, दोनों कर्मचारी हमारे हैं, हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश में दोनों के लिए एक अनुपात निश्चित किया है, अगर 100 मकान हैं तो 40–60, 70–30 या 50–50 अनुपात होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सरकार उत्तर प्रदेश की तरह कोई नीति बना रही है या बनायेगी ? क्योंकि उत्तर प्रदेश के नियमों को हम मानते हैं, तो क्या दोनों की परेशानियों का निराकरण करवायेंगे और प्रदेश की सर्वोच्च संस्था विधान सभा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई पृथक योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आवास तो आवंटित है, 12 आवासीय कॉलोनी जिनमें 815 आवासीय भवन हैं और उनमें 316 सचिवालय के लिए और 499 अन्य विभागों के कर्मचारियों को आवंटित हैं, केवल केदारपुरम उन्हीं के नाम से बना है। मान्यवर, ज्यादा संख्या अन्य विभागों की है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसे सचिवालय के लिए बना है इसी तरह से विधान सभा के नाम पर भी बना दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि दो सचिवालय चल रहे हैं एक सचिवालय वहां है दूसरा विधान सभा परिसर में है, दोनों महत्वपूर्ण हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधान सभा कर्मचारी भी सचिवालय के अन्तर्गत आते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह स्पष्ट हो जाय कि सचिवालय के भवन बनने जा रहे हैं वह विधान सभा के कर्मचारियों को भी मिलेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विधान सभा के कर्मचारी 12–01 बजे रात तक यहां पर बैठते हैं, इनको लिए भी इसमें अनुपात फिक्स कर दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह शायद गलतफहमी हो रही है। जितने भी कर्मचारी इस राज्य में कार्य कर रहे हैं चाहे वह सचिवालय के हों अथवा सचिवालय के बाहर के हों सबको मकान दिये जायेंगे। पांच आवासीय कालोनियों में आवास आवंटित कर दिये गये हैं। जब आवास बन जायेंगे तो आवंटित करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि विधान सभा सचिवालय भी सचिवालय के अन्तर्गत आता है। यह सैद्धान्तिक बात है इससे हम सहमत हैं। हमारा प्रश्न है कि जो विधान सभा के कर्मचारी हैं उनको किसी न किसी रूप में किसी न किसी अनुपात में जो मकान बने हैं उनको आवंटित करने पर तुरन्त विचार करेंगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मकान की उपलब्धता पर हमारा प्रयास होगा कि सबको मकान मिले, हमें उनको लीज रैंट देना पड़ता है। हम मकान उपलब्धता के आधार पर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

1–दिनांक 17–4–06 को अतारांकित प्र0 सं0–2 द्वारा उत्तरित 13–02–06

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

2–दिनांक 17–4–06 को अतारांकित प्र0 सं0–4 द्वारा उत्तरित 14–02–06

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल की ग्राम पंचायत अल्चौना में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क के निर्माण की स्थिति

3—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अल्चौना में 750 मीटर मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिया गया है ?

यदि हां, तो विभाग को धनराशि कब अवमुक्त की गयी तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव न भेजने के लिए कौन ज़िम्मेदार है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

यह मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अक्टूबर, 2005 में 0.11 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है।

कोई उत्तरदायी नहीं है।

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया के कारण।

देहरादून स्थित चुक्खुवाला, लूनिया मोहल्ला इत्यादि क्षेत्रों में नालों की सफाई

4—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर के बीचों बीच स्थित चुक्खुवाला, लूनिया मौहल्ला, डांडीपुर, मन्नूगंज, खुड़बुड़ा इन्द्रेश नगर आदि क्षेत्रों से गुजरने वाले गन्दे नाले की नियमित सफाई व्यवस्था हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)—

जी हां।

नगर की बीचों-बीच स्थित चुक्खुवाला, लूनिया मौहल्ला, डांडीपुर, मन्नूगंज, खुड़बुड़ा, इन्द्रेश नगर आदि क्षेत्रों से गुजरने वाले गन्दे नाले की नियमित सफाई हेतु नाले के भाग से लगे वार्डों में तैनात नाला गैंग द्वारा सफाई कराने की व्यवस्था है और समय-समय पर नाले की सफाई कराई जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के नैनबाग में ऐन्दी—पात्थरखोल मोटर मार्ग के डामरीकरण की अनियमितताओं की जांच

5—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में नैनबाग से ऐन्धी-पत्थरखोल मोटर मार्ग पर पत्थरखोल के आसपास विभाग द्वारा कराया गया पुनः डामरीकरण उखड़ गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की शीघ्र जांच करवाकर मानकों के अनुरूप सुदृढ़ डामरीकरण करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं, आंशिक रूप से उखड़ा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की फिल्म नीति एवं उसके प्रमुख बिन्दु

6—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की फिल्म नीति बना दी गयी है ?

यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या है ?

यदि नहीं, तो उक्त नीति कब तक बना दी जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म नीति/फिल्म विकास हेतु सुनियोजित व्यवस्था करने की कार्यवाही की जा रही है। फिल्म विकास परिषद्, क्षेत्रीय फिल्म सलाहकार परिषद्, अन्य विभागों तथा विशेषज्ञों के परामर्श की आवश्यकता के कारण समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है।

नैनीताल के वि0 ख0 भीमताल चन्द्रादेवी में क्षतिग्रस्त हल्का वाहन मार्ग का पुनर्निर्माण

7—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल चन्द्रादेवी हल्का वाहन मार्ग बार–बार क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण आवागमन के लाभ से वंचित हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की परेशानियों को देखते हुए उक्त हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त हल्का वाहन मार्ग जो 2004–05 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया था, की मरम्मत एवं पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है जिसे शीघ्र पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू कर दिया जायेगा।

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में संविदा कर्मियों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

8–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि क्या उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में संविदा कर्मियों की वंशावली जांच के आदेश मंत्री जी द्वारा शासन को दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

तथा वंशावली जांच की आवश्यकता क्यों महसूस की गयी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा हटाये गये संविदा कर्मियों को पुनर्नियुक्ति हेतु बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं ?

यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां, जांच के आदेश जनवरी, 2006 के अंतिम सप्ताह में दिये गये हैं, उक्त क्रम में दिनांक 13 फरवरी, 2006 को जारी शासनादेश द्वारा मामले की जांच उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को सौंपी गयी है।

विभिन्न स्रोतों से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि तत्कालीन सदस्य सचिव श्री सी०वी०एस० नेगी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अपने कतिपय सम्बन्धियों को बोर्ड में नियमित/संविदा कर्मियों के रूप में अनियमित ढंग से नियुक्ति दी गयी है।

संविदा कर्मियों को हटाया नहीं गया था अपितु कतिपय संविदा कर्मियों की संविदा अवधि समाप्त होने पर उनकी आवश्यकता न समझे जाने पर उनकी संविदा अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, मा० उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि इनकी तैनाती नियमित पदों के विपरीत थी, अन्तरिम आदेश दिये गये हैं।

कार्य की आवश्यकता का आंकलन करके कतिपय संविदा कर्मियों की संविदा की अवधि बढ़ा दी गयी है तथा कतिपय कर्मियों की संविदा अवधि नहीं बढ़ाई गयी है। तद्नुसार मा० न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि शासन द्वारा अभी ढांचा स्वीकृत नहीं है, एवं उक्त कर्मी नियमित पदों के विपरीत कार्यरत नहीं थे, प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आन्दोलनकारी स्व0 श्री गंभीर सिंह कठैत के नाम पर नई टिहरी स्टेडियम का नामकरण

9–श्री अजय भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि टिहरी जिले के आन्दोलनकारी स्व0 श्री गम्भीर सिंह कठैत के नाम पर नई टिहरी स्टेडियम के खेल मैदान का पूर्व में की गयी घोषणा के अनुरूप नामकरण कर दिया गया है ?

यदि हां तो कब ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप दिनांक 15 अप्रैल, 2006 को नई टिहरी स्थित बौराड़ी स्टेडियम का नाम स्व0 गम्भीर सिंह कठैत स्टेडियम रखे जाने के संबंध में शासनादेश जिलाधिकारी, टिहरी को निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून अन्तर्गत लौहारवाला, किशन नगर इत्यादि क्षेत्रों में नाले की सफाई व्यवस्था

10–श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत आने वाले घनी आबादी क्षेत्र लौहारवाला, किशन नगर, सैयद मौहल्ला, दीपलोक कालोनी, खजांची बाग, मित्र लोक कालोनी, शान्ति विहार, राजीव कालोनी, गोविन्दगढ़ आदि क्षेत्रों में बहता हुआ कोई गन्दा नाला गुजरता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नाले की नियमित सफाई व्यवस्था एवं रख–रखाव की कोई व्यवस्था की गयी है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

नगर निगम, देहरादून के अन्तर्गत आने वाले घनी आबादी क्षेत्र लोहारवाला, किशन नगर, सैयद मौहल्ला, दीप लोक कालोनी, सजांबी बाग, मित्रलोक कालोनी, शान्ति विहार, राजीव कालोनी, गोविन्दगढ़ आदि क्षेत्रों से गुजरने वाले नाले की सफाई नाले से लगे वार्डों की नाला गैंग कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर कराये जाने की व्यवस्था है। नाले की घास/झाड़ी कटवाकर बहाव में रुकावटों को हटाकर सफाई करायी जाती है। नगर निगम द्वारा समय–समय पर यथा आवश्यक नाले की मरम्मत/रख–रखाव का कार्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

धार्मिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्देशानुसार अनुपालन

11–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धार्मिक स्थलों में प्रयोग किये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुपालन में सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्या ?

श्री नव प्रभात–

धार्मिक स्थलों में प्रयोग किये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों से संबंधित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, शासन स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही भी की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा प्रकाशित वर्ष 2006 की सूचना निदर्शिनी का वितरण

12–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या सूचना मंत्री अवगत हैं कि शासन द्वारा प्रकाशित वर्ष, 2006 की सूचना निदर्शिनी का वितरण मा0 विधायकों को नहीं किया गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस लापरवाही हेतु जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सूचना निर्देशिनी, 2006 का वितरण मा0 विधान सभा सदस्यों को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत मृत कर्मचारियों के आश्रितों का विनियमितीकरण

13–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि दिनांक 29–06–1991 से पूर्व के अनियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के मृत्यु उपरान्त उसके आश्रित को विभाग में दैनिक वेतन में रखने का प्रावधान है ?

यदि हां, तो दिनांक 29–06–1991 के पश्चात् अनियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान तथा दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मचारी के मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित को तत्काल राहत देने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

कार्य प्रभारित कर्मचारी विनियमितीकरण शासनादेश दिनांक 03–01–2003 में कोई प्राविधान नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य की निर्माणाधीन सड़कों हेतु बजरी एवं पत्थरों की आपूर्ति

14–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि राज्य की निर्माणाधीन सड़कों की कार्य प्रगति पत्थर एवं बजरी के अभाव में सन्तोषजनक नहीं है ?

यदि हां, तो क्या इस कमी को दूर करने के लिए लो0 नि0 द्वारा राज्य की नदियों से निकलने वाले पत्थर एवं बजरी में अपनी आवश्यकता अनुसार आरक्षण कराया है ?

यदि हां, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आंशिक रूप से प्रभावित हुआ।

जी हां।

निर्माण कार्यों की आवश्यकतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार–कालागढ़–रामनगर मोटर मार्ग के निर्माण की योजना

15–श्री मदन कौशिक–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार–कालागढ़–रामनगर मोटर मार्ग (कंडी मार्ग) के निर्माण की योजना तैयार कर ली गयी है ?

यदि हां, तो निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

क्या उक्त मार्ग पर यात्री बसें चलायी जा रही हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

मार्ग के निम्न भाग का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है :–

1.	पाखरों से किकरी सोत	14.00 कि०मी०
2.	किकरी सोत से कालागढ़	22.50 कि०मी०
3.	कालागढ़ से लालढांग	23.00 कि०मी०

शीघ्र ही।

मार्ग पर कोटद्वार–रामनगर के बीच 04 यात्री बसें प्रतिदिन चलाने की अनुमति है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, डा० नारायण सिंह जंतवाल, श्री हरबंस कपूर तथा श्री हरिदास की सूचनाओं को नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी के धरासू रेंज में वन विभाग द्वारा काश्तकारों के कथित उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रीतम सिंह पंवार–

[मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के धरासू रेंज में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रेंज अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने के नाम गरीब भूमिहीन काश्तकारों को अनावश्यक परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है। जनपद के केवल धरासू रेंज में ही वन विभाग द्वारा सोची समझी साजिश के तहत तोड़फोड़ व डराने धमकाने की कार्यवाही

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जा रही है। गरीब भूमिहीन काश्तकारों द्वारा लीज व पट्टे पर ली गई वन भूमि व सिविल भूमि पर वर्षों से काबिज काश्तकारों के पक्के आवास, गौशालाएं, उद्यान, फलों के वृक्ष व कृषि भूमि को अनावश्यक व नाजायज रूप से क्षति पहुंचाई जा रही है। पट्टी मण्डारस्यूं, दरामी, हातद, बिष्ट, दिवली और गमरी पट्टियों के गांवों में वन विभाग की अनुचित व गैर वाजिब कार्यवाही पर लोगों में गहरा असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है। वर्षों से काबिज लीजधारकों व कब्जाधारकों को परेशान कर क्षति पहुंचायी जा रही है। पोखरी सौड़, माड़ (खालसी), बनतीरा, दिवाली खोल, नवारी–तमाली, ग्वोम्योटी, पंचपल्या, नौलोक धाम आदि अनेकों स्थानों पर वन विभाग द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही कर गरीब काश्तकारों को डराया धमकाया जा रहा है।

वन व सिविल भूमि पर वर्षों से काबिज लीजधारकों व कब्जेदारों की लीज संशोधित व पुनर्जीवित कर गरीब काश्तकारों को परेशान किया जाना शीघ्र बन्द किया जाय व गरीब भूमिहीन काबिजधारकों की लीज स्वीकृत व पुनर्जीवित कर काश्तकारों के साथ न्याय किया जाय, जिससे सरकार व वन विभाग की छवि धूमिल न हो।

अतः इस व्यापक लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन) का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद चमोली के अन्तर्गत तहसील जोशीमठ में एन0टी0पी0सी0 द्वारा जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि प्रभावितों को उचित मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, एन0टी0पी0सी0 द्वारा तहसील जोशीमठ जनपद चमोली के अन्तर्गत जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु धारा 04 के अन्तर्गत ऋषिमठ, रैनी, सेलंग, रविग्राम, डाक, बड़ागांव, तपोवन, बिनगढ़, चाकूपगां, चमतोली आदि गांवों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है। ग्रामीणों के साथ कई बार बैठक/वार्ता किये जाने के बावजूद भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। प्रभावित काश्तकारों द्वारा भूमि का प्रतिकर 1.50 लाख रु0 प्रति नाली अथवा भूमि के बदले भूमि तथा विस्थापना हेतु 10.00 लाख रु0 प्रति परिवार की मांग की गयी है। प्रभावितों में अत्यन्त आक्रोश है तथा अपनी मांगों के समर्थन में उनके द्वारा तहसील जोशीमठ में दिनांक 12 अप्रैल, 2006 को धरना प्रदर्शन किया गया और 01 मई, 2006 से क्रमिक अनशन तथा 01 जून, 2006 से आमरण अनशन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। इस आन्दोलन से जनपद चमोली की श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा प्रभावित होने के साथ–साथ देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को कठिनाईयां उत्पन्न होने की आशंका है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः यह अत्यन्त लोक महत्व का मामला है। सदन से मेरा अनुरोध है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अधिगृहीत की जा रही भूमि के प्रभावितों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाय तथा उनकी समस्याओं का निदान किया जाय।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील द्वाराहाट एवं तहसील चौखुटिया के चिकित्सालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, अल्मोड़ा की तहसील द्वाराहाट एवं तहसील चौखुटिया राष्ट्रीय राजमार्ग 87 से जुड़ी है एवं बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा हेतु कुमायूं मण्डल का प्रमुख मार्ग स्थान है। लेकिन दोनो तहसीलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। जिस कारण गढ़वाल मण्डल सहित स्थानीय जनता एवं प्रमुख यात्रा मार्ग होने के कारण यात्रियों को इलाज हेतु 50 किलोमीटर दूर रानीखेत अथवा हल्द्वानी जाना पड़ता है एवं कई बार समय पर चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने से दुखद घटनाएं घट चुकी है।

अतः इस जनसाधारण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए दोनो चिकित्सालयों के तहसील स्तरीय चिकित्सालयों में उच्चीकरण किये जाने तथा यात्रा मार्ग में द्वाराहाट अथवा चौखुटिया में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद नैनीताल के भूस्खलन से प्रभावितों का पुनर्वासन के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

[मान्यवर, जनपद नैनीताल में विकास खण्ड धौलादेवी के तोक भाकर (ग्राम पंचायत पाण्डे गांव) में पिछले कुछ वर्ष से निरन्तर हो रहे भू–स्खलन के बढ़ने से वहां पर जीवन यापन करना सुरक्षित नहीं रह गया है। गांव का बड़ा हिस्सा भू–स्खलन की चपेट में आ चुका है। इसी तरह अरियां के तोक के गौला नदी के निरन्तर कटाव से कृषि भूमि का काफी हिस्सा नदी में समा गया है तथा वहां रहने वाले ग्रामीणजनों को भय के वातावरण में निवास करना पड़ रहा है।

ग्रामीणजनों के सम्मुख उपस्थित विकट स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें अन्यत्र बसाने का आश्वासन देते हुए कार्यवाही आरम्भ की थी परन्तु अभी तक सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाये।

अतः जनहित से जुड़े इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि भाकर और अरियां के लोगों को यथाशीघ्र अन्यत्र बसाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाय।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देहरादून के लौहारवाला, कृष्णनगर, सैयद मोहल्ला तथा गोविन्दगढ़ में छोटी बिन्दाल नदी की नियमित सफाई के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरबंस कपूर–

महोदय, लौहारवाला, कृष्णनगर, सैयद मौहल्ला, मित्रलोक कालोनी, शान्ति विहार, गोविन्दगढ़ आदि क्षेत्रों से गुजरने वाली छोटी बिन्दाल गोविन्दगढ़ के पास बड़ी बिन्दाल नदी में समायोजित हो जाती है। मान्यवर, मूल रूप से यह एक बरसाती नदी थी जिसमें बरसात के समय पानी आता था परन्तु शनैः–शनैः क्षेत्रवासियों ने इसमें अपने घरों की नालियां जोड़ दी और इस नदी को दोनों ओर से अतिक्रमणकारियों ने घेरना शुरू कर दिया जिसके कारण नदी का पाट सीमित हो गया और एक गन्दे नाले में परिवर्तित हो गयी परन्तु आज भी बरसात के समय जब पानी आता है वह अपने साथ रेत, बजरी, पत्थर आदि भी बहाकर लाता है जिससे नदी/नाले का तल धीरे–धीरे ऊपर उठ रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा नदी/नाले के दोनों ओर के पाटों को लगभग 30 वर्ष पूर्व पुश्ते बनाकर पक्का कर दिया था, परन्तु उसके पश्चात् न तो इसमें से पत्थर, रेत, बजरी आदि की निकासी की गयी, न ही मरम्मत तथा न ही सफाई आदि। उपरोक्त कारणों से यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है और बरसात के समय पानी नदी की दीवारों से ऊपर चलता हुआ बस्तियों में घुस जाता है जिससे बाढ़ की सी स्थिति बन जाती है और लोगों के घरों तक में पानी आ जाता है।

महोदय, उपरोक्त कारण से उत्पन्न स्थिति के समाधान हेतु नाले/नदी की नियमित सफाई, रखरखाव एवं बालू, बजरी आदि के हटाने की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व की इस अविलम्बनीय एवं तात्कालिक समस्या की ओर मैं नियम–301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि सरकार इस सन्दर्भ में समुचित कार्यवाही कर समस्या का समाधान करायें।

प्रदेश में अन्त्योदय योजना के तहत राशन वितरण का लाभांश सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश उत्तरांचल में खाद्यान्न में गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अन्त्योदय योजना के जो राशन मिलता है। जब से यह योजना चालू की गयी है। सरकार सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश (किराया) आज तक नहीं दिया गया जिस पर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं में रोष है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार अवगत कराने के बावजूद भी यह योजना लागू होने से आज तक कोई लाभांश सरकार द्वारा नहीं दिया गया। स्थिति बहुत गम्भीर है।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 28 फरवरी, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (विधान सभान सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करती हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, श्रीमती आशा देवी, श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी, डा० नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रकाश पंत, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री हरिदास, चौधरी यशवीर सिंह, श्री शहजाद, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तसलीम अहमद तथा श्री नारायण पाल जी की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्रीमती आशा देवी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा चौधरी यशवीर सिंह, श्री हरिदास, मौ० शहजाद, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री तसलीम अहमद की सूचनाओं को नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पी०टी०सी० कर्मचारियों के मामले में हमने एक सूचना दी थी, मान्यवर, उत्तरांचल में 3200 पी०टी०सी० कर्मचारी हैं और उनके द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाती है। अगर इन्होंने पानी देना बन्द कर दिया तो मान्यवर, बहुत परेशानी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इसे देख लेंगे, आप आसन ग्रहण करें।

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी।..........

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे ग्राह्यता पर 2–2 मिनट में अपनी अपनी बात रखें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कैडर राशियों के सम्बन्ध में एक सूचना हमारी भी थी।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इस विषय पर श्री प्रीतम सिंह पंवार जी की सूचना को नियम–301 में ले लिया गया है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, एक बात मुझे और इसमें जोड़नी है।..........

श्री अध्यक्ष–

माननीय, पीठ रक्षित आपको अभी सुना जाना है, आप अपनी बात उस समय रख सकते हैं।

* श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मेरी सूचना को नियम–56 में स्वीकार किया। श्रीमन्, जनपद रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र दैवीय आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। इस क्षेत्र की जनता का हर वर्ष ही दैवीय आपदाओं से रूबरू होना पड़ता है। जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि तथा ऊखीमठ दैवीय आपदा से बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है और संवेदनशील भी है। राज्य सरकार ने भी दैवीय आपदा के लिए इन दोनों विकास खण्डों को संवेदनशील भी घोषित किया है। मान्यवर, दैवीय आपदा की त्रासदी से इस क्षेत्र की जनता वर्ष 1998 से पहले और 98 के बाद से तो लगातार ही त्रस्त रहती है। दिनांक 21 जुलाई, 2005 को अगस्त्यमुनि के विजयनगर नाकोट कस्बे में बादल फटने से आये विनाशकारी भूस्खलन से जो घटना घटी वह बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। इस दुर्घटना में चार लोग काल कवलित हो गये, जिनमें से श्री लक्ष्मी बैंजवाल पुत्र श्री सच्चिदानन्द, श्रीमती कुन्तला देवी पत्नी श्री विजय सिंह, जसुमति देवी पत्नी श्री दर्शन लाल एवं मुकुल गैरोला पुत्र श्री महेशानन्द की मृत्यु हो गयी और कई लोग घायल हो गये।

मान्यवर, इसके साथ–साथ स्थानीय लोगों के 5 आवासीय मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इन मकानों में अभी तक मलबा पड़ा हुआ है और लोग अभी तक भी इन मकानों में नहीं रह रहे हैं। मान्यवर, जहां से गौंचार का मोटर आता है, वहां से विजयनगर के व्यापारी बन्धुओं को तमाम नुकसान हुआ है। यहां पर मृतकों और सिर्फ जिन दो–चार परिवार, जिनके मवेशियों की मृत्यु हुई, उनको ही मुआवजा दिया गया। आंशिक रूप से जिनके मकान ध्वस्त हो गये थे, जिन व्यापारी भाईयों की दुकानें नष्ट हो गयी थी, उन लोगों को शासन ने किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त विजय नगर में जो कर्मचारी बन्धुओं के कस्बे बने हैं, उनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वे लोग आधे–अधूरे मकानों में रह रहे हैं। ये लोग अपने संसाधनों से, अपने धन से मकानों से मलबा निकाल कर इनमें रह रहे हैं। मान्यवर, आज 9 महीने बीत जाने के बाद भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर से बरसात का मौसम सामने है, लेकिन अभी तक वहां पर मलबा पड़ा हुआ है। यहां की स्थानीय जनता की मांग है कि इस स्थान से मलबा हटाया जाय ताकि फिर से कोई त्रासदी न झेलनी पड़े। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस तात्कालिक प्रश्न पर आज की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय और इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करती हूं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, दिनांक 21–7–2005 को जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि के विजयनगर कस्बे में बादल फटने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 9 व्यक्ति घायल हुए,

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

8 साधारण घायल एवं 1 गम्भीर घायल तथा 3 बड़े पशुओं की मृत्यु हुई थी। पूर्ण रूप से 8, गम्भीर आंशिक रूप से 6 तथा लघु आंशिक रूप से 22 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। मृतक 4 व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 50 हजार की दर से रु0 2 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से एक मृतक श्री भुवन चन्द्र पुत्र चण्डी प्रसाद गैरोला के आश्रित परिजनों द्वारा अनुग्रह अनुदान की धनराशि लेने से इंकार किया गया है। 1 गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रु0 5 हजार तथा 3 पशुओं की मृत्यु पर उनके स्वामियों को रु0 9 हजार 600 कुल रु0 1 लाख 14 हजार 600 की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित की गयी है। पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त 8 गम्भीर आंशिक क्षतिग्रस्त 6 एवं लघु आंशिक क्षतिग्रस्त 22 मकानों, कुल 36 क्षतिग्रस्त मकानों की क्षति होने पर रु0 1 लाख 9 हजार 600 की राहत सहायता गृह अनुदान के रूप में प्रभावितों को वितरित की गयी है। अहेतुक सहायता के रूप में 20 प्रभावित परिवारों को रु0 12 हजार 600 की राहत सहायता वितरित की गयी है। विजय नगर में स्थित 60 दुकानदारों के भवनों को कोई क्षति नहीं हुई है। किन्तु उनके द्वारा दुकान में रखे गये सामान को क्षति पहुंची है। आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानों की क्षति होने पर कोई धनराशि अनुमन्य न होने के फलस्वरूप किसी प्रकार की राहत सहायता का वितरण प्रभावितों को नहीं किया गया है।..............

————मान्यवर, इस विनाशकारी भूस्खलन से आये मलबे को हटाने के हेतु ग्रामीण रोजगार योजना मद से सामुदायिक कार्य सम्पादित करवाकर घरों के आगे पड़ा हुआ मलबा हटाया गया है। क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण हेतु दैवी आपदा निधि से एक लाख की धनराशि जल संस्थान तथा गांव के आन्तरिक सम्पर्क के पुनर्निर्माण हेतु रु0 1.34 लाख की धनराशि खण्ड विकास अगस्त्यमुनि को अवमुक्त की गयी है। प्रभावित क्षेत्र में जो मलबा संग्रहीत हुआ है उसे अन्यत्र निस्तारित करने हेतु रु0 5.90 लाख की धनराशि तथा प्रभावित क्षेत्र में संक्रामक रोगों के बचाव हेतु कीट नाशकों के छिड़काव हेतु रु0 83834.00 की धनराशि गत वित्तीय वर्ष में 2005—06 में स्वीकृत कर दी गयी थी। मलबा सफाई हेतु पूर्व में कई ठेकेदारों से चयनित आधार पर कार्य कराये जाने के प्रयास जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये परन्तु किसी भी ठेकेदार द्वारा सहमति नहीं दी गयी। तदोपरान्त इस कार्य की निविदा दिनांक 10—03—2006 को प्राप्त की गयी, जिसमें न्यूनतम निविदादाता द्वारा विभागीय दर से 80 प्रतिशत अधिक पर निविदा दी गयी तथा अब तक सम्बन्धित निविदादाता द्वारा दर कम करने हेतु सहमति नहीं दी गयी है। जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्दिष्ट एजेन्सी से मानकों के अनुसार कार्य कराये जाने की विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

श्रीमती आशा देवी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मलबा हटाने के लिए 5.96 लाख का आगणन तैयार किया गया है। मान्यवर, वहां पर नजदीक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इस मलबे को हटाकर दूसरे स्थान पर फेंका जा सके। कम से कम पांच कि0मी0 की दूरी पर ही यह मलबा फेंका जा सकेगा। ऐसी स्थिति में इतने कम पैसे में कौन ठेकेदार काम करना चाहेगा ? मान्यवर, वहां पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि यदि

मलबा हटाने का काम शीघ्र नहीं किया जाता है तो वहां पर जो मकान बचे हुए हैं वह भी आने वाले बरसात के दिनों में खतरे में पड़ जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट को पढ़ दिया है। मैंने इस समस्या के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय से कई बार कहा है। मेरा निवेदन है कि इसमें धनराशि बढ़ाई जाय ताकि मलबा हटाने का कार्य किया जा सके और वहां रहने वाले को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीया सदस्या श्रीमती आशा देवी और माननीया मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, जहां चमोली जनपद सीमान्त जनपद है उसमें भी विकास खण्ड घाट और भी सीमान्त क्षेत्र है। उसको जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग नन्द प्रयाग घाट है। आज उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय और जर्जर है। मान्यवर, मैं एक घटना की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, वर्षा काल में यह मार्ग बन्द हो जाता है। 19 कि0मी0 का है। इस मार्ग में आज भी सेरा स्थान के पास मलबा सड़क के पास पड़ा हुआ है। अभी तक मलबे को हटाने की व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, पिछले दिनों माननीय नेता प्रतिपक्ष एक कार्यक्रम में घाट आये हुए थे। तीन दिन तक मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उन्हें घाट में ही रुकना पड़ा। हमारे द्वारा स्थानीय मजदूरों के माध्यम से मार्ग को खोला गया परन्तु विभाग के पास इस मार्ग को खोलने के लिए किसी प्रकार की धनराशि नहीं थी। मान्यवर, इस मार्ग पर पिछले 10 वर्षों से कोई भी सुधार कार्य नहीं हो पाया है। मार्ग पर जितने भी रपटे हैं वे क्षतिग्रस्त हो गये हैं। बड़े–बड़े पत्थर भी मार्ग और रपटों पर आ गये हैं, परिणाम स्वरूप कई दिन तक वाहन का मार्ग बाधित रहता है। उन पत्थरों को हटाने और रपटों के सुधार के लिए विभाग द्वारा धनाभाव में कोई प्रयास नहीं किया गया। मेरी जानकारी में आया है कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा उक्त मार्ग का सर्वे कराकर आगणन तैयार कर लिया गया है परन्तु सरकार द्वारा अभी तक इस मार्ग की स्थिति को सुधारने के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है। महोदय, स्थानीय बेरोजगारों द्वारा बैंक से लोन लेकर छोटे वाहन क्रय किये गये हैं किन्तु मार्ग के अवरुद्ध होने से ये वाहन कभी एक तरफ कई दिनों तक रह जाते हैं। जिसके कारण वहां यातायात प्रभावित होता है। वहीं इन बेरोजगार वाहन धारकों पर आर्थिक बोझ पड़ता है क्योंकि वाहन कई दिनों तक खड़े रहते हैं जिससे वे अपने बैंकों के लोन एवं रोड टैक्स को समय पर नहीं लौटा पाते हैं।

——मान्यवर, यह काफी महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की माग करता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग 18.49 किलोमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मार्ग भू–स्खलन आदि से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। मान्यवर, वर्तमान में यह आवाजाही के 18.49 किलोमीटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु 5.7140 करोड़ रु० का आगणन तैयार कर एशियन डेवलपमेन्ट बैंक को भेजा है, स्वीकृति मिलने पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि मार्ग में मलबा, पत्थर आदि के आने से सड़क बाधित हो जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि इसको हटाया जाय। मान्यवर, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से इस पर सम्भवतया अगस्त तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर, कार्य स्थगन की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पूर्वी नयार नदी पर हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर तीन–चार वर्षों से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। मान्यवर, वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुन्दर सिंह है, जिन्होंने लगभग 1.30 हे० भूमि पट्टे पर ली थी और आज लगभग वहां पर पांच किलोमीटर तक अतिक्रमण कर दिया है और लगातार खनन का कार्य चल रहा है और यह बहुत गहराई तक चल रहा है, जिसके कारण सतपुली बाजार को खतरा उत्पन्न हो रहा है। मान्यवर, यह बाजार संवत् 2008 में एक बार बह चुका है। मान्यवर, इससे आसपास के लोग बहुत भयभीत और आक्रोशित भी हैं। नदी से बराबर रेता, बजरी का अवैध खनन हो रहा है, जोकि वैधानिक नहीं है। मान्यवर, जब इस व्यक्ति को शिकायत के सम्बन्ध में कहा जाता है तो यह व्यक्ति अपनी लम्बी पहुंच कहकर लोगों को धमकी देकर उनका मुंह बंद कर देता है। मान्यवर, इस व्यक्ति ने माफिया का रूप ले रखा है। इसने स्टोन क्रेशर की मशीन नेशनल हाईवे पर खोल दी है। मान्यवर, जहां पर यह क्रेशर स्थित है इससे लगभग 50 किलोमीटर पर पेयजल है, 100 मीटर पर एक स्कूल है और 150 किलोमीटर की दूरी पर एक फारेस्ट बंगला है। मान्यवर, स्थानीय लोगों द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी से शिकायत की गई लेकिन आज तक इस पर उचित कार्यवाही नहीं हुई है। अवैध खनन होने से सरकार को भी लाखों रुपये का चूना लग रहा है साथ ही सतपुली बाजार को खतरा उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, इस व्यक्ति को आवासीय पट्टा दिया गया था, परन्तु आज उसने वहां पर काफी बड़ा बैंकिंग प्वाइंट बना दिया है। मान्यवर, आखिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है।

____मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस पर अंकुश लगायेगी और जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध निर्माण सतपुली बाजार में हो रहा है, क्या उस अवैध निर्माण को रोकेंगे ? जो स्टोन क्रेशर चलाया जा रहा है क्या इस पर रोक लगेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल में नयार नदी के तट पर स्थित सतपुली बाजार के दोनों ओर अवैध खनन के सम्बन्ध में यह सूचना है कि सतपुली बाजार एवं जनपद के अन्य खनन चुगान स्थलों से अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा एक समिति गठित की गयी है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, स्टाफ कोरा खनन विभाग को सम्मिलित किया गया है वह समिति लगातार अवैध खनन की जांच कर इस हेतु प्रभावी कार्यवाही कर रही है। यहां पर उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत क्षेत्र में उप खनिजों के चुगान हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० द्वारा आवेदन किया गया है परन्तु निजी क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये जाने से और पूर्व से संचालित हो रहे पट्टाधारकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुगान के पट्टे हेतु वाद दायर किये गये हैं, जो विचाराधीन हैं। राज्य सरकार खनन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए अत्यन्त संवेदनशील है और इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा समिति का भी गठन किया गया है। मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक, इस विषय में पूरे उत्तरांचल राज्य में खनन, चुगान और स्थानीय लोगों को खनन का उचित मूल्य मिलने पर बैठक की गई, यह कुछ दिन पूर्व की बात है। गढ़वाल में गढ़वाल मण्डल के कमिश्नर को और कुमाऊं में कुमाऊं मण्डल के कमिश्नर को दायित्व सौंपा गया, दोनों ने बैठक की और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है इस सम्बन्ध में कमिश्नर को आपकी सूचना के आधार पर आज ही पत्र भेज दिया जायेगा कि इसकी अद्यतन स्थिति क्या है। अगर कोर्ट में है तो कोर्ट से क्लियर कराना पड़ेगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि कितना भूमि का पट्टा दिया गया और क्या सरकार के संज्ञान में है कि उसका अतिरिक्त खनन कर रहे हैं ? वह कब और कितने समय के लिए पट्टा दिया गया ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसी एक व्यक्ति के बारे में स्थगन आदेश नहीं होता है, पट्टों के संदर्भ में जानकारी कर लेंगे। मान्यवर, उन्हें कितना और क्या दिया गया यह नहीं बता पायेंगे क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में कार्य स्थगन में नहीं आता है। मान्यवर, उस सम्बन्ध में कमिश्नर को भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, आपने नियम–56 में सुनने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश देव भूमि उत्तरांचल प्रदेश कहा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर कस्बे की तरफ दिलाना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, बाजपुर में दलित महिला के पास शाम को नौ बजे के करीब लोग गये और कहा कि यहां पर तार चोरी हुआ, पर कोई एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज की, लेकिन एस0डी0एम0, पुलिस के साथ राज कुमार के घर पर जाती है और छापा मारती है और जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर चीनी मिल के जी0एम0 से बात होती है तो कहता है कि कोई चोरी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद वह चले गये और रात के एक बजे राजकुमार की मां का कत्ल किया जाता है, लेकिन आज तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई और दलित महिला को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी इस देव भूमि में आये दिन ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे यहां विश्व में सबसे प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ का मेला होता है, उसमें श्रद्धालु आते हैं। मान्यवर, एक श्रद्धालु के पास अपने घर का रिवाल्वर था, उनको पुलिस ने इतना मारा............

............मान्यवर, उसको जब डाक्टर के यहां ले जा रहे थे तो उसने दम तोड़ दिया। मान्यवर, पुलिस से लोगों का विश्वास उठ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 11 अप्रैल की रात को करीब 01 बजे के आसपास मुरादाबाद निवासी को पुलिस द्वारा पीटा गया और पुलिस की मार से उसने दम तोड़ दिया। मान्यवर, जहां पर यह घटना घटित हुई वहां पर से पुलिस चौकी मात्र 20 कदम पर है। मान्यवर, यहां पर रात के समय में अक्सर ऐसा होता है कि जो सिडकुल एरिया पड़ता है वहां से ट्रैफिक निकलता है उसकी अवैध उगाही करने के लिए उस स्थान पर चैकिंग करते हैं। मान्यवर, वहां पर टाटा 407 जो ट्रक था उसको रोका गया उन्होंने उनसे पेपर मांगे। उन्होंने जब उनको पेपर दिये तो पेपर हाथ में आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। कहने लगे पेपर खोलकर क्यों नहीं दिये। मान्यवर, उनके पास लाइसेंसी रिवाल्वर था जो उत्तर प्रदेश के समय का बना था। इसमें बाबू ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के समय का बना है तो इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान्यवर, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और दो सिपाही उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर पुलिस चौकी बहादराबाद ले गये। डेढ घण्टे तक उसको वहां बैठाया वह अचेत अवस्था में था फिर उसे ट्रक में डाल दिया गया। मान्यवर, उसके संबंधी उसे रुड़की में फिजीशियन के पास ले गये तो तब तक उसका काम तमाम हो चुका था। मान्यवर, अगर किसी इज्जतदार आदमी को पुलिस सड़क पर पीटेगी तो उसे तो हार्ट अटैक हो ही जायेगा।

मान्यवर, वहां पर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस का काम केवल अवैध वसूली करना है। वहां पर सब-इंस्पेक्टर 15-15 साल से जमे पड़े हैं अगर कुछ न के लिए बाहर जाते हैं तो फिर वहीं आते हैं। यह मारपीट और वसूली पुलिस वालों का पेशा बन गया है।............

............मान्यवर, अगर सरकार चाहे तो चेक पोस्टों को चेक कर सकती है। कल भी हरिद्वार में डकैती की तीन घटनाएं हुई हैं। वहां पर अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है, आज हरिद्वार की जनता सुरक्षित नहीं है वहां के मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। आज पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। बाजपुर की घटना आपके सामने है, गंगोलीहाट की घटना आपके सामने है। हरिद्वार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अवैध वसूली पर रोक लग सके, वहां की व्यवस्था अनकन्ट्रोल हो गयी है। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, दिनांक 11-04-2006 को मोहम्मद अजहर पुत्र महबीउम निवासी निकट झाड़वाली मंदिर जोगियान गली थाना नागफनी, मुरादाबाद उम्र 38 वर्ष, जो टेलीफोन एक्सचेंज में कर्मचारी था, एक किराये की महिन्द्रा यूटिलिटी में अपने बहनोई सरफराज पुत्र शराफत हुसैन निवासी अब्बू का नाला नागफनी, मुरादाबाद, छोटे भाई सरवर व तौफिर पुत्र तनवीर निवासी बारादरी इकबाल मंजिल मुरादाबाद तथा कासिम पुत्र शफाकत के साथ पिरान कलियर रूड़की में रिवायत हेतु लंगर का सामान लेकर जा रहे थे। रात्रि 2.30 बजे जब पुलिस चौकी बहादराबाद पर पहुंचे तो पुलिस द्वारा उनकी गाड़ी को चैक किया गया, जिसमें सवार मो0 अजहर के पास लाइसेंसी पिस्टल तथा मैगजीन जिसमें कारतूस थे, पाये गये। पिस्टल का लाइसेन्स दिनांक 31-12-2008 तक वैध था जो मात्र उत्तर प्रदेश हेतु वैध था। इस आधार पर उक्त पिस्टल को बहादराबाद पुलिस द्वारा जमा कर लिया गया तथा मो0 अजहर एवं उनके साथियों को कलियर के लिए जाने दिया गया। रास्ते में मो0 अजहर की मृत्यु हो गयी। मो0 अजहर के बहनोई सरफराज द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि बहादराबाद चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा मो0 अजहर के साथ मारपीट की गयी जिसकी हालत बिगड़ने पर ही उन्हें जाने दिया गया। इस विषय में दिनांक 12-04-2006 को वादी श्री सरवर पुत्र मोहबीउमर निवासी झाड़वाली मंदिर जोगियान गली थाना नागफनी, मुरादाबाद द्वारा थाना ज्वालापुर, हरिद्वार पर मुकदमा अपराध संख्या 174/2006 धारा 304 भारतीय दण्ड विधान बहादराबाद पुलिस चौकी पर नियुक्त उप निरीक्षक चन्द्र मोहन नेगी व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मृतक के शव का पंचायतनामा मैजिस्ट्रेट द्वारा भरकर पोस्टमार्टम दो डाक्टरों के पैनल द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करायी गयी है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अनिश्चित पाये जाने के कारण बिसरा सुरक्षित रखा गया है, जिसका परीक्षण कराया जायेगा। इस घटना में नामजद अभियुक्तों उप निरीक्षक चन्द्र मोहन नेगी, कान्सटेबिल चन्दन सिंह तथा घटना के समय चैकिंग हेतु नियुक्त कान्स्टेबिल मनोज रावत, कान्स्टेबिल हरीश रावत व कान्स्टेबिल गणेशचन्द्र को निलम्बित किया जा चुका है। घटना की मैजिस्ट्रेट जांच करायी जा रही है तथा अभियोग की विवेचना देहरादून जनपद के थाना रायवाला से करायी जा रही है तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों

द्वारा अभियोग का निकटता से पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इसकी मजिस्ट्रेट से जांच करायी जायेगी। आपने जो घटना बतायी उसका कारण यह है कि उसके जो पिस्टल का लाइसेन्स था वह उत्तर प्रदेश के लिए वैध था। लेकिन उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि उसकी उम्र 38 वर्ष थी, इसलिए इसे गम्भीर माना गया और मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिये गये हैं। यदि इसके अलावा किसी और जांच की आवश्यकता होगी तो वह भी करायी जायेगी।

श्री शहजाद–

मान्यवर, एक आदमी को पीटा गया जिससे उसकी मृत्यु हुई। इसलिए पहले पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह संगीन अपराध है।

श्री हरिदास–

मान्यवर, किन–किन धाराओं में चालान किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, धारा है 174 और 304 ।

श्री हरिदास–

मान्यवर, जब हम पर धारा–302 लग सकती है तो इन पर धारा–302 क्यों नहीं लगायी गयी ? माननीय अध्यक्ष जी, इसमें धारा 302 लगाई जानी चाहिए थी लेकिन धारा 304 लगाई गयी है।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, हरीदास जी ने कहा कि इन पर 302 लगी है।............

(माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री तसलीम अहमद एवं श्री नारायण पाल द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, इस केस में धारा 302 लगाई जानी चाहिए थी।........

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें, उत्तर आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो प्रकरण यहां पर आया कि एक 36 साल के नवयुवक की मृत्यु हो गयी। उनके पास अपना लाइसेंसी हथियार भी था। आप लोगों की तथ्यात्मक बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस पर शासन द्वारा गृह विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में तत्काल जांच की जाय और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय।

श्री हरिदास–

मान्यवर, हमारा कहना यह है कि उन पर धारा 302 लगाई जानी चाहिए थी, तो वह क्यों नहीं लगाई जा रही है ? मान्यवर, यह एक्सीडेंट नहीं है कि धारा 304 लगाई जाय। उन्हें पीट–पीट कर मारा गया है, धारा 302 के अन्दर केस दर्ज होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी बातों के आधार पर हमने जांच के लिए निर्देशित कर दिया है। अब सदन में तो धारा लगाने की बात नहीं कही जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरिदास, श्री शहजाद एवं श्री तसलीम अहमद तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इसी सूचना पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपने जो सूचना नियम–311 में दी थी, उस पर आपको बोलना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया ग्राह्यता पर ही अपनी बात को रखें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी सूचना को ग्राह्यता पर स्वीकार किया। मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश के तराई भावर तथा अन्य क्षेत्रों में कई वर्षों से भिन्न–भिन्न वर्ग तथा मुख्यतः वर्ग–4 की भूमि पर काबिज अनेकों कृषक परिवार एस्कार्ट फार्म ऊधमसिंह नगर के घटनाक्रम को देखकर असमंजस की स्थिति में हैं, जिन कृषकों के पास छोटी–छोटी जोतें हैं, वे उस भूमि पर अधिकार प्राप्त किये जाने हेतु सशंकित हैं। वर्ष 1989 में नियमितीकरण किये जाने हेतु शासनादेश के अनुसार वर्ग 4 की भूमि पर 1381 फसली से पूर्व के दर्ज काश्तकारों को नियमितीकरण किये जाने बाबत आदेश हुआ था, तत्पश्चात् शासनादेश संख्या 340/एक–1–10–2(13)/1994, दिनांक 15–03–1995 तथा दिनांक 25–3–1995 को निर्गत हुआ था। जिसमें असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार दिये जाने के स्पष्ट आदेश हुए थे। आदेश के बाद क्या कुछ भूमि नियमितीकरण के मामलों को जनपद ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में निपटाया भी गया है ?

वर्तमान में जिला ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून तथा तराई भावर क्षेत्र के अनेकों मामले भूमि नियमितीकरण किये जाने हेतु भू–राजस्व विभाग में लम्बित हैं। जबकि वर्षों पूर्व भूमि नियमितीकरण हेतु काश्तकारों द्वारा रकम नजराना जमा किया गया था। परन्तु विभाग द्वारा अभी तक उसका निस्तारण नहीं किया गया है। प्रदेश के तराई भावर व अन्य क्षेत्र के काश्तकारों ने उपरोक्त बेदखली की कार्यवाही के कारण

संशय और भय व्याप्त है। साथ ही वर्षों से काबिज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के निर्बल लोगों को ऐसी ही भूमि पर काबिज कर नियमितीकरण की दशा में कार्य की प्राथमिकता भी तय होनी है। तथा ऐसे ही थारू, बुक्सा, बंगाली समुदाय की भूमि की विसंगतियां भी समाप्त होनी चाहिए। प्रदेश के 90 प्रतिशत काश्तकारों की आजीविका से संबंधित इस लोक महत्व के अति संवेदनशील विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

* श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी महानता है कि आपने नियम–311 की हमारी सूचना को नियम–58 में स्वीकार करते हुए ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर में कई कृषक ऐसे हैं जिनके पास छोटी–छोटी जोत हैं और जो वर्षों से इनमें खेती का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया है। सरकार की ओर से कई बार घोषणा हो चुकी है कि उनका नियमितीकरण कर दिया जायेगा लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने इस भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस पर न्याय के लिए लोग परेशान हैं और मुकदमों की तारीखों के लिए भटक रहे हैं। कई लोगों के पैसे भी इसमें लगा है। लेकिन सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में कई किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों में वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कर्मचारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, शक्तिनगर फार्म क्षेत्र में जिन लोगों को बसाया गया है, उनके बीच में हाल ही में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पर हुआ कि एक व्यक्ति की जमीन पर दूसरे वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया। इस झगड़े के पीछे मुख्य कारण यह है कि इस जमीन पर सरकार ने कब्जा तो दे दिया है लेकिन उनको भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया है। जरूरत पड़ने पर व्यक्ति अपनी जमीन की खरीद फरोख्त भी करता है। अपनी जमीन को बेचता भी है। लेकिन जब तक उसको भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया जायेगा तब तक वह अपनी जमीन को बेच नहीं सकता है। यहां पर लोगों को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला है जिसका परिणाम इस झगड़े के रूप में सामने आया। मान्यवर, भूमि के संबंध में जो विसंगति है, उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इनको नियमित किया जाय। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान निवास करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कल राजस्व विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। माननीय चीमा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा था। उस समय मैंने इसके सम्बन्ध में काफी विस्तार से बताया था कि इस विषय पर कैबिनेट की एक सब कमेटी बना दी गयी है। सब कमेटी के विचारार्थ यह मामला है, जल्द ही हम इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से वर्ग 4 की जमीन को नियमित करने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का सम्मान आदर किया जायेगा और विधिक रूप से निर्णय लेकर इसको कर दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारी मैमोरी को पुख्ता किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में जिस दिन वहां पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था, उसी दिन सार्वजनिक रूप से कहा था कि वर्ग 4 के मामले कल से ही निपटाने शुरू कर दिये जायेंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की जाती है, वह शासनादेश होता है।............

..............मान्यवर, 2005 में घोषणा सार्वजनिक रूप से होती है उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कमेटी का अध्यक्ष बनाकर वर्ग–4 की जमीनों की जो विसंगतियां हैं उसके निस्तारण का कार्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया जाता है। किन्तु वह कमेटी विलोपित हो गयी। उसके बाद फिर एक नई कमेटी बना दी जाती है। मान्यवर, 6700 किसान ऐसे हैं जो वर्ग–4 की जमीन से सम्बन्धित हैं। 3300 किसान वर्ग–4 के छोटे किसान हैं, 1400 वर्ग–3 के और 690 वर्ग–5 के किसान हैं। मान्यवर, परसों शक्ति फार्म का उल्लेख किया गया था उसमें जनता का जनता से और जनता का पुलिस से भी संघर्ष हुआ। मान्यवर, जमीन सम्बन्धी विसंगतियों के कारण वहां की जनता को बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को सरकार भी जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिक इस समस्या के बारे में और कौन जानता है किन्तु इसका समाधान नहीं हो रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। वर्ग–4 की समस्याओं का जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए किन्तु अब एक नई कमेटी बनने जा रही है। अब उस नई कमेटी का कुछ पता नहीं कि क्या हल होगा ? जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उस कमेटी में थे तो उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन सिफारिशों से किसानों का बहुत बड़ा हित होने वाला था इसलिए वह कमेटी परिवर्तित कर दी गयी। अब माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गयी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ किसानों के साथ गलत होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जमीनों का मामला ऐसे थोड़े ही निपट जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हो गया। जमीनों के हल से सम्बन्धित एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इसमें कैबिनेट की एक सब कमेटी बनती है। इस सब कमेटी का निर्णय भी कैबिनेट में होता है। उसके बाद जो सब कमेटी निर्णय करती है वह निर्णय कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट में माननीय मंत्रियों के भी सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। मान्यवर, किसकी जमीन वर्ग–4 में है किसकी नहीं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री मीना जी ने कल कहा था कि इन जमीनों में वारिस का उल्लेख नहीं है अर्थात् वर्ग–4 की जमीन जिसकी भी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जमीन वारिस को दी जाय या नहीं। क्योंकि उस व्यक्ति ने वारिस का उल्लेख नहीं किया है। तो ऐसे में उस जमीन का भविष्य क्या होगा ? कैबिनेट सब–कमेटी में जो निर्णय किया गया है उसमें इन बिन्दुओं पर विचार

किया जायेगा। वर्ग-4 और वर्ग-5 की जमीनों के बारे में कल जब राजस्व का बजट पेश हुआ तो उसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था। कल इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के अनुभव, विचारों और इसमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं उन्हें भी सुनने का मौका मिला। माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री नारायण पाल, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-27, वन विभाग

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3592725 हजार (तीन सौ उनसठ करोड़ सत्ताईस लाख पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इस पर राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत हिल एरिया का 66 प्रतिशत वनाच्छादन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की नई उत्तरांचल वृक्षारोपण नीति, 2005 प्रतिपादित की गयी है। जिसके अन्तर्गत रिक्त/अवनत रूप में उपलब्ध वन भूमि, गैर वन भूमि, निजी भूमि इत्यादि में अगले 20 वर्षों लगभग 5000 वर्ग कि0मी0 में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। अच्छी गुणवत्ता की पौध वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने के लिये हमने 16 हाईटेक नर्सरियों तथा 40 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। मान्यवर वृक्षारोपण की मुख्य चीजें हैं प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही समस्त योजनाओं को समन्वित कर एकरूपता लाना। समस्त प्रकार की अनावृत्त व रिक्त वन भूमि में वनस्पति में वृद्धि कर वनों के घनत्व कुल वनस्पतिक निधि में वृद्धि करना। ग्रामीणों को ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज एवं इमारती लकड़ी स्थानीय घरेलू मांग की पूर्ति हेतु उचित प्रजातियों का चयन कर रोपण करना। प्राकृतिक वनों में वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित कर इन्हें विकसित करने हेतु विशेष उपाय करना। वृक्षारोपण कार्य को गरीब निर्बल वर्ग के लोगों के लिए रोजगारपरक बनाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपाय करना है।

मान्यवर, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हेतु शतप्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड द्वारा सीधे सम्बन्धित वन विकास अभिकरणों को अब तक स्वीकृत रु0 50.07 करोड़ अनुमोदित कर रु0 38.60 करोड़ की धनराशि प्राप्त की गयी है मान्यवर, उत्तरांचल देश का ऐसा पहला

ऐसा राज्य है जो सुनियोजित नीति के तहत यह कार्य कर रहा है। मान्यवर, तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी के अन्तर्गत एक तीन वर्षीय त्रिफला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 215 हे0 क्षेत्र में त्रिफला वृक्षारोपण तथा संरक्षण प्रगति में है। यह परियोजना तीन वर्षों में पूरी की जायेगी। मान्यवर, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अन्तर्गत थुनेर प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत एक पौधशाला की स्थापना की गयी है और पौधशाला में 1.00 लाख पौध उगाई जा चुकी है, इसी वर्ष 40.00 हे0 क्षेत्र में इसका रोपण किया जायेगा। मान्यवर, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन विभाग के अन्तर्गत हिपोफी सैलिसीफोलिया के रोपण की योजना तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत 32800 प्रजाति के पौधे तैयार किये जा चुके हैं। मान्यवर, जड़ी–बूटी के कृषिकरण में प्रगति होने के बाद जड़ी–बूटी कृषकों को वन विभाग की प्रक्रियाओं से असुविधा न हो तथा वे अपनी–अपनी उपज को सुविधापूर्वक बेच सकें इस उद्देश्य हेतु जड़ी–बूटी बाजार से सीधा सम्पर्क हो जायेगा तथा कृषकों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी। इस वर्ष हल्द्वानी में एक मण्डी स्थापित करने का प्रस्ताव है। मान्यवर, वर्ष 2005–06 में 28466 हे0 क्षेत्र में वनीकरण कार्य किया गया। आर्थिक एवं औद्योगिक वृक्षारोपण के साथ ही बायोफ्यूल, बांस तथा रिंगाल, च्यूरा, थुनेर आदि की लागू की गयी समस्त रोजगारपरक वृक्षारोपण तथा भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों हेतु पांच राज्य सेक्टर योजनाओं में वर्ष 2006–07 में लगभग 35000 हे0 क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनीकरण हेतु रु0 49 करोड़ के बजट का प्राविधान है।

मान्यवर, रोजगारपरक वृक्षारोपण योजना में अक्सर बकाटा, च्यूरा, त्रिफला आदि जड़ी बूटियों का रोपण हेतु रु0 4 करोड़ आरक्षित सिविल वनों के विकास हेतु रु0 20 करोड़, बांस प्रजातियों के रोपण हेतु रु0 10 करोड़, जेट्रोफा तथा अन्य बायोफ्यूल प्रजातियों के रोपण हेतु रु0 15 करोड़ की व्यवस्था वर्ष 2006–07 के बजट में की है। इसमें 11 नई मदें भी खोली और मैं संक्षेप में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वनों की आग से सुरक्षा करने के लिए इसरो के माध्यम से सैटेलाइट योजना बना रहे हैं जिससे कहीं आग लगेगी तो प्रतिदिन दो आग की फोटो प्राप्त होगी तो सैटेलाइट द्वारा प्रदत्त चित्रों पर कम्प्यूटर के माध्यम से अग्नि दुर्घटनाओं को त्वरित रूप से रोका जायेगा इसके साथ ही वन विभाग के संस्थानों को आपदा राहत में प्रयोग करने का भी लक्ष्य है। इस आपदा प्रबन्धन में आपदा आने के बाद क्या प्रक्रिया होगी इसके लिए स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जायेगी। आज की स्थिति में जब हम सूखे का आकलन कर रहे हैं तो इन दोनों समस्या में हमारे हर फॉरेस्ट चौकी पर आंकड़ा एकत्र करने की सुविधा है, जिससे हमें जल्द सूचना मिल सकती है कि किस क्षेत्र में अतिवृष्टि का प्रभाव है। अभी तहसील की इकाई होने से बहुत अधिक असुविधा ग्रामीण भाईयों को होती है, इस योजना की शुरूआत के लिए एक करोड़ की व्यवस्था की गयी है। सीड स्पलाई के रूप में वन विभाग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

मान्यवर, वन विश्राम गृहों और चौकियों में ऊर्जा की व्यवस्था करेंगे, पर्यटकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की गयी है। चौकी पर वन कर्मी भी बैठ सकते हैं। मान्यवर, 14 अगस्त, 2005 को 2 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया इनको पर्यटक स्थल के रूप में

विकसित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। मान्यवर, संरक्षण आरक्षित प्रबन्धन का कार्य हुआ। मान्यवर, वन जीवों के संदर्भ के रूप में जो हमारे नेशनल पार्क हैं उनके अन्दर जैव दिशा में सुधार किया जाय ताकि जानवरों को खाना–पानी उस क्षेत्र में प्राप्त हो जाय, इसके लिए प्रस्ताव भी किया है और राज्य सरकार ने दो करोड़ की व्यवस्था की है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव प्रबन्धन के क्षेत्रों की भी थी तो इन वन जीवों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को सुरक्षित करने के लिए दो करोड़ की व्यवस्था की गयी है। एक समस्या बार–बार आती है, उस दिशा में प्रयास करने के लिए ऐसे वन जीव जो हमारे लिए समस्या बन चुके हैं तो उनका पुनर्वास कैसे करें उसके लिए हमने नई योजना दो करोड़ रुपये की व्यवस्था से शुरू की। मान्यवर, वन क्षेत्रों में स्थित गोठ खत्ते एवं टोंगिया एवं बस्तियों का पुनर्वास कर वह जंगल की सीमा पर समाप्त हों तो वहां पर विस्थापन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 5 करोड़ की नई योजना शुरू की है।............

............मान्यवर, गत वर्ष गूजरों का पुनर्वास के लिए यह योजना शुरू की गयी थी जिसका गूजर भाइयों द्वारा स्वागत किया गया है।

मान्यवर, जो राजाजी पार्क में डागिया खाले की योजना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, भेषजीय प्रजाति के वृक्षों के रोपण के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सहायता से राज्य में वाइल्ड लाइफ बोर्ड के संचालन हेतु तथा एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेन्स हेतु रु0 0.60 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। यह सम्पूर्ण कार्य वन्य जीवों से सम्बन्धित है, इसकी इकाई हमारी वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है अब तक इसका गठन नहीं किया गया था अब इसका पुनर्गठन किया गया है। जिसकी समय–समय पर जरूरत पड़ती है यह वन्य जीवों की समस्या को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर रखने का माध्यम बनता है। मान्यवर, वर्ष 2006–07 में 100 करोड़ का प्राविधान वन मोटर मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वनों के बीच में बसे गांवों की प्राथमिकता के दृष्टिकोण से किया गया है। इसके अन्तर्गत 77 वन मार्गों के सापेक्ष 48 वन मोटर मार्गों की सूची कार्यदायी संस्था इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लि0 नई दिल्ली को सर्वे एवं डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी जिनमें से कार्यदायी संस्था ने 29 मोटर मार्गों का सर्वेक्षण तथा 19 मार्गों की डी0पी0आर0 प्रस्तुत कर कार्य प्रारम्भ किया है। मान्यवर, वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण की योजना है। यह ग्रामीण लोगों के लिए उपयोगी है उनको सम्मिलित करेंगे। जो सुदूर क्षेत्रों में काम करते हैं वह अपने परिवार को रखने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था करें। आवासीय कालोनीज को ठीक करने के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था रखी है।

मान्यवर, वन पंचायत नियमावली, 2005 हमने प्रतिपादित की है इसमें महत्वपूर्ण प्राविधान किया है। मान्यवर, इसमें वन पंचायतों के प्रतिनिधि राज्य सरकार से सीधे वार्ता कर सकेंगे। वन पंचायत को भी उसका आधार बनायेंगे। मान्यवर, नियमावली को पुनः संशोधित करना पड़ेगा, इसमें 12 हजार पंचायतों से एक संवाद कायम करेंगे। मान्यवर,

ईको पर्यटन में नये आयाम है। नैनीताल के समीप कालाढूंगी रोड पर सड़ियाताल के जलागम में झील विकास प्राधिकरण के अनुदान से रु0 90 करोड़ की लागत से लगभग 100 हे0 क्षेत्र में एक हिमालयी वनस्पति उद्यान की स्थापना की जा रही है जो जैव विविधता संरक्षण, जागरूकता के साथ-साथ एक ईको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तरांचल में हिमालयी क्षेत्र की वनस्पति का संरक्षण व संवर्द्धन करना है। उत्तरांचल पर्वतारोहण के क्षेत्र में पहला राज्य बना है जिसने पर्वतारोहण के संबंध में मार्ग निर्देशिका जारी की है जिससे पर्वतारोहियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली प्राप्त हो सके एवं पर्वतारोहण की गतिविधियों में स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जा सके। मान्यवर, रामगंगा नदी में महाशीर मछली संरक्षण परियोजना को जन सहभागिता से जोड़ते हुए आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर 4 कैम्पिंग साइटों का विकास किया गया है। पर्यटन विभाग के माध्यम से उपलब्ध रु0 583 लाख से वन विभाग में पर्यटन संबंधी 36 परियोजना स्थलों पर वर्ष 2005-06 में कार्य किया गया। मान्यवर, प्रबन्ध योजनाओं का निरूपण एवं अनुसंधान कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा नये वर्किंग प्लान कोड 2004 के अनुरूप प्रबन्ध योजनाओं में आधुनिक तकनीकी यथा जी0आई0एस0 आदि का प्रयोग किये जाने एवं इनका प्रस्तुतिकरण भी उच्चकोटि का हो इस दिशा में आवश्यक प्रयास सतत् रूप से जारी हैं। इन्टीग्रेटेड फारेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत प्रबन्ध योजनाओं के निरूपण हेतु भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि के लिए रु0 1.34 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

उत्तरांचल में पानी की अत्यधिक समस्या है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पानी की कमी रहती है। पानी एवं वनों के संबंध में रु0 67 करोड़ की एक दस वर्षीय परियोजना नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के साथ शुरू की गयी है जो कि भारत वर्ष में सर्वप्रथम होगी। इसमें सतह पर बहने वाले पानी के अतिरिक्त भू-जल पर अनुसंधान कार्य होंगे।..........

..........मान्यवर, जिस समय हमने कार्यभार संभाला उस समय आपको भी याद होगा कि वन संरक्षण अधिनियम को हम लोग अपने विकास में बाधक के रूप में देखते थे। हमने इसके लिए काफी प्रयास किया और इसी का परिणाम रहा कि हमने अभी तक 879 प्रकरणों में वन भूमि का हस्तान्तरण किया। 307 मार्गों, 249 पेयजल योजनाओं, 32 सिंचाई योजनाओं, 21 विद्युत पारेषण लाईनों, 17 जल विद्युत परियोजनाओं, 11 खनन योजनाओं और 242 अन्य प्रस्तावों के लिए स्वीकृतियां सम्मिलित हैं। वन भूमि की लीज की भी एक बड़ी समस्या है। लीज की नीति का भी हमने सरलीकरण करने का प्रयास किया है। लीजों की स्वीकृति के लिए पुनरीक्षित नीति घोषित कर दी गयी है। इस वर्ष उत्तरांचल में दो बार वन्य जीवों की गणना हुई है। एक बार पुरानी विधि से और दूसरी बार नई विधि से। पुरानी विधि की गणना के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं। जिसके अनुसार 1510 हाथी, 241 बाघ, 2105 गुलदार है। मान्यवर, वन्य जीवों का पर्यटन में महत्वपूर्ण स्थान है। 2005-06 में कार्बेट नेशनल पार्क में 1 लाख 20 हजार से ज्यादा पर्यटक आये जिसमें से नौ हजार के करीब विदेशी पर्यटक थे। यह विगत वर्ष की तुलना से काफी अधिक है। इसके द्वारा 1 करोड़ 85 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिस तरीके से हमारा

प्रचार-प्रसार विश्व में हो रहा है उससे पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए हमने कार्बेट नेशनल पार्क की अवस्थापना सुविधाओं में मूलभूत परिवर्तन करते हुए उनको और अधिक विकसित करने की कोशिश की है। वन्य जीवों से होने वाली हानियों में दिये जाने वाले मुआवज़े की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। इस बारे में मैंने सदन में कई बार कहा है।

उत्तरांचल फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय में 140 शैय्याओं की व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर 340 शैय्याओं तक कर दिया गया है। वर्ष 2006-07 में 500 शैय्याओं की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। उत्तरांचल फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में 100 सीटों पर प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 2006-07 के लिए 100 सीटों पर प्रवेश परीक्षा के लिए मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार व्यवस्था कर ली गयी है। इन्स्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ पैरामेडिकल सर्विसेज एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, हल्द्वानी में पैरामेडिकल कोर्स भी चलाये जा रहे हैं जिसमें बायोकेमेस्ट्री, फीजियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोस्टिक आदि हैं। इसके लिए 130 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं। पीपुल्स कॉलेज एक्सटेंशन इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी की स्थापना पूर्व में ग्राम्य विकास संस्थान के नियंत्रणाधीन की गयी थी। इस संस्थान के लिए विश्व बैंक ने उत्तरांचल फॉरेस्ट हैल्थ डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से रु0 32.70 लाख की 18 माह की परियोजना स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं।

वनों का राजस्व प्राप्तियों से भी गहरा संबंध है। हमने अपने खनन से वर्ष 2005-06 में 17 लाख मीट्रिक टन खनन किया और इनसे 21 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसमें कई बार खनन करके लोग चले जाते थे तो इसका कंट्रोल करने के लिए हमने कम्प्यूटराइज्ड फॉर्मकार्डों का सहारा लिया है। इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है इससे और अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। 2005-06 में फरवरी, 2006 तक 113 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हमें हो गयी है। इसी प्रकार से लीसे के उत्पादन से 85 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा 2 लाख घन मीटर प्रकाष्ठ का उत्पादन किया गया तथा 53 हजार घन मीटर जलौनी लकड़ी का उत्पादन किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके द्वारा कभी प्रस्ताव के द्वारा, कभी सूचनाओं के माध्यम से और कभी प्रश्नों के द्वारा समय-समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रदान किये गये हैं। कई रचनात्मक सुझाव भी हमें माननीय सदस्यों से प्राप्त होते रहते हैं और आगे भी आप लोगों के सुझावों का हम स्वागत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने अमूल्य सुझाव हमें प्रदान किये। नेता प्रतिपक्ष का भी मैं निश्चित रूप से आभारी हूं। अभी जब हमारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया था तो उससे पहले सभी पूर्व वन मंत्रियों को उसमें बुलाया गया और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी उसमें आये। हमने यह इसलिए किया क्योंकि इससे कन्टीन्यूटी ऑफ थॉट एवं कन्टीन्यूटी ऑफ प्लान बना रहे। माननीय नेता प्रतिपक्ष का तो विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता ही है। मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी को भी इसमें शामिल नहीं किया जाय तो

यह भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा है और मुझे दे नहीं रहे हैं। वे मेरे क्षेत्र के नजदीक के भी हैं और चूंकि हाथी और गन्ने का काफी पुराना साथ है।

मान्यवर, मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जितना भी नया हो सकता था उसे लेकर यह आय-व्ययक आपके समक्ष आया है, मेरा अनुरोध है कि उसे पारित कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो हमारी कार्य संचालन नियमावली है उसके नियम–191 में लिखा है कि "कटौती के प्रस्ताव की सूचना, उस अनुदान पर विचार करने के नियत दिन से कम से कम 2 दिन पूर्व दी जायेगी, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें" मान्यवर, यह नियमों में है लेकिन जो यह साहित्य हमें मिला है वह अभी–अभी ही मिला है, यदि यह हमें पहले मिल गया होता तो हम इस पर चर्चा भी करते और सुझाव भी देते। मेरा निवेदन है कि बजट साहित्य दो दिन पहले मिलना चाहिए। इसके बाद मैं प्रस्ताव रख रहा हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मैं आलोचना तो नहीं करूंगा लेकिन सुझाव दूंगा। पहला सुझाव यह है कि आज वन विभाग के बजट पर पहली बार बोल रहा हूं, जो बजट लाया गया है इसमें बजट लो, हिसाब दो की नीति को आपको लागू करना चाहिए। मेरा यह पूरी सरकार से आग्रह है कि जो भी बजट आप विभागों को दे देते हैं लेकिन उनसे कोई हिसाब नहीं लेते हैं। पांचवा बजट आपका आज आ रहा है, तो ऐसी नीति होनी ही चाहिए कि जितना बजट आप विभाग को दे रहे हैं, उतना हिसाब तो विभाग से ले लें। मान्यवर, हो यह रहा है कि बजट तो बांटा जा रहा है लेकिन उसका हिसाब नहीं लिया जा रहा है। जहां तक वन विभाग का प्रश्न है, तो वन हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। जल, जंगल और जमीन का हमारे जीवन से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है, इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयास करें तो हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा।

माननीय वन मंत्री जी का भाषण मैंने बहुत अच्छी प्रकार से सुना। यह साहित्य तो हम नहीं पढ़ पाए। यह हमारे पास अभी आया है। आपने कहा कि हमने वृक्षारोपण के लिए प्रयास किया। लेकिन आपने इस वृक्षारोपण की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मान्यवर, जब मैं वन मंत्री था तो मेरा मानना था कि इसको वृक्षारोपण नहीं पौध रोपण कहा जाना चाहिए। हम पौध का रोपण करते हैं, वृक्ष का रोपण नहीं करते हैं। हो सकता है, मैं गलत होऊं। लेकिन इस वृक्षारोपण की रक्षा भी करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि वृक्षारोपण एक बैल्ट में होना चाहिए। कहीं पर 4 वृक्ष लगा दिये कहीं पर 10 वृक्ष लगा दिये और कहीं पर 50 वृक्ष लगा दिये तो इस तरह इनकी रक्षा नहीं हो सकती और यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। मान्यवर, हमारी सरकार ने एक हरियाली

अभियान चलाया था। हम उत्तरांचल को हरा–भरा बनाना चाहते थे। पता नहीं आप कौन सा अभियान चला रहे हैं। हमने अपना गांव और अपना वन तथा अपना शहर और अपना वन का अभियान चलाया था। लेकिन आपने इसको छोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि उस विषय में आपने क्या किया होगा और क्या नहीं। उस बारे में आपकी नीति स्पष्ट होती तो अच्छी बात होती। वर्तमान सरकार ने वन विभाग को ढांचा बनाया है, इसमें 1 प्रमुख वन संरक्षक, 3 अपर प्रमुख वन संरक्षक, 8 मुख्य वन संरक्षक, 14 वन संरक्षक और 41 उप वन संरक्षक के पद हैं। आपने यह तो बढ़ा दिये हैं लेकिन जब तक आप छोटी–छोटी बीटों और रेंज को नहीं बढ़ायेंगे तब तक वनों की रक्षा होने वाली नहीं है। मेरा सुझाव है कि आपने जो उच्च अधिकारियों का ढांचा बढ़ाया है, उसके स्थान पर जो वनों की रक्षा करने वाले फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, डिप्टी रेंजर और रेंजर हैं, उनके पद बढ़ाते तो जंगलों की रक्षा हो सकती थी। मगर आपने ऐसा नहीं किया। इससे हमारे वनों का नुकसान ही होगा।

वनों की रक्षा के लिए आपने कहा कि हम बहुत कुछ कर लेंगे। आपने पैसा भी दे दिया लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से ग्राम प्रहरी आपकी सरकार की देन है, उसी प्रकार यदि आप प्रत्येक गांव में अगर एक–एक मुखबिर का पद सृजित कर देते, जो गांव की सारी रिपोर्ट आपके वन विभाग को देता, तो अच्छा होता। इसकी जगह पर आपने कहा कि हम अस्त्र–शस्त्र बढ़ायेंगे, एंटी पोचिंग करेंगे, वाहन बढ़ायेंगे, इन सबके स्थान पर यदि आप प्रत्येक ग्राम सभा में एक मुखबिर नियुक्त कर देते तो वनों की रक्षा आसानी से हो जाती।.................

.............मान्यवर, ये मुखबिर आपको गांवों की सूचना देते इससे वनों की सुरक्षा होती लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आपने नई–नई योजनाएं बनायीं। बांस का रोपण किया और जैट्रोफा का रोपण कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हो सकता है कि आपके संज्ञान में न हो, एक रिपोर्ट मेरे पास आई है क्योंकि विपक्ष के पास अधिक रिपोर्ट आती है। उसमें जैट्रोफा का पौध रोपण आपने किया इसमें रु० एक करोड़ अट्ठासी लाख के पौध खरीदे गये और रु० एक करोड़ छांसठ लाख की खाद खरीदी। मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए। यह धन का दुरुपयोग है। इसमें कौन लोग शरीक हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब आप उत्तर भाषण दें तो इस बारे में सदन को बतायें। मान्यवर, कभी आप सघन जंगलों में जायें, मैं जब वन मंत्री था तो सघन जंगलों में जाता था। जंगलों में बर्फ और आंधी तूफान के कारण बड़ी संख्या में पेड़ गिरे रहते हैं। वन निगम जो पेड़ सड़क पर गिरे रहते हैं उनको तो कटान छिरान कर लेता है किन्तु जो सघन वनों में पेड़ गिरे रहते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मैंने जब एक अधिकारी से पूछा कि सघन वनों में जो पेड़ आंधी तूफान के कारण गिर जाते हैं उनको क्या करते हैं तो उन्होंने बताया कि जो पेड़ आंधी तूफान के कारण गिर जाते हैं, वे वहीं वनों में ही सड़ जाते हैं। बाद में उन पेड़ों की खाद बन जाती है। मैंने उनसे कहा कि जब मूसलाधार वर्षा होगी तो वह खाद तो बह जायेगी वह खाद बचेगी कहां ? मान्यवर, उस अधिकारी ने फॉरेस्ट्री की परीक्षा पास की है किन्तु वह इनका महत्व नहीं जानता है। उनका कटान और छिरान होना चाहिए। इससे विभाग की आय बढ़ेगी।

मान्यवर, एक तरफ हमारे पीछे आग है और दूसरी तरफ बाघ है। दोनों ने हमें परेशान कर रखा है। इसकी रोकथाम के लिए आपने एफ0डी0ए0 का गठन किया, उसका सभापति भी बना दिया, उसकी समिति भी बना दी। उसमें चंद लोग होते हैं, उसमें गांव के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता होनी चाहिए वे वनों की रक्षा में सहयोग करें। आजकल लोग इसमें सहयोग नहीं करते हैं। जब हम छोटे थे तो गांव के लोग वनों की रक्षा के लिए बड़े जागरूक होते थे। मेरा सुझाव है कि वन भूमि तो वन निगम और वन विभाग की है। वनों में एलिफेंटा घास का उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाय वह गांव के लोगों के मवेशियों के लिए चारे का काम करेगी। ऐसे में अगर जंगल में आग लगती है तो लोक अपने मवेशियों के चारे के लालच में आग बुझाने का प्रयास करेंगे। वन भूमि में जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया जाय। आंवला, रीठा इत्यादि के पौधे लगाये जायें। इसी प्रकार से फलदार पेड़ लगाये जायें इससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

मान्यवर, आपने चूरा का जिक्र किया है, जो पिथौरागढ़ में पैदा होता है, इससे वनस्पति घी बनता है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने वन विभाग को कहा था कि जहां पर ये पौधे होते हैं, वहां पर और लगाये जायें। मान्यवर, इस प्रकार के पौधों की एक बैल्ट लगानी चाहिए थी। उस बैल्ट में लगभग पांच हजार चूरा के पौधे, दस हजार जड़ी–बूटी के पौधे और बीस हजार फल के पौधे लगाये जाते। मगर ऐसा सरकार ने नहीं किया है।

मान्यवर, वन गूजरों से हमारी सरकार को बहुत नुकसान होता है, इनको व्यवस्थित करने के लिए एक स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें वनों से समुचित फायदा मिलने वाला नहीं है। मान्यवर, जंगलों में वृद्ध वृक्ष हैं, उनके सम्बन्ध में भी कोई योजना सरकार द्वारा बनायी जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में जब तक हम प्रभावी योजना नहीं बनायेंगे तब तक वन सुदृढ़ नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, गरीब लोग जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग तो एल0 पी0 जी0 गैस खरीद सकते हैं, मगर ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। इनके उत्थान के लिए सरकार को चारा और ईंधन की लकड़ी के पेड़ भी जंगलों में लगाने चाहिए। माननीय मंत्री जी ने वन श्रमिकों की बात कही कि हम इनके लिए आवास बना रहे हैं। मान्यवर, हमारे वन श्रमिक 21 मार्च से यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनका अनुरोध है कि हमें सही वेतन और विनियमितीकरण होना चाहिए। मान्यवर, ये लोग 20 से 25 सालों से कार्यरत हैं परन्तु आज तक उनका विनियमितीकरण नहीं हो पाया है और न ही उनको सही वेतन मिल रहा है। मान्यवर, इनमें किसी को रु0 1200, किसी को रु0 1500, किसी को 1800 रु0 किसी को 2000 रु0, किसी को 300 रु0 प्रतिमाह दिया जा रहा है। मान्यवर, इनमें भी अधिकांश लोगों को रु0 1200 से 1500 ही प्रतिमाह दिया जा रहा है, जोकि न्याय संगत नहीं है। इनको न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने वन विभाग के ढांचे के संबंध में बताया कि वन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक हैं, जिनके नियंत्रणाधीन वर्तमान में तीन अपर प्रमुख वन संरक्षक, छः मुख्य वन संरक्षक, चौदह वन संरक्षक, इकतालिस उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी कार्यरत हैं। मान्यवर, फॉरेस्ट रेंजरों की आवश्यकता है, वन दरोगाओं की आवश्यकता

है, परन्तु आपने बहुत बड़ा ढांचा तैयार कर दिया है, इससे आर्थिक बोझ बढ़ जायेगा। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो वन कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी मांगे माननी चाहिए। आखिर ये लोग कब तक दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करते रहेंगे। मान्यवर, राष्ट्रीय उद्यान हमारी धरोहर है। कार्बेट नेशनल पार्क, नन्दा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, गंगा पार्क, गोविन्दघाट राष्ट्रीय उद्यान हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। इस सम्बन्ध में मैंने भी भारत सरकार को एक पत्र लिखा था कि यहां पर अरबों रु० की वन सम्पदा है। जो पेड़ उखड़ गये हैं या गिर गये हैं उनका वैज्ञानिक दोहन होना चाहिए ताकि हमारी प्रदेश सरकार को इसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, नदी, नालों के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर चूने का पत्थर, रेता, बजरी भी मिलती है। मान्यवर, यदि इनका खनन नहीं करेंगे तो नदी–नाले भर जायेंगे, जिससे बरसात में पानी सीधे नहीं बह सकेगा।

मान्यवर, जंगलों को नुकसान नहीं होता है, वैज्ञानिक खनन करने से जंगलों की सुरक्षा होती है, खनन न करने से हमारा बहुत बड़ा भू–भाग प्रभावित होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था करें तो हमारे राष्ट्र के हित में होगा। इसके साथ ही राज्य बाहर के बिल्डर्स तो बहुत अच्छे ढंग से अपना रोजगार चला रहे हैं, कभी रामनगर में कार्बेट में चले जायें तो बड़े–बड़े बिल्डर्स पैसा कमा रहे हैं और हमारे ग्रामीण भाईयों को वन विभाग वाले सता रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यदि हम इनका पुनर्वास करेंगे तो जानवर के हित में और उनके हित में रहेगा।

मान्यवर, मसूरी पशु विहार, गोविन्द पशु विहार, केदारनाथ, अस्कोट वन, सोना नदी वन पशु विहार में मैं कहना चाहता हूं कि इनमें भी यही बात होनी चाहिए जो मैं पहले कह चुका हूं। मान्यवर, आपने जलागम प्रबन्ध योजना, ईको टूरिज्म की बात कही तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं धरातल पर नहीं है, भाषण में तो हम पढ़ लेते हैं कि सरकार बहुत करना चाहती मगर धरातल में कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक धरातल में लागू नहीं करेंगे तब तक साफ दिखेगा नहीं, जब धरातल पर बनायेंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, चार धाम यात्रा में कहां–कहां पर सुरम्य घाटियां हैं, कहां–कहां अच्छे तालाब, झील, रिवर राफ्टिंग का काम ठीक तरीके से हो सकता है, यह देखें ताकि पर्यटक आ सकें। एक अभियान छेड़ना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक गांव, नगर पंचायत, स्कूल–कालेजों, विश्वविद्यालय, अस्पतालों और विभिन्न कार्यालयों में सघन वृक्षारोपण की कार्यवाही को चलायें, तो हमारे वन की संख्या में और पौधों की संख्या में वृद्धि होगी और इससे पर्यावरण में सुधार होगा, फिर एक सुन्दर सा स्वरूप देखने को मिलेगा। जैसे हमारी दून घाटी कितना सुन्दर स्थान था आज मैं उसको सुन्दर नहीं मानता हूं, तो इस दून घाटी को सजाए, तो अच्छा होगा। मान्यवर, पिथौरागढ़ में मानिला, चौकड़ी, मुनस्यारी, धल आदि जगहों को चिन्हित करें तो हमारे राज्य का विकास होगा। मान्यवर, विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम के लाभ की बात आयी तो इसका लाभ हमारी जनता को नहीं मिल रहा है। वन विभाग द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उसको धरातल में देखें तो धरातल में उपलब्धि शून्य और कागजों में उपलब्धि बहुत बड़ी संख्या में है। मैं कहना चाहता हूं

कि अपने विभाग पर नियंत्रण करें और जो योजना चल रही है उसके पैसे का हिसाब लें अन्यथा जैसे जैट्रोफा में पैसे का आदान-प्रदान हुआ और कुछ काम नहीं हुआ तो इस तरह से प्रदेश को भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, आपके प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेण्ट और न जाने क्या-क्या योजना है। भारत सरकार और राज्य सरकार पैसा देती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा माननीय मंत्री को करना चाहिए जिससे इसका लाभ मिले।..........

..........मान्यवर, आपने कहा दो काम किये। कहां पर पुल बनाये, कितने पौधे जीवित हैं, कितनी जड़ी-बूटी है ? आपने कह दिया कि जड़ी-बूटी का विकास करेंगे। मान्यवर, गांव में गिलई होती है जो जंगल में नहीं होती है। गांव में एक व्यक्ति द्वारा इसका उत्पादन किया गया मगर वन विभाग ने उसको निकासी नहीं दी वह गिलई सड़ गई, वह वन विभाग के कारनामे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां तक जायेंगे मगर आपके प्रतिनिधि जो हैं, आपके फॉरेस्ट गार्ड हैं, आपके वन दरोगा हैं, आपके रेंजर हैं, आपके डी०एफ०ओ० हैं आप उनको निर्देशित कर सकते हैं कि जनता को पीड़ित न किया जाय। हमको हक-हकूक मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं कुमायूं में गया था तो वहां पर पत्थर निकालने की अनुमति नहीं है, वहां पर लोग अपना मकान कहां से बनायेंगे। मान्यवर, हमको जनता के लिए उनके हित में काम करना है। वन भूमि के सिविल संरक्षण में एक निवेदन है कि टिहरी में जो जलाशय बनने जा रहा है। उसके चारों तरफ वृक्षारोपण होना चाहिए। उसके लिए आपने पैसे की व्यवस्था की है या नहीं की है। मान्यवर, एक निवेदन और है आपको यहां पर चार साल हो गये हैं। आप हमको बोलेंगे कि आपने नहीं किया। जो सम्पत्ति हमारी उत्तर प्रदेश वन निगम से मिलनी है उसका निस्तारण होना चाहिए, वह हमको मिलनी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहा है। आपको कुर्सी पर इसलिए बैठाया है कि आप जनता के हित में कार्य करें। जनता का शोषण जनता का उत्पीड़न हो रहा है वहां पर आपको आगे आना चाहिए। आपने कहा कि वन ट्रस्ट चिकित्सालय हमारा नहीं है। हम क्या समझेंगे यह शासकीय है ? ऐसी बात संज्ञान में आनी चाहिए। अगर शासकीय है तो इस पर चिन्तन करें और हमको गुमराह नहीं करें।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, काफी समय हो गया है।

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, सत्ता के सामने तो भूत भी नाचता है मैं तो इन्सान हूं। मान्यवर, मैं वन लकड़ी की बात कहूंगा, इसमें करोड़ों की हेराफेरी हो रही है। हम अवगत करा रहे हैं कि इसका दुकान टेण्डर के माध्यम से होना चाहिए। यह चिन्तन का विषय है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को लिख भी चुका हूं कि इसका टेण्डर करें। लीसा का ऑक्शन जल्दी-जल्दी करें। डिपो में लकड़ी का जल्दी निस्तारण करेंगे तो वह सड़ेगी नहीं और कीमत भी अच्छी मिलेगी। मगर होता क्या है जब लकड़ी सड़ जाती है तो उसे बेचा जाता है और इसके साथ में ही अच्छी लकड़ी भी बेच दी जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि डिपो

में लकड़ी का तत्काल ऑक्शन होना चाहिए। उत्तरांचल में वन निगम है। हमने कहा जलौनी लकड़ी दे दीजिए। जहाँ पर कुर्दाघाट है वहां पर आप लकड़ी का स्टाल खोलें तो लकड़ी बिकेगी। मेरा कहना है कि जलौनी लकड़ी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने कहा रेत, बजरी से हम इन्कम कर रहे हैं। यदि इनका वैज्ञानिक तरीके से दोहन किया जावे तो हमको अधिक फायदा होगा और इससे उत्तरांचल का बहुमुखी विकास होगा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर यदि आप अमल करेंगे तो उत्तरांचल का भला होगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी जो आंकड़े सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनकी ओर से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तरांचल राज्य में कुल वन क्षेत्र 34 हजार 651 वर्ग किलोमीटर है, यह हमारे सम्मुख रखा गया है, जो एफ०एस०आई० की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2003 के अनुसार प्रदेश में 2001–2003 के दौरान 527 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अर्थात् जो कुल वन क्षेत्र है वह है 34 हजार 651। इसमें वृद्धि हुई होगी जिसका उल्लेख एफ०एस०आई० की रिपोर्ट में भी किया गया है। जो अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा जारी पुस्तक है इसमें कुल वन क्षेत्र दिखाया गया है 35 हजार 394 वर्ग किलोमीटर। यह जो पुस्तक है वह 2004–05 की है। अर्थात् यह वन क्षेत्र अधिक होगा और जो वन क्षेत्र आज के दिन रखा जा रहा है अर्थात् 2006–07 के बजट के सम्मुख जो वन क्षेत्र रखा गया है उसमें 743 वर्ग किलोमीटर की कमी आ गयी है। अब जब कि एक ओर राज्य का वन क्षेत्र घटता जा रहा है दूसरी ओर एफ०एस०आई० का कहना है कि वन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि 527 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और माननीय वन मंत्री जी ने भी कहा है कि हम लगातार इस प्रयास में हैं कि वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती चली जाये। लेकिन सच्चाई क्या है यह तो माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे क्योंकि वह भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत है और इन दोनों में सत्यता क्या है ? क्या वास्तव में उत्तरांचल का वन क्षेत्र 743 वर्ग मीटर राज्य गठन के समय था ? क्या वह आज घटकर कम हो गया है ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने भेषजीय कार्य के लिए औषधीय पौधों के रोपण के लिए 10 करोड़ की डिमाण्ड की है, तो कहीं इसका भी हश्र जैट्रोफा की तरह न हो जाय। कुछ दिन पहले यह बात सदन में आई थी और इसकी जांच का कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया था। यदि आज भी उसकी जांच की जाय तो बहुत बड़ा घपला इसमें सामने आयेगा।

राजकीय पार्कों और पक्षी विहारों के विकास की योजना केन्द्र सहायतित योजना है इसके लिए आपने 3.31 करोड़ की डिमांड की है, तो मेरा प्रश्न है कि क्या मध्य हिमालय और उच्च हिमालय के उन स्थानों को भी इसमें शामिल किया जायेगा जहां पर आसानी से इनकी स्थापना हो सकती है ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। श्रीमन्,

एक और महत्वपूर्ण विषय है कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी बड़ी नदियां हैं और उनको जोड़ने वाली जो उप नदियां हैं चाहे वह अलकनन्दा हो, रामगंगा हो, पिंडर हो या काली तथा कोई और नदियां। जो इनके किनारे के क्षेत्र हैं, जो तलछट के क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए किसी भी सरकार ने कभी नहीं सोचा है। जो उस क्षेत्र की वन प्रजातियां हैं, जैसा अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि रामगंगा और सरयू के किनारे च्यूरा, जैट्रोफा और त्रिफला तथा कढ़ी पत्ता के पेड़ बहुतायत में होते हैं। यह जंगली वृक्ष के रूप में अपने आप वहां पर उगे रहते हैं, तो क्या सरकार इनके संवर्द्धन के लिए कोई योजना बनायेगी।

मान्यवर, वन मार्गों के सुदृढ़ीकरण की बात भी इसमें कही गयी है, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य है। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में बड़ालें रोड से मलकेदार के लिए मोटर मार्ग है, जो कि वन मार्ग है जो 18 किलोमीटर लम्बा है। इसमें आवागमन तो हो रहा है लेकिन यह कच्चा मार्ग है और इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। यदि इसे सुदृढ़ कर दिया जाय तो बड़ालें को हम पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकते हैं और मलकेदार को एक पक्षी विहार के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार से ठेका–चमरेठ मार्ग है, इसके भी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा पवाक–धारी जो कि 3 किलोमीटर का मार्ग है इसके भी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लकड़ी का कोयला जो पहाड़ के 2–3 जिलों में दिया जाता है। लेकिन पिथौरागढ़ जनपद को कंट्रोल रेट पर कोयला नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, यह इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 1962 तक यह जनपद अल्मोड़ा का ही भाग था, तो अल्मोड़ा को तो उन्होंने उसी परिधि में रखा जो अंग्रेजों के जमाने से ही वहां पर कोयला दिया जाता था। लेकिन पिथौरागढ़ को छोड़ दिया गया। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए और पिथौरागढ़ जनपद में भी कोयला मिलना चाहिए।

मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारे जनपद के श्मशान घाट हैं चाहे आवलाघाट हो या रामेश्वर में स्थित श्मशान घाट। वहां शवदाह के लिए लकड़ी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है। मेरा अनुरोध है कि श्मशान घाट पर शवदाह के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त एस0डी0ओ0, वन के रूप में खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, वह बहुत लम्बे अरसे से, 20–25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। वे वहां पर प्रतिनियुक्ति पर भी नहीं हैं, सेवा शर्त के अनुसार वह वन विभाग के कर्मचारी हैं। लेकिन उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने मंत्रि मण्डलीय उप समिति वन विभाग के ढांचा निर्धारण के लिए बनायी है। तो मेरा अनुरोध है कि इन एस0डी0ओ0, वन को भी इसमें सम्मिलित किया जाय।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, एक छोटा सा सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। आपके जनपदों में डिवीजन हैं। चमोली जनपद में अलकनन्दा वन प्रभाग, कर्ण

प्रयाग वन प्रभाग, केदारनाथ वन प्रभाग में जो डिवी हैं, वह बहुत बड़े हैं। कभी–कभी तो यह दोनों मण्डलों गढ़वाल एवं कुमाऊं की सीमा को भी पार कर जाते हैं। ये डिवीजन उत्तर प्रदेश के समय से बने होंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि उत्तरांचल के परिदृश्य में इन डिवीजनों का पुनरीक्षण करके उनके लिए मानक बना लिये जायें। सैंचुरी पार्क के लिए अलग डिवीजन कर दें और अन्य वन क्षेत्र के लिए अलग डिवीजन कर दें। यह बात प्रायः देखने में आती है कि किसी प्रकरण पर हम एक डिवीजन में जाते हैं तो पता चलता है कि यह दूसरे डिवीजन में आता है। इस कारण वनों में अवैध अपराध हो रहे हैं। उत्तरांचल के दृष्टिकोण से वहां पर डिवीजन बनने चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हमें जो लिट्रेचर दिया गया है, उसमें लिट्रेचर के साथ–साथ अन्य सामग्री भी है। बाहर की सामग्री तो ईको फ्रेण्डली है लेकिन अन्दर की हाई टेक फ्रेण्डली है। यह लगा तो बहुत अच्छा लेकिन आपका विभाग बाहर और भीतर दोनों जगह से एक सा लगे ऐसा प्रयास करें। खास बात है जो वन श्रमिक हैं, जो लगातार धरना दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास की ओर रोज कूच कर रहे हैं, उनकी मांगें यदि पूरी कर देंगे तो यह बाहर और भीतर से एक जैसा लग सकता है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमारा विभाग तो ऐसा है कि क्योंकि इसमें हाई टेक नर्सरी होती है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का आभारी हूं आपने बहुत ही सकारात्मक और वस्तुपरक सुझाव हमें दिये हैं। उनकी पीड़ा कि यदि हम यह कर सकते तो अच्छा होता, उचित है। हो सकता है कि कल मुझे भी यह पीड़ा हो। आदमी जब अपने अन्तिम समय में हिसाब जोड़ता है तो जीवन के सारे अनुभव सामने आते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि बजट दें तो उसका हिसाब भी लेना चाहिए। हमने इसके लिए प्रयास किया है। हमने सर्वाइवल ऑडिट करना प्रारम्भ कर दिया है कि कितने वृक्ष बचे हैं, इसकी रिपोर्ट मिल जाय। वृक्षारोपण की सुरक्षा की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने नयी वृक्षारोपण नीति तैयार की है। पहले यदि किसी डी०एफ०ओ० को 100 हेक्टेयर भूमि में प्लांटेशन करना होता था तो वह 2–3 जगहों पर इसे करता था। अब नई वृक्षारोपण नीति के तहत वह इसके लिए लैण्ड बैंक बनायेगा और 50 हेक्टेयर की जमीन होगी तो पूरे को एक ही स्तर पर विकसित करेगा। आपने हमें जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में हमने पहले ही प्रयास कर लिये हैं। आपने अपना गांव, अपना वन की बात कही। मान्यवर, वन पंचायतों का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अपना शहर, अपना वन के क्षेत्र में अभी हम बहुत काम नहीं कर सके हैं। कन्जर्वेटर को इस दिशा में काम करने के लिए निर्देश अवश्य दे दिये गये हैं लेकिन अभी तक इसमें काम नहीं हो सका है। हमारे तीनों वरिष्ठ सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि वन विभाग के ढांचे में परिवर्तन किया है। मान्यवर, हमने बीट के साईज को घटा दिया है और बीट की संख्या को बढ़ा दिया है। अभी यह प्रकरण मंत्रि–परिषद् की उप समिति के पास

विचाराधीन है, इसलिए जब तक उप समिति का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, लेकिन ढांचा किताब में तो दिया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह पुराना ढांचा है, जो नया ढांचा है, उस पर अभी विचार चल रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसका मतलब हमको पुराना ढांचा दिया गया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब तक नया ढांचा लागू नहीं हो जाता, तब तक पुराना ढांचा ही चलता रहेगा। मान्यवर, नये ढांचे में रक्षक श्रेणी के लगभग 9 हजार पद हैं। जो आन्दोलनकारी हैं, उनके बारे में काफी चर्चा हुई। मैं उन आन्दोलनकारियों को फिर से बताना चाहता हूं कि आन्दोलन की आवश्यकता नहीं है। उनको मंत्रि परिषद् की उप समिति की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। इस बारे में वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से लगातार हमारी बात चल रही है। मान्यवर, इस विषय पर लगातार चर्चा चल रही है। यह मंत्रि परिषद् की पूर्ण उप समिति है। इसका हर मंत्री मेम्बर है। उन्हें मालूम है कि इतने पद भरे जाने हैं और हम उनके पूर्ण रूप विनियमितीकरण की बात भी कर रहे हैं किन्तु वे लोग फिर भी आन्दोलनरत हैं। आन्दोलन करने वालों को तो रोका नहीं जा सकता। किन्तु मेरा उनसे अनुरोध है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनसे अनुरोध कर चुके हैं तथा विभागीय अधिकारी भी उनसे निवेदन कर चुके हैं तो ऐसे में उनके आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से और वन मंत्री होने के नाते पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि वे आन्दोलन न करें। इस समय मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मंत्रिपरिषद् द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे उन्हें अवगत करा सकूं क्योंकि अभी माननीय मंत्रिगणों के सुझाव आ रहे हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुखबिर का जो सुझाव दिया गया है वह महत्वपूर्ण है इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। यह बात मैं उस वक्त नहीं कह पाया। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हम प्रत्येक ग्रामीण विद्यालय से हाईस्कूल और इण्टरमीडियट कालेजों से एक–एक बच्चे का चयन करेंगे और उन्हें वन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित जानकारी दी जायेगी और वनों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें जागरूक किया जायेगा ताकि वे वन पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को भी जागरूक करें। इस कार्य के लिए बहुत अधिक धनराशि तो हम खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका जिक्र मुझसे छूट गया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने टूटे हुए पेड़ों का जिक्र किया यह बात पहले भी सदन में उठी थी। हमने इसका कार्य वन पंचायतों को दिया है। क्योंकि उन्हें टूटे हुए पेड़ों को

बेचने का अधिकार नहीं है उन्हें इसमें लाभ नहीं होता है इसलिए वे इसमें अधिक रूचि नहीं लेते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, ग्राम सभा के आसपास यदि पेड़ गिरा है तो वे उसका तो इस्तेमाल कर लेते हैं किन्तु सघन वनों में जो पेड़ गिरे रहते हैं वह जंगलों में ही सड़ जाते हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वन पंचायतों के माध्यम से वे इकट्ठा की जायेंगी। घास, चारे आदि का जो सुझाव दिया है वह मुझे भी बिल्कुल स्वीकार्य है। वन गुर्जर पुनर्वास का कार्य अन्तिम चरण में है। मान्यवर, खनन के विषय में आपको याद होगा जिस समय यह नीति बनी उसमें यह प्राविधान था कि खनन की अनुमति पूर्व में प्राप्त की जाय। उस वक्त वन विभाग एक वैज्ञानिक सिद्धान्त भूल गया उसको वन विभाग की गतिविधि न माना जाय इससे हमको हानि हो रही है यह प्रस्ताव हमने केन्द्र सरकार के पास भेजा है। इससे हमको लाभ होगा। अगर नीति पहले बन जाती है तो यह समस्या नहीं आती। लीसे से राज्य ने 31 करोड़ रुपये कमा लिये हैं। रेत, बजरी से भी राज्य की कमाई हुई है। माननीय पंत जी ने एफ0सी0आई0 की बात की तो मैं अवगत करना चाहता हूं कि एफ0सी0आई0 वन आच्छादन की बात करता है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इसी तरीके से पक्षी विहार और मृग विहार को किसी प्रजाति के साथ जोड़कर उन्हें कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित करी है इससे स्थानीय पर्यटन को लाभ पहुंचेगा। सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अच्छी गुणवत्ता की पौध वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने के लिए 16 हाईटेक नर्सरियों तथा 40 सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। पिथौरागढ़ में आपने शवदाह की व्यवस्था की जो बात कही है, इसका मैं निश्चित रूप से अध्ययन करूंगा और कुछ व्यवस्था जरूर करूंगा। मान्यवर, चूंकि इसमें नगरपालिकाओं का भी सहयोग लेना पड़ेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, टाल बने हुए हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मोक्षदा के नाम से एक नई अष्टधातु योजना बनी हुई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें कितनी लकड़ी लगेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रायः दाह संस्कार में सामान्यतः पांच से सात कुन्तल लकड़ी लगती है, परन्तु इसमें दो से तीन कुन्तल लकड़ी लगेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस योजना पर कितनी धनराशि लगेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसकी कास्ट डिजाइन में लगभग 17 से 18 लाख रु0 लगेंगे। यह केन्द्र सरकार का डिजाइन है। मान्यवर, इसमें शंकराचार्य जी से परमीशन लेनी होगी, उसी के बाद इस पर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, वृक्षारोपण एक बहुत कठिन क्षेत्र है, इसमें प्रगति कोई रातोरात नहीं होती है, बल्कि धीरे–धीरे होती है। हमने इस दिशा में सकारात्मक कार्य किया है। मैं पुनः नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। हम आपकी बातों पर हमेशा अमल करते रहते हैं, चाहे वह बात कटौती के माध्यम से आये या न आये।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में मैं एक दो सुझाव और देना चाहता हूं कि जो हमारे छोटे–छोटे प्राकृतिक तालाब हैं, इनमें स्थानीय लोगों को मत्स्य पालन हेतु दो–दो किलोमीटर टेण्डर दे दें। इससे राज्य की आय भी बढ़ेगी और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भी मिल सकेगा। मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार कुल्लू और ठाओस्कीठी में जलाने के लिए लकड़ी देती है, ठीक उसी प्रकार उत्तरांचल सरकार पवित्र धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी यात्रा काल के दौरान यात्रियों को जलाने के लिए लकड़ी दे दे तो इससे तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिलेगी और इनकी संख्या में इजाफा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3692725 हजार (तीन सौ उनहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं अपरान्ह 3.45 (तीन बजकर पैंतालीस मिनट) तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपरान्ह 3.45 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध विभाग

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1464461 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ चौवालीस लाख इकसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 7290480 हजार (सात सौ उन्तीस करोड़ चार लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय तथा मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1364672 (एक सौ छत्तीस करोड़ छियालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के दबे, कुचले, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, पिछड़ी जाति से सम्बन्धित जनता के लिए इस महत्वपूर्ण बजट को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और उस समय इस विभाग का नाम हरिजन सहायक विभाग था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को इसके पूर्व शिक्षा विभाग से कुछ शैक्षिक सुविधाएं दी जाती थी। मान्यवर, वर्ष 1991–92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। उसके अनुसार बहुत से विभाग काम कर रहे हैं, उसके अन्तर्गत अल्प संख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं इससे सम्बन्धित निदेशालयों का अलग से गठन कर दिया गया। उसके बाद नाम परिवर्तित करके अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। उत्तरांचल गठन के उपरान्त विभाग को समाज कल्याण विभाग के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। मान्यवर, यह विभाग अन्य विभागों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने बड़ी तीव्रता के साथ सुविधायें प्रदान की हैं। मान्यवर, इस विभाग के लिए हमारे प्रदेश ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए धनराशि भी उसके अनुसार उपलब्ध कराई है।.........

_____मान्यवर, अनुसूचित जाति के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, हमने जनजातियों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं में गति लाने हेतु पृथक से जनजाति कल्याण निदेशालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित विभागीय छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की भांति निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है। वृद्धावस्था पेंशन निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान की दरों को वर्ष 2005–06 में रू0 125 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 250 प्रतिमाह किया गया है तथा वर्ष 2006–07 के लिए यह दर रू0 250 से बढ़ाकर रू0 400 प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव है। इससे लगभग 83544 निराश्रित वृद्धजनों 83122 निराश्रित विधवाओं एवं 26000 विकलांग जनों को लाभ मिलने की सम्भावना है। कक्षा 01 से 10 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति दरें दोगुनी कर दी गयी हैं। इससे 6,07,620 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत परिव्यय में निरन्तर वृद्धि की जाती रही है। वर्ष 2002–03 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मात्र रू0 262.42 करोड़ का परिव्यय निर्धारित था और वर्ष 2005–06 में रू0 330 करोड़, जबकि वर्ष 2006–07 के लिए गत वर्ष की अपेक्षा दोगुने से भी अधिक रू0 720 करोड़ का परिव्यय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष आयोजनागत पक्ष में कुल बजट प्राविधान रू0 767.3829 करोड़ प्रस्तावित है। ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में मात्र 70.42 करोड़ का परिव्यय निर्धारित था और वर्ष 2005–06 में रुपया 70 करोड़, जबकि वर्ष 2006–07 के लिए रू0 120 करोड़ का परिव्यय ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष आयोजनागत पक्ष में कुल बजट प्राविधान रू0 135.4127 करोड़ प्रस्तावित है।

मान्यवर, विकलांग कर्मशालाओं का संचालन तीन जनपदों टिहरी गढ़वाल, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी पर 10 हजार रुपये हैं। अकिंचन दाह दफन हेतु 500 रू0 का अनुदान है। वृद्धावस्था/किसान पेंशन सभी वर्ग के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है। राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन हरिद्वार में किया जा रहा है। राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृहों का संचालन दो जनपदों बागेश्वर और चमोली में किया जा रहा है। आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टरों का संचालन दो जनपदों में किया जा रहा है। मान्यवर, वृद्धाश्रम, शिशु गृह हमारी सरकार ने संचालित किये हैं। जनश्री योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पहले वर्ष में 4 करोड़ 78 लाख का भुगतान किया गया है। जिन्होंने इसे अंगीकार किया अर्थात् बी0पी0एल0 कार्ड धारक की असामयिक मृत्यु पर 50 हजार रुपये और स्वतः मृत्यु होने पर 20 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के लागू होने से बी0पी0एल0 के परिवारों को संकट के समय काफी राहत होगी। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर इस योजना को लागू करती हैं। इसमें 50–50 प्रतिशत अंश दोनों का रहता है। इसमें 50 प्रतिशत हम सरकारी ओर से एल0आई0सी0 को दे देते हैं। निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं उनके बच्चों के शिक्षा व्यवस्था

हेतु 60 वर्ष से कम आयु के विधवा महिलाओं को जिनकी मासिक आय रुपये 1000/- से कम हो, को रुपये 250/- प्रतिमाह की दर से विधवा अनुदान दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर रुपये 11,000/- का प्रोत्साहन दिया जाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अन्तर्गत दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी पैरवी हेतु सहायता दिये जाने का प्राविधान है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में जनपद अल्मोड़ा में एक राजकीय शिशु सदन की स्थापना की गयी है। जिसमें 6 वर्ष तक के निराश्रित बच्चे रखे जाते हैं। अनाथ एवं निराश्रित बालिकाओं की शिक्षा व देख-रेख हेतु जनपद अल्मोड़ा एवं देहरादून में एक-एक राजकीय बालिका निकेतन की स्थापना की गयी है। निर्धन एवं निराश्रित बालिकाओं की शिक्षा हेतु जनपद बागेश्वर में एक राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की गयी है जिसमें कक्षा-1 से 5 तक बच्चों को निःशुल्क भोजन, शिक्षा, वस्त्र आदि की व्यवस्था है। मलिन बस्तियों में श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों की देख-रेख एवं शिक्षा हेतु जनपद देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी में एक-एक राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र की स्थापना की गयी है। कमजोर वर्ग की पिछड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से जनपद पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में एक-एक महिला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। अनैतिक व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी में एक-एक जिला संरक्षालय एवं प्रवेशालय एवं जनपद अल्मोड़ा में एक राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना की गयी है। कानून का उल्लंघन करने वाले उपेक्षित एवं अपेक्षित किशोरों को निरुद्ध करने हेतु सात राजकीय सम्प्रेक्षण गृह अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी एवं उत्तरकाशी में संचालित हैं।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त धनराशि से कुल रुपये 23.95 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए 23,068 अनुसूचित जाति के परिवारों को बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण के लिए अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त धनराशि से कुल रुपये 3.74 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए 3,929 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से सस्ती ब्याज दरों में रुपये 7.25 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करते हुए 917 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जिसमें से 128 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वाहन हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से सस्ती ब्याज दरों में रुपये 1.17 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करते हुए 55 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जिसमें से 22 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को वाहन हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी

वित्त एवं विकास निगम से सस्ती ब्याज दरों में रुपये 1.48 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करते हुए 312 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जिसमें से नौ सफाई कर्मचारी लाभार्थियों को वाहन हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया।———

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से सस्ती ब्याज दरों में 61.75 लाख की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करते हुए 150 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जिसमें से 2 पिछड़ी जातियों के लाभार्थियों के वाहन हेतु ऋण प्रदान किया गया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से सस्ती ब्याज दरों में 44.80 लाख की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करते हुए 77 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जिसमें से एक विकलांग लाभार्थी को लघु भार वाहन लोडर के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दरों में 25 लाख की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करते हुए 100 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार से समस्त राष्ट्रीय निगमों से अद्यतन 11.23 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करते हुए कुल 1611 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिसमें से कुल 182 लाभार्थियों को व्यावसायिक वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। निगम की स्वयं की अंशपूंजी से बैंकेबल योजना में कुल 54 अल्पसंख्यकों को 6.01 लाख की धनराशि मार्जिन मनी ऋण तथा 30.14 लाख की धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी। निगम की अंशपूंजी से बैंकेबल योजना में कुल 115 पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 13.99 लाख की धनराशि मार्जिन मनी ऋण तथा 63.26 लाख की राशि बैंक ऋण के रूप में प्रदान की गयी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक के कुल 2015 शिक्षित बेरोजगारों को कौशल वृद्धि हेतु 2.03 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार से बी०पी०एल० परिवारों के मुखिया हेतु आरम्भ की गयी जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा तीन वर्षों में कुल 11.29 करोड़ की प्रीमियम धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदान की गयी। बीमा आरम्भ की तिथि 17–1–2004 से अद्यतन कुल 4.784 करोड़ की धनराशि 2392 दावा कर्ताओं को उपलब्ध करायी गयी। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन तथा शिल्पी ग्राम योजना के नाम से दो नई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 3–12–2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य विकलांगों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गयी है।

मान्यवर, सैनिक कल्याण और पुनर्वास के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तरांचल एक सैनिक बाहुल्य प्रान्त है। प्रदेश में 1.30 लाख पूर्व सैनिक और विधवाएं पंजीकृत हैं। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित प्रदेश की जनसंख्या के 14 प्रतिशत भाग हैं। सैनिक कल्याण केन्द्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी होती है। अतः सैनिक कल्याण विभाग के अधिष्ठान के लिए 50 प्रतिशत व्यय को वहन करती है। प्रदेश के 13 जनपदों में 14 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय एवं राज्य स्तर पर देहरादून में एक निदेशालय पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्लान

में 227.10 लाख एवं नान प्लान में 675.51 लाख रुपया व्यय किया गया। वर्ष 2006–07 में प्लान में 230.51 लाख तथा नान प्लान में 745.98 लाख की व्यवस्था की गयी है। सेवायोजन के लिए वर्तमान में प्रदेश में 11,431 पूर्व सैनिक पंजीकृत है। वर्ष 2005–06 में 650 पूर्व सैनिकों को विभाग द्वारा पुनर्योजित किया गया। उपनल के माध्यम से पिछले दो सालों में जब से इसकी स्थापना हुई है लगभग 3000 पूर्व सैनिकों का पुनः नियोजन किया गया। पूर्व सैनिकों की विधवाओं और पुत्रियों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया। कौशल वृद्धि एवं रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास हेतु वर्ष 2005–06 में 7.83 लाख रुपये व्यय करके 393 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिलाया गया, 2006–07 में भी 500 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण के लिए 16 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। अलंकृत सैनिकों को नकद पुरस्कार एवं वार्षिकी के लिए 2005–06 में 470 पात्रों को 6.46 लाख रुपये की धनराशि पुरस्कार में वितरित की गयी जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के तथा कारगिल और चाइना वार में अलंकृत सैनिक थे उन्हें यह पुरस्कार दिया गया और 2006–07 में इस मद में 4.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2005–06 में 4.38 करोड़ पेंशन वितरित करके लगभग 4000 पूर्व सैनिकों और विधवाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2006–07 में इस मद में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बधिर और मूक बच्चों हेतु सेना द्वारा संचालित आशा स्कूल, रायपुर को प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में 10.12 लाख की लागत से एक मारुति एम्बुलैंस एवं एक स्कूल बस भेंट की गयी है।

मान्यवर, इस विभाग में जैण्डर बजटिंग की व्यवस्था भी की गयी है। लिंग के आधार पर महिलाओं की कहीं पर उपेक्षा न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006–07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया है और इसी के क्रम में जैण्डर बजटिंग की व्यवस्था की गयी है। आशा की जाती है कि उत्तरांचल की महिला सशक्तिकरण वर्ष के अन्तर्गत जैण्डर बजटिंग का शुभारम्भ उत्तरांचल में एक मील का पत्थर साबित होगा। मान्यवर, जैण्डर बजटिंग की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से ली गयी है। वहां पर सबसे पहले इसे लागू किया गया और इससे महिलाओं को काफी लाभ हुआ। इसी उद्देश्य से हमारे प्रदेश में भी इसको प्रारम्भ किया गया है। मान्यवर, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन आदि क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार सरकारी बजट सुनिश्चित करते हैं इसका जैण्डर दृष्टिकोण से आकलन जैण्डर बजटिंग के अन्तर्गत किया जाता है। आंगनबाड़ी के विषय में बताना चाहता हूं, पहले जो महिलाएं एक हजार रुपये में घर–घर और गांव–गांव घूमती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया है। इस प्रकार हमारी सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। बहुत समय से महिलाओं की उपेक्षा हो रही थी, उनके द्वारा मांग भी की जा रही थी। मान्यवर, महिला विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छः किशोरियों एवं सात महिलाओं राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया गया है। आई०सी०डी०एस० का सिटीजन चार्टर

जारी किया गया। संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत में विभाग के अधिकारों एवं दायित्व के संक्रमण की व्यवस्था की गयी। ग्राम पंचायतों के माध्यम से आई०सी०डी०एस० तृतीय परियोजना में 950 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया गया है।

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय की कड़ी को मजबूत बनाते हुए विटामिन ए मॉपअप का आयोजन कर विटामिन ए की कवरेज बढ़ाई गयी। साथ ही सूक्ष्मपोषक तत्व कुपोषण से बचाव हेतु रणनीति प्रकाशित की गयी है। समस्त 99 बाल विकास परियोजनाओं में पोषण सामग्री पकाकर लाभार्थियों को वितरित किये जाने के उद्देश्य से कुक्ड फूड परियोजना लागू की गयी है। उत्तरांचल में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को आयरन एवं आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। उड़ान शीर्षक से आई०सी०डी०एस० पर एक डाक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गयी है। इस प्रकार समाज कल्याण विभाग का बजट बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है कि किसी भी दलित की उपेक्षा न हो। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसमें यह व्यवस्था भी की गयी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसके लिए यह अनुदानित है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी जाति में शादी करता है तो उसके लिए भी यह अनुदानित है। ये लोग अभी तक उपेक्षित जीवनयापन कर रहे थे। लेकिन इस बजट में इनके उत्थान के लिए प्राविधान किया गया है।.........

मान्यवर, इसमें महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए बहुत अधिक काम निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किया है। श्रीमन्, इस दिशा में समाज कल्याण के लिए जो डेटा है श्रीमन्, मैं वर्ष 04-05, 05-06 की तुलना करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 05-06 में वित्त की व्यवस्था थी 8887.59 रू० थी और भौतिक सत्यापन था रू० 433292 और इस वर्ष उसको बढ़ाकर, हमने 13565.72 और भौतिक रूप से 466236 रू० व्यवस्था इस तरह से की है। हमने अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए इस वर्ष 4152.70 और 77574 का भौतिक सत्यापन किया। ये सभी पिछड़े वर्ग का, विकलांगों का, समाज कल्याण, अल्पसंख्यकों का, महिला कल्याण का, सभी की बजटिंग में हमने बढ़ाकर ये व्यवस्था की, गत वर्ष महिलाओं को जो 1290.31 था वह इस वर्ष हमने 2578.16 और उसका भौतिकी हमने रू० 563279 रखा। श्रीमन्, इस तरह से हमारे प्रदेश के लाखों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ०बी०सी० के, विकलांगों के, विधवाओं के, महिलाओं सबके लाभ की अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलायी हैं। श्रीमन्, वर्ष 05-06 बजट में जो रू० 6.088 करोड़ की प्रदान थी, जबकि वर्ष 06-07 में इसमें सीधे बढ़ाकर 6.88 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इस तरह नयी योजना जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में कहा है, घोषणा की है, उसमें गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे उन भूमिहीनों को जिनके पास जमीन है, उनको मकान बनाने के लिए, रहने की व्यवस्था के लिए जमीन खरीद कर उनको मकान बनाने के लिए सरकार जमीन खरीदकर अपने पैसों से उनको भवन बनाने के लिए जमीन देगी। श्रीमन्, कोई प्रदेश में यह न कह सके कि हमारे पास रहने को आवास नहीं है, उस दृष्टिकोण से यह नई व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है।

प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों द्वारा इण्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लड़की को उसके नाम से 25 हजार का राष्ट्रीय बचत पत्र कन्या धन के रूप में उपलब्ध कराने की एक और क्रान्तिकारी योजना हमारी सरकार ने शुरू की है। श्रीमन्, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को अनुसूचित कल्याणकारी कार्यों के बेहतर संचालन हेतु पांच करोड़ की आर्थिक सहायता दी जायेगी। श्रीमन्, इस तरह गरीबी से नीचे रह रहे भूमिहीन अनुसूचित जाति, खेतिहर कृषकों के आर्थिक विकास के लिए, जो मैंने अभी जिक्र किया, हम अपने पैसे से जमीन खरीदकर उनको देंगे प्रदेश में। मैंने इस सबका श्रीमन्, उल्लेख किया है तो मैं समझता हूं इस प्रकार के इस क्रान्तिकारी बजट में जो समाज के गरीब तबके से जुड़ा है, समाज में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से जुड़ा है उनके प्रत्येक परिवार के, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक उस उपेक्षित व्यक्ति जो, महिला हो, विकलांग हो, दलित हो, उस सबके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक बहुत ही संकल्प और विश्वास के साथ एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। मैं समझता हूं, जिस बजट को प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि इतनी कल्याणकारी, अभूतपूर्व कल्याणकारी योजना जिस प्रदेश में चल रही हो आपको कहने को तो कुछ है नहीं, आप औपचारिकता निश्चित रूप से निभायेंगे, लेकिन कहीं तो अच्छे कार्यों में आपको कह देना चाहिए, हाथ खड़े करके, इतना अच्छा बजट है हम समर्थन करते हैं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो समाज कल्याण विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, जोकि एक बेहतर समाज बनाने के लिए है, यह अच्छी बात है। मान्यवर, जिस वर्ग की बात इस बजट के माध्यम से की गयी है, उसके उत्थान के बगैर एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मान्यवर, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया है इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य लोगों के कल्याण की, सुरक्षा की बात करेगा। मान्यवर, अर्थात समाज का जो वंचित, दबाकुचला वर्ग है, उसको विशेष प्राथमिकता देकर उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाय। मान्यवर, जब डा0 भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में संविधान बनाया तो संविधान के प्रारम्भ में ही इस वर्ग के उत्थान की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, भारतीय संविधान का पार्ट-3 है, जो मूल अधिकारों से सम्बन्धित है। पार्ट-4 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गयी है। मान्यवर, संविधान के आर्टिकल 45-46 बालकों के लिए शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की बात कही गयी है कि आर्थिक उन्नयन, सामाजिक अन्याय और किसी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। मान्यवर, आज भी इस समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं।

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह एक ऐसा विभाग
है जब हमारी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी थी तो सबसे पहले भी यह विभाग स्थापित
था। मान्यवर, तब से लेकर निरन्तर अलग-अलग नामों से यह विभाग चलता रहा।
मान्यवर, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मान्यवर, एक ओर आज जहां देश
को भी अग्रणी देशों की पंक्ति में सम्मिलित करने की बात की जाती है, वहीं देशों को
सम्मिलित होने की बात की जाती है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हमने आज तक कितनी
प्रगति की है ? इनने बातें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर यहां पर की हैं। मान्यवर, यह भी सत्य है
कि दुनिया के सबसे अधिक निरक्षर लोग हमारे देश में हैं। इसमें अधिकांश इन्हीं वर्ग
के लोग हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, विकलांग हैं।
मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया उसके उद्देश्य में
लिखा है कि उत्तरांचल में 2001 की जनगणना के आधार पर साक्षरता का सकल 72.28
प्रतिशत था, जिनमें पुरुषों का प्रतिशत, 84.01 तथा महिलाओं का 60.26 प्रतिशत है।
मान्यवर, कुल 84.89 लाख जनसंख्या में से अनुसूचित जाति 12.32 लाख तथा अनुसूचित
जनजाति 2.19 लाख है। मान्यवर, सरकार ने जिनके लिए यह बजट रखा है, यदि उनकी
शिक्षा के आंकड़ों को भी इसमें रखती तो यह अच्छा होता, परन्तु ऐसा नहीं है। मान्यवर,
विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों में छात्रवृत्ति योजनाएं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थानों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, विकलांग कर्मशालाओं, छात्रावासों, भिक्षुक गृहों, वृद्ध
एवं अशक्त आवास गृहों का संचालन तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति उत्पीड़न की
घटनाओं में त्वरित आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने की बात की है। मान्यवर, योजनाएं
तो अपनी जगह पर सही है लेकिन, इनको धरातल पर भी दिखना चाहिए। मान्यवर, कुछ
दिन पहले जब सत्र चल रहा था, इस दौरान मैं अपने क्षेत्र में गया था। एक अनुसूचित
जाति की बच्ची की शादी का सवाल था, लेकिन जब सहायता की आवश्यकता होती है
उस समय उनको सहायता नहीं मिलती है। मान्यवर, बजट आवंटन करना अलग बात है,
लेकिन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन भी तो करना चाहिए। इस दिशा में भी हमें ध्यान
देना होगा।

मान्यवर, तकनीकी रूप से मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा कम्प्यूटर मुक्त होने की
बात कही गयी है तो हमको इस तथ्य का संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो उनमें शिक्षा की
बात आती है तो वहां अरबी और उर्दू में शिक्षा दी जाती है तो ऐसे में जब तक हम
कम्प्यूटर शिक्षा डालेंगे नहीं तो उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पायेगा। मान्यवर, अनुसूचित
जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की छात्रवृत्ति की बात आई है तो
छात्रवृत्ति दी जाती है इसमें कई बार गड़बड़ियां आई हैं। खासतौर पर सरकारी मान्यता
प्राप्त प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें खामियां होती हैं इसमें आग्रह करूंगा कि
छात्रवृत्ति जिन लोगों के लिए है उनको मिलनी चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए।
मान्यवर, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन की दर को बढ़ा दिया है, लेकिन वह
सम्भवतः 6 माह एक साल के बाद मिलता है, तो यह जो लोग हैं जिनको पेंशन मिलती
है उनको कम से कम 2-3 माह में पेंशन उपलब्ध करायी जानी चाहिए। मान्यवर, इसी
तरह से वृद्धावस्था पेंशन में एक बात और है कि यह प्रबन्ध है कि जिनके बच्चे बालिग

हो जाते हैं तो उनको पेंशन में नहीं मानते हैं। आज स्थिति यह है कि जिनके बच्चे बालिग हैं पर वे बेरोजगार हैं और रोजगार नहीं हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनको भी मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में भवनों के निर्माण की बात कही गयी है, तो यह भवन का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? भौतिकी परिस्थिति क्या है, सड़क बनी है या नहीं यह देखना होगा। मान्यवर, सामुदायिक विकास बरात घर भवन के निर्माण के लिए धनराशि दी गयी है, लेकिन जहां पर लोगों के पास मकान नहीं है या जिनके मकान टूटे–फूटे हैं, उनको भी अनुदान में शामिल किया जाना चाहिए। मान्यवर, विकलांगों के लिए जो छात्रवृत्ति दी गयी है वह कम रखी गयी है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। मान्यवर, इण्टरमीडिएट लेवल पर और सिविल सर्विसेज की कोचिंग की बात कही गयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में किस स्तर की कोचिंग मिल रही है। यह भी देखना चाहिए। मान्यवर, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मान्यवर, भूतपूर्व सैनिकों की बात आई तो भूतपूर्व सैनिक हमारे प्रदेश में सैनिक बाहुल्य हैं और देश की सेवा की है तो सैनिक का जो होरिजेण्टल आरक्षण मिलता है वह कम है और जो भीरद होती है उसमें उनको लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए विकलांग आरक्षण की तरह विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। मान्यवर, अर्द्ध सैनिक बल को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सहयोग नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार उनके लिए भी विशेष योजनाएं बनायें। मान्यवर, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें योजना बनायें।

मान्यवर, इसमें कारगिल शहीद का जिक्र आया है मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि नैनीताल के राजेश, मेजर अधिकारी थे वे कारगिल में शहीद हुए थे उनकी शादी हो चुकी थी उनकी पत्नी तो चली गयी मगर उनकी माता जी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर भी विचार किया जाय। मान्यवर, जहां बजटिंग का आपने एक नया कन्सेप्ट दिया है अच्छी बात है। 2006–07 के लिए यहां पर घोषणा की गयी है कि यह वर्ष महिला सशक्तीकरण के रूप में मनाया जायेगा। अभी कल भी हाउस में जिन बातों का जिक्र हुआ उससे यह लगता है कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न की कार्यवाही लगातार बढ़ रही है। यह गौर करने की बात है एक तरफ तो हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं। मान्यवर, महिलाएं उत्तराखण्ड की अर्थ व्यवस्था की धुरी है। इसको हमें महिला सशक्तीकरण वर्ष में देखना होगा कि महिलाएं जिन चीजों का उत्पादन करती हैं उसके लिए उनको मार्केटिंग की सुविधा दी जाय। आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री के बारे में कहा अच्छी बात है उनकी सैलरी बढ़ाई जाय। उनके प्रमोशन के लिए जनपदवार सूची बनायी गयी उस पर अविलम्ब निर्णय होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि पांच अभिभाषण और पांचवा बजट है जिसमें हर बार अल्पसंख्यक के लिए हज कमेटी, हज बोर्ड गठन की बात की जाती है। मान्यवर, छात्रवृत्ति की बात कही गयी है कि दुगुनी कर दी गयी है। जनपद हरिद्वार में छात्रवृत्ति की स्थिति ऐसी है कि वहां पर 400 स्कूल हैं जिनमें छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है। दुगुनी तो क्या सिंगल भी नहीं मिल पायी है। इसमें उन्होंने 2 करोड़ 46 लाख की मांग की है, यह धरातल में तो नहीं है यह सिर्फ कागजों में है। मान्यवर, मैं हज कमेटी की बात कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के जो हज यात्री जाते हैं, जो यात्री गये थे उनको 31 नम्बर बिल्डिंग एलाट की गयी थी जिसको कि किसी प्रदेश ने नहीं उठाया उसे उत्तरांचल ने ले लिया वह उसी समय गिर गयी। मान्यवर, 15 दिन सउदी अरब में उन्होंने कैसे गुजारे होंगे। मान्यवर, वहां पर मक्खी और चूहे नहीं होते हैं फिर भी जो बिल्डिंग इन्हें दी गयी थी उसमें मक्खी और चूहे भी थे। बिल्कुल थर्ड क्लास बिल्डिंग में इन्हें ठहराया गया। उनका पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है, वहां पर हज यात्रियों को लूटा गया। मान्यवर, मैं बोर्ड का सदस्य भी हूं लेकिन मैं एक साल से मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं। इससे जनता में काफी आक्रोश है। मैंने पिछले वर्ष भी इसे नियम–58 में उठाया था, इसमें डी0एम0 द्वारा इन्क्वायरी भी हुई थी।.........

.........मान्यवर, लेकिन आज कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां की मीटिंग की प्रोसीडिंग भी बदल दी जाती है। कलियर में जो ठेके दिये गये हैं वे भी निष्पक्ष नहीं दिये गये हैं। ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड किसी की निजी प्रॉपर्टी बनकर रह गयी है। काफी सम्पत्ति इसकी बिक चुकी है, लेकिन इसके सदस्यों को कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि कलियर की व्यवस्था जिलाधिकारी, हरिद्वार को दी जाय। अनाधिकृत लोग बोर्ड की मीटिंगों में आ जाते हैं और कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मीटिंग में जाओ। इसीलिए मैंने इसकी मीटिंगों में ही जाना बन्द कर दिया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेले में दुकानें ब्लैक कर रहे हैं। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। वक्फ बोर्ड की काफी सम्पत्ति बिक चुकी है। पहले जो इसके सी0ओ0 थे वे काफी योग्य और ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन अब वे यू0पी0 चले गये हैं। अब जो नये सी0ओ0 आये हैं वे आज तक कलियर नहीं गये हैं। किसी डिप्लोमा करने वाले व्यक्ति को सी0ओ0 बनाकर बैठा दिया जायेगा तो क्या होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सी0ओ0, पी0सी0एस0 तो होना ही चाहिए।

समाज कल्याण की बात आई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तैयार किया गया है वह भ्रष्टाचार की चपेट में है। इससे दलितों का उत्थान होने वाला नहीं है। बछिया खरीद की एक योजना बनायी गयी है। ये बछिया कहां से खरीदी

जायेंगी और इनका दूध कहां बेचा जायेगा ? मान्यवर, दलितों के गांवों के लिए जो रोड बनायी जा रही है उसमें भी पैसे का दुरुपयोग ही अधिक हो रहा है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, और भी बहुत सी बातें हैं। मान्यवर, छात्रों की संख्या घट रही है और सरकार कह रही है कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम एजूकेशन मिशन भी भ्रष्टाचार की चपेट में है। स्कूलों में दो-दो कम्प्यूटर देने मात्र से मुस्लिमों का भला होने वाला नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि 2-3 अच्छे कालेज दे दिये जायें जिसमें उर्दू, फारसी आदि विषयों को भी पढ़ाया जावे। यह नहीं हो रहा है और इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग कार्य नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, इसमें पेंशन को दो गुना करने की बात की गयी है। यह बात यहां पर तो अच्छी लग रही है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। मान्यवर, विधवा पेंशन लेने के लिए दूसरी औरत को विधवा पेंशन लेने वाली की मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है या उसके बच्चे जवान होने तक का। आप इस पेंशन को तीन गुना कर दें, हमें इसमें एतराज नहीं है। लेकिन सभी विधवाओं को यह पेंशन मिलनी चाहिए और आजीवन मिलनी चाहिए। निर्धन दलित की लड़की की शादी के लिए 10 हजार रुपये की बात की गयी है।.........

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री सहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी , यह तो मंहगाई का जमाना है, 10 हजार से होता क्या है, इसे कम से कम 20 हजार तो करना ही चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31 कल्याण योजना से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप इस पर अपनी पूरी बात रख लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं नहीं बोलूंगा, मैं समय बचा रहा हूं लेकिन एक स्पष्टीकरण आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से लेना चाहता हूं, जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कि उन्हें वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं को पेंशन देने में कोई परेशानी नहीं है और समान रूप से पेंशन दे सकते हैं। तो वह मेरे प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर भाषण में देंगे और इसमें

संशोधन भी करेंगे कि आज उत्तरांचल में विधवा पेंशन की हालत बहुत खराब है। अगर किसी गांव में 10 विधवायें हैं और किसी कारण से एक विधवा का पद रिक्त हो जाता है तो ही दूसरी विधवा को पेंशन मिलेगी। 10 की 10 विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो हमारा कहना यह है कि सभी विधवाओं को समान रूप से पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। जब एक पद रिक्त होगा और तभी दूसरी को पेंशन मिलेगी तो यह बात सही नहीं है। माननीय मंत्री जी इसमें संशोधन करें या आप विभाग से पूछें मैं अगर गलत कह रहा हूं तो इसका स्पष्टीकरण मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में दे दें। लेकिन मेरी स्पष्ट जानकारी है आज तक की यही स्थिति है, आज तो ई गवर्नेंस का जमाना है। मंत्री जी अभी बाहर जाकर फोन करके किसी भी जिले से समाज कल्याण अधिकारी से पूछें कि उत्तरांचल में विधवा पेंशन की क्या स्थिति है तो आपको यही जवाब मिलेगा जो मैंने बताया है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि विधवा पेंशन की हालत आज बहुत खराब हो गयी है, हमारे प्रदेश में। बहुत मुश्किल से पीड़ितों को इसका लाभ मिल पा रहा है। मान्यवर, अगर कोई विधवा 80 साल की गयी तो अन्य को उसकी मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि इसे सही किया जाय और सभी को समान रूप से पेंशन की व्यवस्था की जाय।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने समाज कल्याण के लिए बजट में कल्याणकारी योजनाओं को शामिल कर समाज के विभिन्न तबकों की भलाई का कार्य किया है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कुछ वर्ष पूर्व तक की व्यवस्था थी विधवा पेंशन की, उसके लिए सरकार ने सही निर्णय लिया और विधवाओं को, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन जब दुर्घटनावश कोई महिला विधवा हो जाती है तो उनके लिए विधवा पेंशन की व्यवस्था की गयी तथा उसे दोगुना भी किया गया। इसके अलावा निराश्रित लोगों, पिछड़ों के लिए 400 रुपये की बढ़ोत्तरी की है उसके लिए भी मैं सरकार को साधुवाद देता हूं।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में इस प्रदेश के मुखिया पण्डित नारायण दत्त तिवारी ने बहुत सराहनीय काम किया है। अनुसूचित जाति के जो भूमिहीन किसान हैं, उनके लिए कृषि हेतु भूमि क्रय करने की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों को इण्टरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राष्ट्रीय बचत पत्र कन्या धन के रूप में 25 हजार रुपया देने की घोषणा की गयी है। मान्यवर, हमारे यहां बहुत से परिवार ऐसे हैं, जो अपनी लड़कियों को इण्टरमीडियट के आगे शिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं। इस दिशा में यह सराहनीय काम हमारी सरकार ने किया है। इसमें एक मुख्य बात नजर आयी। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में सिख समुदाय के छिलगिरि जाति के

लोग रहते हैं। ये लोग छुरी में धार रखने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 250 के लगभग होगी। इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस वर्ग के लोगों को भी लाभ देने का प्रयास करें। इस प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के सारे लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। मान्यवर, एक पहलू और है। जिन बच्चों के मां–बाप मर जाते हैं, जो अनाथ हो जाते हैं, 10 साल, 12 साल, 4 महीने या 10 महीने में जिनके मां–बाप मर जाते हैं, उनके भरण–पोषण के लिए उनको शिक्षा देने के लिए, उनको जीवन निर्वाह के लिए और उनको रोजगार देने के लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसे बच्चों को लाभान्वित करे। मान्यवर, बजट में विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु धन की व्यवस्था की गयी है और इस योजना से 200 विधवाओं को लाभान्वित किये जाने की बात कही गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह संख्या बहुत कम है। विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनको अपनी लड़कियों की शादी करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सरकार ने 200 विधवाओं को लाभान्वित करने का जो लक्ष्य रखा है, इसको बढ़ाकर 2000 किया जाना चाहिए। ताकि अधिक से अधिक विधवाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। आंगनबाड़ी के क्षेत्र में सरकार ने जो नीति बनायी है, वह सराहनीय है। मान्यवर, मैंने अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत करा दिया है। आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं।

* श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उसने जनजाति निदेशालय की स्थापना की। जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन हो गया है। 64 लाख के थारू विकास भवन का निर्माण होगा। इस प्रकार थारू जाति के लिए भी आपने सराहनीय काम किया है। मान्यवर, मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं। एक ओर तो हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और दूसरी ओर इस तरह के नाम वाले विद्यालय हमारे यहां चल रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इनका नाम बदल कर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तरह कुछ और रखा जाय। मैं बताना चाहता हूं कि आश्रम पद्धति विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, उनको शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। ये शिक्षक समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं।

मान्यवर, किन्तु उनको वेतन कम दिया जा रहा है। उनका वेतन शिक्षा विभाग के अध्यापकों के बराबर किया जाय। माननीय अध्यक्ष, मेरा सुझाव है कि आज प्रत्येक गांव में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक प्राइमरी विद्यालय बहुत से हैं। कक्षा 1 से कक्षा–5 को समाप्त कर उनमें कक्षा 6 से कक्षा–12 तक की शिक्षा को इसमें जोड़ा जाय। खटीमा राजकीय बालिका आश्रम पद्धति का जो विद्यालय है उसके लिए वहां पर भूमि न उपलब्ध होने की बात कही गयी है। जब कि वहां पर एक सौ बीघा का सरकारी बाग उपलब्ध हो चुका

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है किन्तु उसमें बालिका विद्यालय भवन के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, बिठोरा में भी एक करोड़ पच्चीस लाख का भवन बनकर तैयार है। पुराना भवन खाली होने जा रहा है। मेरा आग्रह है कि पुराने भवन में बालिकाओं के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय और नये भवन में बालकों के लिए स्कूल चलाया जाय। मान्यवर, आई0टी0आई0 नये क्षेत्रों में तो खोल दिये गये हैं किन्तु उनमें अनुदेशक नहीं हैं, जब अनुदेशक नहीं हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ट्राइबल सब प्लान में और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की जो बैठकें होती हैं उनमें विधायकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनकी सलाह ली जानी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

* श्री तसलीम अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से बहुत सी बातें इस बजट में अनुसूचित जाति, जनजातियों के कल्याण के लिए कही गई हैं। मान्यवर, पूर्व में पिछड़ी जातियों को आरक्षण 27 प्रतिशत दिया जाता था किन्तु उत्तरांचल में मात्र 14 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाता है। पिछड़ी जातियों में गोरखा और जाट आदि जातियों को सम्मिलित किया गया है किन्तु उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके कोटे को नहीं बढ़ाया गया है और बजट भी उसके अनुरूप नहीं है तो मान्यवर, इससे पिछड़ी जातियों का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, अनुसूचित जातियों के लोगों को उनकी पुत्री की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। जब उनकी शादी हो जाती है तब तक भी उनको अनुदान नहीं मिल पाता है। अनुदान की राशि शादी के छः-छः माह और साल-साल भर के बाद मिलती है। जबकि उनके परिवार को उसकी जरूरत शादी के समय अधिक होती है। यह अनुदान की राशि भी मात्र दस हजार रुपये है। आजकल के जमाने के हिसाब से यह राशि बहुत कम है। अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए लोग समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं। जितने आवेदन समाज कल्याण विभाग को प्राप्त होते हैं उनमें से मात्र 10 प्रतिशत लोगों को ही अनुदान की राशि प्राप्त हो पाती है। 90 प्रतिशत लोग अनुदान से वंचित रह जाते हैं। वे बार-बार समाज कल्याण कार्यालय में अनुदान प्राप्त करने के लिए साल भर तक भटकते रहते हैं। साल भर बाद उन्हें विभाग द्वारा बताया जाता है कि बुलट आया था उसमें धन आवंटित कर दिया। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि यह अनुदान की राशि शादी की तारीख तय होते ही उन परिवारों को मुहैया करा दी जाय जो प्रार्थना-पत्र भरते हैं।

मान्यवर, ताकि उन्हें समय पर खर्च किया जा सके और उन लोगों का भला हो सके, जिनके लिए इसका प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इस कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं कि इस कमेटी में हाजियों को परेशान किया जा रहा है। मान्यवर, इसका चेयरमैन इम्पलाइड है, जो आम जनता की बात को ठीक ढंग से नहीं सुनता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं इसका चेयरमैन कोई नलकलिमिधि हो जो आम जनता की तकलीफों को समझ सके।

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बात आ चुकी है।

नोट-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, जो जनता के हित में कार्य नहीं करता है, उसे निकालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मैं बजट भाषण पर बोल रहा था तो उस समय मैंने अपनी बात रखी थी कि अनुसूचित जाति की छात्राओं को जो, गरीबी की रेखा से नीचे के हैं, उनको इंटर की परीक्षा पास करने पर 25000 रु० का कन्या धन प्रदान किया जाय। इस सम्बन्ध में, इस बजट में 25000 रु० का प्राविधान किया गया है। सरकार को मैं बधाई देता हूं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने दूसरा प्रपोजल रखा था कि अनुसूचित जाति के जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि खरीदने के लिए भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में सरकार ने व्यवस्था कर दी है, इसके लिए भी बधाई है। मान्यवर, मैं दो–तीन बिन्दुओं पर सरकार को सजेशन देना चाहता हूं कि उत्तरांचल समाज कल्याण विभाग के बजट में पेज चार में जो पांचवा बिन्दु है कि समाज कल्याण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं दलित कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है। मान्यवर, इन वर्गों के लोगों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करायी जाय और समाज के दूसरे वर्गों के बराबरी पर इनको हमें लाना होगा, तभी इनका भला होगा और प्रदेश का भी भला हो सकता है।

मान्यवर, ऐसी गाईड लाइंस है जैसा कि माननीय सदस्य राणा जी ने कहा है कि समाज कल्याण विभाग ने, प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार ने समाज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालयों और राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को स्थापित किया है, ठीक उसी तरह से इन जातियों के लोगों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना प्रत्येक जनपद में की जाय। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छः आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मान्यवर, सरकार कमिटेड है। मान्यवर, एस०पी०सी० योजनान्तर्गत साढ़े सात करोड़ रु० का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, जैसे शिक्षा विभाग राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चला रहा है ठीक इसी तरह से आश्रम पद्धति विद्यालयों की जिम्मेदारी भी शिक्षा विभाग को लेनी चाहिए और शिक्षा विभाग को अनुसूचित जाति के बच्चों के उत्थान का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। मान्यवर, जो आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्यापक हैं उनका वेतन शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में बहुत कम है। मान्यवर, इस असमानता को भी दूर किया जाना चाहिए। मान्यवर, इनका लम्बे समय तक प्रमोशन नहीं हो रहा है। मान्यवर, मेरा

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुझाव है कि राज्य में स्व० श्री दयानन्द भारती एवं श्री खुशीराम जी के नाम से इन जातियों के बच्चों के लिए स्कूलों का गठन होना चाहिए तथा इन विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग को करना चाहिए। इस तरह शिक्षा विभाग व समाज कल्याण के द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा शर्तों में असमानता भी दूर हो सकेगी। मान्यवर, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक विद्यालयों के बारे में कहना चाहता हूं कि वे भी एस०सी०पी० और टी०एस०पी० से पैसा विद्यालय संचालन के लिए मांग रहे हैं, इनके द्वारा भी खुद इन संस्थानों का संचालन होना चाहिए।

मान्यवर, पॉलिटेक्निक आई०टी०आई० भी हमारे तकनीकी विभाग खुद संचालित करें जिससे कि हमेशा वहां के विद्यार्थी प्रगति के दौर में आगे बढ़े। मान्यवर, 2005-06 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उस बजट भाषण के 73 पेज में है कि "अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए एक विशिष्ट छात्रवृत्ति योजना तथा एम०फिल और पी०एच०डी० के लिए राजीव गांधी फैलोशिप आरम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्त प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन कर अधिकाधिक छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।" मान्यवर, केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे देश में चाहे प्राइवेट इन्स्टीट्यूट हो, चाहे सरकारी इन्स्टीट्यूट हो, उनको गुणवत्ता के केन्द्र के रूप में चिन्हित किया जायेगा तथा इन संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की फीस तथा आवास व भोजन का खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी तथा इसी तरह एम०फिल० व पी०एच०डी० करने वाले छात्रों के लिए यू०जी०सी० के पैटर्न पर राजीव गांधी फैलोशिप प्रदान की जायेगी। मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि इसी योजना को राज्य सरकार भी स्वीकार करे। मान्यवर, मैं आभारी हूं कि उन्होंने बजट में इसका प्रस्ताव किया लेकिन फॉलोआन का बजट में प्राविधान नहीं हुआ तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको भी करें, जिससे केन्द्र की योजना का लाभ ले सकें। मान्यवर, आज जब प्राइवेट संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, सरकार भी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों आदि संस्थाओं को परमिट कर रही है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो 20-30 लाख रुपये शुल्क नहीं दे सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक्सिलेंस के अनुसार उनकी फीस को राज्य सरकार वहन करे। मान्यवर, पैसे की व्यवस्था एस०सी०पी०, टी०एस०पी० के माध्यम से की जाय।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप टम्टा-

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े थे तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट-

मान्यवर, माननीय जंतवाल जी, माननीय टम्टा जी, माननीय अजय भट्ट जी, माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी, माननीय राणा जी ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। मैं

उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और जो महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किये हैं उन पर ध्यान आकर्षित करता हूं। मान्यवर, माननीय जसपाल जी ने पैरामेडिकल कोर्स के लिए कहा तो इस दिशा में भारत सरकार से अनुरोध किया। मान्यवर, कारगिल पेंशन के लिए मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से मासिक पेंशन रु0 2500 व 5000 की है। मान्यवर, नौजवानों की नई शादी हुई थी तो उन शहीदों की पत्नियां पैसा लेकर अपने माता–पिता के पास चली गई पैसा शहीदों के माता–पिता को नहीं मिला तो उस पर भारत सरकार ने चिन्ता की, उस पर विचार चल रहा है। मान्यवर, आपने कहा तो मैं सम्बन्धित विभाग को कहूंगा कि इस पर विचार करें।

मान्यवर एम0सी0एस0टी0 के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र खोले थे जो कि पी0सी0एस0 परीक्षा के कोचिंग सेन्टर थे जिसने उनको सफलता प्राप्त हुई है। इस दिशा में हम लोग और काम कर रहे हैं। मान्यवर, अभी जो माननीय टम्टा जी उल्लेख कर रहे थे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे तकनीकी शिक्षा में 20 प्रतिशत आरक्षण छात्राओं के लिए है। छात्राओं को आगे बढ़ाये, पॉलिटेक्निक में 3–3 बार काउन्सिलिंग करनी पड़ रही है, इनके लिए समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। महिला उद्यमियों के लिए मार्केटिंग की बात आयी थी इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही है। पेंशन के सम्बन्ध में माननीय भट्ट जी ने कहा कि एक वृद्धा मरेगी तो दूसरी को मिलेगी। यह सब आपके शासनकाल में था। हमने इसको दूर कर बजट में आवश्यक प्राविधान किया है। चाहे वह विकलांग हो, वृद्धा हो जो पात्र व्यक्तियों को शत–प्रतिशत मिलेगा। वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा हुई इसमें अंग्रेजी और हिन्दी में दिक्कत आयेगी उसमें उर्दू में व्यवस्था की जा रही है। इसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा। उसमें जो भी संशोधन होगा वह कर दिया जायेगा।

हज यात्रियों के लिए हाउस निर्माण की बात कही गयी थी, इसका निर्माण किया जा रहा है इसके लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पिरान कलियर में इसकी व्यवस्था कर दी गयी है। विद्यालयों के उच्चीकरण की बात आई थी इसमें सभी विद्यालयों के उच्चीकरण की कार्यवाही गतिमान है। मान्यवर, आपने हज यात्रियों के संबंध में बात कहीं, इस पर ध्यान दिया जायेगा कि आगे इस तरह की परेशानी उन्हें न हो। मान्यवर, अध्यापकों को पे कमीशन का वेतन दिये जाने की बात थी वह उन्हें दिया जा रहा है, कहीं नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें दिया जायेगा। मान्यवर, कुछ आई0टी0आई0 समाज कल्याण विभाग के चल रहे हैं, उनको भी देखा जायेगा। हमारे सभी साथियों ने अच्छे सुझाव दिये।.........

.........मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, बछिया पालन में उच्च स्तरीय जांच करवा दें। किसी की बछिया दूध नहीं दे रही है। (व्यवधान)

* श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि छात्रवृत्ति के लिए मासिक आय की सीमा 2500 रुपये रखी गयी है, इसे पांच हजार प्रतिमाह कर दिया जाये। क्योंकि एक हजार रुपये तो श्रम विभाग ने लेबर की मासिक मजदूरी तय की है। इसलिए कम से कम पांच हजार रुपये मासिक आय का प्राविधान कर दिया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय विधायक श्री गगन सिंह जी अनुसूचित जनजाति के जिस समुदाय से आते हैं उन्होंने आम बजट में इस पर चिंता भी व्यक्त की थी कि उस जाति की जनसंख्या निरन्तर घट रही है। लेकिन इसका कोई उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है। क्या उनके संवर्धन के लिए ये कम से कम भुखमरी से न मरे, बीमारी से न मरें इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने, सज्जाद जी ने दो बातों की ओर चिंता व्यक्त की है। आपने बधिया की बात कही। इसमें यह देखना होगा कि वह इस विभाग के अन्तर्गत आता है या नहीं। आप इसे लिखकर दे दें मैं दिखवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं सदन में कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

* श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, 10 में से 2 गांव ठीक हैं और 8 ठीक नहीं हैं। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जो काम किये जा रहे हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। मालधन चौड़ में मैंने एक स्कूल को चेक किया, 29 तारीख तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी थी। पिथौरागढ़ में भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए ऐसे प्रकरणों में सख्ती से जांच होनी चाहिए। निर्माण कार्य की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि कहीं–कहीं ठीक प्रकार से निर्माण कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं सिर्फ चार सुझाव देना चाहता हूं कक्षा–1 से लेकर इण्टर तक के जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनके लिए बीमा पॉलिसी होनी चाहिए और उसका प्रीमियम समाज कल्याण विभाग को देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

और आपका दूसरा सुझाव क्या है ?

नोट–* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, दूसरा सुझाव मेरा है कि सरकार प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करायें क्योंकि दूर–दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो वहां पर उन्हें रहने के लिए कमरा आदि की आवश्यकता रहती है तो वहां पर इन बच्चों के लिए छात्रावास होने चाहिए। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आई०टी०आई० होने चाहिए और वहां पर उनको औद्योगिक प्रशिक्षण के साथ ही जो उनके परम्परागत उद्योग हैं उनका प्रशिक्षण मिलना चाहिए। चौथा सुझाव मेरा है कि जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की 30 प्रतिशत आबादी है वहां पर उनके लिए बारातघर का निर्माण कराया जाना चाहिए। ताकि जो बारात और सामाजिक कार्य है वे वहां पर कर सकें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मैंने पहले कहा था कि शिल्पकारी जाति को अनुसूचित जाति में रखने के लिए तो उन्होंने उसके लिए भारत सरकार को लिखा है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात और है कि समाज में वह बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके मां–बाप मर गये हैं, उनकी पढ़ाई आदि की व्यवस्था नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में भी कोई कार्यवाही करे।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारे माननीय विधायक श्री शहजाद जी ने 400 विद्यालयों में वजीफा न मिलने की बात की है तो इस संबंध में तत्काल ही जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया जायेगा कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दें। वजीफे के लिए विभाग से धन की कोई कमी नहीं है और न होने दी जायेगी। दूसरी बात उन्होंने और माननीय राम प्रसाद टम्टा जी ने कही बछिया पालन के संबंध में इसकी जांच करा ली जायेगी, विभाग के जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनके माध्यम से जांच कराई जायेगी। (व्यवधान)

मान्यवर, इसमें भी जिलाधिकारी के माध्यम से जांच रिपोर्ट मंगा लेंगे। हमारे साथी मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने भी एक अच्छा प्रश्न किया कि जो अनाथ बच्चे हैं जिनके मां–बाप मर गये हैं निश्चित रूप से उनके विकास के लिए, पढ़ाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, श्री महेन्द्र भट्ट के सुझावों पर भी उत्तर दे दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इनके सुझावों में तो टकराव हो रहा है। अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं कि जो उनके आई०टी०आई० हैं, उनकी व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ब्लाक में इन्हें खोला जाय।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैंने कहा कि जिला मुख्यालय में आई०टी०आई० खोले जाने चाहिए और वहां पर इनके परम्परागत उद्योगों के साथ–साथ अन्य व्यावसायिक ट्रेड भी खोले जायें। दूसरी बात मैंने कही थी कि प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनने चाहिए। क्योंकि हर जगह तो स्कूल नहीं है और इन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ब्लाक मुख्यालय पर यदि छात्रावास होंगे तो इन्हें बहुत सुविधा होगी। मेरा एक और सुझाव यह था कि जहां पर इनकी 30 प्रतिशत आबादी है वहां पर एक बारात घर बनाया जाना चाहिए ताकि वे लोग अपने सामाजिक कार्य वहां पर कर सकें। एक और मेरा सुझाव था कि कक्षा 1 से इन्टर तक के अनुसूचित जाति के बच्चों का बीमा होना चाहिए। जिसका प्रीमियम सरकार दे और जब वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाहर जाय तो एकमुश्त धनराशि उसे दे दी जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने श्री विधवा पेंशन के बारे में पूछा था।.........

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारी सरकार ने सभी विधवाओं और वृद्धों को समान मिलेगी। आपके समय में जो हुआ था उसमें संशोधन करके यह व्यवस्था की है कि सबको समान रूप से पेंशन मिले। इससे अब किसी को शिकायत नहीं मिलेगी।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मेरा कहना है कि छात्रावास तो आप बना ही रहे हैं।..........

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो बातें स्वीकार करने योग्य हैं, उनको स्वीकार किया जायेगा और जो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जायेगा। आप ब्लाक स्तर की बात कर रहे हैं। हम ब्लाक स्तर पर आई०टी०आई० खोल रहे हैं।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आई०टी०आई० की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग वहां पर पढ़ते हैं, उनको रहने की प्रॉब्लम होती है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा।

श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, अनुसूचित जनजाति का रोस्टर में 24वां स्थान है। आपने इसमें कुछ जातियां और बढ़ाई है। क्या इनको आगे लाने की कोई योजना सरकार की है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह जनसंख्या के आधार पर होता है। इसमें नयी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। मैं माननीय जन्तवाल जी से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए इस बजट में काफी प्राविधान किया गया है। इससे इन जातियों का विकास अवश्य होगा। इसलिए आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैंने और हमारे साथियों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से जो बातें रखीं उन पर माननीय मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। स्पेशल कम्पोनेन्ट के मुखिया ने भी इस बजट से नाराजगी जाहिर की है। इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1484471 हजार (एक सौ अड़तालिस करोड़ चौवालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 7290480 हजार (सात सौ उन्तीस करोड़ चार लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1364872 हजार (एक सौ छत्तीस करोड़ छियालिस लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 338516 हजार (तैंतीस करोड़ पैंसठ लाख सोलह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सहकारिता विभाग के संगठन का दृष्टिकोण राज्य के विभिन्न अंचलों के निर्बल वर्गों को समृद्धशाली बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया जा रहा है। मान्यवर, प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण वितरण, खाद, बीज वितरण कीटनाशक, रसायन व दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को करायी जा रही है। केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों से उत्तरांचल के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में निरन्तर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाती है, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भेषज संघों के माध्यम से जड़ी–बूटी कृषिकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। जिसके तहत नर्सरीज स्थापित कर जड़ी–बूटी के बीज पौध कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उत्तरांचल

प्रदेश में कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को फसली ऋण एवं निवेशों को उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को नवीनतम सूचना, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इफ्को के सौजन्य से राज्य में 70 सहकारी किसान सूचना केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में इफ्को के प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2006—07 में 150 किसान सूचना केन्द्र स्थापित किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति भी दे दी गयी है। इन सूचना केन्द्रों को स्थापित करने में होने वाले व्यय का 90 प्रतिशत इफ्को द्वारा वहन किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत सम्बन्धित सहकारी समिति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार भी अपना वित्तीय सहयोग करेगी। मान्यवर, उत्तरांचल देश का पहला राज्य है जिसमें वित्तीय वर्ष 2005—2006 में प्रारम्भ की गई सहकारी सहभागिता योजना जिसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को कृषि ऋण 5 प्रतिशत साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है, को वर्ष 2006—07 में भी जारी रखा जायेगा। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा सहकारी सहभागिता योजना के अनुरूप अपने बजट अभिभाषण में वर्ष 2005—06 में रु0 1.00 लाख तक फसली ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है जिसके लिए 2 प्रतिशत के अनुदान का प्राविधान भारत सरकार ने किया है। वर्ष 2006—07 में 3.00 लाख तक का फसली ऋण 07 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार की उपरोक्त सुविधा उत्तरांचल राज्य के समस्त किसानों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य में वित्तीय वर्ष 2004—05 से प्रारम्भ नारायण कृषक कल्याण योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगी। राज्य में सहकारिताओं को स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से गठित उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अब तक कुल 409 सहकारिताओं को निबन्धन किया गया है। मान्यवर, सहकारी समितियों में माह मार्च, 2006 तक 433 मिनी बैंक कार्यरत हैं, भविष्य में सभी सहकारी समितियों में चरणबद्ध रूप से मिनी बैंक स्थापित किये जायेंगे।

पी0सी0एफ0, उ0 प्र0 एवं उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ के मध्य कार्मिकों एवं परिसम्पत्तियों का बंटवारा सैद्धान्तिक रूप से कर लिया गया है। ड्रग फैक्ट्री रानीखेत द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन कर दिया गया है। ड्रग फैक्ट्री के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु रु0 237.60 लाख की कार्य योजना तैयार की गयी है। इस हेतु प्रथम किश्त के रूप में 118.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा संचालित योजना के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के गोदाम निर्माण, गोदाम मरम्मत, व्यवसाय वृद्धि आदि हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से ऋण, अंशपूंजी एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है इसी के तहत वर्तमान में 6 जनपदों हरिद्वार, चमोली, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक में कुल रु0 सोलह लाख के बजट का

नोट—* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इस हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में कुल रू0 1600 लाख का बजट प्राविधान किया गया और वित्तीय वर्ष 2006–07 में आय–व्ययक में कुल रू0 1600 लाख का बजट प्रस्तावित है।

मान्यवर, सहकारी ऋण संस्थाओं में अंशपूंजी विनियोजन नाबार्ड योजना के अन्तर्गत नाबार्ड सहकारी ऋण समितियों को व्यवसाय वृद्धि हेतु राज्य सरकार की सहमति से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में कुल रू0 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में कुल रू0 200 लाख का बजट का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, सहकारिता विभाग द्वारा पैट्रोल पम्प भी संचालित किये जा रहे हैं, जिससे काश्तकार एवं कृषक लाभान्वित होंगे। मान्यवर, लघु एवं सीमान्त कृषक सदस्य हेतु वैयक्तिक दुर्घटना बीमा "नारायण कृषक कवच" योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने हेतु नारायण कृषक कवच योजना आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड के सहयोग से राज्य सरकार के माध्यम से चलायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में कुल रू0 47.50 लाख का प्राविधान किया गया। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में कुल रू0 47.50 का बजट प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। सहकारिता के माध्यम से छोटे किसानों से गेहूं, धान खरीदा गया, इसका लाभ सोसाइटियों को भी मिला, जो घाटे में चल रही थी। मान्यवर सहकारिता एक बहुत बड़ा आन्दोलन है, इसके माध्यम से बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भी मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बजट भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–15, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया है कि सहकारिता एक आन्दोलन है। मान्यवर, यहां पर जो बजट भाषण पढ़ा गया है उससे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है कि यह प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा सकता है। मान्यवर, उत्तरांचल के विकास में सहकारिता एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से यहां की महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में अग्रसित किया जा सकता है, परन्तु विभागीय नीतियों और सरकार की मंशा से ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। मान्यवर, इतना बड़ा सहकारिता विभाग है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन चल रहा है और इस दिशा में सरकार द्वारा अभूतपूर्व कार्य किये जा रहे हैं, यह इस बजट के तीन पृष्ठों के भाषण से पता चलता है कि यह सरकार इसके प्रति कितनी संवेदनशील है। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विभाग है।

..........मान्यवर, इसके माध्यम से हम जन-जन तक विकास का आयाम स्थापित कर सकते हैं, तथा उत्तरांचल की महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं, लेकिन इस ओर सरकार का रूख संतोषजनक नहीं लगता है। मान्यवर, क्षेत्र की प्रगति सहकारिता के माध्यम से होनी चाहिए थी वह प्रगति नजर नहीं आ रही है। मान्यवर, जब यह बजट माननीय मंत्री जी पढ़ रहे थे तो मैं गम्भीरता से देख रही थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी समितियां जो कि मैं समझती हूं कि पूरे उत्तरांचल में अधिकांश समितियां घाटे मे चल रही है और उसका कारण है कि हम सहकारी समितियों का गठन तो कर लेते हैं लेकिन उन समितियों के द्वारा हमको किस प्रकार के कार्यकलापों का फायदा लेना चाहिए। मान्यवर, जब चुनाव का दौर रहता है तो लगता है कि वास्तव में सहकारिता का आन्दोलन हमारे प्रदेश में होने जा रहा है, सहकारिता आन्दोलन से पता नहीं हम प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पता चलता है कि उसका कोई महत्व नहीं है, तो हम कहां और किस प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति की बात कर रहे हैं और समितियों के घाटे में जाने का यही कारण है। अगर समय पर समितियों की बैठक हो, जो ऋण वितरण किया जा रहा है, उस ऋण के संदर्भ में हम स्थानीय जनता का सहयोग लेकर यह कहें कि कितना ऋण वितरण किया है, कितना ऋण वापस हुआ है, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है और आज कारण है कि अधिकांश समितियां घाटे में चल रही हैं हम इन बैंकों को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता के माध्यम से हम कई महत्वपूर्ण कार्य अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। अभी मैं इस बजट पुस्तिका में देख रही थी कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी सहकारिता विभाग के द्वारा कार्यक्रम किये जा रहे हैं और उनको ऋण वितरण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बजट पुस्तिका में नहीं कहा है कि ऋण वितरण की बात हमने स्वयं सहायता समूह जिनको हमने ऋण वितरण किया है, उनको लाभ दिया है, ऋण वितरण करने के बाद प्रगति क्या हुई है ? कितना ऋण वितरण किया है ? क्या गांव में योजना स्थापित की गयी है और किस प्रकार से उस ऋण से प्रगति कर रहे हैं ? मान्यवर, स्वयं सहायता समूहों का जो कार्य गांव में चल रहा है तो केवल 10 रुपया जमा करना है तो उस 10 रुपये जमा करने के पीछे यह मंशा रही होगी कि आप रोजगार स्थापित करेंगे। जड़ी-बूटी, सब्जी, दुग्ध उत्पादन करेंगे। अपने गांव में अपनी रोजगारपरक योजना स्थापित करके अपनी स्वयं की आर्थिक स्थिति को, महिला को सबल बनाने की बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे यह उद्देश्य था जो हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सबल बनायें, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। मान्यवर, कुछ समूहों के नाम विभाग द्वारा जरूर आते हैं, जो स्वयं अपनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, जहां पर सब्जी उत्पादन करती हैं वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें। इससे हम महिलाओं का सबल बना सकते हैं लेकिन अब तक सही मायने में नहीं कह सकते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मान्यवर, हम लोग महिलाओं के बीच में रहते हैं हमने किसी को यह कहते नहीं सुना कि उन्होंने अपने दुग्ध उत्पादन या सब्जी उत्पादन से इतनी आय प्राप्त की है। आज भी वह

महिला 10 रुपये घर से लेकर प्रत्येक महीने के खाते में जमा करती है। मान्यवर हमारा प्रदेश प्रगति की ओर नहीं जा रहा है।

जड़ी–बूटियों के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र केदारनाथ है। वहां की जो भूमि है वह बहुत ही अच्छी है वहां पर जड़ी–बूटी उगाकर वहां के किसानों को लाभ दे सकते हैं, उसका निदेशालय गोपेश्वर में है। मैं कहना चाहती हूं कि उस निदेशालय द्वारा क्या–क्या कार्य किया जा रहा है ? कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकार के पास नहीं है। कुछ बागान जरूर डेवलप किये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं और माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव भी है, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की इतनी भूमि बंजर पड़ी है कि उस जमीन पर जड़ी–बूटी का रोपण करके उन किसानों को इससे फायदा दे सकते हैं लेकिन इस ओर प्रभावशाली लोगों के चंगुल में फंस कर सरकार ऐसे ही लोगों की पट्टानीकरण और कुर्कीकरण की योजना वितरित कर रही है जिससे बहुत अधिक मात्रा में धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसानों द्वारा बार–बार यह बात उठायी जा रही है कि हम इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। वह जमीन आज भी बंजर पड़ी है। सरकार कह रही है कि हम इस क्षेत्र में बहुत लाभ दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं समितियों की बात कहना चाहती हूं। उनमें कर्मचारियों की कमी है। इस बजट में कहीं भी यह नहीं आया कि हम कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। कैडर सचिवों को हम नियुक्त करेंगे, सहायक अमीन की हम नियुक्ति करेंगे। इस प्रकार कर्मचारियों की कमी विभाग में है। इसी प्रकार सहकारिता के बैंक चल रहे हैं। आज इस प्रदेश में सहकारिता विभाग की दोहरी नीति चल रही है। मैदानी क्षेत्र में सचिवों के साथ कुछ और व्यवहार किया जाता है और पर्वतीय क्षेत्र में कुछ और व्यवहार किया जाता है। दोहरी नीति का दण्ड हमारे पर्वतीय सचिवों को दिया जा रहा है। मान्यवर, पंचम वेतन का लाभ भी हमारे पर्वतीय कैडर में सचिवों को नहीं दिया गया है। मान्यवर, उनका मनोबल टूट रहा है और इसी कारण जो हमारे यहां की समितियां हैं वे घाटे में चल रही हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक नीति अपनायी जाये उनको इस प्रकार प्रताड़ित न किया जाय कि कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। एक प्रदेश में एक नीति लागू हो यह मैं अपेक्षा करूंगी। माननीय अध्यक्ष जी, कई गांव ऐसे हैं जहां माल्टा, चौलाई, सोयाबीन जैसी महत्वपूर्ण फसलें उगायी जाती हैं लेकिन इनके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे गांवों में दवाओं की भी व्यवस्था की जाय। अभी आयुर्वेद की बात आयी थी। काफी महत्वपूर्ण जड़ी–बूटियां हमारे गांवों में पैदा होती हैं। मैं चाहूंगी कि इन गांवों में स्वयं सहायता समूह बनाकर उनकी आय को बढ़ाने के लिए वहां पर प्रशिक्षण दें और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाय।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या–18 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या–18

का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि साधन समितियों के जो सचिव हैं वे पिछली 20 मार्च से आन्दोलन की राह पर हैं और जो समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धान्त है उसके आधार पर पूरे उत्तरांचल में 3 जनपदों के जो सचिव हैं उनको पंचम वेतनमान दिया गया है और पर्वतीय क्षेत्र में जो तैनात हैं 10 जनपदों में उनको इससे वंचित कर दिया गया है। वे मिनी बैंक भी देख रहे हैं और वसूली का काम भी देख रहे हैं और लगातार हर जगह काम करने में सबसे आगे रहते हैं वे जिन्दगी में सबसे पीछे हो गये हैं। जिन माननीय सदस्या ने यहां पर कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनके जमाने में जब वे सत्ता में थे। एक जनवरी, 1996 से पंचम वेतनमान दिया गया है सिर्फ 3 जिलों को, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के 10 जिलों को छोड़ दिया गया। मान्यवर, जो इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है ? पर्वतीय क्षेत्र के 10 जनपदों के साधन सचिवों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बारे में वह निर्णय करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीया आशा नौटियाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा और माननीय बलवीर सिंह जी ने भी इस पर अपने विचार रखे। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इन 4 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है तो शायद मंत्री जी 3 जिलों के ही बारे में बात कर रहे थे। मान्यवर, जो पर्वतीय क्षेत्र 10 जिले हैं वहां पर साधन सचिव जो सहकारी मिनी बैंक में हैं वह कई दिनों हड़ताल पर हैं। मिनी बैंकों का काम ठप्प पड़ा है। अभी काम करने का समय था लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण यह कार्य ठप्प है। मान्यवर, वह हड़ताल पर क्यों हैं ? क्योंकि इनकी मांग है कि उन्हें भी पंचम वेतनमान दिया जाय। मान्यवर, यह एक विडम्बना है और अभूतपूर्व भी है कि एक ही प्रदेश के अलग–अलग जिलों में एक ही विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान अलग हैं। मान्यवर, मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं। मान्यवर, यह जो साधन सचिव हैं इन्हें जो वेतन दिया जाता है वह अंशदान कैडर फण्ड के हिसाब पर दिया जाता है। अलग–अलग जनपदों पर जो पैसा आता है उसके अंशदान से ही उन्हें वेतन दिया जाता है। इसमें जो सरकार ने तर्क दिया है वह यह है कि चूंकि मैदानी क्षेत्र में विपणन का काम ज्यादा है, उनके पास फण्ड ज्यादा है इसलिए उन्हें इसका लाभ दिया गया है आपके पास तो फण्ड ही नहीं तो आपको क्यों दिया जाय। तो मान्यवर, यह कोई तर्क है ?

श्रीमन्, दूसरी बात यह कि इनकी इन्कम कहां से होती है, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह जो सहकारी समितियां कर्जा देती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के छोटे काश्तकारों को 10 हजार या 15 हजार के, जो कि 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर और इस ब्याज पर जो इन्कम होती है उसके 0.25 प्रतिशत इनके लिए फन्ड होता है, जिससे ही इनके वेतन आदि का भुगतान किया जाता है। अब दूसरी ओर देखें तो सामान्य बैंक इनके लिए ही 1 लाख रुपये का कर्ज देते हैं वह भी 5 प्रतिशत ब्याज दर पर, तो इस प्रकार से कौन

व्यक्ति इन बैंकों से 15 हजार का ऋण 10 प्रतिशत ब्याज पर लेगा, जब कि अन्य बैंक 1 लाख रुपये 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दे रहे हैं। अब इसमें क्या इन्कम हो रही होगी और जो दिशा निर्देश हैं कि 0.25 प्रतिशत ही अंशदान फण्ड के लिए होगा तो कहां से इन्कम होगी और कहां से इन्हें वेतन मिल पायेगा इसी का प्रतिफल है कि आज वह हड़ताल पर हैं कि उन्हें भी पंचम वेतनमान का लाभ दिया जाय। एक तुगलकी आदेश भी विभाग ने दिया है कि सहकारी समितियों के वेतन आदि के लिए जिला योजना से पैसा लिया जाय। और जब जिला योजना की बैठक होती है तो लोग पूछते हैं कि जिला योजना का पैसा वेतन के लिए क्यों दिया जाय ? तो वहां बैठा सहकारी विभाग का प्रतिनिधि झेंप जाता है कि वहां पर नेता और अधिकारी हमें डांट रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार से बहुत ही दयनीय हालत इन 10 जनपदों के सहकारी बैंकों की हो गयी है। इसके कारण से वे लोग पीड़ित हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और अभूतपूर्व कार्य इनके लिए किया कि इन्हें 88 हजार का कर्जा दे दिया गया।.....

मान्यवर, साज–सज्जा के लिए कर्जा दे दिया गया है। वह एक कुर्सी पर बैठकर कार्य करने के लिए तैयार हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है लेकिन अधिकारी ने आदेश दे दिया कि 88 हजार रुपये का ऋण लेकर साज–सज्जा करा दी जाय। वह कर्जा कहां से वापस किया जायेगा, उनकी तनख्वाह कहां से आयेगी, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस प्रकार विसंगतिपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैडर सचिव कम हैं। एक–एक सचिव 2–2, 3–3 समितियों का काम देख रहे हैं। इनके कार्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। पंचम वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन दिये जाने की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इनको जगह–जगह प्रताड़ित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इनको पंचम वेतनमान दिया जाय, इनकी सेवाओं को रेगुलर किया जाय। मान्यवर, कैडर सचिवों के पद अभी तक सृजित ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तरांचल में कलेक्शन अमीनों के पद सृजित नहीं थे, लेकिन यहां पर इनकी आवश्यकता महसूस की गयी, इसलिए यहां पर कलेक्शन अमीनों के पद सृजित किये गये। कैडर अमीनों के पद सृजित करके इनको लाभ दिया जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के आलेख में कहा कि प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण वितरण, खाद बीज वितरण, कीटनाशक रसायन व दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को करायी जा रही है। इस तथ्य को माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया। यह सत्य है कि सहकारिता के आन्दोलन को बढ़ाया है। यही वह सचिव हैं, जिनको क्रेडिट सचिव कहा गया है। इसके सम्बन्ध में माननीया आशा नौटियाल जी ने अपने कटौती प्रस्ताव में विस्तार से जिक्र किया और भी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। मान्यवर, यह

विसंगति कहां से पैदा हुई ? 3 मई, 2003 को एक आदेश हुआ। इस आदेश में यह कहा गया कि "प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के नियमित सचिवों को निम्न शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया जाता है।" मान्यवर, पांचवां वेतन आयोग 1–1–1996 से लागू किया गया था परन्तु इसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि "उक्त पुनरीक्षित वेतनमान उन्हीं जनपदों के सचिवों को अनुमन्य होंगे जिन जनपदों में कैश क्रेडिट में ओवर ड्राफ्ट नहीं है। पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1–4–2003 से लागू होंगे। वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी होंगे।" मान्यवर, केवल 3 जनपदों में ओवर ड्राफ्ट नहीं था बाकी के 10 जनपदों में ओवर ड्राफ्ट था। यह ओवर ड्राफ्ट क्यों था, इसके सम्बन्ध में माननीय ऐरी जी ने बहुत विस्तार से अवगत करा दिया है। यह विसंगति पूरे उत्तरांचल राज्य में है। ऋण समिति के सचिवों को पंचम वेतनमान नहीं मिल रहा है। उन्हें केवल 800 रुपये अन्तरिम सहायता के रूप में प्रतिमाह इस शर्त के साथ अनुमन्य की जायेगी कि वे 15 दिन के अन्दर समिति को स्वावलंबिता की स्थिति में ला देंगे। मान्यवर, इस आदेश के बाद विसंगति पैदा हो गयी। ऐसी 507 समितियां हैं और इन 507 समितियों में 468 सचिव कार्यरत हैं। यदि इन सबको पंचम वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन दिया जाता है तो इससे सरकार के ऊपर 5 करोड़ 29 लाख 54 हजार रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। मान्यवर, अंशदान 1.5 प्रतिशत निकालने के बाद जो कुल व्यय भार पड़ता है वह 2 करोड़ 30 लाख है। मान्यवर, सरकार ने सम्मानित सदन के सम्मुख जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें 1.50 करोड़ की मांग की है। और इससे सारा सदन सहमत होगा कि चाहे वह सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए लोग हों कि यह वेतन विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। इस धनराशि में मात्र दो करोड़ 30 लाख की आवश्यकता है और बजट में डिमाण्ड 1.50 करोड़ की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि संशोधित प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ताकि वेतन विसंगतियां समाप्त हों। पंचम वेतन आयोग के अनुसार उन्हें भी वेतन मिलना चाहिए तथा वेतन का सम्पूर्ण भार राज्य सरकार वहन करे।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्या श्रीमती आशा नौटियाल जी, माननीय सदस्य श्री ऐरी और माननीय सदस्य श्री पंत जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं विशेष रूप से सहकारिता समितियों के बारे में जो घाटे पर चल रही हैं उसके बारे में माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी। मान्यवर सहकारी समितियों में किसानों द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है और उन जनप्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित की जाती हैं। जहां तक उनके आय–व्यय का सवाल है इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष खुली बैठक होती है, उसी में आय–व्यय प्रस्तुत किया जाता है, उस पर चर्चा होती है और जो सहकारी समितियां फायदे में होती हैं वह बोनस भी तय करती हैं। जहां तक महिला बचत समूहों का सवाल है तो इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि दस हजार 200 महिला बचत समूहों को गठित कर समितियों से जोड़ा गया है और लगभग एक करोड़ रुपया समूहों का जमा है और उनकी बचत का तीन गुना ऋण समूह को दिया जा रहा

है। प्रत्येक महिला को उसकी बचत के तीन गुना ऋण दिया जायेगा। ऋण की वसूली प्रदेश स्तर पर 71 प्रतिशत है, मात्र पौड़ी जनपद की वसूली कम है। महिला समूहों को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋण दिया जा रहा है। अन्य उत्पादों के लिए भविष्य में ऋण सुविधा दी जायेगी। अभी योजना का प्रथम चरण है। जड़ी-बूटी के लिए भी सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिया जा रहा है। जड़ी-बूटी योजना में तीन विभाग हैं सहकारिता, उद्यान और वन। जड़ी-बूटी शोध संस्थान उद्यान विभाग से है। मान्यवर, सहकारी समितियों के कर्मचारी राजकीय कर्मचारी नहीं हैं, वह संस्था के कर्मचारी हैं। कोई भी बैंक घाटे में नहीं है। जहां पंचम वेतन आयोग की बात है माननीय पंत जी ने भी इसका उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि कैडर सचिवों को पंचम वेतनमान अनुमन्य किये जाने के निमित्त निबन्धक द्वारा माह जुलाई, 2005 में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था जिस पर वित्त विभाग और नियोजन विभाग द्वारा अपनी सहमति नहीं दी गयी। इसके लिए पुनः प्रयास किये जायेंगे। इसकी पत्रावली पुनः वित्त नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप तो सरकार हैं। एक्जीक्यूट करने का काम तो कार्यपालिका का है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जहां तक जिन सहकारी समितियों के घाटे की बात कही गयी है और उन्हें उठाने की बात कही जा रही है इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार का गठन हुए अभी बहुत अधिक साल नहीं हुए हैं। मात्र चार वर्ष का कार्यकाल हुआ है। इन चार वर्षों में हमारी सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। सदन के बाहर माननीय सदस्य इस बात को महसूस करते होंगे। अब कटौती प्रस्ताव को लाने की एक परम्परा सी बन गई है उसी का पालन हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। माननीय सदस्या श्रीमती आशा नौटियाल जी को कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, कृपया माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि बैंक समिति के कर्मचारी विभागीय कर्मचारी हैं या नहीं ? न्यायालय में जो अपील लगी है, उसमें विभाग द्वारा कहा गया है कि ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं। मान्यवर, इन सहकारी बैंक समितियों में समूह-ग और घ की श्रेणी के 263 पद निकाले थे और इनकी फार्म फीस लगभग 275 रु0 से लेकर 300 रु0 तक ली थी। मान्यवर, अब इन पदों को निरस्त किया जा रहा है और फार्म फीस वापिस की जा रही है। मान्यवर, अब पी0सी0एफ0 के लोगों को इसमें भर रहे हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 263 नियुक्तियां वर्ष, 2003 में निकली थी, अब इसमें आप नियुक्तियां करेंगे या नहीं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जहां तक कर्मचारियों की बात है तो इसको सभी जानते हैं कि ये समितियों के कर्मचारी हैं।..........(व्यवधान)

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर भाषण दिया है, उसमें बहुत सारी बातें रह गयी हैं। इनसे यह सदन और हम सब संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 336516 हजार (तैंतीस करोड़ पैंसठ लाख सोलह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–28 पशुपालन विभाग

पंचायती राज एवं खेलकूद मंत्री *(श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 676866 हजार (सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख छियासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आज मुझे यहां पर डेयरी विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से पशुपालन विभाग उत्तरांचल हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 का प्रस्तावित बजट सदन के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में योजनान्तर्गत रुपया 32 लाख 88 हजार का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, भेड़ विकास योजनान्तर्गत भेड़ों को परजीवी कीटाणुओं के प्रकोप से बचाने के लिए सामूहिक रूप से दवापान का कार्यक्रम चलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में रुपया 2 लाख बजट प्राविधान प्रस्तावित है। अन्य पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशुपालन विभाग की पशुलोक स्थित भूमि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय संस्थाओं को अन्यत्र व्यवस्थित किये जाने हेतु रुपया एक करोड़ 97 लाख 34 हजार तथा यू0एस0ओ0बी0 के अन्तर्गत

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतिहिमीकृत वीर्य केन्द्र श्यामपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपया 2 करोड़ 50 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है। जनपद चमोली के भराड़ीसैण नामक स्थान पर एक पशुधन विकास अनुसंधान केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस केन्द्र से पर्वतीय नस्ल की गायों एवं अन्य पशुधन पर शोध, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार का कार्य किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2006–07 में केन्द्र की स्थापना हेतु रुपया 93 लाख 15 हजार का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, चारा विकास योजनान्तर्गत पशुओं हेतु चारे की कमी को पूर्ण करने हेतु उन्नत प्रजाति के चारा बीज क्रय कर पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं तथा चारा गोष्ठियां आयोजित कर पशुपालकों को जानकारी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में रुपया 12 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत पशुओं में होने वाले रिण्डरपेस्ट रोग उन्मूलन हेतु रुपया 9 लाख तथा पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों में नियंत्रण योजनान्तर्गत 2 करोड़ तथा फाउन्ड्री ब्लाक मेकिंग यूनिट की स्थापना हेतु रुपया 85 लाख, सांख्यिकीय इकाई की स्थापना हेतु रुपया 23 लाख 19 हजार, पशुचिकित्सा परिषद् की स्थापना हेतु रुपया 12 लाख 8 हजार कुक्कुट विकास हेतु रुपया 54 लाख 70 हजार पशु गणना हेतु रुपया 1 हजार का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

मान्यवर, पशुपालन विभाग में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन की योजना कार्यरत है, जिसमें विभाग के सभी अवस्थापना सम्बन्धी केन्द्र, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के कार्यालय, उप निदेशक, अपर निदेशक, कार्यालय में कार्यरत स्टाफ हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

मान्यवर, राज्य पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पशुधन प्रक्षेत्र कालसी, भराड़ीसैण, बछड़ा पालन केन्द्र में कार्यरत कार्मिकों को अधिष्ठान एवं प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध पशुधन हेतु राशन आदि की व्यवस्था हेतु 2006–07 में 10 करोड़ 87 लाख 12 हजार का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। श्रीमन्, इसी तरह से टिहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मान्यवर, आज जो पशुपालन विकास का बजट सदन में पास होने के लिए रखा है, मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि यह जनहित की योजना है, इस प्रदेश के आम की योजना है, तो आप सर्वसम्मति से इस बजट 2006–07 को पास करने की कृपा करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी एक महत्वपूर्ण विभाग के लिए अपनी अनुदान मांगें सम्मानित सदन को प्रस्तुत की है, यह महत्वपूर्ण विभाग इसलिए है कि उत्तरांचल राज्य की अर्थ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उत्तरांचल राज्य में पशुधन विकास का कार्य इस विभाग की अनुदान मांग से जुड़ा है। अन्य विभागों के विकास कार्य की स्थिति का चित्रण इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका में भी दिखता है। इसमें इस बात को स्वीकार किया गया है।

——–मान्यवर, कि आज वर्तमान में जहां उत्तरांचल के अन्दर एक लाख तेईस हजार लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित करते हैं वहीं उनके उत्पादकों की संख्या एक लाख सोलह हजार है। अगर इसे अनुपातिक देखें तो प्रति उत्पादक एक से डेढ़ लीटर प्रतिदिन उत्पादित करते हैं वहीं उनके उत्पादकों की संख्या एक लाख सोलह हजार है। अगर इसे अनुपातिक देखें तो प्रति उत्पादक एक से डेढ़ लीटर प्रतिदिन का उत्पाद करता है। मान्यवर, डेरी विकास के बारे में सरकार का यह आंकड़ा जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका में प्रस्तुत है यह परिलक्षित करता है कि राज्य का दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिए इसलिए जिन बिन्दुओं की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं आग्रह करूंगा कि सरकार उन बिन्दुओं की ओर इस प्रकार ध्यानाकर्षित करें ताकि इनके समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सके। वह महत्वपूर्ण मूल विषय राज्य की अर्थ व्यवस्था से जुड़ी पशुपालन क्षेत्र तथा इस अनुदान मांग से जुड़े सभी विभागों की स्थिति में सुधार आ सके। हम डेरी उद्योग के साथ अन्य पशुपालन उद्योग से जो जुड़े उद्योग हैं उनका विकास कर सकें और इन विभिन्न उत्पादों का और अधिक अच्छी तरह से विकास हो सके। अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहां भी डेरी उद्योग और अन्य उद्योग अच्छी तरह विकसित हो सके। पहला बिन्दु पशु प्रजनन, पशुधन प्रक्षेत्र इस पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी प्रकार से उनकी नस्ल सुधार करें और उत्पादकता में वृद्धि करें। इसके लिए भी दो प्राथमिक बिन्दु हैं पहला कृत्रिम गर्भाधान, दूसरा है नैसर्गिक गर्भाधान ये दोनों प्रक्रियायें विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही होंगी। इन कार्यक्रमों के संचालन के बाद राज्य के डेरी उद्योग का विकास क्यों नहीं हो रहा है इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा।

मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक पशु सुधार केन्द्र संचालित करें और हर पंचायत में नस्ल सुधार का कार्यक्रम हो ताकि उन्नतशील पशु हमारे पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र के हर कृषक भाई के पास उपलब्ध हों, ताकि हमारी अर्थ व्यवस्था मजबूत हो सके। हमारे यहां आज आवश्यकता है पशु चिकित्सीय केन्द्रों की, पशु चिकित्सालयों की स्थापना की और उनको उत्तम तरीके से सुसज्जित करने की। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो तरल नाईट्रोजन का केन्द्र है वह कम से कम इतनी दूरी पर हो जिनके माध्यम से यह अतिहिमीकृत वीर्य उपलब्ध हो ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि पशु विपणन का, पशु विपणन के लिए सरकार व्यवस्था करे। अगर इसके माध्यम से कोई किसान ऋण लेता है एक उन्नतशील पशु क्रय करने के लिए तो उसे हरियाणा या अन्य जगह जाना पड़ता है। इसको और अधिक मजबूत करना होगा। आज जो अनुसंधान हो रहे हैं उनके माध्यम से उन्नतशील पशु निकाले जा रहे हैं। मान्यवर, इन अनुसंधानों के माध्यम से अधिक दूध देने वाली गाय, भैंसों का उत्पादन किया जा रहा है। इसका अच्छी तरह से प्रचार-प्रसार गांव-गांव तक होना चाहिए। यह सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसके साथ संक्रामक रोगों के खिलाफ ठोस रणनीति सरकार को अपनानी होगी। अभी बर्ड फ्लू की बात आयी थी इसका खतरा यहां भी दिखायी दिया था। इसी प्रकार से कुक्कुट में रानीखेत डिसीज होती है। इनकी रोकथाम के लिए सरकार को विशेष प्रयत्न करना

होगा। इसके साथ–साथ डेरी विकास की योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। जिनके माध्यम से डेरी विकास का कार्य हो रहा है। मान्यवर, महिला डेयरी परियोजना जो महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि वह परियोजना बन्द होने वाली है तो मैं चाहूंगा कि सरकार को इससे मिलता–जुलता फेडरेशन बनाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि महिला डेरी परियोजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं ने डेरी उद्योग को बढ़ाने का काम किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी माताएं, बहनों के माध्यम से डेरी उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने पशुधन और मत्स्य विभाग को मिलाकर एक सम्मिलित विभाग का ढांचा तैयार किया है। इसमें एक निदेशक का पद रखा गया है। लेकिन यह निःसंवर्गीय पद रखा गया है। इसमें तीन शर्तें हैं। पहला विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति द्वारा और विश्वविद्यालय चूंकि एक स्वायत्तशासी संस्था होती है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से यदि हम किसी को प्रतिनियुक्त पर लेते हैं तो यह इस राज्य के अधिकारियों के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पद को निःसंवर्गीय की श्रेणी से हटाकर विभागीय पद बनाया जाये। इसमें अनुभवी व्यक्ति को पदोन्नति के माध्यम से रखा जाये जो इसे अच्छी तरह से चला सके। मत्स्य विकास के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे उत्तरांचल में अनेक तालाब हैं, नदियां हैं जिनके माध्यम से हम मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों ने मत्स्य पालन का बहुत अच्छा कार्य किया है और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत किया है। मान्यवर, मैं इस संबंध में 4–5 सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, छोटे–बड़े जलाशय प्रत्येक स्ट्रीम आफ रिवर में बनाये जायें और ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों के लोगों को इन्हें सौंपा जाये। प्रमुख नदियों की जल धारा में मत्स्य उत्पादन का कार्य, इसे योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मत्स्य आखेट की भी परमीशन मिलनी चाहिए। नयी हैचरियों का विकास होना चाहिए। श्रीमन्, ओरनामेंटल फिश एवं एक्वेरियम फिश पालन का आजकल फैशन चलन में है। आज तमाम घरों में एक्वेरियम आपको देखने को मिल जायेंगे। लेकिन जो वह ओरनामेंट और एक्वेरियम के लिए फिश है वह आज भी कोलकाता से आयात की जा रही है। विभाग को यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी मछलियों का उत्पादन हमारे प्रदेश में किया जाय। जो ठंडे पानी की फिश है उनका उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिए। महाशीर के संवर्द्धन और संरक्षण की ओर विभाग को सोचना चाहिए। मत्स्य पालन को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में भी शशक पालन, अंगोरा शशक पालन और भेड़ पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो हमारे उच्च और मध्य हिमालयी रीजन हैं वहां पर काफी समय से भेड़ पालन किया जाता रहा है। इनके संवर्द्धन की योजना सरकार को बनानी चाहिए। मैंने जो सुझाव दिये सम्भवतः माननीय मंत्री जी ने उन्हें नोट कर लिया होगा और अपने उत्तर भाषण में इनका उत्तर अवश्य देंगे।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पशुपालन विभाग के

बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। पशुपालन उत्तरांचल का मुख्य व्यवसाय है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पशुपालन के समग्र विकास के अनुरूप बजट पेश किया है। मान्यवर, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तरांचल बहुत ही अग्रणी राज्य है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दुर्गापाल जी, आप अपने सुझाव दें तथा दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैं सुझाव भी दूंगा कि हमारे उत्तरांचल में दुग्ध का उत्पादन काफी होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन कुछ कम है तो इसे बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की व्यवस्था करनी चाहिए और वहां पर किस किस्म की नस्ल के पशु सरवाइव कर सकते हैं, किस किस्म के चारे से दुग्ध उत्पादन बढ़ सकता है इसके लिए विशेषज्ञों की मदद से सर्वे कराना चाहिए और विशेषज्ञों की राय लेकर उन पर अमल करना चाहिए। इसी प्रकार से पशुधन को भी बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारी सघन मिनी डेयरी योजनायें हैं जिसमें 2–4 जानवरों के लिए पैसा दिया जाता है और इसके लिए अनुदान की व्यवस्था की जाती है। इसके अन्तर्गत बेरोजगार नवयुवकों को गौशाला आदि बनाने के लिए भी अनुदान दिया जाता है और इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तरांचल में दुग्ध उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए पैसा भी देती है लेकिन जो हमारे भाबर क्षेत्र हैं वह विभिन्न छोटे–छोटे दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत बड़ा उत्पादक हो सकता है। इसके लिए वहां पर भी प्रोजेक्ट लगाया जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि स्वयं उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि दुग्ध विकास के लिए 10 करोड़ रुपये बहुत कम हैं, इसे और अधिक होना चाहिए।

मान्यवर, दुग्ध उत्पादन निश्चित ही स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। महिला समितियों के माध्यम से जो गावों में छोटी–छोटी समितियां होती हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, सरकार ने इसको बहुत गम्भीरता से लिया है। माननीय नेता सदन ने भी अपने बजट भाषण में इसको गम्भीरता से लिया। इसके लिए और क्या–क्या प्रयास किये जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ वार्ता करने की आवश्यकता है। उनके माध्यम से इसको और अधिक विकसित किया जा सकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं मेरे विधान क्षेत्र प्रतापनगर में 8 पशुधन प्रसार केन्द्र हैं लेकिन कुल दो ही पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं। पशुधन प्रसार केन्द्र भवन विहीन हैं सब किराये पर चल रहे हैं वहां का पशु चिकित्सालय भवन

विहीन है। मान्यवर, मैं पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्तियों की मांग करता हूं। मान्यवर, मुखेम में भेड़ पालन/प्रजनन केन्द्र था, इसको पूर्व में बन्द कर दिया गया था। मेरा अनुरोध है कि इसको पुनः चालू कराया जाय। एक और महत्वपूर्ण बात है, टिहरी बांध में मत्स्य पालन का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। वह एशिया की सबसे बड़ी झील है। इसमें मत्स्य पालन के लिए योजना बनायी जानी चाहिए।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने खटीमा में उत्तरांचल की सबसे बड़ी दुग्ध फैक्ट्री की स्थापना की है। लेकिन वहां पर दूध की मात्रा बढ़ाये जाने की योजना बनायी जानी चाहिए। यह अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहां पर ट्राइबल सब प्लान और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत दुग्ध विभाग की ओर से अच्छी–अच्छी गायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहां पर अभी 50 हजार लीटर से एक लाख लीटर की क्षमता है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। इससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं एक लाईन में 3 सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि जब पशु जवान होते हैं और दूध देते हैं तो लोग इनको संभालते हैं लेकिन जब वह पशु बूढ़े हो जाते हैं और दूध नहीं देते हैं तो इन गायों और बैलों को खुला छोड़ देते हैं या एक या डेढ़ सौ रुपये में इनको बेच देते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में रामपुर क्षेत्र में इनका वध हो रहा है। ये पशु जीवन भर दूध देते हैं लेकिन अन्त में इनका इस प्रकार वध कर दिया जाता है। कुछ ऐसी एजेंसियां सामने आयी हैं, जो इन पशुओं का संरक्षण कर रही हैं। इन एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मान्यवर, पशुओं के प्रजनन की ड्यूटी आपने एन0जी0ओ0 को दे रखी है लेकिन ये एन0जी0ओ0 अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा रहे हैं। जिला योजना के अन्दर आकर ये 3 साल पहले ही तनख्वाह के बिल रख देते हैं। इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हरियाणा से यहां पर कोई जानवर लाते हैं तो उत्तरांचल में आते ही दूध 33 प्रतिशत कम हो जाता है। इसका कारण है, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। हरियाणा में यूनिवर्सिटीज के माध्यम से पौष्टिक आहार बनाने की व्यवस्था की गयी है। यहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, चमोली जनपद में सिमली में जो दुग्ध प्लान्ट लगा था, वह आज घाटे में चल रहा है। जबकि मान्यवर, जनपद चमोली सिमली दुग्ध प्लांट में पशुपालकों का कई रुपये का भुगतान बाकी है। मेरा निवेदन है कि बजट में इसका प्राविधान होना चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री दुर्गापाल, फूल सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह और माननीय

सदस्य श्री बीना जी द्वारा पशुपालन को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। साथ ही हमारे सम्मानित सदस्य श्री प्रकाश पंत जी ने जो बातें कहीं उस ओर भी मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पशु प्रजनन के बारे में आपने बहुत सी बातें कहीं। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। हमारी सरकार इसके प्रति अति संवेदनशील भी है। हमारी सरकार का प्रयोजन इस कार्यक्रम को ठीक से संचालित करने का है। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि नस्ल सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। पशुपालन विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध पशुधन को उन्नतशील बनाना व उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्बल वर्ग का गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से बहुत अधिक संख्या में कृत्रिम गर्भाधान दुधारू पशुओं का किया गया। हमने इसके लिए पशु चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी और पशु चिकित्सालयों की स्थापना भी की। मान्यवर, डेयरी विकास के क्षेत्र के बारे में बहुत सी बातें हुई। निश्चित रूप से डेरी उद्योग हमारे राज्य का प्रमुख उद्योग है इस उद्योग पर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक तरह से टिकी है। खास तौर पर जो हमारे कृषक भाई हैं वह इस पर बहुत अधिक आधारित हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा बहुत तेजी से कार्य किया गया है। मान्यवर डेयरी विकास के लिए महिला डेयरी परियोजना और समन्वित डेयरी विकास योजना बनाई गयी है ताकि अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो इसके लिए हमारी सरकार सतत् प्रयासरत है। पशुओं के संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वैसे संक्रामक रोगों की समस्या मैदानी क्षेत्र में भी है, संक्रामक रोग पशुओं में बहुत तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए हमारी सरकार अति संवेदनशील है। संक्रामक तथा संसर्गीय रोगों के विरुद्ध सुरक्षात्मक रणनीति सरकार द्वारा बनायी गयी है।

मान्यवर, इस दिशा में हमारी सरकार बड़ी तेजी के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि माननीय पंत जी ने मत्स्य विभाग के बारे में अपना सुझाव दिया इस दिशा में सरकार अपना कार्य कर ही रही है। मान्यवर, कुमाऊं मण्डल में भीमताल, सात ताल गढ़वाल मण्डल में बैरांगना में यह सुविधा दी जा रही है तथा पौड़ी जनपद के चात्पुली में भी हम यह सुविधा देने जा रहे हैं। मान्यवर, इस दिशा में हम प्रयत्नशील है। डेयरी विकास के बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, जो बातें सदन में रखी गयी हैं, इन बातों की ओर सरकार बहुत ही संवेदनशील है, सरकार निश्चित रूप से इन सुझावों पर गौर करेगी। मान्यवर, हमारी सरकार पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, ये विभाग इस प्रदेश की रीढ़ है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं माननीय प्रकाश पंत जी से अनुरोध करता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव आपने रखा है उसे वापस लेने का कष्ट करें।

श्री सहजाद–

मान्यवर, दूध के बारे में आपने नहीं बताया है।

श्री प्रीतम सिंह--

मान्यवर, दूध सरकार नहीं खरीदती है, यह खुले बाजार में खरीदा जाता है। सरकार इस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करेगी। मान्यवर, मैं बहुत सारे कारणों पर नहीं जाना चाहता हूं।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, जहां तक दूध के रेट की बात है तो इससे आम जनता का बहुत अधिक शोषण हो रहा है। बाजार में रु0 20 से 26 रु0 तक प्रति लीटर दूध बेचा जाता है, जबकि काश्तकारों से वह रु0 8 से 10 रु0 प्रति लीटर में खरीदा जाता है। मान्यवर, 01 लाख 25 हजार लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित होता है और जो उत्पादक हैं उनकी संख्या भी लगभग इतनी ही है। एक उत्पादक एक लीटर लगभग दूध डेयरी को बेच रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इसमें अनियमितता है। मान्यवर, इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए था, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है। मान्यवर, उत्तम पशुपालन केन्द्र, उन्नत सांड केन्द्र होने चाहिए थे, ताकि उन्नत किस्म की नस्लें पैदा हो सकें। मान्यवर, जितने सांड केन्द्र थे वे सभी लगभग बन्द कर दिये गये हैं। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जो मैनीतौनी, कुम्हार, अडकिनी, कुम्याचौड़, जाख में पशु सेवा केन्द्र तथा सांड केन्द्र थे वे सब बन्द कर दिये गये। डीडीहाट में चौबाटी पशु केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त है। उसको भवन निर्माण की आवश्यकता है, परन्तु बन्द सांड केन्द्रों को खोलने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है, इस तरह से राज्य सरकार पशुपालन के क्षेत्र में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही है।

मान्यवर, राज्य सरकार परम्परा का निर्वहन कर रही है, बल्कि जो पहले की योजना थी वह भी लगभग बन्द हो चुकी है, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 675866 हजार (सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख छियासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 अप्रैल, 2006 की बैठक में दिनांक 19 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2006 का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>दिनांक 19 बुधवार</u>

विधायी कार्य

(क) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (समय 30 मिनट)

(ख) उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण (समय 30 मिनट)

<u>माननीय मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग</u>

अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

<u>मा0 ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री से सम्बद्ध विभाग</u>

अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

मा0 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई मंत्री से सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या–20 सिंचाई तथा बाढ़ विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

<u>मा0 लोक निर्माण, राज्य सम्पत्ति, संसदीय कार्य, सूचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से सम्बद्ध विभाग</u>

अनुदान संख्या–01 विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान (विचार नहीं होगा)

अनुदान संख्या–02 राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान (विचार नहीं होगा)

अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद् की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान (विचार नहीं होगा)

अनुदान संख्या–14 सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

20 गुरुवार मा0 मुख्यमंत्री से सम्बद्ध कार्य विभाग

अनुदान संख्या–1–04 न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान (विवाद नहीं होगा)

अनुदान संख्या– 05 निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या– 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवाएं विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या– 09 लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान (विवाद नहीं होगा)

अनुदान संख्या– 10 पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या– 21 ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान

2–शेष विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

3–उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि आज आपने माननीय सदन को कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से अवगत कराया, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि इसमें शुक्रवार का कार्यक्रम नहीं है तो शायद ऐसा सम्भव है कि शुक्रवार न आये, तो उस स्थिति में न तो संकल्प आ पायेंगे और न ही हमारे असरकारी विधेयक आ पायेंगे। ऐसी स्थिति में तो हमारे साथ अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यमंत्रणा समिति में हुआ है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सदन सर्वोपरि है, इसलिए सदन से अनुमति मांगी जा रही है, इसे अनुमति देने से पूर्व मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आपत्ति कर रहा हूं। चूंकि शुक्रवार नहीं रखा गया है या तो इसके एजेण्डे में कर लें। मान्यवर, आखिर हमारा यहां बैठने का क्या औचित्य है ? यह परम्परा बनती जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारी ओर से कोई परम्परा नहीं बनी है। सदन कुछ कम कर दिया

दिया जाय यह अपेक्षा की गयी थी। आपकी सुविधा के लिए ही इस पर विचार हुआ। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

यह सब परम्परा बनती है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2141288 (दो सौ चौदह करोड़ बारह लाख अट्ठासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उद्योग विभाग में जहां हमने ऊर्जा और पर्यटन में अवस्थापना विकास में चार वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किये और उद्योग विभाग ने अपनी नयी पहचान बनायी है। इसमें कुछ चीजें अति महत्वपूर्ण हैं। हिमाद्रि ब्रान्ड नाम से प्रदेश में निर्मित हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु यात्रा मार्गों बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, पिरान कलियर शरीफ, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर विशेष बिक्री केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। हिमाद्रि ब्रान्ड नाम से राज्य की विशिष्ट पहचान बनाने हेतु नई दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में भी विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। मान्यवर, रोजगार योजना में तीन वर्षों में यह राज्य नम्बर एक पर रहा है। उत्तरांचल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत बैंक गारन्टी शुल्क के रूप में बैंक को देय 2.5 प्रतिशत अधिकतम रु0 50000 तक की गारन्टी फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इससे अधिकतम उद्यमी लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा योजना में राज्य की उत्कृष्ट उपलब्धि को देखते हुए राज्य के अनुरोध पर स्वरोजगार योजना का लक्ष्य 8 हजार निर्धारित किया गया है जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में 4700 और जम्मू–कश्मीर में 3000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोजगार देने के मामले में जो लक्ष्य हमको दिया गया था। हमने उससे आगे बढ़कर वह लक्ष्य हासिल किया और विगत तीन वर्ष से हम लगातार नम्बर–1 है। यह सूचना सदन को देना महत्वपूर्ण है। जिन उद्यमियों ने अपना उद्यम सफलतापूर्वक चलाया है उनको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त अधिकतम वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से पी0एम0आर0वाई0–प्लस–2005 योजना लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत बैंकों से बिना प्रतिभूति के ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से दी जा रही ऋण सहायता पर ली जाने वाली गारन्टी फीस की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रथम वर्ष में ही योजना में 102 लाभार्थियों को 2.61 करोड़ रुपये ऋण स्वीकृत किये गये हैं। पी0एम0आर0वाई0–प्लस और पी0एम0आर0वाई0 में हम प्रथम आये हैं।

पंतनगर, हरिद्वार, कोटद्वार आदि में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की जा रही है। 18 औद्योगिक स्थानों का चिन्हांकन किया गया है। सितारगंज में एल्डिको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इसमें 20 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है। अभी 262 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। इसमें 14 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ब्रिटानिया, वोल्टास, टाटा, बिरला आदि की फैक्ट्रियां यहां लगायी जा रही हैं। वर्षों से बन्द पड़ी काशीपुर, जसपुर कताई मिल है। ये वर्षों से बन्द पड़ी हुई है। अब जिस व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया है वह अब तक इसका सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है और एक्सपोर्ट श्रेणी का माल बना रहा है। एक इससे भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। काशीपुर, जसपुर में हथकरघा बुनकरों के लिए बजट में प्राविधान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वर्ष 2005 में उत्तरांचल राज्य द्वारा पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया गया। क्राफ्ट बाजार, हैण्डलूम एक्सपो एवं जनपदों में औद्योगिक प्रदर्शनियों आदि के आयोजन से शिल्पियों, बुनकरों एवं उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन में सहायता मिली है। प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् का गठन किया गया है और परिषद् द्वारा हिमाद्रि ब्रॉण्ड के तहत प्रदेश के विशिष्ट शिल्पों के विपणन की योजना बनायी गयी है। पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के बीच इस हेतु समन्वय स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हथकरघा क्षेत्र दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, बुनकर बीमा योजना, बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना आदि योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लिया गया है। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना में 25 बुनकर सहकारी समितियों को 186 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी है जिसमें 2536 बुनकर लाभान्वित हुए। इस योजना में कुल प्रीमियम रु0 1000/– में से रुपये 800/– भारत सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं। बुनकर अंश के रूप में देय रुपये 200/– को प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि बुनकरी कार्य को पर्याप्त बढ़ावा मिल सके।

उनके लिए शासन ने, भारत सरकार ने और उत्तरांचल की राज्य सरकार ने भी शेयर किया है। आप चाहें तो इसे अलग से लेकर लोगों के बीच में बांटें और उनको इसका लाभ दिलवायें। खादी के क्षेत्र में 397 इकाइयों को वित्त पोषित करके 2375 रोजगारों का सृजन किया है। इन इकाइयों के लिए कुल 14.31 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2004-05 में 118 इकाइयों को 4.65 लाख ऋण के रूप में दिया गया और 808 रोजगारों का सृजन किया गया है तो इस प्रकार से इन छोटे-छोटे कार्यों से अनेकों रोजगारों का सृजन किया गया है और यह रोजगार देने में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। खनिज की बात यदि हम करें खनिजों के वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने से वर्ष 2004-05 में 35.60 करोड़ तथा 2005-06 में 42.20 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें हमारा प्रदेश अग्रणी बने इसका प्रयास किया जाता है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में हमें और भी लाभ हो सकता है। तो यह लाभ कैसे होगा इसके लिए नीति बनाने की आवश्यकता होगी तो इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनायी गयी है जिसकी शीघ्र ही बैठक होगी।

बायोटेक्नोलॉजी की जानकारी भी इसलिए आपको देनी जरूरी है क्योंकि यह 21वीं सदी का युग है। इसी क्रम में आई0टी0 पार्क की स्थापना पंतनगर में 500 एकड़ भूमि में की जा रही है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग आयें। इसके आगामी नवम्बर या दिसम्बर में बनकर पूर्ण होने का कमिटमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी और आई0टी0 के क्षेत्र में हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है और यह पार्क जब शुरू हो जायेगा तो यह इस क्षेत्र में हमारा अभूतपूर्व कदम होगा। राज्य में तारा मण्डल और साइंस सिटी की स्थापना करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश में एक शोध संस्थान बनाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी के शोध केन्द्र के रूप में टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम पूरे देश ही नहीं विश्व के वैज्ञानिकों को भी यहां पर बुला सकें और इस नई तकनीक के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश के नाम को ऊंचा कर सकें। हमारी कोशिश होगी कि दुनिया के कम्पैरिजन में टिश्यू कल्चर के माध्यम से राज्य में विकास किया जाय। आई0टी0 के क्षेत्र में रोज नये प्रयास किये जाते हैं। स्टेट वाइड नेटवर्क योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कॉल सेन्टर और बी0पी0ओ0 इस क्षेत्र में भी प्रदेश आगे बढ़े ऐसा हमारा प्रयास है क्योंकि कॉल सेंटरों से एक तरफ हमारे यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के क्षेत्र में हमारे प्रदेश का नाम भी होगा। बी0पी0ओ0 के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ई गवर्नेन्स को हम लांच कर चुके हैं। ई-गवर्नेन्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेन्स के माध्यम से भी किया जाना प्रस्तावित है। इसी के लिए जिला स्तरीय डाटा सेन्टर के निर्माण के लिए भी 5 करोड़ दिये गये हैं। आई0टी0 और ई-गवर्नेन्स की दृष्टि से भी हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके, इसके लिए भी निरन्तर प्रयास हो रहे हैं। इस दिशा में राज्य के सभी विभागों को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है। मान्यवर, बहुत कम समय में महत्वपूर्ण कार्यों की शुरूआत हमारी सरकार द्वारा की गयी है। जो अच्छे काम हुए हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इस प्रकार से यह बजट आपके सम्मुख है। मैं इसे पारित कराने के लिए आपका सहयोग चाहती हूँ।

* श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद 2003 में औद्योगीकरण के लिए भारत सरकार ने जो औद्योगिक कन्शेसनल पैकेज दिया था, निश्चित रूप से उसका लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए था लेकिन आज उसमें अभाव नजर आ रहा है। मान्यवर, सिडकुल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेक उद्योगपतियों को यहां पर आमंत्रित किया गया। इन्होंने हरिद्वार और उधमसिंह नगर के पंतनगर में उद्योग लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। हरिद्वार कनेक्टिविटी के हिसाब से नजदीक था। वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध थे इसलिए उद्योगपतियों ने वहां पर उद्योग लगाने के लिए इन्ट्रेस्ट लिया। सिडकुल के माध्यम से इन उद्योगपतियों से कहा गया कि प्लाट खाली है, आप लोग रजिस्ट्रेशन [illegible] उद्योगपतियों ने 500 रुपये के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा लिया। बाद में शायद इसको 700 रुपया कर दिया गया था इन उद्योगपतियों को रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम धन जमा करना था, जो कि इन्होंने कर दिया। ठीक एक साल बाद वहां का रेट 2000 रुपये तक पहुंच गया। इसमें एक इकाई रखना चाहते थे। औद्योगिक क्षेत्र में जिन प्लाटों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उनमें से 20 प्रतिशत प्लाट खाली पड़े हैं। इनमें अभी उद्योग प्रारम्भ नहीं हुए हैं। मान्यवर, हरिद्वार में प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए भी छूट दी गयी। जो भी 30 एकड़ जमीन ले लेगा, उसको प्राइवेट एरिया बनाने की छूट मिल गयी। इनको प्राइवेट लैण्ड भी मुहैया करायी गयी। इसकी जांच की जानी चाहिए कि उनको इसके लिए छूट क्यों दी गयी ? सिडकुल के पास जमीन थी, उनसे कहना चाहिए था कि पंतनगर में जमीन उपलब्ध है, वहां पर आप लीजिए। लेकिन उनको हरिद्वार में 30 एकड़ जमीन खरीदने की छूट दी गयी। वहां पर प्राइवेट लैण्ड 100 रुपये से 1000 रुपये तक में बेची जा रही है। सरकार ने पहले निर्णय लिया कि रजिस्ट्रेशन पर रि–सेल नहीं किया जायेगा। इसको किसी और को [illegible] रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जायेगा। लेकिन [illegible] दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खोल [illegible] गया है कि प्लाटों को पुनः बेचा जा सकता है। सिडकुल के माध्यम से जो जमीन 500 रुपये में ली गयी थी उसको 2000 रुपये में बेचा जा रहा है। मान्यवर, हमारे यहां जो इण्डस्ट्री लगी हैं, इस बजट पुस्तिका में वृहद् और मध्यम उद्योगों की संख्या 168 बताई गयी है। माननीय मंत्री जी पता नहीं कौन से आंकड़े पढ़ रही थीं। आपने इनकी संख्या 267 बतायी। इनमें 16 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। यह एक आश्चर्य की बात है। इस विषय पर निश्चित रूप से माननीय विधायकगण विचार व्यक्त करेंगे। सरकार द्वारा कहा गया कि उद्योग लगने के बाद इनमें हमारे यहां के बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा। मान्यवर, यह जो बजट पुस्तिका दी गयी है, इसमें जो रोजगार के आंकड़े दिये गये हैं वह इस प्रकार हैं, देहरादून में 6565, पौड़ी में 1258, टिहरी में 226, हरिद्वार में 25382, नैनीताल में 3428, बागेश्वर में 530 ऊधमसिंह नगर में 10594, इस प्रकार कुल 46983 लोगों को रोजगार दिया गया। मान्यवर, अभी कुछ

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिन पहले ही एक प्रश्न के माध्यम से उत्तर आया था कि करीब 6580 लोगों को रोजगार दिया गया है। इनमें से कौन से आंकड़े ठीक हैं ? 48493 लोगों को रोजगार देने के आंकड़े निश्चित रूप से सही नहीं हैं। मान्यवर, यह जो रोजगार के आंकड़े सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उद्योग लग रहे हैं और एक शासनादेश भी सरकार की तरफ से जारी हुआ है कि 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। किन्तु हो क्या रहा है ? मान्यवर, वह रोजगार कहां से देंगे ? 160 इण्डस्ट्रीज लगी हैं किन्तु प्रोडक्शन मात्र 18–20 में हो रहा है। बाकी 140 इण्डस्ट्रीज केवल बिल्डिंग का और एसम्बलिंग का कार्य कर रही हैं। जो फार्मा के क्षेत्र में इण्डस्ट्रीज लगी है वह वास्तव में थोड़ा बहुत कार्य कर रही हैं।

मान्यवर, सरकार कहती है कि 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार देंगे किन्तु जब उत्तरांचल का रहने वाला कोई युवक उन इण्डस्ट्रीज में काम मांगने जाता है तो उनसे यही पूछा जाता कि आप कहां के रहने वाले हो ? यदि उसने बता दिया कि उत्तरांचल का रहने वाला है तो वह कह देते हैं यहां पर नौकरी नहीं है। यदि हम उस इण्डस्ट्रीज के [illegible] उद्योगपति को बुलाकर कहते हैं कि यह क्या हो रहा है ? यहां के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो ? तो वह कहते हैं कि आप एड्रेस गैरउ या आंकड़ी का लिखवा दीजिए नौकरी हम दे देंगे। मान्यवर, जो मैं यह बात कह रहा हूं कि इसकी जांच करा ली जाय। मैं यह बात सदन में कह रहा हूं यदि गलत होगी तो सदन जो भी निर्णय लेगा उसके लिए वह स्वतंत्र है। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में 70 प्रतिशत यहां के लोगों को रोजगार देने की बात बेमानी है। मान्यवर, इसकी जांच करा ली जाय। आज उत्तरांचल का नौजवान अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जिन्हें वहां पर नौकरी मिल भी जाती है वह ठेकेदार के माध्यम से मिलती है। उसमें उन्हें मात्र 1500–2000 रुपये मासिक दिया जाता है और 12 घण्टे से भी अधिक काम लिया जाता है। यदि कोई युवक वहां कह देता है कि 12 घण्टे से भी अधिक काम लिया जा रहा है तो वे उसका आई कार्ड जमा करा लेते हैं और उससे कहते हैं आप जाइये। अब जब वह युवक किसी जनप्रतिनिधि के पास जाता है और अपनी बात को बताता है तो जब उस जनप्रतिनिधि द्वारा उस फैक्ट्री के मालिक या उद्योगपति से पुनः उसे नौकरी में रखने के लिए कहा जाता है तो वह कहते हैं कि आप तो नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसे में हम यहां उद्योग कैसे चला पायेंगे। तब हमें उन्हें समझाना पड़ता है।

मान्यवर, जिस तत्परता के साथ हमने ढांचा बनाकर उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए दिया, उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया वे आज हमारे यहां के नौजवानों को 2000 मात्र की जगह 500 रुपये तक वेतन के रूप में दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, लघु उद्योग की बात यहां पर आई। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहां उद्योगपति आ रहे हैं और उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 20 हजार करोड़ का निवेश किया गया है वहीं लघु उद्योगों की इकाइयां बहुत कम हैं। लघु उद्योग की संख्या में बढ़ोत्तरी होनी आवश्यक है। मानव संसाधन विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान देने

की आवश्यकता है लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनकी स्थिति आज भी वही है जो पहले थी। मान्यवर, पी०एम०आर०वाई० का उल्लेख किया गया है। पी०एम०आर०वाई० योजना के अन्तर्गत जो रोजगार मिलना चाहिए वह आंकड़ों के हिसाब से ठीक है लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 2004 में साठ हजार का लक्ष्य रखा था उसके सापेक्ष उनने स्वीकृतियां 7435 की बैंकों को भेज दीं। अब बैंक की मर्जी है कि 7435 की संख्या में 6208 की स्वीकृतियां बैंक वाले किसको उद्योग लगाने के लिए दें। यही नहीं मान्यवर, यदि पी०एम०आर०वाई० योजना का स्थलीय निरीक्षण किया जाय तो पता लगेगा कि 20 प्रतिशत उद्योग भी स्थापित नहीं हुए होंगे। उसका कारण यह है कि बैंक वाले तय करते हैं कि किन्हें धन दिया जाय। जैसे 4 प्रार्थना पत्र बैंक में गये तो चार में से किसी एक को वह स्वीकृति देने की बात करेंगे। ऐसी दशा में नौजवान भ्रष्टाचार के दलदल में और फंस जाता है क्योंकि 1.50 लाख रुपये लोन के बदले उसे 10 हजार रुपये वहां देने पड़ते हैं।

मान्यवर, उद्योग लगे या न लगे, दुकान हो या न हो, किराये की मशीन दिखायी और फैक्ट्री लगायी। मान्यवर, पी०एम०आर०वाई० के अन्तर्गत जो द्वितीय योजना चलायी जा रही है, वह प्रधान मंत्री रोजगार प्लस योजना चलायी जा रही है। मान्यवर, जो प्लस योजना चलायी जा रही है इसके अन्तर्गत आठ हजार में से दो हजार उद्योगों ने भी एप्लाई नहीं किया है। मान्यवर, जो आठ हजार उद्योग चल रहे हैं, इनमें से केवल 162 उद्योगों ने ही एप्लाई किया है, जबकि इनमें लक्ष्य रखा था आठ हजार उद्योगों का। मान्यवर, उद्योग के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रशस्ति पत्र लगातार तीन वर्षों से दिया जा रहा है। मान्यवर, प्रधानमंत्री रोजगार प्लस की जो द्वितीय योजना है इसके अन्तर्गत क्या आठ हजार उद्योगों में से दो हजार उद्योगों ने भी एप्लाई नहीं किया, इस बात को दर्शाता है कि क्या राज्य सरकार को यह प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए था ? मान्यवर, जो आगे आये उनकी संख्या मात्र 162 है। इसमें से 100 के लिए ऋण वितरण भी किया गया है। मान्यवर, प्रदेश में जो पढ़े-लिखे बेरोजगार नवयुवक हैं, जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, वे आज भटक रहे हैं। इनका शोषण किया जा रहा है। मान्यवर, छः हजार, आठ हजार किताबों के आंकड़े हैं। हकीकत में इनकी संख्या बहुत कम है। मान्यवर, जो बेरोजगार एक लाख रू० का ऋण लेकर और उसके बाद काम की तलाश में लगता है, फिर उसकी आर०सी० काटी जाती है। उसके बाद पैसा कैसे देगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहां पर उठाना चाहता हूं कि इन उद्योगों में युवक रोजगार के लिए एप्लाई करते हैं, उनको वहां पर बहुत कम पैसा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपका पैसा प्रति माह आपके प्रोविडेंट फण्ड आदि में काटा जा रहा है और जब दो-तीन माह बाद उसे उद्योग से निकाला जाता है तो उनको उनका वह पैसा भी नहीं दिया जाता है, जिसके लिए बताया जाता है कि हम आपके प्रोविडेंट फण्ड में इसको काट रहे हैं। मान्यवर, इसके बाद वह अन्य उद्योग में भेजा जाता है। मान्यवर, वहां पर किसी भी उद्योग में इन नवयुवकों को छः माह से ज्यादा नहीं रखा जाता है, उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। मान्यवर, हमें इन उद्योगों पर कंट्रोल

करना होगा। ये उद्योग प्रदेश में तभी आ रहे हैं, जब इनको यहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं, यदि हम इन्हें सुविधाएं नहीं देते तो वे यहां पर नहीं आ पाते। इसलिए मैं चाहता हूं इन पर कुछ न कुछ कन्ट्रोल अवश्य होना चाहिए। मान्यवर, अब केवल एक साल का समय रह गया है। मान्यवर जो तीन दिन के लिए यहां पर प्लाट बिक्री के लिए खोले हैं, क्या वह प्लाट किसी दूसरे को दे सकते हैं, जबकि दूसरे के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने को तैयार नहीं हैं। आज यहां पर जो इण्डस्ट्रीज लग रही है, वह किसी दूसरे के नाम से लग रही है।

मान्यवर, यह बिल्कुल सत्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि यहीं इण्डस्ट्रीज दूसरे नाम से लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उस स्थिति में क्या होगा जब बिलिंग चल रहा है, दूसरी बिल्डिंग बनाई और यहां से बिलिंग चल रहा है। मान्यवर, इसे किस प्रकार से रोकेंगे यह चिन्ता की बात है क्योंकि आने वाले 10 साल में सुविधा समाप्त हो गयी तो तब बिल्डिंग रहेगी और वह सुविधा लेकर चले जायेंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में बताया जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ई–गवर्नेन्स के माध्यम से समाज कल्याण विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। मान्यवर, कई बातें बताई लेकिन 2005–06 में इसकी कोई योजना नहीं है। वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए तकनीकी विश्लेषण कराया गया, कैसे व्यवस्था होगी यह नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो उद्योग का बजट है निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, प्रदेश और आगे प्रगति करेगा, लेकिन चिन्ता यह करनी चाहिए कि किस प्रकार से ठीक होगा, केवल उनको सुविधा दे देंगे और सारा पैसा प्रदेश से बाहर ले जायेंगे, मैं चिन्ता व्यक्त करता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज हम यहां पर सरकार के लिए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि सरकार ने इस प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाया, वहां पर औद्योगिक वातावरण में छिद्र दिखाई दे रहे हैं, जिनको भरना आवश्यक है, यदि वह छिद्र नहीं भरे गये तो सरकार के जो उद्देश्य हैं और जो भावना है हमारी कि रोजगार दें, मैं 2–3 बातें सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज जो लोग उद्योग लगा रहे हैं वह इस बात से चिन्तित रहते हैं कि इस प्रदेश में नेतागिरी होगी तो ठेकेदारी योजना अपना ली, यह

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खराब बात है। सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। सरकार इसको गम्भीरता से देखे कि जिस प्रकार से हमारे बेरोजगार युवकों का दोहन हो रहा है, तो उसको हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मान्यवर, सस्ते प्लाटों को बेचने की बात आई तो वह बेचे और उसमें दलाली खाई जा रही है। दलालों के दलाली के मामले में करोड़ों रुपये की हेरा–फेरी हो रही है, जिन लोगों के पास प्लाट थे, आज उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। मान्यवर, जितने भी केसेस ऐसे हैं जिन लोगों को प्लाट मिले थे क्या उन्होंने उद्योग लगाये हैं या उन्होंने बेचने के लिए प्लाट लिये हैं ? इसके अतिरिक्त जो 70 प्रतिशत की बात है वह 70 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ। आज भी वह स्थानीय युवकों को अपने यहां नहीं रखते हैं। जो उद्योगपति वहां पर आ रहे हैं वह स्थानीय युवकों को नहीं रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो 70 प्रतिशत का जी0ओ0 किया है वह लागू होना चाहिए। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है जो फैक्ट्रियां यहां लग रही हैं वह खाली बिलिंग के लिए नहीं लगनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक इन्स्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा कि हमें एक एक्सरे मशीन चाहिए। जिसकी कीमत एक लाख बीस हजार थी तो उन्होंने कहा कि हमारी एक फैक्ट्री बाहर है उसके नाम से बिलिंग कर देंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। हमारे देहरादून में बड़ी–बड़ी कम्पनियां हैं जैसा एल0जी0 ऐसी ही दूसरी कम्पनियां हैं वहां पर वह एसम्बलिंग करते हैं और बाहर भेजते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां का वातावरण खराब हो जायेगा मैं इसको नहीं मानता हूं। मान्यवर, कुछ बिन्दु हैं जहां पर कि आई0टी0बी0टी0 विकास की नीति है, सरकार की मंशा है कि यहां का विकास हो, मैं कहना चाहता हूं कि जो यहां पर छिद्र हैं उनको भरा जाय। इसको मजाक में न लिया जाय। इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। नहीं तो यह युवाओं के लिए असंतोष की किरण होगी जो राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मदन कौशिक जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए अपना वक्तव्य दे रहा हूं। यह किताब हमारे सामने भी है। औद्योगिक विकास विभाग ने इसमें अजीब आंकड़े दिये हैं। मैं सिर्फ एक जिक्र करना चाहूंगा जनपद अल्मोड़े का, वहां पर एक लाख से अधिक लघु इकाईयों की संख्या 40 दिखायी गई है और एक लाख से अधिक पूंजी निवेश वाले इकाई 45 दिखायी गयी है। एक लाख से कम पूंजी निवेश वाली 200 इकाईयां दिखायी गयी हैं एक लाख नियोजन वाले इकाईयों की संख्या फिर 200 दिखायी गयी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि 10–20 उद्योगों का नाम भी सरकार बता देगी तो सदन के सम्मुख वास्तविकता आ जायेगी। आज हम कह रहे हैं कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना हुआ है। मान्यवर, औद्योगिक वातावरण तो मा0 पीमा जी ने वर्ष 86–87 में बना दिया था तथा श्री के0सी0 जोशी ने सन् 1974 में रानीखेत जैसी जगह पर सरस्वती ऊलन मिल खोलकर औद्योगिक वातावरण बना दिया था। इतना बड़ा उद्योग आज प्रशासनिक कमियों के कारण दम तोड़ रहा है। मान्यवर, वे आज खत्म हो गये हैं। यह कौन से उद्योग का वातावरण है जिसमें यहां के लोगों को

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोजगार नहीं मिल पा रहा है ? यहा पर पैसे का भी सरकुलेशन नहीं हो पा रहा है, यहा का पैसा बाहर जा रहा है। यहां के लोगों को आप रोजगार दीजिए, यहां के लोगों को व्यवसाय मिले। जब यहां का आदमी होगा तो वे यहां की लेबर रखेगा, यहा के बैंक में पैसा जमा करेगा, यहां के बाजार में पैसा घूमेगा, इस पैसे से यहा का विकास होगा, लेकिन मान्यवर, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। अभी माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने कहा कि एक कम्पनी नहीं सारी कम्पनियां बिलिंग कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ यहां का गोदाम बना रखा है। हमारी पूर्व सरकार की नीतियों की वजह से यहां पर उद्यमी आ रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेई जी के समय में उद्योगों के विस्तारीकरण के लिए विशेष पैकेज दिया गया, विशेष औद्योगिक नीति बनायी गयी। यह नीतियां इसलिए नहीं बनायी गयी थी कि कुछ बेल्ट विशेष को डेवलप किया जाये। आज यहां के लोग भी बंधुआ मजदूर बनकर रह गये हैं। आज सिडकुल हरिद्वार से क्या फायदा हो रहा है ? कितना टैक्स आना शुरू हो गया है ? 10 साल बाद जब टैक्स आना शुरू होगा तब तक ये कम्पनियां यहां से चली गयी होंगी। ये कम्पनियां यहां कुछ कर नहीं रही हैं, केवल उन्होंने गोदाम बना रखा है, ये सामान बाहर से मंगाती हैं। आज कितना उत्पादन हो रहा है। सारी की सारी योजनाएं बड़े घरानों के लिए बनायी जा रही हैं मुझे यह कहने में संकोच नहीं है। मान्यवर, सिडकुल हरिद्वार की बात चली थी पहले वहां पानी भरा हुआ था अब आपने ठीककर दिया होगा। 80 लाख रुपये आपने पेरजी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को कन्सलटेन्सी के लिए दिये। कैसी हमारी सरकार है कि कन्सलटेन्सी बाहर के लोगों को दे रही है। क्या हमारे यहां लोक निर्माण विभाग, आर0 ई0 एस0 में इंजीनियर नहीं है ? क्या वे इसे तैयार नहीं कर सकते हैं ? प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए बाहर की संस्था को कार्य दिया गया है। विद्युत विभाग के लिए आपने एक करोड़ रुपये की कन्सलटेन्सी दी है। आखिर ऐसे तो उत्तरांचल चल नहीं पायेगा। किसी न किसी को तो बोलना होगा, किसी न किसी को तो इस बिन्दु पर आगे आना ही होगा। यहां सदन में अच्छा सोचने वाले लोग भी होंगे, उनकी आत्मा, उनके जमीर को बोलना ही होगा। आई0आई0ई0, पंतनगर में आवासीय परिसर के विकास के लिए 50 एकड़ की जमीन के विकास के लिए निविदा 29 मार्च के दैनिक जागरण में अंग्रेजी में एडवरटाइज हुई। हमारी सरकार बाहर के बिल्डर्स को लाने की योजना पहले ही बना लेती है। यहां प्रदेश से बाहर के लोगों को कार्य दिये जा रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि उत्तरांचल के लोग तो बेवकूफ हैं। हम आपके लिए रास्ता साफ कर देते हैं। मान्यवर, सिडकुल द्वारा आई0आई0ई0, पंतनगर में आवासीय परिसर के विकास हेतु निजी विकासकर्ताओं से 50 एकड़ के दो प्लाटों हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। इसमें ऐसी शर्तें रखी गयी हैं जिससे यहां का स्थानीय विकासकर्ता निविदा ले ही नहीं सकता है। इसमें विकासकर्ता की वित्तीय हैसियत सात करोड़ रुपये की रखी गयी है। आज प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की ऐसी हैसियत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तरांचल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका 20 करोड़ का टर्न ओवर हो। माननीय तिलक राज बेहड़ जी का

हो तो मुझे पता नहीं लेकिन उत्तरांचल के किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। दूसरा इसमें लिखा गया है कि "पिछले पांच वर्षों में 3 वर्षों का टर्न ओवर औसतन 20 करोड़ रुपया मांगा गया है।" मान्यवर, इससे साफ प्रतीत होता है कि यह नीति उत्तरांचल के आम आदमी के लिए है ही नहीं, यह बड़े औद्योगिक घरानों के लिए ही बनाई गयी है। यहां पर किस व्यक्ति का टर्न ओवर 20 करोड़ हो सकता है ? इसमें आगे लिखा है निविदा में भवन का कब्जा एक वर्ष में निर्माण कर देने की शर्त रखी गयी है। मान्यवर, इनका कहना है कि बुनियादी सुविधा सीवर, पानी तो यह देंगे 18 महीने में लेकिन बिल्डिंग तैयार कर देंगे 1 साल में। इससे भी साफ है कि यह बाहर के लोगों को लाभ देने के लिए किया गया है। बाहर के लोगों से तात्पर्य है कि उत्तरांचल की सीमा से बाहर रहने वाले लोग जो यहां पर व्यावसायिक शोषण करने की दृष्टि से यहां पर आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, निविदा में आवेदन–पत्र के साथ 2.25 करोड़ रुपये की बैंक गारन्टी को मांगा जाना स्पष्ट करता है कि स्थानीय लोगों के प्रवेश को पूरी तरह से रोकने की व्यवस्था की गयी है। यही नहीं निविदा खुलने के मात्र दो दिनों में 2.25 करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट भावना भी स्थानीय लोगों के पक्ष में नहीं है। यह सिर्फ बड़े व्यावसायिक घराने को लाभ देने की ही दृष्टि से किया गया है। मान्यवर, उत्तरांचल का कौन व्यक्ति इतनी रकम एकमुश्त दे सकता है। इसके बाद इन्होंने इसमें दण्ड की प्रक्रिया बनाई है कि निविदा खुलने के 15 दिन के अन्दर अगर पूरा ले–आउट और मास्टर प्लान नहीं आया तो जो दण्ड की प्रक्रिया है वह बहुत खतरनाक प्रक्रिया बनाई है। जो यह 15 दिन में नहीं दे पायेगा उसके लिए 5 लाख रुपया प्रति सप्ताह का दण्ड देगा। मान्यवर, इस प्रकार से यह दण्ड रखना साफ इंगित करता है कि निविदा खुलने से पहले ही संभावित विकासकर्ताओं का चयन कर लिया गया है। निविदा की शर्तों के निर्धारण से इस बात की आशंका स्पष्ट परिलक्षित होती है कि राज्य के बाहर कुछ चुनिन्दा मनपसन्द विकासकर्ताओं के चयन का मार्ग प्रशस्त किया गया है, इस पर आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो क्या सरकार निविदा की शर्तों को संशोधित करते हुए अधिक व्यापक और सरल बनाने के निर्देश प्रदान करेगी ?

मान्यवर, हमारा कहना है कि आखिर सरकार का मंतव्य क्या है ? सरकार जब कोई नीति बनाती है तो वह पारदर्शी और स्थानीय हितों को लेकर क्यों नहीं बनाई जाती है ? इससे आज पूरे उत्तरांचल के नवयुवक बहुत उद्वेलित हैं और वे कभी भी हथियार लेकर सड़कों में आ सकते हैं। इसके कारण खून खराबा भी हो सकता है क्योंकि वे चुपचाप उत्तरांचल को लुटते हुए नहीं देख सकते हैं। मान्यवर, उत्तरांचल का नवयुवक ही नहीं हर व्यक्ति ऐसे नीतियों के खिलाफ आक्रोशित है। जो व्यक्ति उत्तरांचल से प्यार करता है वह यहां के लोगों की भावनाओं का अपमान नहीं सह सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आपकी सारी बातें आ चुकी हैं, आप समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने जो बिन्दु यहां पर उठाये हैं मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में उनका भी उल्लेख करें, अंत में मैं माननीय कौशिक जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर लूंगा। केवल एक घोटाले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। (व्यवधान)

मान्यवर, सिडकुल हरिद्वार में एक उत्तरांचल के बाहर के बिल्डर को जमीन दे दी जाती है कि वह फ्लेट बनाकर बेचेगा। मान्यवर, इससे हमारे प्रदेश की सरकार को क्या फायदा होगा ? इस प्रकार से करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, सिडकुल की जो जमीन है उस पर पहले हमारे यहां के किसान खेती करते थे और उनको कोई खास मुआवजा भी नहीं मिला था। लेकिन आज सिडकुल के अधिकारियों ने दूसरे राज्य के किसानों को वहां से रास्ता दे दिया है। यह रास्ता नक्शे में नहीं था लेकिन लोग वहां से जाते थे लेकिन हमारे प्रदेश के लोगों का रास्ता बन्द करके दूसरे राज्य के लोगों को रास्ता दिया है, इस बारे में कल भट्ट जी ने भी कहा था और उसकी वहां पर प्रशंसा भी हुई थी। मान्यवर, पिछली बरसात में मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने बड़े–बड़े गाड़ देखे हैं। वहां पर कोई मजबूत काम नहीं हुआ है। नट–बोल्ट का ही काम हुआ है, फाउण्डेशन और बाउण्ड्रीवाल के अलावा सब कुछ नट–बोल्ट का है। कुछ समय बाद वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलना तो दूर ये फैक्ट्रियां तक वहां पर नहीं मिलेगी। माननीय श्रम मंत्री जी इन फैक्ट्रियों में रोजगार देने की बात करते हैं। मान्यवर, यहां पर 1200–1400 रुपये मासिक पर लोग ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। सिडकुल के अधिकारियों के साथ मिलकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही विकास की गति को नया रूप देने की आवश्यकता है। इसमें कुछ खामियां भी सामने आयी हैं। जैसाकि अभी माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने शंका व्यक्त की। बेरोजगार मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास हर दिन बेरोजगारों की एप्लीकेशन आती है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में जितनी भी फैक्ट्रियां

लगी है, वहां पर ठेकेदारी प्रथा के आधार पर कर्मचारियों को रखा जा रहा है। इससे बेरोजगारों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमारे सभी 13 जनपदों में जो सेवायोजन कार्यालय हैं, उनके माध्यम से विज्ञप्ति निकाल कर इन फैक्ट्रियों में लड़के और लड़कियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग में कछमोली में उद्योग विभाग ने जमीन क्रय की थी, वह आज बंजर पड़ी हुई है। वहां पर अभी तक कोई उद्योग नहीं लगाया गया है। उद्योग लगाने के परपज से 15 साल पहले इस जमीन को क्रय किया गया था। मेरा अनुरोध है कि यदि उस जमीन पर सॉफ्टवेयर का एक कारखाना लगा दिया जाय तो इससे बेरोजगारों को बहुत लाभ मिलेगा और सरकार को भी इससे फायदा होगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मदन कौशिक जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में प्रदेश का औद्योगिक विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन इसमें एक बात अवश्य बोलूंगा कि इस औद्योगीकरण का जो लाभ हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है और न ही मिल पायेगा। इस औद्योगीकरण से जो मुख्य लाभ मिलने वाला था, वह यहां के लोगों को रोजगार मिलना था। सरकार द्वारा कहा गया था कि इससे यहां के बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। यह कहा जा रहा था कि यहां पर जितने भी उद्योग लगाये जायेंगे, उनमें 70 प्रतिशत स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जरूर कहूंगा कि अपने उत्तर भाषण में स्थानीय की परिभाषा क्या है, इसको जरूर बता दें। मान्यवर, इसके अतिरिक्त देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में अलग–अलग कितने प्लाट वितरित हुए, इसकी जानकारी अवश्य दे दें। कितने ही प्लाट ऐसे हैं, जिनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मान्यवर, तीन दिन के लिए रजिस्ट्री के ट्रांसफर के जो आदेश दिये गये हैं, यह कालाबाजारी को बढ़ावा देना है मैं तो कहूंगा कि यह कालाबाजारी है। मान्यवर, इसके प्रति सरकार ने क्या नियम बनाया है उसकी जानकारी मैं सरकार से जरूर चाहूंगा। मैं एक बात और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं मान्यवर, उद्योग तो यहां पर लगते जा रहे हैं लेकिन खेती की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है हम अन्न कहां से प्राप्त करेंगे ? सीलिंग में जो जमीन निकल रही है वहां पर सिडकुल के माध्यम से उद्योग लगाने की योजना बनाई जा रही है। मान्यवर, उत्तरांचल में स्थानीय उद्योग जैसे जूता, लकड़ी से सम्बन्धित उद्योग जो वनों के माध्यम से किया जा सकता है, जड़ी बूटी उद्योग, रेशम उद्योग और खनिज उद्योग यहां पर स्थापित किये जायें तो ये अधिक उपयोगी होंगे और टिकाऊ भी होंगे और जो बाहर से बड़ी–बड़ी मशीनों को लाकर उद्योग लगाये जा रहे हैं वे कभी भी यहां टिकाऊ नहीं होंगे। जो यह बड़ी बिल्डिंग इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए बनायी गयी है वे आने वाले 10 वर्षों में खण्डहर में तब्दील हो जायेंगी।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज पूरे उत्तरांचल में औद्योगिक क्रान्ति फैली हुई है। राज्य को उनके अनुभवों का बहुत लाभ मिला है। भारत सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तरांचल में पहले भी बहुत से उद्योग स्थापित किये हैं सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस बात को माना भी है। मान्यवर, एच0एम0टी0 इतना बड़ा कारखाना हल्द्वानी में खुला और लाल कुआं में इतने बड़े उद्योग खुले यह माननीय तिवारी जी के अनुभवों और उनकी उद्योगों के प्रति जो रुचि है उसी के कारण लगे। आज उत्तरांचल में सबसे अधिक उद्योग की स्थापना अगर कहीं हुई है तो वह जनपद हरिद्वार है। इन उद्योगों का लाभ भी उत्तरांचल के लोगों को मिल रहा है। मान्यवर, यहां लगने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय जनता को मिलना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां आई0टी0आई0 और पॉलिटेक्निक कर चुके लोगों को वहां पर रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ ही जनपद बागेश्वर, चम्पावत और रुद्रप्रयाग में भी उद्योग खोले जाने चाहिए क्योंकि यह नये जिले हैं। बागेश्वर जनपद में सोप स्टोन उद्योग की अपार सम्भावनाएं हैं। मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि रेलवे विभाग द्वारा इस वर्ष रखे गये अपने बजट में बागेश्वर में सर्वे की बात कही गयी है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैग्नेसाइट की फैक्ट्री जो बागेश्वर में है उसका नाम पूर्व में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री था उसे बदलकर बागेश्वर मैग्नेसाइट फैक्ट्री कर दिया जाय क्योंकि पहले बागेश्वर जिला नहीं था।

मान्यवर, और साथ ही उत्तरांचल में हस्तशिल्प के लोग जो लोहे, तांबे, कताई, बुनाई का कार्य करते हैं उनके लिए भी रॉमटेरियल की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, हर जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, जब इन काश्तकारों को रॉमटेरियल मिलेगा तभी वे कार्य कर पायेंगे। मान्यवर, यह जो पर्यावरण की दृष्टि से भी उचित है। मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे भी इस बजट में जोड़ा जाय।

* श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में प्रगति हो रही है निश्चित रूप से यह अच्छी बात है। मान्यवर, लोगों के मन में इनके प्रति कुछ शंकाएं भी व्याप्त हो रही हैं। उनका समाधान हमारी सरकार करेगी ऐसा मेरा विश्वास है। मान्यवर, छोटे उद्योगपतियों को निश्चित रूप से संरक्षण देना चाहिए, इसी में प्रदेश की प्रगति है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में हजारों करोड़ रु0 का निवेश हुआ है। मान्यवर, मुझे इस बात का दुःख है कि मेरे क्षेत्र में दाउदवाला औद्योगिक क्षेत्र है। मान्यवर, जब से नये उद्योग प्रदेश में आये हैं, इससे इसकी स्थिति खराब हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार पुराने उद्योगों की ओर

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान दें, इनको बचाने का प्रयास करें। मान्यवर, यहां पर जो उद्योग हैं, उस उद्योग पर उत्तर प्रदेश का नियंत्रण है और मैं चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी उत्तरांचल सरकार को हस्तान्तरित हो।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय श्री मदन कौशिक जी द्वारा और सम्मानित सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं, उन सभी पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। मान्यवर, यह भी सही है कि राज्य के विकास में उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यवर, औद्योगिक आस्थान केवल छूट प्राप्त करने की दृष्टि से यहां पर नहीं आये हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वे लाभ प्राप्त करके यहां से चले जायेंगे। मान्यवर, इन उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बारे में पूर्व में भी यहां पर सवाल उठे हैं। हम इन कर्मचारियों के बारे में चिंतित हैं। मान्यवर, जिन उद्योगपतियों ने जमीन ली परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किया है, वे अपने फायदे के लिए प्लाट को नहीं बेचेंगे। मान्यवर, मैं हल्द्वानी के बारे में अवगत कराना चाहती हूं कि वहां पर भी जिन उद्योगपतियों ने प्लाट खरीदे थे, उन्हें इनको बेचने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए विधिक प्रक्रिया अपना रहे हैं। मान्यवर, हरिद्वार में कम जगह थी पंतनगर में ज्यादा जगह थी। मान्यवर, वहां पर प्लाटों को ज्यादा पैसे में बेचने नहीं दिया जायेगा।

उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, वह सरेण्डर करेंगे और सिडकुल के माध्यम से दिये जायेंगे और किसी भी कीमत पर लाभ कमाकर बेचने की इजाजत नहीं दी जायेगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है, जिससे तमाम लोगों की उम्मीद बंधी है, जो यह निश्चित रूप से रोजगार है। मान्यवर, रोजगार के लिए शासनादेश हुआ कि 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, ठेकेदारी के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, जिसमें थोड़ी बहुत सुविधायें भी प्रदान कर रहे हैं। 70 प्रतिशत रोजगार की बात की तो हमने ठेके की भर्ती के अन्तर्गत मन बनाकर नहीं की थी। मान्यवर, इन उद्योगों के खुलने से स्थानीय लोग रोजगार पायेंगे, उच्च पदों पर यदि वे अपने आदमी को रखना चाहते हैं तो उन पदों पर स्थानीय लोगों को रखें यह भावना थी। शासनादेश भी यही था। इसमें मिनिमम वेटेज ऐक्ट के अन्तर्गत रखा जाय, हमारी जिम्मेदारी है, जो भाव हमने पैदा किया है, जो नौजवान बच्चों के मन में भाव पैदा हुआ, तो हमें उस आशंका को दूर करना पड़ेगा। मान्यवर, लोग काम के लिए जायें और निराश होकर लौटें, उनकी निराशा राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है, तो इस पर निश्चित रूप से निर्णय लिया जायेगा। उन्हें मिनिमम वेटेज ऐक्ट का पालन करने के लिए बाध्य किया जाय।

मान्यवर, बड़े-बड़े उद्योगपति यहां आये उनके देश विदेश में भी उद्योग हैं तो उनको लाने के लिए अपनी आकांक्षाओं को छोड़ दें यह बात नहीं है। मान्यवर, यदि कोई बड़ा उद्योग आता है तो उससे प्रदेश का नाम भी दुनिया में पहुंचता है। यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तरांचल की पहचान विश्व में बनी है, कभी पर्यटन तो कभी उद्योगपतियों के कारण। मान्यवर, जेनेवा से पैप्सी के लिए उद्योग लगाने के लिए आये

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और पंतनगर में खोला, विश्व स्तर पर पहचान बनी। मान्यवर, लंदन के हवाई अड्डे पर लुधियाना का सामान मिलता है तो इस तरह की पहचान का माध्यम होता है। मान्यवर, माननीय मीना जी उद्योग से जुड़े हैं। उन्होंने उद्योग विभाग में अध्यक्षता की है, यह यहां से लेकर पंजाब तक जुड़े हुए हैं। जो उद्योगपति पहले से काशीपुर में थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको भी प्राइवेट लैण्ड का लाभ दिया जाय जो एक्सटेंशन की सामर्थ्य रखते थे। काशीपुर, जसपुर, लालकुआं में सेंचुरी है, शायद ही कोई इण्डस्ट्रीज हो जो छूटी हो। मान्यवर, जो उद्योग हमारे पहले से स्थापित हैं जिसका लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है उनको ठेके पर नहीं रखा है उनको भी इसका लाभ मिले। जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री जी का वह देश के उद्योग मंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री रहे हैं। आपने कहा कि उद्योग यहां पर लाभ के लिए आ रहे हैं ऐसा नहीं है। वह यहां पर अपनी सुविधा के लिए आते हैं क्योंकि यहां पर उनको बिजली चौबीस घंटे मिलती है, ऐसा अन्य प्रदेशों में नहीं है। मान्यवर, हमने कई प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों से बात की, एक दो ऊर्जा मंत्रियों को देखने को मिला उत्तरांचल की ओर आशा भरी किरण से देख रहे हैं। वह सारे उद्योगपतियों ने अपने एनलेसिस करने के बाद देखा कि उत्तरांचल में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्हें लगा कि यहां पर उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मान्यवर, उत्तरांचल ऊर्जा की दृष्टि से अग्रणी है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि जब छत्तीसगढ़ बना था तो वहां के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे। वहां कोयला अधिक है तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहां आयें और हम आपको जमीन मुफ्त में देंगे। जमीन तो हमने उन्हें सस्ते में नहीं दी कुछ ने तो यहां तक कहा कि आप जमीन बहुत महंगी दे रहे हैं। आज कन्सलटेंसी का युग आ गया है, विश्व स्तर की कन्सलटेंसी हो। वह चाहे स्पेशल विधा में डेन्टीस्ट हो, अभी यहां रहने वाले डाक्टर आये थे, वह अमेरिका में हैं तो उन्होंने कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर को बिना परेशानी के ठीक किया जा सकता है। मान्यवर, हमारे यहां अभी प्राधिकरण भी इन मामलों में सफल नहीं हो पाये हैं। विकास के मामले में कुछ जगह प्राधिकरण सफल नहीं हैं। जहां तक कन्सलटेंसी की बात है वह करना पड़ेगा। मान्यवर, प्रश्न यह है कि उसकी दिशा सही होनी चाहिए और चयन मेरिट पर होना चाहिए। हम मेरिट पर ही चयन कर रहे हैं। कन्सलटेंसी तो आपको लेनी ही होगी। आपने जिन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया है उनको हम गम्भीरता से ले रहे हैं। जब उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वे यहां पर रहें। बड़े भारी औद्योगिक शहर के रूप में हमारे इलाकों को विकसित किया है हम चाहेंगे कि वे अपना कार्य करें। उनके उद्योग एक किनारे से दूसरे किनारे तक हैं।

हमारे जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग बन्द हो गये हैं उनको रिवाईव करने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम चिंतित हैं। एच०एम०टी० का कारखाना है, वह भी बन्द हो गया है। हमें उद्योगों के लिए शान्तिपूर्ण वातावरण बनाना होगा। उद्योगपतियों के मन में भय होता है। लोग कारखानों में 4-4 ट्रेड यूनियनें खड़ी कर देते हैं। इसका भय होना

स्वाभाविक है। शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि उद्योगपति आयें मगर अगर हमारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें विचार करना होगा। हमने उम्मीद की किरण जगायी है। माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, हमने उसे गम्भीरता से लिया है। सभी ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। बिलिंग को हम एलाउ नहीं करेंगे। जो उद्योगपति यहां आयेगा वह सरकुलेशन ऑफ मनी यहीं के बैंकों से करेगा। अब तो क्रेडिट कार्ड का जमाना है। अब पता नहीं माननीय चीमा जी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने कुछ बैंकर्स आये थे। मुख्यमंत्री जी बैंकर्स के सम्पर्क में रहते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बैंकर्स ने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी थी। बैंक के लोग जो इस तरह का कार्य करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो मान्यवर, सरकुलेशन ऑफ मनी तो यहां होगा ही। उनके उद्योग यहां पर स्थापित हों, हमारे लोगों को रोजगार मिले और वे केवल लाभ कमाने के लिए ही न आयें, इसे हम देखेंगे। ऐसी कोई शिकायत फिर आप विशेष रूप से देंगे तो हम उसकी जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

श्री हरिदास–

मान्यवर, बिल्डर्स की जांच की बात मैंने कही थी। जो दिल्ली का बिल्डर है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सिडकुल में घर बनाने के लिए जमीन दी गयी है। पंतनगर में भी दी है और हरिद्वार में भी दी है। वहां पर मकानों की आवश्यकता तो होगी ही तो आखिर वह मकान कैसे बनाये जायें तो इस पर काफी विचार हुआ और अंततः यह निर्णय हुआ कि 200–300 मकान वहां पर बनाकर दिये जायं क्योंकि अगर उद्योगपति अपने स्तर पर मकान बनायेंगे तो सबका अपना–अपना स्वरूप होगा, जिससे वहां का स्वरूप खराब हो सकता था। ऐसा मेरी जानकारी में है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, स्थानीय की परिभाषा बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, स्थानीय शब्द का अर्थ है उत्तरांचल राज्य का निवासी चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। जो इस राज्य में रहता हो।........

श्री हरिदास–

मान्यवर, ठेकेदारी प्रथा को सरकार रोजगार मानती है। अभी आपने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था की जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो मिनिमम वैजेज ऐक्ट है, उसके अनुसार रोजगार देने की बात की थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि जब हमारे पास सिडकुल के पास काफी प्लाट पंतनगर में खाली पड़े हैं तो हरिद्वार में प्राइवेट एरिया डेवलप करने की अनुमति क्यों दी गयी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके आकर्षण से भी उद्यमी हरिद्वार आना चाहते हैं। पहला कारण यह है कि हरिद्वार के लिए लोग ज्यादा आकर्षित है। जो भी लोग आये हमने कहा कि हरिद्वार में नहीं है तो पंतनगर में ले लो तो उनका कहना है कि हमें हरिद्वार में भी उद्योग लगाना है। दूसरा प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बात भी हमने प्लानिंग कमीशन से की, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से भी पूंजी निवेश अपने प्रदेश में करायें। तो यह प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप के तहत ऐसा किया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह एक सीधा सा सवाल है कि जब पंतनगर में प्लाट खाली हैं तो हरिद्वार में पुनः प्राइवेट इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने की आवश्यकता क्या है ? वहां पर किसी ने 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जमीन खरीदी और 1000 रुपये के हिसाब से वह बेच रहा है तो इसकी अनुमति क्यों दी गयी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जैसा आपने कहा कि वहां पर ऐसी बात हो रही है तो हम इसकी जानकारी करायेंगे। अगर जरूरी हुआ तो जांच कराई जा सकती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर हम स्पेशफिक जानकारी दे दें तो ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर आप स्पेशफिक जानकारी देंगे तो हम उसकी जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कछमोली एक जगह है जिसे 15 साल पहले उद्योग विभाग ने लिया था लेकिन आज तक वहां पर कोई उद्योग नहीं लगाया गया है, मेरा अनुरोध है कि वहा पर सॉफ्टवेयर की कोई इण्डस्ट्री लगाई जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप लिखित में दे दें, जो इण्डस्ट्री आप कहेंगे, लगाई जायेगी।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, हमारे बागेश्वर में सोपस्टोन बहुत निकलता है, उसके लिए भी कोई योजना की ओर सरकार ध्यान दे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, निश्चित रूप से बागेश्वर बहुत इंपोर्टेंट है, वहां पर सोपस्टोन काफी होता है, उसके लिए निश्चित ही व्यवस्था करनी होगी क्योंकि वहां पर प्राइवेट में खनन से हमारा सोप स्टोन लुट रहा है। उसके सही दोहन की व्यवस्था के बारे में हमें सोचना होगा क्योंकि सोपस्टोन आज बहुत बड़ी जरूरत होता जा रहा है।.........

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी खुद कह रही हैं कि लूट हो रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लूट इस मायने में हो रही है कि वहां पर प्राइवेट लोग ठेके ले रहे हैं। बाहर के लोग ठेके ले रहे हैं। क्या आप सब को अच्छा नहीं मानते। सब को भी अच्छा मानना चाहिए। मैं खुद वहां पर गली–गली में घूमी हूँ। वहां बहुत ही कीमती मिनरल है। इसको चेनलाईज किया जाना चाहिए। उसका लाभ वहां के लोगों को मिलना चाहिए, वहां के किसानों को मिलना चाहिए जो कि अभी नहीं मिल रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे आश्वासन दिये हैं। क्या उनका पालन भी होता है ? सरकार ने कहा कि ठेके पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी। क्या सरकार के इन शब्दों का पालन भी किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका पालन अवश्य होगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नैथानी जी को आश्वासन दिया कि कछमोली में कारखाना लगाया जायेगा। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी भी औद्योगिक इकाईयां

हैं, चाहे वह टिहरी में हों, चाहे गढ़वाल में हों, चाहे चमोली में हों या पिथौरागढ़ में हों सारी औद्योगिक इकाईयां आज वीरान पड़ी हैं। यदि इनको गति देंगे तो इससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष को इस बात की सराहना अवश्य करनी चाहिए कि पिछले 4 वर्षों में जितने अद्वितीय ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किये हैं, वह अपने–आप में एक उपलब्धि है। यह सही है कि हम बिल्कुल चोटियों तक नहीं पहुंच पाये हैं। लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे लोग जीवन यापन करते हैं, उनको कुटीर उद्योग से लेकर अन्य उद्योगों को लाभ दिया जा रहा है। शिल्पियों को भी लाभ प्रदान किया जा रहा है। हम सब जगह उद्योग लगायेंगे, आप अवसर तो दीजिए।

श्री नारायण सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कि हमने विकास किया है। मैं स्वीकार करता हूं कि आपने देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में कुछ कार्य किये होंगे लेकिन मेरे शब्द हैं कि पर्वतीय जनपदों में आपका कार्य शून्य है। वहां पर आपने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराये हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयां बन्द पड़ी हैं, उनको चालू करायें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपको आश्वासन देती हूं कि इनको अवश्य चालू कराया जायेगा। अब मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी बात को एक कविता के जरिये समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 214128 हजार (दो सौ चौदह करोड़ बारह लाख अट्ठासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विभाग

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विभाग

के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 594228 हजार (उनसठ करोड़ बयालिस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, हमारी सरकार के सार्थक प्रयास के द्वारा कम से कम जमीन में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने तथा वैकल्पिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बागवानी को मुख्य आर्थिक गतिविधि के रूप में चिन्हित किया गया है। मान्यवर, उद्यान विभाग का बजट एक नये रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके तहत उद्यान विभाग को नये रूप में परिभाषित कर इसके अन्तर्गत बाग विकास, रेशम विकास, जड़ी-बूटी विकास, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात विकास का समावेश कर क्रियान्वित किया जा रहा है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2005-06 में औद्यानिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु आयोजनागत जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत रु0 1495.93 लाख, रेशम विभाग की केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत 200.00 लाख तथा हार्टीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन के अन्तर्गत रु0 1106.00 लाख का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के क्षेत्र में औद्यानिक कार्यों हेतु रु0 437.40 लाख का प्राविधान किया गया था। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 11.92 लाख फल पौध 1, 862 कुन्तल सब्जी बीज, 3714 औद्यानिकी संयत्र, 249 लाख सब्जी पौध, 1706 कुन्तल आलू बीज वितरित किया गया एवं राजकीय उद्यानों में 53.30 कुन्तल सब्जी बीज, 4.83 लाख उन्नत किस्म के फलदार पौधों का उत्पादन किया गया तथा विभिन्न आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत 7964 सब्जी, मसाला, पुष्प आदि के प्रदर्शन कृषकों के प्रक्षेत्रों पर किये गये।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया गया कि बजट भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय।)

मान्यवर, मैं कुछ विशेष बिन्दुओं की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत 1229 हे0 क्षेत्र में पौध रोपण, 30388 हेक्टर क्षेत्र में पौध सुरक्षा कार्य किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी में आलू उत्पादक फेडरेशन का गठन कर उनके माध्यम से लगभग 4500 कुन्तल आलू बीज उत्पादित किया गया है। मान्यवर, प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र के जो काश्तकार हैं उनकी तरक्की के लिए बहुत सी योजनाएं बनायी गयी है। राज्य गठन के बाद उत्तरांचल में 2005-06 में प्रथम बार सेब व माल्टा फल के क्रय हेतु समर्थन मूल्य घोषित कर बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन किया गया। जिसके तहत 314 कुन्तल सेब तथा 601.63 कुन्तल माल्टा फल का क्रय किया गया। फलों के पैकिंग में कोरोगेटेड बाक्सों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 116000 बाक्सों का वितरण कृषकों को किया गया। इस वित्तीय वर्ष में इसकी संख्या और अधिक बढ़ाई जायेगी।

मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश में औद्यानिकी वातावरण बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि यदि इस प्रदेश का विकास किसी पर निर्भर है तो वह सबसे ज्यादा उद्यान पर निर्भर है, व्यावसायिक खेती पर निर्भर है। मान्यवर हमने जड़ी बूटी के क्षेत्र में काफी प्रयास किये हैं और इसमें हम सफल भी हुए हैं। मान्यवर, अभी हाल ही में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष आये थे और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उत्तरांचल काफी प्रगति कर सकता है। उत्तरांचल की मण्डियों को देखकर उन्होंने कहा कि ऐसी मण्डियां पूरे देश में स्थापित होनी चाहिए। मान्यवर, जिस दिन किसान अपना कोया इन मण्डियों में लाते हैं, तुरन्त कोया के हिसाब से उनका पेमेंट किया जाता है। मान्यवर, इस दिशा में भी काफी प्रयास किये जा रहे हैं कि रेशम उत्पादन से लेकर कपड़े बनाने तक का कार्य किया जाय, ताकि प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, बागवानी, जड़ी–बूटी, रेशम के क्षेत्र में मानव दिवसों का सृजन कर बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिया गया है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर बागवानी के क्षेत्र में विकसित करने के लिए हम सभी माननीय सदस्यों का भी दायित्व बनता है। मान्यवर, उद्योग के क्षेत्रों की बात करता हूँ, यह एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। इस दिशा में हमने इस वित्तीय वर्ष में हाईटेक तकनीकी मिशन के तहत 54 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है जो इस वित्तीय वर्ष में क्षेत्र विस्तार से लेकर, नर्सरी विस्तार से लेकर तमाम योजनाएं संचालित कर किसानों को सहायता देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण बजट को पास करने में अपना योगदान दें और जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये हैं, उन पर अमल किया जायेगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29, उद्यान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की तरह है। दोनों प्रदेश की एक ही तरह की जलवायु है, जोकि उद्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त है और उद्यान एक ऐसा विभाग है कि जो विकास की दृष्टि से प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है और इससे प्रदेश आत्मनिर्भर भी बन सकता है। मान्यवर, आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आत्म निर्भर है। परन्तु यहां पर सरकार को कार्य करते हुए चार साल व्यतीत हो गये हैं, फिर भी सरकार ने घाटे से उबारने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनायी है। मान्यवर, इस सरकार ने एक कार्य किया है, जो राजकीय उद्यान थे, उनको निजी हाथों में बेच दिया है।

मान्यवर, उद्यान निजी संस्थान को पानी के भाव बेच दिये, आज पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में गटका का उद्यान है जो 49 एकड़ भूमि है और वह 8 हजार रुपये प्रतिवर्ष में बेच दिया। मान्यवर, वहां पर 8 हजार रुपये में, एक साल में घास बेची जाती है। जो

उद्यान है उसमें आडू, अखरोट आदि की नर्सरी है, उसको पानी के भाव बेच दिया। इस प्रकार जो भी प्रदेश में उद्यान हैं उनको भी पानी के भाव बेच दिया। मान्यवर, जहां तक उद्यान की बात कही कि उद्यान से प्रदेश आगे बढ़ सकता है। आज प्रदेश में जो काश्तकार उद्यान लगाते हैं उसका रिकार्ड कहीं नहीं होता है, तो जब ओला वृष्टि, सूखा हो जाता है तो उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है और जो रिकार्ड में हैं उनको कम मुआवजा दिया जाता है। मान्यवर, 25 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक एकड़ में एक हजार रुपया दिया जाता था आज भी वही है। आपने ओला वृष्टि में पैसा नहीं बढ़ाया। मान्यवर, 25–30 नाली का खेत होता है। आप पेड़ों की कीमत से आंकलन नहीं करते हैं आप जमीन को देखकर आंकलन करते हैं। वहां कुन्तलों के हिसाब से माल्टा सड़ रहा है, मेरा निवेदन है कि उन क्षेत्रों में कूल हाउस की व्यवस्था नहीं है तो कूल हाउस की व्यवस्था करें तो माल्टा सड़ेंगे नहीं। मान्यवर, बोना में सेब का उत्पादन किया जाता है, अगर वहां पर ट्राली लग जाती है तो हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ती।

मान्यवर, चाय के लिए जमीन उपयुक्त है। आपने कहा कि विदेशों में निर्यात किया जाय, तो आपने कितने कुन्तल निर्यात किया इसका रिकार्ड नहीं है। मान्यवर, बेरीनाग की चाय का निर्यात 20 साल पहले होता था, आज सूखा पड़ा है। मान्यवर, 2002 में चाय के लिए डीडीहाट क्षेत्र में मृदा परीक्षण किया गया जो उपयुक्त पाई गयी। चाय की नर्सरी लगायी गयी, एक लाख पौधा लगाया गया और 2 साल बाद कौसानी में पौधा ले गये। डीडीहाट क्षेत्र के लोगों की जो जमीन छोड़ी थी वहां से पौधा चमत्कार अन्य क्षेत्र में पहुंचा दिया गया। मान्यवर, भेषज संघ का काम जड़ी–बूटी से चलता है, लेकिन आपने नियम को दे दिया, भेषज संघ को जड़ी–बूटी की जानकारी है उनके लिए सीधे मण्डी में पहुंचा दिया। मान्यवर, जमीन पर गिरा हुआ झूला और तेजपात पत्ता को इकट्ठा करके अपना स्वरोजगार चुनते हैं। उसे भी आपने छीन लिया।

मान्यवर, जो जड़ी–बूटी का दोहन हो जाता है, उनको हर साल निकालना पड़ता है, उस पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया। सालन पत्ता अतीस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। किसान अपने नाप खेतों में जड़ी–बूटी उत्पादन करेंगे तो उससे प्रदेश को भी फायदा होगा, आपके द्वारा इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। जहां तक बेमौसमी फल सब्जी हैं वे उसका उत्पादन कर रहा है उसमें ओलावृष्टि हो जाती है तो सरकार द्वारा उसको मुआवजा भी नहीं दिया जाता है अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो इससे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सुझावों पर जब अपना उत्तर भाषण देंगे तो इनको उसमें समाहित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री किशन सिंह बुफाल द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने को खड़ा हुआ हूं मैं कहना चाहता हूं कि लगभग दो ढाई साल पहले एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति आया बेनी पिवानी नाम का। वह उत्तरांचल के सारे किसानों का धन लेकर बाहर निकल गया और बैंक गारण्टी डेढ़ करोड़ रुपये की इस सरकार ने दी जबकि हमारे युवाओं को 10 लाख बैंक ऋण लेने के लिए दर–दर ठोकरें

खानी पड़ती है। वह व्यक्ति आज तक नहीं पकड़ा गया। सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको सी0बी0सी0आई0डी0 को दे रखा है, कभी कहा कि हम इन्टरपोल की मदद ले रहे हैं, कभी कहा कि हमने हवाई अड्डों को एलर्ट कर रखा है। वह इतना बड़ा अपराधी किस्म का व्यक्ति था, सरकार ने उसको इतनी बड़ी धनराशि कैसे दे दी। मजे की बात यह है कि बैंक में मॉरगेज किया है। पहले शीतगृह लीज पर लिया, लीज पर लेने के बाद उसको बैंक में मॉरगेज कर दिया। मान्यवर, वह छोटा मोटा आदमी नहीं है वह शातिर है। क्या सरकार ने किसानों का पैसा दे दिया है ? मंत्री जी ने बयान दिया है हम किसानों का पैसा लौटा रहे हैं। मान्यवर, वन मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं और उद्यान मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। यह 13 जिला का राज्य है। जड़ी–बूटी की बात करते हैं। माननीय नुकाल जी ने कहा मैं कहना चाहता हूं कि जड़ी–बूटी पर प्रतिबन्ध क्यों लगा रखा है ? बार–बार हम हिमाचल का उदाहरण देते हैं। हिमाचल में कुछ एक जड़ी–बूटियों को देखा जाय उसके अलावा वहां पर प्रतिबन्ध नहीं है। किलमोड़े की जड़ है वह जगह–जगह हो सकती है उसकी खपत इतनी है कि बेरोजगार इससे अच्छा खासा धन कमा सकता है।

मान्यवर, उस पर हमने प्रतिबन्ध लगा दिया है, लेकिन हिमाचल में एक तरफ जड़ उखाड़ी और दूसरी तरफ प्लांटेशन कर दिया जाता है। इससे कमी भी नहीं होती है और लगातार उसकी पूर्ति होती रहती है, उसका बाजार बना रहता है। मेरा आग्रह है कि क्या वन विभाग और उद्यान विभाग बिलकुल कर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे यहां के बेरोजगारों को लाभ मिले ? सरकार को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं रानीखेत से भेषज कार्यालय को गोपेश्वर कर दिया गया, विद्युत विभाग के कार्यालय को हटाकर हल्द्वानी कर दिया गया, पी0डब्ल्यू0डी0 के निर्माण खण्ड कार्यालय को भी यहां से हटाया जा रहा था जिसको मैंने रुकवा दिया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तो सारे कार्यालयों को आप रानीखेत से समाप्त कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह वक्तव्य आना चाहिए कि आप एक–एक करके इस सुन्दर नगरी से सारे कार्यालयों को क्यों हटा रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री नुकाल जी ने माननीय भट्ट जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। माननीय नुकाल जी ने हमारे विभाग के जो उद्यान हैं उनको लीज पर देने की बात कही है। निश्चित रूप से सरकार की नीति के आधार पर प्राईवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे उद्यान ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, उनको लीज पर देने का निर्णय लिया गया है और जो उद्यान लीज पर दिये गये हैं विभाग उनकी मॉनीटरिंग भी कर रहा है और जो उद्यान ठीक प्रकार से काम नहीं कर

रहे हैं उनकी लीज निरस्त करने की कार्यवाही विभाग कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो मंशा माननीय शुक्ला जी ने व्यक्त की है, वह मंशा सरकार की कभी भी नहीं रही है। हमने उद्यानों से लाभ कमाने की दृष्टि से कार्य नहीं किया है। इसके पीछे मंशा यह थी कि जो बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वे नयी टैक्निक के आधार पर काम कर रहे हैं, कई उद्यानों में अच्छा काम हो रहा है और जिनमें अच्छा काम नहीं हो रहा है उनको नोटिस दी गयी है और कई की लीज निरस्त करने की प्रक्रिया चलायी जा रही है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, कितने ऐसे उद्यान हैं, उनको नाम भी बता दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, अभी 8 उद्यानों की लीज निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इनकी सूची अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा आपने रोप-वे की बात कही है। जहां-जहां भी रोप-वे की आवश्यकता होगी उद्यान विभाग वहां रोप-वे लगायेगा। इसके लिए हमने बजट की व्यवस्था की है। 90 प्रतिशत अनुदान में हम रोप-वे की व्यवस्था कर रहे हैं। रुपये 4.50 लाख तक हम इसमें खर्च करेंगे। 10 प्रतिशत का व्यय भार काश्तकार को अपने हित के लिए करना होगा। जो शेष का 90 प्रतिशत पैसा विभाग लगाकर निर्माण करायेगा और निश्चित रूप से वहां पर रोप-वे का निर्माण होगा। उत्तरांचल में चाय के उत्पादन की बात की गयी तो विशेष रूप से हमारे कौसानी की चाय का उल्लेख करना चाहूंगा। जिसका उत्पादन करके उसे विदेशों में भी निर्यात किया गया। कुल 2500 किलोग्राम चाय हमने विदेशों को निर्यात की है। इसी प्रकार से घोड़ाखाल और चम्पावत में जो चाय का प्लांटेशन हो रहा है। इन दोनों जगहों पर जैविक खेती से चाय उगाने का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों जगहों पर जैविक रूप से चाय उगाने के लिए हमने प्रमाण-पत्र भी ले लिया है। इस प्रकार से शुद्ध रूप से जैविक चाय के उत्पादन हम कर सकें ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सूखे से नुकसान के बारे में कहा गया तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की एक टीम यहां पर निरीक्षण के लिए आई है, सम्भवतः वह पिथौरागढ़ भी गयी होगी। हमारे विभाग के आंकड़ों के अनुसार 7.43 करोड़ रुपये की क्षति हमें बागवानी के क्षेत्रों में हुई है। जिसके लिए हमने भारत सरकार को अवगत कराया है अभी उनकी एक टीम यहां पर निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण के बाद मानकों के अनुसार ही काश्तकारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया निश्चित ही की जायेगी। माननीय अजय भट्ट जी ने भटेला में जो हमारा कोल्ड स्टोर था, जिसे हमने लीज पर बेनी को दिया था की भी बात की। निश्चित ही वह कोल्ड स्टोर बेनी को लीज दिया गया था और कुछ दिन काम करने के बाद वह वहां से भाग गया था। इसकी जांच के लिए हमारी सरकार ने सी0बी0सी0आई0डी0 से इनकी जांच करवाई है और जांच हो रही है अभी उसके कुछ ठिकानों का पता लगाया गया और कुछ सम्पत्ति की कुर्की भी की गयी है। उम्मीद है कि जल्दी ही वह पकड़ा भी जायेगा। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि बेनी सरकार का पैसा लेकर भाग गया और उसने कोल्ड स्टोर को गिरवी रख दिया

था और चूना लगाकर भाग गया तो यह सही भी नहीं है। उसने बैंक में कोल्ड स्टोर को मॉरगेज करने का प्रयास किया था। इसकी भी जांच हमने विधि विभाग से कराई तो इसमें यह सामने आया है कि उसने मॉरगेज करने की बात की लेकिन उसकी रजिस्टर्ड डील नहीं हुई। उसने अपने प्रभाव से ही ऋण ले लिया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बैंक की गारन्टी को तो सरकार ने लिया है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, हमने ऐसी गारन्टी नहीं ली थी। केवल एक पत्र लिखा था और विधि विभाग ने अपनी जांच के बाद कहा है कि मॉरगेज की प्रक्रिया में बैंक ने रजिस्टर्ड डील नहीं की है, तो पैसा लेने की जिम्मेदारी बैंक की है इसमें सरकार कहीं पर भी इन्वाल्व नहीं है। इसके साथ लीज का एग्रीमेन्ट किया गया था जिसे निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, लेकिन इनकी मंशा तो गलत ही थी, यह तो बाद में विधि विभाग से जांच कराके टेक्निकल प्वाइंट से आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी तो मंशा गलत ही थी, उन्हें लाभ पहुंचाने की ही थी।......

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, हमारी मंशा तो निश्चित रूप से यह थी कि इस प्रदेश के किसानों को मार्केटिंग में लाभ मिल सके, उनकी फसलों का अच्छा दाम मिल सके। इस उद्देश्य से प्राईवेट सेक्टर से एग्रीमेंट किया गया था, जो कि इस विभाग में किया जा रहा है। लेकिन इसमें हमको धोखा हो गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिसका अता–पता ही नहीं था। आखिर किसने उसको सरकार से इंट्रोड्यूस करवाया ? वह कौन व्यक्ति था जो सरकार से उसका परिचय कराने के लिए लाया ? यह तो बताया जाना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, हमने इसकी जानकारी पूर्व में दे दी थी। वर्तमान में इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें करोड़ों रुपये का नुकसान किसानों का नहीं हुआ है। 24 लाख से अधिक की किसानों की देनदारी का भुगतान हमारे सामने नहीं आया है। हम कह देते हैं कि करोड़ों का नुकसान हुआ। बैंक ने खुद उस कोल्ड स्टोरेज को ठीक करने के लिए 56 लाख रुपये लगाये हैं। उसका 10–12 लाख रुपये का सामान अभी भी वहां पर रखा हुआ है। ऐसे में यह वातावरण बना देना कि वह करोड़ों रुपये लेकर भाग गया, वह ठीक नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार बेनी को डिफेण्ड कर रही है। आपने कहा कि किसानों का पैसा दिया जायेगा तो क्या आपने उनका पैसा दे दिया है ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, उसी बात पर आ रहा हूं। यदि कोई माननीय सदस्य इस बात का प्रमाण दे दें कि वह करोड़ों रुपये लेकर भाग गया है तो हम अवश्य इसकी जांच करायेंगे। खाली कह देना कि करोड़ों रुपये लेकर भाग गया, ठीक नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने 24 लाख की बात कही, उत्तरांचल के लिए यह बहुत अधिक है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इसके लिए हम विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया कर रहे हैं। न्याय विभाग से इस बारे में बात की जा रही है। अगर सरकार इसको देने की स्थिति में होगी तो अवश्य देगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस विषय पर इस सदन में 3–4 बार चर्चा हो चुकी है। इस सरकार ने हर बार बेनी को बचाने का प्रयत्न किया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सी0बी0सी0आई0डी0 का दायरा केवल प्रदेश के अन्दर तक होता है। इस सम्पूर्ण प्रकरण के सारे तथ्यों को लाते हुए हमारे माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि वह हमारे किसानों का इतना रुपया लेकर भाग गया, इतने रुपये का नुकसान हमको हो गया, हमारी सरकार ने उसकी गारण्टी ली थी। इन सबको देखते हुए क्या सरकार इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराने की संस्तुति करेगी ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, सरकार ने सी0बी0आई0 से जांच कराने का प्रयास किया था लेकिन सरकार इसको लेने को तैयार नहीं है। जहां तक इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 जांच की बात है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। इसके कुछ ठिकानों की जानकारी सी0बी0सी0आई0डी0 को मिली है। हैदराबाद में उसकी सम्पत्ति थी,उसकी कुर्की करके उसको नीलाम कर दिया गया है। अभी हाल ही में हमारी सी0बी0सी0आई0डी0 के साथ बैठक हुई है, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही उसको पकड़ लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या सी0बी0सी0आई0डी0 ने कुर्की करा दी है ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, कुर्की करने की जो प्रक्रिया होती है, वह करायी है। इस विषय पर सरकार बहुत गम्भीर है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सी०आर०पी०सी० की धारा 82–83 में कुर्की की कार्यवाही होती है। न्यायालय को ही कुर्की करने का अधिकार है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, सी०आर०पी०सी० की धारा 82–83 क्या है ? उसी के आधार पर कुर्की की कार्यवाही की गयी है। यह सही है कि यह कार्यवाही कोर्ट ने की है।.........

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपकी सरकार पूरी तरह से डिफेंड कर रही है। सी०बी०सी०आई०डी० की जांच तो मामले को लटकाने के लिए ही की जाती है। सरकार तो कह रही है कि हमने उसकी प्रापर्टी का पता लगाया है तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि कितनी प्रापर्टी का पता लगा है ? यह प्रॉपर्टी किस जगह मिली, किसके यहां मिली सभी बातों का उत्तर सरकार को देना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, हमने सी०बी०सी०आई०डी० के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या जो बातें जांच के दौरान आई उन्हें हम सदन में माननीय सदस्यों को बता सकते हैं तो उन्होंने कहा कि इससे जांच प्रभावित होगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक सदन में कोई बात न कहें। इसलिए मैं पूरी वस्तुस्थिति को आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि महत्वपूर्ण सुराग मिला है।

मान्यवर, जड़ी–बूटी के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि विभाग द्वारा 26 प्रजातियों को कृषिकरण के लिए चयनित किया गया है। माननीय अजय भट्ट जी ने भेषज संघ के कार्यालय को रानीखेत से गोपेश्वर स्थानान्तरित करने की बात कही। मान्यवर, स्थानान्तरित नहीं किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, शोध संस्थान रानीखेत को स्थानान्तरित किया गया है। मैं आपको लिखित रूप में अवगत करा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, नहीं किया गया है। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों की सारी बातों का उत्तर सदन में मेरे द्वारा दिया जा चुका है तथा सभी समस्याओं का समाधान भी हो गया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माल्टा और सेब का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितना निर्धारित किया गया है और कौन इनको खरीदेगा। मान्यवर, आपने रेशम

फार्मों का जिक्र किया कि बहुत अच्छी दशा में है। किन्तु मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आज रेशम फार्म वीरान पड़े हैं मैंने स्वयं जाकर देखा है। मैं पर्वतीय क्षेत्र के रेशम फार्मों की बात कर रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कभी–कभी आप हमारी आंखों से भी देख लिया करें, वीरानी भी आबाद नजर आयेगी। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

सदन में कही जा रही बातों को गम्भीरता से लेना चाहिए। यहां पर हंसी मजाक ठीक नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु है यह जो मलेठा वाले कोकून स्टोरेज प्रकरण को हंसी में टाला जा रहा है। रेशम फार्म वीरान पड़े हुए हैं। माल्टा का समर्थन मूल्य कितना है और इसको कौन खरीद रहा है ? मान्यवर, सरकार द्वारा जो आंकड़े दिये जा रहे हैं वह सब फर्जी आंकड़े हैं। मैं सरकार के सामने सत्य बात कह रहा हूँ तो उसे हंसी मजाक में उड़ाया जा रहा है। मान्यवर, उत्तरांचल का भविष्य आपके हाथ में है। आप इस राज्य को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। माननीय कुण्डल जी ने जो बातें कही हैं उन पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।..........

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यह जानना चाहा है कि जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है वह कितना है ? मान्यवर, पहली बार हमारी सरकार ने यह मूल्य वर्ष 2005–06 में तय किया है। हमने माल्टा का मूल्य लगभग 4 रु0 किलो तय किया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह तो नहीं के बराबर है। इसका मतलब है कि आप इनका शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, यह दर वर्ष 1997 में 5.00 प्रति किलो थी।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष की जानकारी सही भी हो सकती है। इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मान्यवर, जो माल्टे का निर्धारित मूल्य तय किया है वह सरकारी है, यदि बाहर इनको इससे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वे बाहर इनको बेच सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने अब तक कितना माल्टा खरीदा है ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में बहुत देर में स्वीकृत किया था। फिर भी 314 कुन्तल सेब और 601 कुन्तल माल्टा निगम ने खरीदा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह कोई उचित मूल्य नहीं है, इस पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों को हंसना नहीं चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जो मूल्य हम किसानों को दे रहे हैं, यह उनके गांव के रोड के नजदीक में दे रहे हैं, इससे इनको लाभ हो रहा है। मान्यवर, इस राशि से काश्तकार भी खुश हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में यह माल्टा और सेब सुदूर क्षेत्रों में होता है, वहां से इनको सड़क तक लाने में लगभग पूरा दिन लग जाता है और सरकार कह रही है, उचित मूल्य दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, आप के सुझावों पर विचार किया जायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की सारी आशंकाएं दूर हो गयी हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने जो मुआवजे की बात कही है वह उचित नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई")–

मान्यवर, ये भारत सरकार के मानक हैं कि एक हजार प्रति है0 की दर से दैवीय आपदा में मुआवजा मिलता है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, चूंकि रिकार्ड में नहीं है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, एक हजार प्रति हेक्टेयर मिलता है, जब फसलों का नुकसान होता है तो इसी दरों से मिलता है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, दैवीय आपदा से नुकसान होता है तो जो हमारे सामने रिपोर्ट आयेगी

तो उसके अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। मान्यवर, हमारे आकलन के अनुसार 7 दशमलव कुछ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और अब भारत सरकार की टीम सूखे का आंकलन के लिए आ गई है, वह गढ़वाल में है और वह रिपोर्ट ठीक से दे दी तो बगीचे वालों को भी मुआवजा मिलेगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29 उद्यान विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, उद्यान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 594228 हजार (उनसठ करोड़ बयालीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 45107 हजार (चार करोड़ इक्यावन लाख सात हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु निर्धारित आबकारी नीति के मुख्य बिन्दुओं तथा वर्ष 2005–06 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि आबकारी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए कुल बजट रुपये 4 करोड़ 92 लाख 8 हजार की स्वीकृति का प्रस्ताव है, जिसमें से 50 लाख रुपये की धनराशि वृहद् निर्माण कार्य की मद में चालू निर्माण कार्य के लिए प्राविधानित है। मान्यवर, सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण अवगत हैं कि प्रदेश के आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध एवं प्रभावी प्रवर्तन के साथ

मद्य निषेध नीति को प्रमुखता देते हुए मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए वैधानिक बिक्री से राज्य के विकास के लिए समुचित राजस्व प्राप्त करके संसाधन जुटाना है। वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए आबकारी विभाग द्वारा रु0 292.05 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए रु0 357.96 करोड़ आबकारी राजस्व के रूप में अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में 292.80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है। मार्च, 2006 में दुकानों का स्थायी व्यवस्थापन न हो पाने के कारण लाईसेन्स फीस का लगभग रु0 32 करोड़ मार्च, 2006 में प्राप्त नहीं किया जा सका, जो आगामी व्यवस्थापन में प्राप्त कर लिया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए आबकारी विभाग के लिए रुपये 400 करोड़ आबकारी राजस्व के रूप में अर्जित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मान्यवर, देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के संबंध में पात्रता की शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुरूप रखी गयी हैं। अनुज्ञापी को दुकान आवंटित होने के तीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र तथा तीन माह के भीतर हैसियत प्रमाण–पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति न दिये जाने का प्रतिबन्ध प्राविधानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा किन्तु एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी प्रदान की गयी है। विदेशी मदिरा भी 90 एम0एल0 के पैक में बेची जा सकेगी। वर्ष 2006–07 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस को उनकी विदेशी मदिरा की खपत के आधार पर पुनः निर्धारित किया जायेगा। सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी गयी है। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रुद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेंगी। बार अनुज्ञापनों हेतु बढ़ती मांग को देखते हुए इनके दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिगत बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर इस प्रकार रखी गयी है। रु0 22 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रु0 55 और 22.01 या उससे अधिक रु0 35 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रु0 66 तथा रु0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर 80 रु0 है। होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे। तथा अन्य व्यवस्थाएं एवं शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुरूप रखी गयी हैं। बड़े व्यावसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार

लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रु0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक रही हो।

बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 की नीतियों का अनुकरण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री 5 लाख रुपये वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जाने की नीति रखी गयी है। इस हेतु अनुज्ञापन शुल्क तीस हजार से घटाकर रुपये बीस हजार कर दिया गया है। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिए छः माह की अवधि के लिए भी लाईसेंस दिये जायेंगे एवं सीजनल बियर बार हेतु लाईसेंस फीस बियर बार हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की आधी अर्थात् रुपये दस हजार रखी गयी है जो गत वर्ष रुपये पन्द्रह हजार थी। बॉटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। एफ0एल0-3 लाइसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0-3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाइसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल अद्धा/पव्वा पर क्रमशः 4.500, रु0 2.25 एवं रु0 1.15 बॉटलिंग फीस देय होगी।

आबकारी नीति के अनुसार हरिद्वार एवं ऋषिकेश तीर्थ स्थलों में नगरपालिका क्षेत्र की सीमान्तर्गत पिरान कलियर के 1.6 किलोमीटर क्षेत्र में, बद्रीनाथ, केदारनाथ गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहब, हेमकुण्ड साहब तथा नानक मता तीर्थ स्थलों में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है और गढ़वाल मण्डल में पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में देशी मदिरा की दुकानें नहीं खोली गयी है। मान्यवर, वर्ष 2005-06 में माह मार्च, 2006 तक 26106 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी तथा अवैध मदिरा का परिवहन करते हुए 31 वाहन भी पकड़े गये। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि शासन द्वारा अपनायी गयी नीतियों के क्रियान्वयन तथा राज्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए आबकारी विभाग हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे सभी सम्मानित सदस्यगणों सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार मैं आबकारी विभाग के लिए वर्ष 2006-07 हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख सात हजार मात्र के बजट का प्रस्ताव करता हूँ। अन्त में मैं सभी सम्मानित सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, कल यह बजट आने वाला था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह आज के लिए निर्धारित हुआ। इसके साहित्य को लेकर मैंने टिप्पणी की थी तो शायद मंत्री जी को बुरा लगा होगा। लेकिन आज भी वही स्थिति है। एक शेर याद आ गया है। "फिर वही रात, वही गम फिर वही तन्हाई है" (हंसी) मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस विभाग के दो मुखिया हैं । एक एक्जीक्यूटिव हेड है और दूसरे कान्स्टीट्यूशनल हेड हैं। (व्यवधान) मैं तो केवल सैद्धान्तिक बातें कहना चाहता हूँ। मैंने लिट्रेचर की बात इसलिए कही कि आपको भी उत्तर प्रदेश में बजट देखने का अनुभव होगा। मैंने विधान सभा के लिट्रेचर को भी देखा तो उसमें केवल आबकारी ही था तो इसके लिए लिट्रेचर की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग हुआ करता था और इसका जो लिट्रेचर होता था उसमें यह दिया जाता था कि शराब को रोकने के लिए हमने इतनी होर्डिंग लगायी, ये–ये कार्य किया। एक बार मैंने कहा भी था कि इसके दो हाथ हैं एक हाथ शराब पीने को कहता है तो दूसरा शराब न पीने के लिए कहता है। यहां हमारी सरकार ने उत्तरांचल में दूसरे हाथ को काट दिया है। अब एक ही हाथ है वह कहता है कि खूब शराब पियो। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2004–05 में 292 करोड़ 2005–06 में 397.96 करोड़ के सापेक्ष क्योंकि मार्च में घोटाला हो गया फिर भी 292 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। अगले साल के लिए 400 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा गया है। मद्य निषेध को तो हटा ही दिया गया है, वह हाथ काट दिया गया है, केवल सरकार शराब बेचकर राजस्व अर्जित करना चाहती है। कहीं भी जब बहस होती है।

औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से जब भी हमारी अधिकारियों से सत्तापक्ष के विधायकों या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो वह भी यही कहते हैं कि अगर मद्य निषेध हो गया तो फिर राजस्व कहां से आयेगा, तो मान्यवर, इसकी बुराइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो जो मेरी पीड़ा थी वह मैंने व्यक्त कर दी है। मान्यवर, उत्तरांचल बनने के बाद से इस सरकार के कार्यकाल में यह केवल शराब बेचो, पैसा कमाओ विभाग रह गया है। उससे पहले की सरकार में क्या था मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। आज सरकार कहती है कि इससे हम 400 करोड़ कमा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप 800 करोड़ कमायें लेकिन इसके कारण जो समाज में विखंडन और विकृतियां पैदा हो रही हैं उसके बारे में सतर्क करने के लिए, उत्तर प्रदेश के समय में मद्य निषेध विभाग भी इसी विभाग के अन्तर्गत होता था। उसे यहां पर खत्म कर दिया गया है, इसे खेद जनक ही कहा जायेगा। मान्यवर, उत्तराखण्ड में शराब का कोई प्रचलन इतिहास में नहीं रहा है। कतिपय कुछ जनजातियों में परम्परा थी और उनमें भी बहुत ही धार्मिक और पवित्र रूप से इसका सेवन होता था तो हमारे उत्तराखण्ड में मद्यपान का कोई इतिहास नहीं था। इसे मैं अपने उत्तराखण्ड की संस्कृति व सभ्यता के आलोक में बता रहा हूँ।

मान्यवर, उत्तराखण्ड में पहली शराब की दुकान 1880 में खोली गई थी, जिसका व्यापक विरोध हुआ और इसे तत्काल ही बन्द कर दिया गया था। इसके बाद 1908 में

बागेश्वर में शराब की दुकान खोली गयी जिसे भी बन्द कर दिया गया क्योंकि इसका भी विरोध हुआ था और बिक्री भी नहीं हुई। यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमारे प्रदेश में ऐसा कोई चलन नहीं था। फिर धीरे-धीरे शराब की दुकानें खुलने लगी क्योंकि सरकारों ने इसे राजस्व वसूली का एक साधन बनाया और इनके विरोध भी हुए और जो संवेदनशील सरकारें थी उन्होंने कई बार वहां पर शराब बंदी भी की। लेकिन जब सरकारों ने नैतिकता को त्याग कर व्यावसायिक रूप से शराब बिक्री से राजस्व बढ़ाना शुरू किया तो वहां पर भी दुकानें खुलीं। जिनके लिए अनेकों बार प्रदर्शन हुए और शराब बंदी भी हुई। इसी क्रम में 1947 में वहां पर विरोध हुआ, 1960 में आन्दोलन हुआ, 1962 में देहरादून में देहरादून के सर्वोदयी नेता श्री सोहन लाल जी ने इसका व्यापक विरोध किया जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी गई। इसी प्रकार से गरुड़ बाल और चौखुटिया में भी प्रदर्शन किये गये। 1966 में उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ में विरोध हुआ। 1970 में टिहरी में भी शराब बन्दीकरण हुई। इस प्रकार से जो संवेदनशील सरकारें थी उन्होंने बीच में शराब बंदी भी की। मान्यवर, हमारे उत्तरांचल में मद्य सेवन का कोई आदि नहीं था, यह हमारे यहां की संस्कृति में नहीं था। लेकिन जनता के प्रति संवेदनहीन सरकारों ने इसका बाजार बढ़ाया। हमारी सरकार भी यही कर रही है। माननीय मंत्री जी के बजट भाषण में भी यही है कि इसको बेचकर कितना राजस्व आयेगा, कितना पैसा हम कमा लेंगे यही सब लिखा है लेकिन अपने समाज को कैसे हम इसके दुष्प्रभाव से बचायें ऐसा कोई प्रयास सरकार द्वारा इस बजट में नहीं किया गया है। शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी इसके साहित्य में कहीं पर शामिल नहीं है। यह सिर्फ शराब बेचो, पैसा कमाओ विभाग बन कर ही रह गया है। बजट में 400 करोड़ राजस्व प्राप्त करने की बात की गयी है। मान्यवर, 4-5 करोड़ रुपये तो आपको वैसे ही मिल जायेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपकी सरकार ही दे देगी। क्योंकि आपका विभाग सबसे अधिक कमाऊ विभाग है। अगर ऐसा है तो इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी को यह काम सौंपा गया है, और आप इसको कर रहे हैं। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, गमोलीहाट में महिला के साथ क्या हुआ, यह इस सदन में भी आया। अस्कोट में तो महिलाएं धरने पर बैठी हैं। मेरे अपने क्षेत्र में महिलाओं ने मुझसे कहा कि अगर आप इस भट्ठी को ताला लगवा देंगे तो हम सब आपके साथ आ जायेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं। शराब की बिक्री का विरोध अवश्य करूंगा। मान्यवर, 1993-94 में उत्तर प्रदेश के समय में और उससे पहले 1989-90 में ही हमने इसका विरोध किया था। आज कहना चाहता हूं कि दीवारों में लिखी हुई तहरीर को तो पढ़ सकते हैं। जगह-जगह आन्दोलन चल रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। इस पर विचार करना होगा कि क्या सरकार उत्तरांचल में पूर्ण नशाबन्दी लागू करेगी ? अगर यह बात है कि इसकी बन्दी के बाद राजस्व की प्राप्ति कहां से होगी, तो इसके लिए बहुत सारे स्रोत हैं। यदि आपने इस बारे में सोचना ही बन्द कर दिया हो तो कोई स्रोत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि इसमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।

मैं कटौती प्रस्ताव के माध्यम से एक नैतिक अपील करना चाहता हूँ। एक सज्जन कह रहे थे कि शराब के बेचने से राजस्व की प्राप्ति होती है, इसलिए शराब बेची जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व प्राप्ति के और भी धंधे हैं, क्या इनके लिए भी अनुमति दे देंगे ? देह व्यापार है, लॉटरी है, जुआ है, क्या सरकार इनको भी खोल देगी क्योंकि इनसे राजस्व की प्राप्ति होगी। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। केवल राजस्व का प्रश्न होता तो कोई बात नहीं थी। अभी माननीय पुष्पेश जी ने मुझे जानकारी दी कि केरल में पर्यटन सबसे ज्यादा विकसित है। हमारे माननीय मंत्री जी पर्यटन मंत्री भी हैं। अगर पूर्ण नशाबन्दी कर देते हैं तो यह बात आती है कि मद्य निषेध के दौरान अवैध और गलत शराब वहां पर बिकती है। इसलिए सरकार सही शराब बेचती है, यह सही नहीं है। सरकार की यह संकल्पशक्ति होनी चाहिए कि हम अवैध और गलत शराब की बिक्री को प्रतिबन्धित करेंगे और राजस्व की प्राप्ति के लिए पर्यटन का रास्ता खुला है। पर्यटन विभाग भी माननीय मंत्री जी के ही पास है। इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है। केरल में नैसर्गिक रूप से आयुर्वेद को पंचकर्म के सिद्धांत के तहत रिसोर्ट में शुरू किया गया है। सबसे ज्यादा विकसित पर्यटन वहां का है। आपने यहां पर पंतजलि योगपीठ की स्थापना की है। आप योग को पर्यटन का साधन बना लीजिए। मैंने सुना है, केरल गया था लेकिन देखने को नहीं मिला, वहां पर विदेशी पर्यटकों में नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने का एम्यूजमेंट है, एक कौतूहल है। ऐसी ही किसी चीज को यहां पर भी शुरू किया जा सकता है, जो कि हमारे प्रदेश की हो, बाहर की न हो। कई ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा हम पर्यटकों को अपने यहां पर आकर्षित कर सकते हैं और राजस्व बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए नैतिक संकल्प देना चाहता हूँ कि शराब को पूर्णतया बन्द करके पर्यटन को बढ़ावा दें, इससे प्रदेश का भला होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं काशी सिंह ऐरी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, दो एक बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में बताया कि एफ०एल०-2 का लाइसेंस हमने कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल विकास निगम को दिये हैं। साथ में सैनिक कल्याण निगम को भी एफ०एल०-2 का लाइसेंस दिया है। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ, सम्भवतः सरकार को पता न हो कि सैनिक कल्याण उद्यम यह एक शराब व्यवसायी का है। यह उद्यम विभिन्न प्रकार से अपने लोगों को लालच देता है। मान्यवर, यह जो सैनिक कल्याण उद्यम है उसमें एक ही प्रकार की शराब 8 पी०एम० मिलती है। जिसके बारे में माननीय ऐरी जी ने भी कहा कि एक ही ब्रान्ड की शराब बिकती है। मजे की बात यह है कि कुमाऊं में 78 दुकानों में से 54 दुकानें एक ही शराब व्यवसाई की है। यह व्यवसायी कुमाऊं मण्डल से शराब नहीं खरीदता है। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं मण्डल विकास निगम ने पहले साथ में राजस्व की अच्छी वसूली की थी लेकिन जब से सैनिक कल्याण उद्यम को एफ०एल०-2 लाइसेंस दिया है तब से इसका ग्राफ नीचे को आने लगा। सरकार

को यह पता नहीं है कि वह कौन व्यक्ति है जिसकी कुमाऊं मण्डल में 78 में से 54 दुकानें हैं। और उन दुकानों में 8 पी०एम० की शराब ही बिकती है। इसका परीक्षण विभाग को करना चाहिए। क्या आबकारी विभाग इतना बहरा हो गया है ? उसको इसकी सैम्पलिंग करनी चाहिए वह उसकी कोई सैम्पलिंग नहीं कर रही है। यह तो एक ही व्यक्ति की मोनोपॉली बिजनेस हो गया। क्या सरकार ने कभी इस ओर देखा ? मैं सरकार पर या किसी मंत्री पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं लेकिन ब्लेम इस मामले में लगा रहा हूं कि क्या सरकार नहीं जानती है ? मैं ये सब बता रहा हूं, विपक्ष के माननीय सदस्य बता रहे हैं, सरकार को इन्क्वायरी करनी चाहिए। मान्यवर, सैनिक कल्याण उद्यम एक सांठ–गांठ के तहत काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसका लाइसेंस खत्म होना चाहिए। देखने की बात है कि शराब की दुकानों पर 8 पी०एम० ही क्यों बिक रही है ? सरकार प्रतिष्ठानों से शराब क्यों नहीं ली जा रही है ? मान्यवर, उत्तरांचल में यहकैसे हो रहा है ? बाजपुर में हमारी अपनी आसवनी है वहां हमारी अपनी वाईन बनती है। खेतान रेडिकों कौन है ? रामपुर में तो उनकी अपनी आसवनी है। उत्तरांचल का लाभ लेने के लिए बाजपुर में खेतान रेडिकों को अपना बॉटलिंग प्लान्ट सरकार ने दे दिया है। आखिर यह सरकार की कैसी नीति है ? हमारी फैक्ट्री को घाटा हो रहा है, हमारे अपने प्रतिष्ठानों को घाटा हो रहा है। जैसी नीतियां हैं उससे हमारे प्रतिष्ठानों को तो घाटा होगा ही। यह सब शराब माफियाओं के दबाव के कारण हो रहा है। मैं किसी मंत्री पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा रहा हूं किन्तु सरकार के तीन मंत्रियों ने सरकार पर लिखित रूप से आरोप लगाये हैं कि पॉलिसी लीक हुई है। सरकार के 13–14 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त पत्र भी है। आखिर 300 करोड़ के ड्राफ्ट प्रदेश के बाहर से कैसे बन कर आये ? अगर ये ठीक थे तो मंत्री जी ने इन्हें निरस्त कैसे किया ? मान्यवर, पौड़ी में 2011, नैनीताल में 3245, देहरादून में 1636, हरिद्वार में 302, टिहरी में 500, रुद्रप्रयाग में 56, चमोली में 1700, उत्तरकाशी में 258, ऊधमसिंह नगर में 1796, अल्मोड़ा में 680, बागेश्वर 2253, पिथौरागढ़ में 2887 और चम्पावत में 457 रुपये की ड्राफ्ट निरस्त किये गये हैं।

मान्यवर, जो लगभग 300 करोड़ से ऊपर के हैं मान्यवर, हमारे यहां पर कैबिनेट में कोई बात डिसाइड होनी हो और उसके 20 दिन पहले ही यह बात माफियाओं को पता चल जाती है और बैंक ड्राफ्ट लगा दिये जाते हैं। मान्यवर, यह जांच का विषय है कि आखिर उनको यह बात कैसे पता चली कि अमुक दुकान का लाईसेंस बन्द होना है, और अमुक जगह पर दुकान खुलनी है। मान्यवर, और तो और उनको यह भी पता रहता है, कि उनके खिलाफ कौन विधायक बोल रहा है। किस विधायक ने कौन सी बात कही है, इसकी जानकारी भी उन्हें रहती है। मान्यवर, इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि उनके पास कार्यवाही के अंश भी होते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में बाहर का आदमी आ रहा है और यहां पर पैसा भी कमा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और हमें चौपट कर रहा है। मान्यवर, आखिर हम इस उत्तरांचल को कैसे चला रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सारी बातें ओपन करें। मान्यवर, सैनिक कल्याण परिषद् बनाया हुआ है, वह वाईन का काम क्यों नहीं करता है ? इसके क्या कारण हैं ?

मान्यवर, प्रदेश की पूरी जनता को, पूरे सदन को इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर शराब नीति लीकेज कैसे हुई। सरकार पर यह जो माफियाओं का शिकंजा है, वह कब तक रहेगा, इसका भी खुलासा यहां पर होना चाहिए।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमने आबकारी विभाग से जो राजस्व प्राप्त किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में हमारी पार्टी द्वारा जनता से एक वायदा किया गया था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी मद्य निषेध करेंगे जिसका इस बजट भाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, जिस हिसाब से हमने नीति बनायी है, इससे हमारे बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, हमने बारों के लाइसेंस के लिए जो मानक बनाये हैं, उसके अनुसार तीन लाख रुपये तक की वार्षिक बिक्री होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में कोई ऐसी दुकान नहीं है, जहां पर तीन लाख की बिक्री हो सके। इस नीति से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सकता है। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं मण्डल विकास निगम में बेरोजगार नवयुवकों को जो रोजगार मिलता था, वह अब नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, यह फायदा उपसुल को देकर ये निगम घाटे में हैं। मान्यवर, जैसे कि दोनों निगमों के अध्यक्षों ने माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। मान्यवर, अगर उपसुल को इतनी छूट विशेष तौर से दी है तो यह जांच का विषय है। मान्यवर, जैसा कि मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में सैनिक कल्याण निगम बनाया जाय। मान्यवर, उद्यम केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह कतई बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। मान्यवर, मैं एक बार पुनः सरकार का ध्यान आबकारी नीति की ओर से दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने बॉटलिंग प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जबकि इसके लगने से बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर नहीं रह जायेंगे।

मान्यवर, तस्करी के अलावा कुछ नहीं होता, एक तस्करकर्ता पकड़ा भी गया है, उसका भी लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ और सरकार आज भी बॉटलिंग प्लांट की अनुमति दे रही है, यह मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह दुकानें खोल दी हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में दो नौजवानों ने शराब से भरे ट्रक से उतर रही शराब का विरोध किया तो शराब तस्करों ने उनको काट दिया था। मान्यवर, कुमाऊं मण्डल में 76 में से 56 दुकानें एक ही माफिया की दुकानें हैं। मान्यवर, इसके लिए एक अभियान के रूप में कार्य करें और आबकारी नीति में संशोधन करें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, मैं समाप्ति की ओर हूं। मान्यवर, शराब की तस्करी के धन्धे में लगाम लगनी चाहिए। मान्यवर यदि पूरे क्षेत्र को मद्य निषेध भी कर देंगे तो भी कोई नतीजा नहीं आयेगा, इसलिए शराब नीति में संशोधन करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, एक विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। चूंकि 4 अप्रैल से गंगोलीहाट में आन्दोलन चल रहा है और उससे संबंधित प्रकरण को इस सदन में उठ चुके हैं और 4 अप्रैल से आज तक आन्दोलन हो रहा है। मान्यवर, एक गांव जहां 35–36 परिवार हैं वहां शराब से क्षति हुई है, वहां कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले कहता है कि हाथ धोकर आ रहे हैं तो वह जाता है पास में ही शराब की दुकान में शराब पीकर आ जाता है, वहां 3 पीढ़ियाँ शराब से बरबाद हुई हैं मान्यवर, उस दुकान से मुख्य महाकाली जी का मन्दिर 100 मीटर की दूरी पर है। इस तथ्य को सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए और वहां की क्षेत्रीय जनता को देखते हुए उस दुकान को बन्द करना चाहिए।

* श्री तेजपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छे सुझाव हमारे मित्रों ने दिये सबसे पहले माननीय ऐरी जी ने मद्य निषेध की बात की है, मैं मानता हूं कि यह बहुत ही जरूरी है और इस पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, इसके बारे में बजट भाषण के पैरा–15 में बताया है कि कहां–कहां मद्य निषेध है। आबकारी नीति के अनुसार हरिद्वार एवं ऋषिकेश तीर्थ स्थलों में नगर पालिका क्षेत्र की सीमान्तर्गत पिरान कलियर के 1.6 किलोमीटर क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहब, हेम कुण्ड साहब तथा नानक मत्ता तीर्थ स्थलों में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है। मान्यवर, जहां तक शराब के आन्दोलन के बारे में जो इतिहास ट्रेस किया है यह बात सच है कि पहले उत्तरांचल में नहीं था, लेकिन अब उत्तरांचल में बड़े पैमाने पर चल रहा है। जब से इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गयी है, तब से हमने कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया। जैसे इललीगल, इललीगल स्मगलिंग और उसकी गुणवत्ता। जो खराब शराब है। वह उत्तरांचल में नहीं बननी चाहिए।

मान्यवर, खासकर आज की तारीख में इस शराब से कई लोग बिगड़ चुके हैं इसमें स्मगलिंग काफी होगी। मान्यवर, हमारा पड़ोसी प्रदेश है जो कि नजदीक है जहां से स्मगलिंग बड़ी तेजी से हो रही है, माफियाओं का बाहर से बड़ा जोर है। मान्यवर, राजस्थान से शराब यहां आ रही है इसमें बड़े लोगों की मिली भगत है। यह कारोबार बड़ी आसानी से नहीं किया जा सकता है। हमारा प्रयास यही रहा है कि मैं इसके ऊपर रोकथाम करूं। जब मैंने शुरू में पदभार संभाला तो उस समय 228 करोड़ की आय थी और इस समय 340 करोड़ की आय है तथा 108 करोड़ की हमने रोकथाम की है। उस समय 510 दुकानें थी और आज की तारीख में 477 दुकानें हैं। दुकानों की संख्या घटी

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। जो हमारे विधायकगण हैं उनके कहने पर बन्द की गयी और जहां आक्रोश हुआ हमने वहां से दुकानें ट्रांसफर कर दी। जहां ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि ये दुकानें बन्द होनी चाहिए तो हमने बन्द कर दी। दुकानें बन्द करना तो आसान बात है जो स्मगलिंग होती है उसको रोकना मुश्किल होता है। दुकानें कितनी होनी चाहिए और कहां होनी चाहिए यह डी0एम0 के माध्यम से करते हैं, यह आसानी से बता सकते हैं। माननीय पंत जी ने बताया कि पर्टिकुलर दुकानों से क्षेत्र प्रभावित होता है। आपकी तरफ से रिकमेण्डेशन आती है तो उसी हिसाब से किया जाता है। यह सरकार की नीति है। जो सदन का फैसला होगा, जो सरकार का फैसला होगा, हमको उसको मानना पड़ेगा। जो पॉलिसी बनायी गयी है वह कैबिनेट ने पास की है, जो कैबिनेट पास करेगी वह हमको चलानी पड़ेगी। मेरे पास उसका कार्यभार है। आदरणीय भट्ट जी, हमारे पास कोई आदमी नहीं आया, न ही मैं किसी के पास गया। यह आरोप लगाना उचित नहीं है।

X X X X X X X

(आज की तारीख में अगर कोई और होता तो वह करोड़ों का मालिक होता)

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, सरकार में कोई ऐसा मंत्री है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर मैंने भी आबकारी मंत्री का कार्यभार सम्भाला था। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि [X X X X X] मैंने बारुखानियां खोलने की अनुमति नहीं दी थी, लोग बार मांगने के लिए आते थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है, ऊपर के लोगों को हो तो मैं नहीं कह सकता।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उपसुल एक सरकारी निगम है। इनके पास शराब की बिक्री के अलावा 34 अन्य कार्य भी हैं। आप एक चीज को समझें। उपसुल ने 2004 में 6 माह के लिए शराब की बिक्री का काम किया और 30 लाख का प्रॉफिट लिया। एक ही जिले में, देहरादून में उपसुल ने शराब बिक्री का कार्य किया, उसी जिले में गढ़वाल मण्डल विकास निगम भी काम कर रहा था। बस उपसुल के काम करने का तरीका अलग है। आपका कहना है कि के0एम0वी0एन0, जी0एम0वी0एन0 को नुकसान हुआ। लेकिन इनको एफ0एल0–2 में कोई नुकसान नहीं हुआ है, हाँ प्रॉफिट अवश्य कम हुआ है। जब मैंने नियमों का विश्लेषण किया तो देखा कि किस प्रकार से उनका कार्य चल रहा है। कोई मांग रहा है ऐट पी0एम0 उसे दे रहे हैं नाइन पी0एम0।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, निगम के अधिकारियों के पास ऐसी भी शिकायतें हैं कि आबकारी विभाग के पास जब कोई शराब लेने के लिए आता है तो उससे कहा जाता है कि निगम से शराब न लो, उपसुल से लो।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, हर विभाग में अच्छे और बुरे आदमी होते हैं। मैंने कई लोगों को निलम्बित भी किया है, दो इंस्पेक्टरों को भी निलम्बित किया है। हम लगातार एक्शन ले रहे हैं। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अगर कोई गलत कार्य करेगा तो अवश्य ही उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आप प्रूफ दें, मैं अवश्य ही कार्यवाही करूंगा। मैं एक चीज बता दूं। गढ़वाल मण्डल में इस तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं, यह आपकी गलतफहमी है। आप इसके चेयरमैन हैं।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, चेयरमैन का जिक्र नहीं आना चाहिए था। मैं चेयरमैन की हैसियत से नहीं कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जी0एम0वी0एन0 के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था कि शराब के कारोबार में जो आपका तब राजस्व है उससे 10 प्रतिशत बढ़ाकर आप निगम को काम दें। हम इसके लिए बैंक गारण्टी दे देंगे। यह दूसरी बात है कि उपसुल के पास शराब का कारोबार करने के लिए इतना पैसा कहां से आया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि निगम को इससे नुकसान नहीं हुआ है।.........

.........अगर यही स्थिति रही तो दोनों निगम घाटे में चले जायेंगे। आप पर्यटन मंत्री भी हैं और इन निगमों का दायित्व आपका भी है।

श्री अध्यक्ष–

गोदियाल जी, कृपया आप बैठें आपकी सारी बात आ गयी है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी बात को मान लेता हूं लेकिन आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जायेंगी यदि मैं आंकड़ों को आपके सामने रखूं। इससे एक कम्पीटीशन हुआ है और इस हैल्दी कम्पटीशन के कारण गढ़वाल मण्डल विकास निगम की स्थिति में सुधार आया है। जो निगम के अपने खर्चे थे उनमें कमी हुई और इससे प्रॉफिट बढ़ा है। 2001–02 में जो आपका खर्चा था वह 101.83 लाख का था वह 02–03 में कम होकर 86.02 लाख हुआ और 03–04 में 110 लाख हुआ और 04–05 में यह 99.88 लाख का आया और इस साल वह 83.12 लाख ही आया है और इसी प्रकार से उनकी आमदनी 38 करोड़ 37 लाख की हुई है और उपसुल की 31.80 करोड़ की हुई है। जिसमें से उपसुल को 1.01 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है वहीं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को 1.05 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है।

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम को पैसा तो दिया ही जा रहा है, उस पैसे से उन्हें पर्यटन विकास की सुविधा बनानी चाहिए। इण्डस्ट्री जो बन्द है उन्हें खुलवाना

चाहिए। आपकी जो 2 इण्डस्ट्री बन्द थी उन्हें मैंने खुलवाया है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम को सरकार की ओर से काफी पैसा दिया जाता है। अभी टूरिस्ट रेस्ट हाउस के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैंने पैसा दिलवाया है। इस प्रकार से पूरा पैसा दिया जा रहा है. अब सवाल यह है कि परफारमेंस अच्छी होनी चाहिए। यही बात कुमाऊं मण्डल विकास निगम के बारे में है उनका भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। मेरे ख्याल से इसका एक कारण यह भी है कि हम उनसे बहुत दूर हो गये हैं जिससे कि वहां पर सुपरवीजन नहीं हो पाता है।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि कुमाऊं मण्डल दूर हो गया है तो क्या सरकार इतनी अक्षम हो गयी है कि नैनीताल उनके लिए दूर हो गया है? सरकार के लिए दूर क्या और नजदीक क्या। सरकार तो पूरे प्रदेश की है क्या वह भी दूर और नजदीक देखेगी ? (व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, इस प्रकार से उपसूल ने 26 करोड़ 8 लाख के काम कुमाऊं मण्डल में किये हैं और 42 लाख का प्रॉफिट लिया है। इस प्रकार से कुमाऊं मण्डल विकास निगम को 23 करोड़ 77 लाख के काम में 26.78 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। ऑफिशियली यह मार्जिन कम है और अपने टर्न ओवर के हिसाब से उन्हें अपने एक्सपेंसेज कम करने चाहिए।.........

डा0 प्रताप बिष्ट–

मान्यवर, उपसूल को 1 साल के भीतर ही प्रदेश में एम0एल0-2 का काम दे दिया गया और कुल काम का 50 प्रतिशत उसे दिया गया और 50 प्रतिशत दोनों निगमों को दिया गया है। जब कि यह दोनों निगम कई सालों से काम कर रहे थे। जो इन निगमों के एम0डी0 होते हैं वह शासन के अधिकारी होते हैं जो डेपुटेशन पर आते हैं और आई0ए0एस0 होते हैं और सरकार के अन्दर माननीय पर्यटन मंत्री इन निगमों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मान्यवर, इसमें यदि कोई नाकारापन या कमजोरी आयी है तो इसका उत्तरदायित्व आपका भी है। इसके लिए शासन जवाबदेह है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम, दोनों के चेयरमैन कह रहे हैं कि इसके लिए माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्री होने के नाते आपको दोनों जगह इसका रिप्रेजेन्टेशन करना चाहिए था। उपसूल इतना बड़ा कैपिटल कहां से लाया ?

आधा काम नौनिहालों की एजेंसी को दे दिया। माननीय मंत्री जी की मंशा इसके पीछे अच्छी हो सकती है। लेकिन हमारे प्रदेश के दो बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के चेयरमैन यहां पर कह रहे हैं कि आपने जो एफ0एल0-2 दी है, वह आधी तो इन दोनों में बांट दी है और आधी उपनल को दे दी है। इसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर उपनल के पास इतनी बड़ी कैपिटल कहां से आ गयी ? इस विषय पर अन्तरात्मा से विचार कीजिए।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, उपनल का जो गठन किया गया है, वह क्या कैबिनेट का निर्णय है ?

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप बैठ जाइये, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, उपनल के बारे में कहना चाहता हूँ कि मंत्रि मण्डल ने इसको निगम बनाने का निर्णय लिया था लेकिन आपने इसको उद्यम बना दिया। इसमें 5000 शेयर में से 6 तो अलग–अलग व्यक्ति के नाम हैं और बाकी 4994 शेयर एक ही व्यक्ति के नाम हैं और वही व्यक्ति इसका एम0डी0 भी है। हम सरकार से मांग करते हैं उपनल की जांच की जानी चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, स्पष्ट हो गया है कि इसमें माफियाओं का हाथ है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उपनल सरकारी निगम है। निगम की कैपिटल वर्किंग 5 करोड़ रुपये से अधिक होती है। जब उपनल का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो इसकी कैपिटल वर्किंग 5 लाख रुपये थी इसलिए इसके लिए उद्यम शब्द सही है। कम्पनी एक्ट में इसका उल्लेख है। उसमें यह लिखा है कि इसको उद्यम कहा जा सकता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या उपनल कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम की ही तरह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है ?

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, मंत्रि मण्डल ने उपनल के लिए निगम का फैसला किया है। विभाग ने इसको उद्यम बनाने की बात की है। क्या आपने मंत्रि मण्डल से इसकी संस्तुति प्राप्त कर ली है ? मंत्रि मण्डल कोई फैसला ले रहा है तो क्या विभाग उस फैसले को बदल सकता है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, निगम नहीं बन सकता था इसीलिए कम्पनी बनानी पड़ती है।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि निगम नहीं बन सकता था इसलिए कम्पनी बनायी गयी। इसका मतलब मंत्रि मण्डल के फैसले को आपने बदल दिया।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें मंत्रि मण्डल के किसी फैसले को नहीं बदला गया है। एक करोड़ रुपये का प्लान सरकार द्वारा उपसुल को दिया गया है और इस पर यह काम कर रहा है। यह सिक्योरिटी का काम भी कर रहा है। इस प्रकार इस समय उपसुल दो काम कर रहा है। एक तो एफ0एल0–2 के होलसेल का काम यह कर रहा है और दूसरे सिक्योरिटी का काम भी इसके द्वारा किया जा रहा है। जहां तक बंटवारे की बात है तो पहले तो कुमाऊं मण्डल विकास निगम मेरे पास नहीं आया। अब जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है तो यह बंटवारे की बात कर रहे हैं। मैं किसी दूसरे प्रदेश का मंत्री नहीं हूं। मैं इसी प्रदेश का मंत्री हूं। मान्यवर, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। हम विचार करने के लिए भी तैयार हैं।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि यह जो तस्करी की शराब है उसको रोकने का प्रयास उपसुल करे तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उपसुल को देने से सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है, घटोत्तरी नहीं हुई है। आज की तारीख में उपसुल लाइसेंस भी दे रहा है। मान्यवर, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और इस व्यवसाय में सुधार भी काफी आया है। इसके माध्यम से अच्छी शराब मिल रही है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि गंगोलीहाट में जो देशी और विदेशी शराब की दुकान है, मेरा सुझाव है उसको बन्द कर दिया जाय।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, लिख कर दे दें, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बाजपुर की जो फैक्ट्री है क्या वह लॉस में चल रही है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, बाजपुर फैक्ट्री की कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है। इस बारे में हमने उनसे बात की। वह लॉस में नहीं चल रही है। उसमें उत्पादन पूरी क्षमता के साथ नहीं

हो रहा है। जितनी कैपेसिटी है उसके आस पास भी उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन वह हमारे अन्दर में नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है, इसे कौन देखेगा ? यदि यह सरकारी प्रतिष्ठान नहीं है तो क्या यह सरकार के अन्दर में नहीं है ? कोई न कोई तो इसका हैड होगा। यह कोई स्वतंत्र इकाई तो नहीं है। अगर कोऑपरेटिव भी है तो सहकारिता मंत्री के अन्दर में होगी। किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह को–आपरेटिव के अन्दर में है उनकी अपनी कार्य प्रणाली होती है। फिर भी सरकार की जिम्मेदारी तो उसकी कार्य प्रणाली को ठीक करने की है ही क्योंकि वह एक तो हमारे राज्य के अन्दर है। फिर वह सरकारी क्षेत्र में कोआपरेटिव के रूप में काम कर रही है सरकार उस पर अवश्य ध्यान देगी और यदि फैक्ट्री अपनी कार्य प्रणाली ठीक नहीं करेगी तो उस पर कार्यवाही करने का भी अधिकार सरकार को है। तो इसको देखने की गारण्टी सरकार की नहीं है। फिर भी यदि कार्य प्रणाली ठीक नहीं होगी तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को है।

श्री प्रीतम सिंह–

[X X X]

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि (यदि कोई और मंत्री होता तो करोड़ रुपये कमा लेता) इस अंश को कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, आप ने अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक नैतिक अपील.........

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसे दिखवा लें कि प्रीतम सिंह जी ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है, यदि वह कार्यवाही का हिस्सा हो तो उसे निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस अंश को कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से ....

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं, मान्यवर, या इसे वापस ले रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं यही अपना मन्तव्य बतलाना चाह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपना मन्तव्य बता चुके हैं। समय की घड़ी, समय की सुई भी बहुत तेज भाग रही है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने बहुत विनम्र शब्दों में एक नैतिक अपील सरकार से की थी कि सरकार इस प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करें, जिस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ तीर्थ स्थानों के क्षेत्रों में मद्य निषेध की बात कही है, जोकि नहीं के बराबर है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप क्यों सबका हार्ट पर्लप्रीप्रेटेशन बढ़ा रहे हैं। शाम को क्या होगा लोगों का, ऐसी बात जो न कहिये जो ....

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, और जो दूसरा बड़ा पर वाद–विवाद हो रहा है, बहुत हैल्दी डिस्कशन हुआ, बहुत स्वस्थ विचार विमर्श हुआ लेकिन उससे एक और बात भी साबित हो रही है कि सरकार कहीं न कहीं चौराहे में खड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर दुगना बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 45107 हजार (चार करोड़ इक्यावन लाख सात हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पेयजल निगम के प्रबन्ध निदेशक को सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी लगातार बनाये रखने एवं सेवा विस्तार के सम्बन्ध में दि0 3 अप्रैल, 2006 को श्री अजय भट्ट एवं श्री नारायण सिंह जंतवाल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 एवं ता0 प्र0 सं0 4 के विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत आधा घण्टे की चर्चा

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अल्पसूचित प्रश्न को स्थगित करके चर्चा के लिए स्वीकार किया था और वह चर्चा सदन के सम्मुख आज हो रही है।..........(व्यवधान)........

मान्यवर, वैसे ऐसे कम अवसर आये हैं, इस विधान सभा में।........(व्यवधान)

गन्ना राज्य मंत्री (श्री साधू राम)-

मान्यवर, आपकी ओर चार ही माननीय सदस्य बचे हुए हैं, इसमें क्या गम्भीर चर्चा होगी। (हंसी)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, ये चार माननीय सदस्य ही बहुत हैं हिलाने के लिए। (व्यवधान) आप पर भारी पड़ेंगे। मान्यवर, जब चर्चा स्वीकार कर ली है तो मैं कुछ बिन्दुओं के माध्यम से पूरे सदन के सामने लाना चाहता हूं कि श्री पी0के0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख दि0 31-01-2005 थी। मान्यवर, इनकी जो नियुक्ति हुई थी प्रबन्ध निदेशक के पद पर दिनांक 13-10-2003 को हुई थी। मान्यवर, उसमें यह कह दिया गया था कि इनको तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर इनकी अधिवर्षता आयु, जो भी पहले आ जाय।

मान्यवर, जब इनकी नियुक्ति 13-10-2003 को की गयी तो इनकी अधिवर्षता आयु 31-1-2005 को आ गई, तीन वर्ष पूरे हो गये, तो इनको उस तारीख को रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन यह कैसे हो गया कि 2-12-04 को एक दूसरा आदेश कर दिया जब पता लगा कि वह रिटायर हो रहा है, फिर दूसरा अधिकारी यहां मिलेगा नहीं, उत्तरांचल पेयजल निगम का काम कैसे चलेगा, शर्मा जी चले जायेंगे तो दूसरा व्यक्ति उत्तरांचल में तो मिलेगा नहीं। उत्तरांचल में अधिकारियों का अकाल हो गया था इसलिए दूसरा आदेश सरकार द्वारा निकाल दिया गया। 2-12-04 को और कह दिया कि इनको 3 वर्ष के लिए एप्वाइंटमेन्ट कर दिया जाता है। हमें कोई एतराज नहीं कि 3 वर्ष इनको दे दिया गया, 13-10-03 के आदेश के बाद 2004 का आदेश दिया गया है तो मेरा कहना है कि यह बिल्कुल अवैधानिक है, कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। मान्यवर, यह जो आदेश दिया गया है, जो मूल विभाग उत्तरांचल में चल रहा है, वह मूल विभाग उत्तर प्रदेश की नियमावली से चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा केस चल

रहा था। उत्तर प्रदेश में श्री अरविन्द नाथ, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम की सेवानिवृत्ति की तारीख सितम्बर, 2003 थी। उनकी प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति 11-7-02 को हुई उसमें भी उल्लेख किया गया था कि 3 वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षता आयु, जब उनकी पूरी हो जायगी तो जब उनकी अधिवर्षता आयु पूरी हो गयी तो उनके प्रबन्ध निदेशक के पद को 26-9-03 को निरस्त कर दिया गया। जब निरस्त कर दिया गया तो वह उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने 9-9-04 को 3 वर्ष के लिए प्रबन्ध निदेशक के पद पर बनाये रखने का आदेश दिया और इसके बाद जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको 3 वर्ष तक बनाये रखना है तो वह जल निगम का विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को 19-11-04 को स्थगित कर दिया और नहीं माना। उन्होंने कहा कि अधिवर्षता आयु समाप्त हो जाती है तो किसी व्यक्ति का उस पद पर आगे रहने का कानून लागू नहीं होता। 26-9-03 को प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 श्री अरविन्द नाथ, जो तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक थे, को पद से हटा दिया गया। तो मेरा कहना है कि जब पता था कि मूल विभाग को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो यह किस तरह से यहां पर आदेश हुआ है। मान्यवर, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं श्री पीताम्बर शर्मा जी को जानता भी नहीं हूं। मान्यवर, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो आदेश को कैसे उल्लंघन कर दिया गया, और इतना ही नहीं सबसे बड़ी बात है कि न्याय विभाग में यह मामला गया तो न्याय विभाग ने लिखा है कि न्याय विभाग द्वारा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 77-78 में मत दिया गया है। मान्यवर, यह मेरी जानकारी है कि पृष्ठ संख्या लाया, मत दिया है कि प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल मूल विभाग में अधिवर्षता उम्र प्राप्त करने से अधिक नहीं हो सकता है।.......

मान्यवर, तो फिर वह कार्मिक विभाग में गया, तो कार्मिक विभाग ने क्या कहा ? कार्मिक विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया कि अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के बाद सेवारत रखना नियमानुकूल नहीं प्रतीत होता है, कार्मिक विभाग ने भी कह दिया। अब एक विभाग और होता है निगमों के लिए, उसे कहते हैं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग। तो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग से जब राय ली गयी तो उसने राय में क्या कहा, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग द्वारा श्री शर्मा के कार्यकाल के संबंध में अपना मन्तव्य दिया गया जो पत्रावली के पृष्ठ 64-65 पर उल्लिखित है, जिसमें परामर्श दिया है कि निगम का प्रबन्ध निदेशक अपनी सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाद प्रबन्ध निदेशक की हैसियत से सेवारत नहीं रह सकता है क्योंकि निगमों के मामले में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की भी राय आती है। अब सरकार कहती है कि एक आदेश सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने कर दिया है कि जल निगम समेत और निगमों के कर्मचारियों की भी उम्र दो वर्ष बढ़ा दी जाय, 60 वर्ष तक उनको कार्यकाल दे दिया जाय। ठीक बात है, लेकिन किनके लिए, जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं। यह आदेश कब आया है, यह आदेश जुलाई में आया है यानि 2005 जुलाई में आया है। जिन कर्मचारियों की उम्र 58 साल है उनको दो साल की आयु सीमा में बढ़ा दी जाती है और 60 साल कर दी जाती है। कब आ रहा है, जुलाई में और यह 31-1 को रिटायर हो जाते हैं। यह जनवरी में रिटायर

हो जा रहे हैं, जुलाई में आदेश आ रहा है, विभाग वाले तब से उनको मान ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी उत्तर में क्या कहेंगे, मैं जानता हूँ कि वे बहुत तेज हैं और वे कानून के ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश वाटर सप्लाई एवं सीवरेज ऐक्ट 1975, जो उत्तरांचल द्वारा अंगीकृत किया गया है, की धारा 6 के क्रमांक 3 के अनुसार जो एप्वाइन्टमेंट के बारे में कहा गया है जो मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, पश्चात् लागू नहीं होती है, किन्तु सुप्रीम कोर्ट में वह कहेंगे कि गवर्नमेंन्ट जो है। मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ, आप समझ नहीं पायेंगे। इसमें अंगीकृत किया गया है कि धारा 6 के क्रमांक 3 के अनुसार "मेम्बर्स अपाइन्टेड अन्डर क्लाज ए एण्ड बी ऑफ सब-सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 4 आई०ई०एम०डी० एण्ड एफ०डी० शैल होल्ड आफिस आन सच टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स इज द स्टेट गवर्नमेन्ट में बी आर्डर स्पेशीफाई" किन्तु मैं इस मामले में आपको यह बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स उसी पर लागू होंगे जो रिटायर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये तो 31 जनवरी, 2005 को रिटायर हो चुके हैं। जब रिटायर हो चुके हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को, उसके आर्डर को वायलेट करने की सरकार की ताकत, हिम्मत कैसे हुई ? किसने इसे मुख्यमंत्री जी से कैसे ये तो सी०बी०आई० तक नहीं, इसके तो पीछे तक लोग जायेंगे। इस प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश दे रहा है, आदेश देने के बाद यह पीछे, ये जो है इसमें मुख्यमंत्री जी के साइन कैसे करवा लिए ? किसने करवाये ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय, अब तक क्या कर रहे थे ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अब क्या कहना है, यहां न्याय नहीं मिलेगा ऊपर तक बात जायेगी। सरकार की इसमें बड़ी किरकिरी होगी। इसमें न्याय नहीं मिला तो यह छोटा-मोटा मामला थोड़ी है इसमें पूरा प्रदेश देख रहा है। इसलिए मान्यवर, मेरा यह कहना है कि न्याय विभाग ने प्रतिकूल टिप्पणी दे दी, कार्मिक विभाग ने प्रतिकूल टिप्पणी दे दी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग ने प्रतिकूल टिप्पणी दे दी। कानून का आप जो सहारा ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कानून है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या उत्तरांचल में कोई और सक्षम अधिकारी नहीं है ? इसी संबंध में एक प्रश्न भी अल्पसूचित में मैंने लगाया था विधान सभा में जो प्रथम सत्र 2006 में आना था, तो उसमें यह सारी चीजें थीं। माननीय मंत्री जी ने जो ये आन्सर दिया है, वह उत्तर ही गलत दिया है, तीन-तीन बार आप आदेश कर रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश उत्तर प्रदेश में अरविन्द नाथ के मामले में लागू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। आपको यह भी पता है कि अधिवर्षता आयु बढ़ने के बाद खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद कोई कानून लागू होता ही नहीं है और इससे बड़ी बात क्या है। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसमें एक चीज और आ सकती है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप काफी विस्तार से बता चुके हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेन चीज तो नहीं आयी है। मान्यवर, हालांकि सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी का एप्वाइंट कर सकती है, लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि प्रबन्ध निदेशक का पद पूर्णतः संवर्गीय है। जिसके चयन के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप प/ख के नियम 5 में स्थिति स्पष्ट की गयी है। जिसे निम्नानुसार पुनः उद्घोषित किया जा रहा है। ऐसे अभियन्ता को जो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल, विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण के कम से कम स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखते हों या अभियन्ता संस्था, भारत की सदस्यता या एसोसियेट सदस्यता का भाग "क" और "ख" उत्तीर्ण हो, या ऐसे अभियन्ता जो अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता का पद धारण करते हों और सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता के रूप में निगम में कम से कम 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर चुके हों, जिसमें उदर्थ, अस्थायी और स्थानापन्न सेवा भी सम्मिलित होगी तथा उन्हें प्रशासनिक अनुभव के साथ जल सम्भरण एवं सीवरेज संबंधी कार्य का विशिष्ट अनुभव भी हो। इससे यह स्पष्ट है मान्यवर, यह पद विभाग का संवर्गीय पद है और उस पर चयन विभागीय अधिकारियों से ही किया जाना चाहिए था। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा प्रेस्टिज इश्यू बनाते हैं, इसमें क्यों नाक की बात लगाते हैं कि अगर यह बात हो गई तो गलत एक अधिकारी के ऊपर। हमारी भी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों इसमें नियम विरुद्ध कार्य करते है ? क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दोष अपने ऊपर लेते हैं ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा फैसला दिया जाय कि उनको तत्काल प्रभाव से वहां से पदच्युत किया जाय, उनकी जगह पर किसी दूसरे को एप्वाइंट किया जाय और जब उनको बीच में हटना ही है। आ भी गया है, वे सितम्बर में हट भी जायेंगे तो सितम्बर के बाद भी तो आपको किसी न किसी को लाना ही है तो इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए आपके निर्देश की मैं यहां से मांग भी करता हूँ और मैं सरकार से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसमें सोच–समझकर कोई निर्णय आज सदन में दें और जो ऐतिहासिक निर्णय करे, ऐसा निर्णय सदन में दें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अन्दर एक चर्चित प्रकरण पर, हमारे प्रश्न पर जो चर्चा आपने स्वीकार की उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बातचीत करना चाहता हूँ। माननीय अजय भट्ट जी ने काफी बातों को यहां पर विस्तार से रख दिया है। मैं एक–दो बातें और कहना चाहता हूँ। जैसाकि आपने बताया कि डी0पी0सी0 के द्वारा जो इनका चयन हुआ था, उस चयन की तिथि के बाद अगर उनके सेवा में दुबारा

रखना चाहिए था तो डी0पी0सी0 दुबारा बुलानी चाहिए थी और मान्यवर, इसके साथ-साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में, जो वह एम0डी0 रहे हैं इनका व्यक्तित्व पूरे तरीके से संदिग्ध रहा है। इनका कैडर का जो प्रकरण है उसमें जब माननीय लोकायुक्त के पास गये तो लोकायुक्त जी ने शासन को स्पष्ट निर्देश दिया था कि इनका जो संवर्ग है वह संदिग्ध प्रतीत होता है और इसमें जांच करायी जानी चाहिए, और उन्होंने इस जांच में यह कहा था। उन्होंने अपने निर्देश में यह कहा था कि उनका यह आशय था कि जिस सचिव ने उनको विस्तार दिया है, उसकी जांच किसी अन्य से करायी जाये, लेकिन यह सन्देह तब और बढ़ जाता है। मान्यवर, जिस व्यक्ति के द्वारा उनको सेवा विस्तार दिया गया उन्हीं के द्वारा इसमें जांच करायी गयी। मान्यवर, हमारे कई कतिपय साथी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें सत्तारूढ़ दल के साथ विधायक भी हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह प्रकरण लाये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जांच के लिए लिखा, विजिलेंस जांच की बात भी की। एक महीने में विजिलेंस की जांच इसकी की जानी चाहिए और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा तथ्यों पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि जो लोकतंत्र है वह केवल तकनीकी कारणों से, पूरी जनता इस बारे में जानती है कि वे कौन सी ताकतें हैं ? हमारे समझ में यह बात आ रही है, सारी विसंगतियां जो हैं इनके पक्ष में, इनको बचाने का हर कदम पर प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, लोक-लाज की सीमा भी लोकतंत्र के अन्दर होनी चाहिए। यह पूरे प्रदेश में जग जाहिर है कि जिस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई और उसके बाद जो इनको विस्तार दिया गया। जिस प्रकार लोकायुक्त का जो इतना बड़ा संवैधानिक संस्थान है, इनका भी अगर हम मान नहीं रखेंगे तो मैं समझता नहीं कि ऐसे हम शासन व्यवस्था को चलायेंगे। मान्यवर, जब यह चर्चा स्वीकार हो गयी थी तो हम यह उम्मीद करते थे कि अब सरकार इस पर कोई न कोई कार्यवाही अवश्य अपनी ओर से करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री प्रदीप टम्टा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस प्रकरण पर मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि माननीय जलाल जी ने जो प्रश्न उठाया था उसमें कहा था कि कतिपय विधायकों ने एक पत्र भी दिया था, पिछले सत्र में, जो हमारा अगस्त-सितम्बर में सत्र हुआ था उसका थोड़ा संदर्भ लेना चाहूंगा "माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून, विषय श्री पी0के0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के बाद भी अवैधानिक रूप से पद पर बनाये रखने के संबंध में" मान्यवर, यह बहुत गंभीर मसला है और इस पर हमारे संज्ञान में आया है कि काफी इस तरह की अनियमितता और भ्रष्टाचार का भी मामला आया था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया कि इस मामले की पूरी जानकारी दी जाय, जांच की जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमको आश्वस्त किया था कि एक महीने के अंदर इसको विजिलेंस को सौंप दिया जायेगा। विजिलेंस की रिपोर्ट आने के

बाद उस पर तत्काल कार्यवाही होगी। लेकिन 6 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं, हमको मालूम नहीं है कि विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट क्या है, मैं मांग भी करूंगा कि सदन में इस सरकार, विजिलेंस की रिपोर्ट को भी रखा जाय। मान्यवर, 2–3 बिन्दु हैं, जैसा कि उत्तर दिया गया है, सबको मालूम है कि जो उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 को, इस उत्तर प्रदेश के ही अधिनियम को, जो कि मूल अधिनियम है, को उत्तरांचल ने अंगीकृत किया है और इसलिए जो भी नियम कायदे, कानून हैं, मूल अधिनियम जब तक है या जब तक हम अपना एक्ट नहीं बना लेते हैं, उसी से होगी। मान्यवर, इसी प्रश्न का जो उत्तर आया है, 2002 में माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी द्वारा उसमें 2–3 बातें कही गयी थीं, इसी में सारी गड़बड़ है, इसी में अन्तर भी है। एक तरफ यह 29 सितम्बर, 2003 द्वारा इसकी टर्म्स एण्ड कंडीशन की गयी है कि 3 वर्ष का होना चाहिए।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का जो मूल अधिनियम है उसमें यह 26 दिसम्बर की बात है, 26 जुलाई, 2002 का इसमें उत्तर प्रदेश का जो नियम है उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 6(3) द्वारा प्रदत्त की गयी शक्तियों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल आदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश जल निगम का प्रबन्ध निदेशक 3 वर्ष के लिए पदधारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो। इसके बाद इसकी शिकायत हुई थी, इन्क्वायरी हुई थी, भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया था। उत्तर प्रदेश शासन ने फिर 26 दिसम्बर, 2003 को इसको निरस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 6(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक पदधारक के तीन वर्ष के कार्यकाल संबंधी आदेश संख्या 2206/3302/16–सी–91–टी०सी० दिनांक 26 जुलाई, 2002 को गजट में प्रकाशित होने की तिथि से ही राज्यपाल सहर्ष निरस्त करते हैं। साफ है कि स्थिति यह थी कि जो उत्तर प्रदेश का कानून था, अधिनियम था, वही हमारे यहां भी लागू होता था। यह 26 सितम्बर को हुआ था, मान्यवर, उसी के ठीक 3 दिन बाद 29 सितम्बर, 2003 को यहां 3 वर्ष का कार्यकाल फिक्स किया जाता है। क्या हमारी सरकार को मालूम नहीं था ? क्या अधिकारियों को शासन में यह मालूम नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इसमें संशोधन हो चुका है ? पहले 3 वर्ष था, उसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भी जो प्रथम आदेश दिया गया, नियुक्ति का, 13 अक्टूबर, 2003 के द्वारा श्री पी०के० शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा उसकी अधिवर्षता आयु, जो भी पहले हो, के लिए प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है। जो मूल आर्डर ही है कि या तो 3 वर्ष या अधिवर्षता जो भी पहले होगी, उस दिन इनका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा। एक साल बाद उस पर फिर संशोधन आपने कर दिया। 2 दिसम्बर, 2004 तक इसे बढ़ा दिया और फिर नीचे यह लिख रहे हैं, जब आप नीचे आ जा रहे हैं कि मान्यवर, " 12 जुलाई, 2005 द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की गयी है। जिसके आधार पर श्री शर्मा की सेवानिवृत्ति की तिथि 31–01–2007 होगी किन्तु श्री शर्मा, प्रबन्ध निदेशक की कार्यवाही उक्त अधिसूचना

दिनांक 2–12–2004 के अनुसार 12–10–2006 तक ही रहेगा।" आप चूंकि कह रहे हैं कि 3 वर्ष या अधिवर्षता, जो भी पहले होगी, नीचे 3 वर्ष का कार्यक्रम लागू करने को तैयार हैं। लेकिन जो प्रथम आर्डर है, जहां पर कहा गया है कि 3 वर्ष या अधिवर्षता, जो पहले होगी वहां आप इसको लागू करने को तैयार नहीं हैं। यहीं पर मामले में कुछ काला नजर आता है। हम मांग करते हैं, इसी सम्बन्ध में हमने पूरा ज्ञापन भी सरकार को दिया था कि ऐसे अधिकारियों को, जब उत्तर प्रदेश में साफ हो गया है, उत्तर प्रदेश ने अपने आदेश को संशोधित करने के बाद उस अधिकारी को तत्काल रूप से हटा दिया, तो हमारी सरकार ने उसी अनुरूप कार्य क्यों नहीं किया ? आज भी उत्तर प्रदेश का मूल अधिनियम हमारे उत्तरांचल राज्य में लागू है। सरकार उस संदर्भ में कार्यवाही करने को क्यों नहीं तैयार है ? एक तरफ तो समाज के सबसे बड़े वर्ग के व्यक्ति को बचाने के लिए हमारी सरकार एक आर्डर निकालती है। जब समाज के सबसे बड़े वर्गों का, जो वंचित वर्ग है। उनके लिए एक आर्डर आता है, तो वहां उत्तर प्रदेश के नियम को लागू करने के लिये तैयार हैं।

मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 85वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात कही तो, उनका एक उत्तर मेरे पास आया है। अब कौन–सा नियम उत्तर प्रदेश का लागू होगा, कौन सा नहीं होगा, यह सदन तय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का 8 फरवरी, 2006 का पत्र है, जो मेरे पास आया है। "प्रिय प्रदीप टम्टा जी, 85वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 19–11–2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिणामी ज्येष्ठता दिये जाने के सम्बन्ध में नियमावली में जो व्यवस्था की गयी थी उसे अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 द्वारा नियमावली से हटा दिया गया है। यह प्रकरण वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् इस प्रकरण में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।" इसलिए जब उत्तर प्रदेश में उसे हटा दिया गया है, तो अब हम उत्तरांचल में भी उसको लागू नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति श्री पी0के0 शर्मा को बचाने के लिए सरकार उस नियम को लागू नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश ने नियम बदला, भ्रष्टाचार का मामला आया, उत्तर प्रदेश ने उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्य किया और उसे हटा दिया। यहां पर उस संदर्भ में उसी नियम को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है ? मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि दोहरा मापदण्ड न अपनायें। एक व्यक्ति को बचाने के लिए नियम कानून को तोड़ा जाय और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा की बात आयी तो आप उत्तर प्रदेश के नियमों, अधिनियमों का संज्ञान लें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही चर्चित विषय है। जब ये प्रश्न माननीय सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया था तो मैंने भी कुछ बातें कही थी। यह गम्भीर प्रश्न है, इसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। आपने कृपापूर्वक इसको स्वीकृत भी किया और काफी तथ्य सामने आये। वर्तमान में जो प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल के वर्तमान में भी हैं, जिनको 31 जनवरी, 2005 को

हर हालत में सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए था। इसके संदर्भ में बहुत सारे तथ्य आ गये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि इस अधिकारी के पक्ष में हमारे शासन तंत्र के बहुत सारे अधिकारी और सत्ता तंत्र के बहुत सारे लोग उनके पक्ष में मेहरबान हैं। कार्मिक विभाग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, न्याय विभाग और प्रशासनिक विभाग, इन सबकी प्रतिकूल टिप्पणियां होने के बाद भी यह सम्बन्धित जो कथित अधिकारी है, आज भी कार्यरत हैं। यह नियमों का, कार्य प्रणाली का खुला उल्लंघन है और मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने सुना था कि सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग को गठित किया है। वो प्रशासनिक सुधार आयोग अगर इसको देख लें तो इस प्रदेश की जो प्रशासनिक प्रणाली है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। जिस अधिकारी की मूल नियुक्ति डी0पी0सी0 द्वारा होती है, डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी, मान्यवर, मुख्य सचिव इसके चेयरमैन होते हैं। उन्होंने डी0पी0सी0 की तो उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षता आयु पूरी होने में जो भी पहले हो, तब तक की जाती है। अधिवर्षता आयु 31 जनवरी, 2005 को हो रही थी और इस सदन में मामला उठा था और यह शंका व्यक्त की गयी थी कि इनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, कार्य विस्तार दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जो यहां पर बैठी हैं, उन्होंने भी जवाब दिया। मेरे पास वह जवाब भी है। माननीय कैलाश शर्मा जी, द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि किसी को भी एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। एक्टेंशन की कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गये। ठीक दो फरवरी को गये और हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते रहे कि हमने किसी को एक्सटेंशन नहीं दिया है, सेवा विस्तार नहीं दिया है, जब हमको पता चला कि प्रबन्ध निदेशक ने 31 जनवरी, के बाद भी एक फरवरी, को अपने दफ्तर में काम किया है तो दो फरवरी को जाकर हमने उनसे कहा कि जिसको आप कह रहे थे कि सेवा विस्तार नहीं दिया गया है और जिसको डी0पी0सी0 के आदेशानुसार, मूल आदेशानुसार 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए था, वह व्यक्ति आज भी उसी कुर्सी पर बैठा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अपर सचिव, पेयजल को बुलाया और उनको कहा कि मुझे बताइये कि क्या हो रहा है, ये आदेश हैं, इसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है ? तो अपर सचिव जी ने उनको कहा कि इनका तो सेवा विस्तार नहीं, इनको तीन साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि इनका तीन साल के लिए कर दिया गया है। कैसे किया गया ? मान्यवर, जब डी0पी0सी0 में इस सेवानिवृत्ति की जो शर्त थी तीन वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु पूरी होने की और उसका गजट हुआ 13 अक्टूबर, 2003 को उसके बाद अधिकारियों ने बहुत उसका पक्ष लेते हुए ये पूरा प्लान तैयार किया कि इनको तीन वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया जाय और उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ मान्यवर, दो दिसम्बर, 2004 को। रिटायर हो रहे थे 31 जनवरी, 2005 को। एक महीने पहले उनके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गयी और उनका सेवा विस्तार तीन वर्ष के लिए कर दिया गया और यह तर्क भी दिया गया कि जो ऐसे प्रबन्ध निदेशक, जो नियमों में लाये जा रहे हैं, वह ओपन मार्केट पॉलिसी से लाये जा

रहे हैं उनको तीन वर्ष का कार्यकाल होना आवश्यक है। इस तरह से मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके अधिकारियों ने एप्रूवल ले लिया। तो हमारा सवाल यह है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री को यह तर्क दिया गया कि तीन वर्ष के लिए किया जाना जरूरी है तो फिर ओपन मार्केट से मंगाते, दुबारा एडवरटाइज करते, दुबारा एप्लीकेशन मांगते तो इनसे भी ज्यादा काबिल अधिकारी आ सकते थे। तीन वर्ष के टर्म के लिए आते। तो एक तरफ आपने डी0पी0सी0 से उसका प्रमोशन कर दिया और उसी प्रमोशन के आधार पर आपने तीन वर्ष के लिए सेवा विस्तार न करते हुए भी उनको विशेष ईनाम दे दिया। इस तरह से यह साजिश के तहत हुआ और जिसके बारे में, यह उत्तरांचल के कैडर के हैं कि नहीं, इसका माननीय लोकायुक्त के फैसले में उल्लेख है कि इनका जो कैडर है, इनको जो विकल्प है, वह संदिग्ध प्रतीत होता है और सरकार इसकी जांच करके उस पर कार्यवाही करे। सरकार ने कोई जांच नहीं की, कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। जिस आदमी की संदिग्धता यहां से शुरू होती है कि वह मूल कैडर का है कि नहीं है, जिसको संदिग्ध बता दिया लोकायुक्त ने, जिसकी जांच सरकार को सौंपी गयी थी, सरकार उसकी जांच नहीं कर सकी। जांच करना तो दूर रहा उसको लगातार ईनाम देने का सरकार ने प्रयास किया और कोई कार्यवाही नहीं हुई है और आखिर में मान्यवर, यह तमाशा जिसका उल्लेख माननीय मदन जी ने किया है। जिन टिप्पणियों का उल्लेख प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक उद्योग विभाग, न्याय विभाग और कार्मिक विभाग ने अपनी टिप्पणियां की हैं और यह सारी टिप्पणियां इनके प्रतिकूल हैं, इसके बाद यह पत्रावली प्रशासनिक विभाग से मुख्य सचिव को गयी। मुख्य सचिव को अवलोकनार्थ गई। मुख्य सचिव ने अवलोकन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया अवलोकनार्थ। मेरी जानकारी में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अवलोकित करके दस्तखत कर दिये हैं। अब ऊहापोह की स्थिति है कि इतनी प्रतिकूल टिप्पणी होने के बावजूद भी, सब कुछ गलत होने के बाद भी जो फैसला होना चाहिए था, वह यह होना चाहिए था कि, रिकमंडेशन यह प्रशासनिक विभाग की होनी चाहिए थी, कि इस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाय, सेवानिवृत्त कर दिया जाय, ऐसा कुछ नहीं प्रशासनिक विभाग ने लिखा, मजेदार बात यह है कि मान्यवर, टिप्पणी प्रतिकूल है कार्मिक की, टिप्पणी प्रतिकूल है सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग की, टिप्पणी प्रतिकूल है न्याय विभाग की। मान्यवर, टिप्पणी आने के बाद प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी थी, चूंकि ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी आयी है तो उच्चाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो पत्रावली को पेश करते तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसमें लिखते कि इन-इन परिस्थितियों में इस अधिकारी को सेवानिवृत्त किया जाना आवश्यक है, कृपया सहमत होना चाहें। ऐसी टिप्पणी लिख के यो पत्रावली जानी चाहिए थी लेकिन चालाकी फिर हुई है, ऐसा नहीं किया गया, अपना मन्तव्य नहीं दिया और अवलोकनार्थ प्रशासनिक विभाग ने मुख्य सचिव को पत्रावली भेजी और मुख्य सचिव ने अवलोकन कर बिना किसी टिप्पणी के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रावली भेज दी। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से दस्तखत करके फाईल वापस भी आ गयी है। मान्यवर, अब यह खोज का विषय है आखिर वह आदेश है क्या ? विभागों की प्रतिकूल टिप्पणी है, इस पर कार्यवाही कौन करेगा और क्यों

कार्यवाही होगी यह किसी के समझ में नहीं आया। केवल उस अधिकारी को उस एक्शन से बचाने के लिए, उनके प्रतिकूल जो निर्णय आया था उससे बचाने के लिए प्रशासनिक विभाग ने और पेयजल विभाग ने यह चालाकी की है कि उस चालाकी में हमारे सारे अधिकारी सहित माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसमें लपेटा है। आज की तारीख में भी कोई निर्णय नहीं हुआ है तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार की साख बचे, माननीय संसदीय कार्यमंत्री भी यहां पर हैं। यह बड़ा ऐसा मामला है जो अभी मीडिया में भी आयेगा और जिस पर माननीय भट्ट जी ने भी कहा है कि सरकार कैसे जवाब देगी, कहां जवाब देगी ? उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया गया और माननीय सदस्य प्रदीप टम्टा जी सहित और लोगों ने भी इसकी शिकायत की है तो आखिर आप चाहते क्या हैं ? सरकार क्या चाहती है ? क्यों एक अधिकारी को..........(व्यवधान) मेरी मांग है कि उस अधिकारी को तत्काल सेवानिवृत्त कर दिया जाय। इस अधिकारी को सेवानिवृत्त करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच भी जाय और इसमें संलिप्त जो भी अधिकारी हैं इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। पेयजल निगम के प्रबन्ध निदेशक का जो मामला है, वह बहुत ही संगीन है। मान्यवर, माननीय अजय भट्ट जी ने माननीय काशी सिंह ऐरी जी, माननीय प्रदीप टम्टा जी और अन्य साथियों ने भी इस मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी को दस्तखत करके दिया, जिस पर हमको यह आश्वासन दिया गया कि इस पर गम्भीरता से जांच की जायेगी और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा। मान्यवर, आज पूरे चार-पांच महीने हो चुके हैं अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, हमारी लोकप्रिय सरकार के अन्दर ऐसे अधिकारी को एक मिनट भी यहां पर रहने का अधिकारी नहीं है। मान्यवर, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उत्तर प्रदेश से लग आ गये हैं। मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ बजाय जांच, जांच सारी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, यहां से ले करके सारे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं और आज हम यह चाहेंगे कि हमारी लोकप्रिय सरकार के ऊपर ऐसे जो दागनुमा अधिकारी हैं उनको तत्काल यहां से हटाया जाय। मैं यह आपसे मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, भ्रष्ट अधिकारी पुरस्कृत होते रहेंगे तो नहीं चल पायेगा प्रदेश, सही। (व्यवधान) इस पर पीठ से निर्देश आना चाहिए। (व्यवधान)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में, जिस समय सदन किसी विषय पर चर्चा करता है तो शायद वह सबसे गम्भीर चर्चा होती है और मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है जिस तरीके से चीजें धाराप्रवाही जा रही हैं। [X X X X] अगर

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आपको स्वीकार हो तो मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां इस प्रश्न के साथ खड़ा नहीं हुआ हूं कि मुझे किसी व्यक्ति को बचाना है। मेरा दायित्व है कि मैं सदन के सम्मुख सम्पूर्ण तथ्य रखूं। जो बातें आयी उन बातों से कुछ मूल प्रश्न उठे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया है अरविन्द नाथ के केस में, पहला प्रश्न। दूसरा है सेवारत या निवृत्त समय के लिए नियुक्ति तीसरा है या नियत समय के लिए नियुक्ति, चौथा प्रश्न आया है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना, पांचवा प्रकरण आया लोकायुक्त का आदेश, छठा प्रश्न आया सतर्कता विभाग की भूमिका। मान्यवर, अधिवर्षता के बाद पद पर बनाये रखने का प्रश्न आया, उत्तर प्रदेश के मूल अधिनियम के लागू होने का प्रश्न आया। मान्यवर, एक डिपार्टमेण्टल विभागीय चयन समिति होती है जो विभाग में चयन करती है और चयन समिति वह होती है जो विशेष प्रकरण के लिए बनाई जाती है वह दोनों एक हैं या अलग–अलग हैं, इसके बारे में भी प्रश्न आया। यह प्रश्न आज की चर्चा में उपस्थित हुए हैं, जब मैं तथ्यों को सामने लाऊंगा तो इन प्रश्नों के ऊपर आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यगण पूरी गम्भीरता से विचार करें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण ऐक्ट जिसके रूपान्तरण के बाद हमने स्वीकार किया है, यह जानकारी माननीय सदस्यों को ठीक है। मान्यवर, धारा 4, धारा 6 है और धारा 4 के भाग–2 के क में है कि "एक प्रबन्ध निदेशक जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी, जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा।" मतलब जल निगम के इस पद पर कोई अभियन्ता ही नियुक्त होगा जिसको जल सम्भरण की जानकारी हो। मान्यवर धारा 6–3 नियुक्ति की ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। बहुत स्पष्ट है कि वे राज्य सरकार को अधिकृत करते हैं कि वो इस विषय में नियम बनायें। मान्यवर, उत्तरांचल में 27 अगस्त, 2002 को मंत्रि परिषद् ने निर्णय लिया, जहां पर हमें ऐक्ट के अन्दर अधिकार दिया गया था। जल निगम का प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया जाय कि इसमें पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति हो। ये मंत्रि परिषद् ने निर्णय लिया। इसके बाद आया कार्यालय ज्ञाप के   अधीन यह नियुक्ति होनी है तो इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया, इस चयन समिति के सदस्यों का प्रस्ताव किया गया चयन के लिए पात्रता का प्रस्ताव किया गया, जिसका आपने जिक्र किया और अन्तिम पैराग्राफ में लिखा गया, इस प्रकार प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के पद वेतनमान पर उत्तरांचल उत्तर प्रदेश जल संभरण सीवर ऐक्ट अधिनियम अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश, जिससे ऐक्ट को रूपान्तरित किया कि धारा–4–क 2002 की धारा–2–क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुक्रम में इस कार्यालय ज्ञाप के उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जायेगा, जो निरन्तर 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय। ये वो कार्यालय ज्ञाप है इसके बाद आई

चयन समिति की टिप्पणी, चयन समिति के सामने समस्त प्रकरण को विभाग ने रखा और चयन समिति ने उस प्रस्ताव पर भी विचार किया। समिति द्वारा श्री पी0 के0 शर्मा के पर्वतीय उपसंवर्ग के विकल्प के संबंध में प्राप्त शिकायत पर भी विचार किया गया। समिति का यह मत था कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या को एन्ड सो में निर्गत पर्वतीय उपसंवर्ग की सूची में श्री शर्मा का नाम क्रमांक–4 पर शामिल है तथा प्रथम 3, जो उनसे वरिष्ठ थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने अपनी संस्तुति में यह भी लिखा कि प्रबन्ध निदेशक के पद पर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा तीन वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो जाय, यह चयन समिति को अधिकार था कि जो कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत उनको अधिकार दिया गया है या उस को पूरा करती है, चयन समिति ने एक संस्तुति अपनी, इसमें आगे बढ़ाकर की, जिसमें कि अधिवर्षता की आयु जोड़ी। इसके बाद 13 अक्टूबर, 2003 को अधिसूचना जारी हुई। मान्यवर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवर्षता आयु। इसके बाद जो चयनित व्यक्ति था उसने 08–11–2004 को अपना प्रत्यावेदन दिया और उसमें यह निवेदन किया कि नियुक्ति की अधिसूचना में से अधिवर्षता की आयु की शर्त विलुप्त करते हुए निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करने का अवसर प्रदान करें क्योंकि मूल कार्यालय ज्ञाप में यही नीति घोषित की गयी थी। उनका यह प्रत्यावेदन स्वीकार किया गया और स्वीकार करने के बाद 2 दिसम्बर, 2004 का शासनादेश जारी हुआ। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि तक बशर्ते राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा पूर्व में ही समाप्त न कर दें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक–एक गजट नोटिस हमारे पास भी है। मैं इसको पूर्व में बता चुका हूं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मेरा दायित्व है कि मैं पूरे तथ्यों को सदन के सामने रख दूं (व्यवधान) इसमें चार और चीजें आई। माननीय विधायकों ने पत्र लिखा, एक अल्पसूचित प्रश्न, एक तारांकित प्रश्न और एक माननीय ऐरी जी का पत्र और एक लोकायुक्त के आदेश और कुछ अन्य शिकायतें भी जो विभिन्न जगहों पर की गई। ये कुछ और अन्य पत्र भी इस पत्रावली में आते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उस पत्र में माननीय मंत्रीगणों के पत्र भी हैं (व्यवधान) उनको बचाने के लिए माननीय मंत्रीगणों के पत्र भी हैं उस पत्रावली में। जब सदन के अन्दर 50 लोग कह रहे हैं हटाओ और चार लोग कह रहे हैं बचाओ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह तो सदन का मत होगा, सदन क्या निर्णय लेगा, आप बीच में क्यों परेशान हो रहे हैं ? अभी मैं इन शिकायती पत्रों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका इनसे संबंध नहीं है। अब आता हूँ वह केस जिसकी बात हो रही है, श्री अरविन्द नाथ जी का केस, इस केस में भी तीन–चार अधिसूचनाएं उत्तर प्रदेश में जारी हुई थी, सबसे पहली अधिसूचना 11 जुलाई, 2002 को जारी हुई जिसमें अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तिथि की बात कही गई। उसके बाद 28 जुलाई को जारी हुई। जिसमें तीन वर्ष पदधारण करने की बात कही गयी है, उसके बाद एक अधिसूचना जारी हुई।......

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसको 26 सितम्बर कर लीजिए, यह राकेश बहादुर की है, मेरे पास सब वही तो है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 26 सितम्बर तीसरी है। जिसमें 26 सितम्बर में उन्होंने धारा 6–3 को संशोधित कर दिया। संशोधित करके कार्यकाल सम्बन्धी पुराने आदेश को निरस्त किया गया। 26 सितम्बर को ही उन्होंने श्री अरविन्द नाथ को पद मुक्त कर दिया, अपने मूल नियम को बदलते हुए इस प्रकरण में उन्होंने अपना मूल नियम बदला, उत्तरांचल में मूल नियम नहीं बदला गया। इस आदेश के खिलाफ श्री अरविन्द नाथ जी उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश को रद्द किया और रद्द करते समय हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को आधार माना, वह जजमेंट था एल०पी० अग्रवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया के केस में, वह उसी जजमेंट के अन्तर्गत में है। जिसमें उन्होंने मूलभूत चीज को तय किया, यह जजमेंट इंग्लिश में है इसमें मैं आपकी अनुमति चाहूंगा और कोशिश करूंगा अपने अल्पज्ञान से कि अगर हो सके तो इसे परिवर्तित कर दूं, हिन्दी में रूपान्तरित कर दूं पर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी में सुनना पड़ेगा। "द क्वश्चेन ऑफ कनसीडिरेशन बिफोर द आनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज दैट वेदर एन इनकम्बेन्ट कैन बी प्रीमेच्युरली रिटायर्ड बिफोर द कम्पलीशन आफ हिज टेन्योर ? द आनरेबल सुप्रीम कोर्ट व्हाइल होल्डिंग दैट एपलेन्ट कुड नाट हैव बीन प्रीमेच्युरली रिटायर्ड एण्ड दैट द़ डिस्चार्ज बीइंग पुट टू एनी नोटिस फारसोएवर ऑबजरव्ड एज अण्डर..........

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आप हाईकोर्ट का फैसला सुना दीजिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जितना भी है उसको सुना दीजिए और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या फैसला किया बता दीजिए इस पर लम्बा जाने की क्या जरूरत है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें लम्बा जाने की जरूरत है। (व्यवधान) मैं बहुत लम्बा समय नहीं ले रहा हूँ। जितना आप टोक रहे हैं उतना समय ज्यादा लग रहा है। अब इसके बाद आ गया मान्यवर, उन्होंने टैन्योर मीन्स ए टर्म ड्यूरिंग व्हिच एन ऑफिस इज हैल्ड। इट इज ए कण्डीशन ऑफ होल्डिंग द ऑफिस। व्हन ए परसन इज एप्वाइंटेड टू ए टैन्योर पोस्ट जब एक नियत समय अवधि की पोस्ट में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जायेगी। हिज एप्वाइंट टू द सेड ऑफिस बिगेन्स व्हेन ही ज्वाइन्स एण्ड इट कम्स टू एण्ड ऑन द कम्पलीशन ऑफ द टैन्योर अनलेस कर्टेल ऑन जस्टिफेबिल ग्राउण्ड। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह हाईकोर्ट ने कहा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह मैं सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, उसमें तो साफ है जो पहला एप्वाइंटमेंट लेटर है उसमें तीन वर्ष या अधिवर्षता है। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, नहीं है। कार्यालय ज्ञाप में जो ज्ञापित होगा वह मूल बनेगा। (व्यवधान) आपने क्रोनोलोजिकल आर्डर को ढंग से नहीं सुना। कार्यालय ज्ञाप में जिस पद के लिए कार्यालय ज्ञाप निकाला गया उसमें तीन वर्ष की नियत अवधि थी। (शोर व्यवधान) मान्यवर, मुझे अपने दायित्व का पालन करने दीजिए, संरक्षण दीजिए ताकि मैं तथ्य आपके सामने रख सकूं। एल0पी0 अग्रवाल वर्सेस यू0एन0 ऑफ इण्डिया का केस 1992, सुप्रीम कोर्ट, 1872, इसके जजमेन्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पहले कौन सा वरडिक्ट पढ़ा हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहा हूँ। एल0पी0 अग्रवाल के केस का आर्डर ही पढ़ रहा हूँ। सुन तो लो। (व्यवधान)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, पिटीशन को उन्होंने स्वीकार कर लिया स्टेट गवर्नमेंट ने। हाईकोर्ट

के आर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है, उत्तर प्रदेश सरकार (व्यवधान) और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पिटीशन को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब बता दें। (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, हम एक ही जवाब चाहते हैं कि पी०के० शर्मा को एम०डी० रहने दिया जाय या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे स्पष्ट कर दें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, हमको यह पत्र सुनने की जरूरत नहीं है। पी०के० शर्मा एम०डी० रहेगा या नहीं ? जिसकी वजह से हमारी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उस अधिकारी को सरकार रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है ? हम यह जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, एक भ्रष्ट अधिकारी को इस तरह से संरक्षण देना ठीक बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने यहां पर अपना सम्बोधन शुरू करते हुए कहा है कि यहां पर फैसला सुनाया जा रहा है। मेरी इस पर आपत्ति है। मेरा निवेदन है कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से न निकाला जाये।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, यहां पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। अपने एक साथी की कही हुई बात को बल दिया गया है। क्योंकि ग्यारह बजने वाले हैं। हम जानते हैं कि सबको समय अलग–अलग से नहीं मिल रहा है। जो उन्होंने कहा हमने उनके साथ अपनी बात की सहमति बताई है। जो भावना उनकी है, जो मंशा उनकी है हम उसके साथ हैं। कोई फैसला नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं वे आपत्तिजनक हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, बिल्कुल सही बात है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में या कोई मंत्रीगण बहुत अच्छी घोषणा सरकार की ओर से करते हैं तो उस पर भी मेजें थपथपाता है, सत्तापक्ष और हमारी ओर से कोई अच्छी बात करता है तो विपक्ष अपनी मेजें थपथपाता है तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि फैसला ले लिया गया। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान माननीय मंत्री जी का है। (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (व्यवधान) हमने अपने साथी की कही हुई बात पर बल दिया है। हमें पता है इस समय सबको अलग–अलग समय मिल पाना सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, क्या कल से हम लोग मेजें थपथपाना बन्द कर दें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जिस बात को बार–बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यह अनेकों बार आ गया है। माननीय अजय भट्ट जी ने, माननीय प्रदीप टम्टा जी ने इस बात को रखा और जिस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को माननीय मंत्री जी कह रहे हैं और जिस आदेश का हवाला देते हुए कह रहे हैं और उसी आदेश का गजट नोटीफिकेशन भी हुआ है और वह दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 को हुआ है। मैं उसकी अन्तिम लाइन को ही केवल पढ़ूंगा, अन्तिम लाइन में कहा है कि "बशर्ते राज्य सरकार उनका कार्यकाल गजट में अधिसूचना द्वारा पूर्व से ही समाप्त न कर दे।" चूंकि इस आदेश के बाद जब कि यह प्रकरण इतनी बार उठा और यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया कि उस अधिकारी पर अनेकों आरोप हैं और अनेकों प्रकार की अनियमितताओं के आरोप हैं और इतने आरोप, माननीय मंत्री जी खुद कह रहे हैं, इतनी बड़ी फाइलें आयी हैं, इनकी शिकायतों की, तो मैं माननीय सदन में आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सरकार उनके कार्यकाल को गजट में अधिसूचना के पूर्व ही समाप्त करने के प्रयास करने के लिए आदेश निर्देशित करेगी क्या ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार ने तो ऐसा अभी तक नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, करेगी या नहीं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार कर भी नहीं रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कर भी नहीं रही है तो फिर बात ही खत्म हो गयी।

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, कार्यवाही से उसको निकाल दिया जाय, माननीय मंत्री जी का जो....

श्री हेमेश खर्कवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अजय भट्ट–

कोर्ट ने कहा है, अधिवर्षता आयु समाप्त होने के बाद कोई भी चीज लागू नहीं होती है।

श्री नव प्रभात–

नहीं कहा है।

श्री अजय भट्ट–

वह कहा है।

श्री नव प्रभात–

मैं कह रहा हूं, नहीं कहा है और अरविन्द नाथ के केस के बाद ....

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री नारायण राम आर्य, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री प्रकाश पंत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्री हरीदास तथा श्री नारायण पाल की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद पिथौरागढ़ के नामधूणा में विद्युत आपूर्ति नियमित न रहने तथा विद्युत सम्बन्धी समस्या के निराकरण के संबंध में श्री नारायण राम आर्य की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए और जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम पंचायत रडुवा के हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण न होने से जनता में व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र भट्ट की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

(व्यवधान)

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

देहरादून :
18 अप्रैल, 2006

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 वि0 स0/423–31–08–2007–200 प्रतियां (कम्प्यू0/रीजियो)।